VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

अगस्त - 2017

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान......................................5

1.1. निजता का अधिकार.. 5

1.2. वैवाहिक बलात्कार 7

1.3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 A 9

1.4. DNA आधारित तकनीक (उपयोग और विनियमन) विधेयक , 2017 9

1.5. झारखंड का धर्मांतरण विरोधी विधेयक 10

1.6. नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017........................ 11

1.7. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम में संशोधन 12

1.8. नियमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कानून बनाना13

1.9. परिसीमन की दुविधा... 14

1.10. भारत को मध्यस्थता केंद्र के रूप में विकसित करना.. 15

1.11. NRIs को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति.................. 16

1.12. नौकरशाहों के लिए नई रेटिंग प्रणाली.................. 17

2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत एवं विश्व...................................18

2.1 अमेरिका की नयी अफ़गान नीति 18

2.2 भारत-नेपाल 19

2.3 भारत-चीन 19

2.4 भारत-फिलीपींस आतंकवाद विरोधी संघर्ष सहयोग 20

2.5 भारत-स्वीडन... 21

2.6 भारत-इजराइल 21

2.7 तापी गैस पाईपलाइन... 21

2.8 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी 22

2.9. कजाखस्तान में यूरेनियम बैंक 23

2.10 ग्लोबल एंट्रेप्रेन्योरशिप समिट (GES) 24

2.11. बिम्सटेक (BIMSTEC) की 15वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 25

3. अर्थव्यवस्था..26

3.1. कृषि में महिलाएँ 26

3.2. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना 27

3.3. दीर्घावधिक सिंचाई कोष...28

3.4. आवश्यक वस्तु अधिनियम 29

3.5. कृषि-उपज की बिक्री करने के लिए ई-रकम पोर्टल 29

3.6. एग्री-उड़ान 30

3.7. विनिवेश 30

3.8. वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र 31

3.9. पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री 32

3.10. मध्यम-अवधि के व्यय की रूपरेखा का वक्तव्य (MTEF) 33

3.11. भारत-22...33

3.12. अनुचित व्यापार आचरण पर मानदंडों की समीक्षा करने के लिए पैनल का गठन 33

3.13. नई मेट्रो रेल नीति 2016 34

3.14. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना 35

3.15. NABARD की ई-शक्ति पहल 36

3.16. भारत का समुद्री व्यापार.......................................36

3.17. औषध नीति 2017 का मसौदा 38

3.18. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश...............................40

3.19. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस...41

3.20. वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय............42

3.21. नई राष्ट्रीय खनिज नीति बनाने के लिए समिति का गठन 43

3.22. RERA पर संसदीय समिति 43

3.23. राष्ट्रीय विद्युत् नीति की समीक्षा पर रिपोर्ट 44

4. सुरक्षा...46

4.1. सेना में सुधार...46

4.2 रक्षा खरीद में जवाबदेही 47

4.3 भारत में UAV को विनियमित करने की आवश्यकता ...47

VISION IAS

4.4. नेशनल साइबर कोआर्डिनेशन सेंटर (NCCC) 48
4.5 सीमा सड़क संगठन को शक्तियों का प्रत्यायोजन 49
4.6 भारत और चीन के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन 49
4.7 पांगोंग त्सो झील का महत्व.................................. 49
5. पर्यावरण 51
5.1. भारत में बाढ़.. 51
5.2. मरुस्थलीकरण रोकथाम...................................... 53
5.3. वन भूमि के अन्य उपयोग हेतु दिशा-निर्देश 54
5.4. आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलें 54
5.5. पारिस्थितिक तंत्र सेवा सुधार परियोजना................ 55
5.6. हाथी जनगणना 56
5.7. जलमग्न होते द्वीप समूह को बचाने के लिए कृत्रिम रीफ 57
5.8. अर्थ ओवरशूट डे 58
5.9. पटाखों में रासायनों के उपयोग पर प्रतिबन्ध 59
5.10. समताप मंडल में ब्लैक कार्बन 59
5.11. कार्बन डाई ऑक्साइड के व्यापक उत्सर्जन में एल-नीनो सहायक.. 60
5.12. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन: दिशानिर्देशों के मध्य अंतर61
5.13. पॉलीमेटेलिक नोड्यूल का अन्वेषण...................... 61
5.14. मॉस (MOSS) एक सस्ते जैव संसूचक के रूप में 63
6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 64
6.1. बिग डेटा 64
6.2. प्रोजेक्ट ब्रेनवेव.. 65
6.3. हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटलाइट 65
6.4. ISRO के IRNSS 1H का प्रक्षेपण असफल............. 66
6.5. क्यूबसैट में प्रोपेलेंट के रूप में जल 66
6.6. भारत की प्रथम निजी मिसाइल उत्पादन सुविधा का अनावरण 67
6.7. INCOIS द्वारा महासागरीय पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन 67
6.8. नैनोमैटेरियल: जलवायु परिवर्तन से निबटने तथा प्रदूषण की रोकथाम हेतु 68
6.9. NHAI द्वारा मायफास्टैग तथा फास्टैग मोबाइल एप्प लांच 69
6.10. नई टेक्टॉनिक प्लेट की खोज 70
6.11. परसीड उल्कापात 70
6.12. स्टेम सेल अनुसन्धान हेतु दिशानिर्देशों का मसौदा.....71
6.13. अमेरिका द्वारा जीन थेरेपी को स्वीकृति.................71
6.14. IIT दल द्वारा “इम्प्लांटेबल पैंक्रियाज़” का निर्माण 71
7. सामाजिक मुद्दे 73
7.1. तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय.............73
7.2. स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट: संधारणीय विकास लक्ष्य 74
7.3. स्वच्छ भारत अभियान 76
7.4. अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण....................................77
7.5. विद्यालयों का स्थान-विशेष के अनुसार विलय 78
7.6. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष.........................79
7.7. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC): संशोधित नियम..80
7.8. घुटना प्रत्यारोपण हेतु आवश्यक अधिकतम लागत की सीमा निर्धारित...80
7.9. सघन या तीव्र मिशन इंद्रधनुष 81
7.10. शिशु मृत्यु दर 82
7.11. पारिवारिक सहभागिता देखभाल 84
7.12. सरोगेसी विधेयक 85
7.13. मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी.......................86
7.14. चैंपियंस ऑफ चेंज इनिशिएटिव 87
8. संस्कृति... 88

VISION IAS

8.1. भारत छोड़ो आंदोलन की 75 वीं वर्षगांठ 88

8.2. पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन 88

8.3. घंटाशाला में बुद्ध प्रतिमा 89

9. नीतिशास्त्र..90

9.1. चिकित्सकीय नैतिकता 90

9.2. किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की नैतिकता 91

10. विविध..93

10.1. ओलम्पिक टास्क फ़ोर्स (कार्यबल)......................... 93

10.2 राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल 93

10.3 युवा (YUVA)- कौशल विकास हेतु दिल्ली पुलिस की पहल 93

10.4 'शी मीन्स बिज़नस' कार्यक्रम 94

10.5 ऑपरेशन आल-आउट 95

10.6 SUNREF हाउसिंग प्रोजेक्ट 95

10.7. गोविंदभोग चावल: जीआई टैग.............................95

10.8. BPRD के साथ NCRB का विलय 96

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. निजता का अधिकार

(Right to Privacy)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधानिक खंडपीठ ने **जस्टिस के.एस.पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ** वाद में सर्वसम्मति से निर्णय देते हुए 'निजता के अधिकार' को अनुच्छेद-21 के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के तहत मूल अधिकार का अभिन्न हिस्सा माना है।

पृष्ठभूमि

- संविधान सभा ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के पश्चात् संविधान में निजता के अधिकार का उल्लेख न करने का फैसला किया।
- पूर्व में भी **एम.पी.शर्मा** (8-न्यायमूर्ति खंडपीठ) 1954 **और खड़क सिंह** (6-न्यायमूर्ति खंडपीठ)1961 प्रकरण में न्यायालय ने माना कि संविधान के अंतर्गत निजता के अधिकार को संरक्षण नहीं प्रदान किया गया है।
- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) वाद में न्यायालय ने यह माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार में अल्पीकरण या दखल देने वाला कोई भी कानून अनियंत्रित या मनमाना नहीं होना चाहिए।
- हालांकि, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2003 भी निजता संबंधी कानूनों पर मौन था।
- अतीत में, द प्रिवेंशन ऑफ़ अनसॉलिसिटेड टेलीफोनिक कॉल एंड प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी बिल, ड्राफ्ट बिल ऑन प्राइवेसी, 2011 सहित विभिन्न विधेयक पेश किए गए हैं। हालांकि, अभी भी निजता के अधिकार के लिए कोई कानून नहीं है।
- निजता संबंधी कानूनों का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति ए.पी.शाह के अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई थी। इस समिति को निजता पर प्रस्तावित मसौदा विधेयक 2011 से संबंधित सुझाव देना था।
- हाल ही में, डेटा (गोपनीयता और संरक्षण) विधेयक, 2017 को लोकसभा में पेश किया गया।

निजता के अधिकार की आवश्यकता क्यों है?

- **भारत में तीव्र डिजिटलीकरण** से ID चोरी, धोखाधड़ी, गलत बयानबाज़ी की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- नागरिकों से एकत्रित कम्प्यूटरीकृत डाटा का उपयोग कर IT प्लेटफार्म के माध्यम से कल्याणकारी सुविधा प्रदान करना।
- **भारी मात्रा में व्यक्तिगत डेटा संग्रह** - बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनिया सुरक्षा प्रक्रियाओं के बिना ही लाखों भारतीयों से संबंधित डेटा को विदेश लेकर जा रही हैं।
- **इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की बढ़ती संख्या** - भारत में लगभग 400 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। जो डेटा के सृजन , संचरण, उपभोग और भंडारण की प्रक्रिया में संलग्न हैं।

ए.पी.शाह पैनल की अनुसंशाएं

- निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में निजता की रक्षा के लिए **नए और व्यापक कानून** के निर्माण की सिफारिश।
- केंद्र और राज्यों में **निजता आयुक्तों (privacy commissioners)** की नियुक्ति।
- उद्योगों द्वारा **स्व-विनियामक संगठन** की स्थापना जो निजता के अधिकार को लागू करने वाले आधारभूत कानूनी ढांचे का विकास करेगा।
- डेटा संग्रहकर्ताओ द्वारा पालन किए जाने वाले **निजता सम्बन्धी नौ सिद्धांत** - सूचना, चुनाव और सहमति, संग्रह सीमा, प्रयोजन सीमा, पहुंच और सुधार, सूचना का प्रकटीकरण, सुरक्षा, खुलापन, जवाबदेही।
- निजता के अधिकार के सूचीबद्ध **अपवाद** - राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक हित, अपराधों से निपटना, दूसरों की स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों की सुरक्षा।

VISION IAS

डेटा (निजता और संरक्षण) विधेयक, 2017

- **अधिकार आधारित दृष्टिकोण** जहां डेटा का संकलन, प्रसंस्करण, भंडारण और हटाने के लिए व्यक्तिगत सहमति अनिवार्य हो तथा इस प्रक्रिया में मामलों की विशिष्टता के आधार पर बहुत सीमित अपवादों की स्वीकृति दी जानी चाहिए।
- **डेटा संग्राहक और डेटा प्रोसेसर को विभेदित करना।** साथ ही सुनिश्चित करना कि वे अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत डेटा को वैध और पारदर्शी तरीके से एकत्रित, संग्रहित या एक्सेस करेंगे। एकत्रित डेटा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों को लागू करेंगे।
- डेटा मध्यस्थ को समय सीमा के भीतर डेटा सुरक्षा संबंधी नियमों के उल्लंघनों के लिए व्यक्तियों को सूचित करना चाहिए।
- **डेटा गोपनीयता और संरक्षण** प्राधिकरण को अपील के प्रावधान के साथ अंतिम उपयोगकर्ताओं के शिकायत निवारण हेतु डेटा संरक्षण अधिकारी के पद का सृजन करना।

हालांकि, विधेयक डेटा संप्रभुता के मुद्दे को छोड़ (skip) देता है- भौगोलिक सीमाओं के आधार पर डेटा गोपनीयता कानूनों के क्षेत्राधिकार के अधीन सूचना की मांग करना। जब तक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया जाए भारतीय आईटी कानून भारत के बाहर संग्रहीत आंकड़ों पर लागू नहीं होते हैं और संभव है कि डेटा मध्यस्थ इस बचाव के रास्ते (Loophole) का अनुचित लाभ उठाकर प्रतिरक्षा (immunity) का दावा करें।

संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून

- 1981 में यूरोपीय कॉउन्सिल द्वारा हस्ताक्षरित कन्वेंशन फॉर दि इंडिविजुअल विथ रिगार्ड टू ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ऑफ़ पर्सनल डेटा (कन्वेंशन 108) निजता के अधिकार का संरक्षण प्रदान करने वाली प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है।
- मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 का अनुच्छेद 12 और ***इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पोलिटिकल राइट (ICCPR)*** 1966 का अनुच्छेद 17, व्यक्तियों की निजता, परिवार, घर, पत्राचार, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ "मनमाने ढंग से हस्तक्षेप" के खिलाफ कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।
- यूरोपीय संघ, मई 2018 तक ***जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (GDPR)*** को लागू करने की योजना बना रहा है।

निर्णय की मुख्य विशेषताएं

- **व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का विस्तार** - अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गारंटी प्रदान करना तथा जबरन किसी के घर में प्रवेश से संरक्षण, भोजन के चयन का अधिकार, संघ बनाने की स्वतंत्रता आदि मुद्दों को सम्मिलित करना।
- **गरिमा सुनिश्चित करना** - नागरिकों द्वारा निजता के अधिकार के बिना स्वतंत्रता और गरिमा का प्रयोग करना संभव नहीं होगा।
- **राज्य के लिए सीमाएं निर्धारित करता है** - अब केवल किसी एक संविधि (statute) मात्र के सृजन से निजता का अधिकार न तो कम किया जा सकता है और न ही रद्द किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही किया जा सकता है।
- **डेटा की सुरक्षा के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी में वृद्धि** - राष्ट्रीय डेटा संग्रह में निहित किसी भी व्यक्तिगत आंकड़ों के दुरुपयोग की स्थिति में राज्य को क्षतिपूर्ति प्रदान करनी होगी।

Heart of the matter

Salient points:

- Privacy is a constitutionally protected right emerging primarily from the guarantee of life and liberty in Article 21 of the Constitution
- It includes the preservation of personal intimacies, sanctity of family life, marriage, procreation, the home and sexual orientation
- Privacy connotes a right to be left alone. It safeguards individual autonomy and recognises one's ability to control vital aspects of his/her life
- Privacy is not an absolute right, but any invasion must be based on legality, need and proportionality
- Informational privacy is a facet of this right. Dangers to this can originate from both state and non-state actors
- Government must put in place a robust regime for data protection. It must bring about a balance between individual interests and legitimate state concerns

न्यायपालिका द्वारा स्वयं के निर्णयों को सही करने की सराहनीय क्षमता का प्रदर्शन - इस निर्णय ने 6 और 8 न्यायाधीश वाली खंडपीठ के पिछले निर्णय को पलट दिया।

- **स्वतंत्र बाह्य निगरानी-** अब नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों में अनुच्छेद 32 और 226 के तहत अपने मौलिक अधिकार उल्लंघन के लिए सीधे अपील दायर कर सकते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि अधिकार सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता और व्यवस्था के उचित प्रतिबंधों के अधीन है।
- **अंतर्राष्ट्रीय महत्व-** ध्यातव्य है कि निजता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत कानूनी ढांचे का समर्थन प्राप्त है। 1979 में भारत ने ICCPR पर हस्ताक्षर तथा अभिपुष्टि भी की है।
- **डिजिटल और ई-कॉमर्स व्यवसायों द्वारा डिजिटल उपनिवेशीकरण को रोकना-** फेसबुक और गूगल द्वारा प्राप्त किये गए डेटा को विदेश मे स्थित सर्वरों में संगृहीत करने पर प्रतिबन्ध सुनिश्चित करना।

निर्णय से उत्पन्न होने वाली चिंताएं

- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और अन्य मामलों जैसे कि आधार, धारा 377, व्हाट्सएप प्राइवेसी पालिसी, खानपान की आदतों पर प्रतिबंध आदि पर प्रभाव पड़ेगा।

VISION IAS

- सूचना के अधिकार पर असर - निजता के अधिकार और सूचना के अधिकार के बीच एक बेहतर संतुलन बनाए रखना आवश्यक है जिससे कि सूचना के प्रकटीकरण से किसी की व्यक्तिगत निजता का अतिक्रमण न हो।
- आरोपों की जांच में संभावित दुरुपयोग - कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करने पर।
- निजता की रूपरेखा को परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अन्य सभी मौलिक अधिकारों में भी समाहित है। यह निगरानी, खोज और जब्ती, टेलीफोन टैपिंग, गर्भपात, ट्रांसजेंडर के अधिकार आदि सहित विभिन्न अधिकारों का एक क्लस्टर (समूह) है।
- शक्ति के पृथक्करण को कम करता है - चूँकि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का कार्य न्यायालय का नहीं है। इन अधिकारों को शामिल करने या रद्द करने की जिम्मेदारी केवल संसद की है।

आगे की राह

2013 में वैश्विक निगरानी का मामला सामने आने के बाद, निजता के अधिकार का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। भारतीय कानूनों के अंतर्गत निजता के एक महत्वपूर्ण पहलू डेटा संरक्षण के बारे में भी प्रावधान निहित हैं। उदाहरण स्वरुप 2011 का सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा अभ्यासों , प्रक्रियाओं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना) नियम व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित भंडारण संबंधी प्रावधान करता है। आधार अधिनियम, 2016 में व्यक्तिगत डेटा की प्राइवेसी और सुरक्षा पर एक पूर्ण अध्याय विद्यमान है। हालांकि भारत अभी भी 100 से अधिक देशों के पीछे है जिन्होंने पहले से ही डेटा संरक्षण कानून को अपना रखा है। भारत को निम्नलिखित चिंताओं का समाधान करना चाहिए:

- भारत में निजता के संरक्षण की भावना को बढ़ावा देना। जो पश्चिमी देशों की तुलना में भारत में कम है। संयुक्त परिवार, विवाह समारोह आदि जैसी भारतीय संस्थाएं प्राइवेसी को प्रोत्साहित नहीं करती हैं। हालांकि, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन लोगों को इस बारे में जागरूक करता है कि जीवन के किन पहलुओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाए।
- एक राष्ट्रीय डेटा संरक्षण प्रारूप का विकास करना जो व्यक्तियों के लिए केवल डेटा संरक्षण से परे एक व्यापक संदर्भ में व्यक्तिगत निजता की रूपरेखा को परिभाषित करेगा।
- निजता के क्षैतिज अनुप्रयोग- यह अधिकार निजी संस्थानों के विरुद्ध भी उपलब्ध होना चाहिए। यदि राज्य समाज के डेटा संसाधनों का संरक्षण प्रदान नहीं करता है तथा निजी कम्पनियों द्वारा इनके दुरुपयोग को प्रतिबंधित नहीं करता है, तो यह कमजोर वर्गों के हितों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।जो न्याय और पुनर्वितरण हेतु राज्य पर निर्भर करते हैं।
- निजता को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकियों (PET) के प्रयोग को प्रोत्साहित करना - यह अनिवार्य रूप से प्रक्रियाएं और उपकरण हैं, जो अंतिम उपयोगकर्ताओं को उनकी व्यक्तिगत सूचना की गोपनीयता की रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं। यह अंतिम उपयोगकर्ता को किसी सूचना के साझा करने, किस के साथ साझा करने और इस सूचना के प्राप्तकर्ताओं की स्पष्ट जानकारी प्रदान करने के माध्यम से इन सभी प्रक्रियाओ पर नियंत्रण प्रदान करती है।
- एक विधिक ढांचे के निर्माण के माध्यम से डेटा माइनिंग और बिग डेटा के लाभों के साथ किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार को संतुलित करना चाहिए।

1.2. वैवाहिक बलात्कार

(Marital Rape)

सुर्खियों में क्यों ?

सरकार ने वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण करने पर अपनी अनिच्छा व्यक्त की है।

पृष्ठभूमि

- बलात्कार से संबंधित **IPC की धारा 375** विवाह के पश्चात जबरन शारीरिक सम्बन्ध बनाने को अपवाद मानती है। यह प्रावधान करती है कि "एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी ,जिसकी उम्र 15 वर्ष से अधिक है उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बलात्कार नहीं है"।
- NGO (RIT फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन) तथा एक अन्य व्यक्ति और एक महिला द्वारा विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं। जिसके अंतर्गत भारतीय दंड कानून (IPC धारा 375) में इस अपवाद को हटाने की मांग की है।
- बलात्कार के अपराध से निपटने वाले IPC की धारा 375 में यह अपवाद, **आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013** के माध्यम से शामिल किया गया था। जो दिसंबर 16, 2012 के सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद अधिनियमित किया गया था।
- **किसी भी अन्य संविधि या कानून के अंतर्गत वैवाहिक बलात्कार संबंधी प्रावधान नहीं शामिल है।** पीड़ितों को केवल घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 द्वारा महिला संरक्षण के तहत प्रदान किए गए सिविल उपचार उपलब्ध हैं।
- 2012 में दिल्ली में घटित सामूहिक दुष्कर्म कांड के बाद गठित जस्टिस वर्मा समिति ने कानून में वैवाहिक बलात्कार को अपवाद मानने वाले प्रावधान को हटाने की सिफारिश की थी।
- इसी तरह, महिला और बाल विकास मंत्रालय की उच्चस्तरीय **पाम राजपूत समिति** द्वारा **'भारत में महिलाओं की स्थिति' पर रिपोर्ट** में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 में वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण या पहचान करने में विधायिका की विफलता आलोचना की। आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 जस्टिस वर्मा समिति की रिपोर्ट के बाद अधिनियमित हुआ।
- सर्वोच्च न्यायालय का निजता के अधिकार पर एक हालिया निर्णय, व्यापक रूप से **व्यक्ति की गरिमा के महत्व** पर केन्द्रित था।

> **जस्टिस वर्मा समिति** के अनुसार, "बलात्कार या यौन उत्पीड़न जुनूनी (passion) अपराध नहीं है, बल्कि सत्ता और अधीनता की अभिव्यक्ति है। विवाह जैसे रिश्तो में शारीरिक सम्बन्ध पूरक गतिविधियाँ है। "

अपराधीकरण के विपक्ष में तर्क

सरकार का तर्क है कि ऐसा करने से "विवाह जैसी संस्था अस्थिर हो सकती हैं"। महिलाओं के द्वारा बलात्कार और घरेलू हिंसा के "झूठे" मामले बड़ी संख्या में दर्ज कराने से पुरुषों की स्थिति "कमजोर" हो जाएगी। इसे IPC की धारा 498A के बढ़ते दुरुपयोग के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसे आमतौर पर दहेज कानून के रूप में जाना जाता है।

- वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की दिशा में कोई कदम उठाने से पहले, वैवाहिक बलात्कार और 'गैर-बलात्कार' क्या है, इसे उचित एवं पुर्णतः स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।
- अगर दोनों में से किसी को भी शारीरिक नुकसान हो रहा है, तो इसे यौन उत्पीड़न कहा जा सकता है। जिसके लिए पहले से ही कानून हैं और तलाक या अलग होने की स्थिति में, महिला अपने पति के साथ यौन संबंध बनाने की अपनी सहमति वापस ले सकती है।
- भारतीय समाज में विवाह को पवित्र रिश्ता माना जाता है। तदनुसार "वैवाहिक बलात्कार" की अवधारणा भारतीय संदर्भ में लागू नहीं होती है।

पक्ष में तर्क

- विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के अनुसार सरकार के तर्क को मानने का अर्थ पत्नी से उसके अधिकार को छीनना है। केवल विवाह करने से उसको एक साधन समझना, स्त्री का अपने शरीर पर अधिकार और सबसे महत्वपूर्ण उसकी गरिमा का अधिकार छीनने के समान होगा।
- 'वैवाहिक बलात्कार के लिए बलात्कार कानून में अपवाद' का मूलस्रोत पारम्परिक पितृसत्तात्मक समाज है जहां एक स्त्री को पति की संपत्ति समझा जाता है।
- दुनिया भर के विभिन्न देशों ने नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि जैसे पड़ोसी देशों में भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना गया है।
- यह ध्यान रखना जरूरी है कि विवाह के अंतर्गत या इसके बिना यौन हिंसा किसी की गरिमा का उल्लंघन है। सामान्यतया इसे न्यायिक मुहर की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए।

महत्वपूर्ण तथ्य

2015-16 में किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) - 4 के बहुत सारे आंकड़े जारी किए गए हैं, जबकि यौन हिंसा संबंधी सूचना को प्रकाशित नहीं किया गया है।

- हालांकि, पिछले NFHS (2005-06) के आंकड़ों के अनुसार 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं में, 8.2% के द्वारा कम से कम एक बार यौन हिंसा का सामना किया गया है। रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कंपैशनेट इकोनॉमिक्स (RICE) के आशिष गुप्ता ने 2014 के एक पेपर में NFHS - 3 के डेटा का इस्तेमाल किया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि प्रति 100000 महिलाओं पर 6,590 हिंसा की घटनाओं के लिए उनके पति ही जिम्मेदार हैं।
- पति द्वारा की गई यौन हिंसा की केवल 0.6% रिपोर्ट पुलिस के पास आई।
- पुरुष और महिलाए दोनों ही जिन्होंने अपने परिवार में इस तरह की हिंसा का सामना किया हैं वे यौन और अन्य प्रकार की हिंसा का अन्य रूपों में सामना कर सकते हैं। विशेष रूप से इसके परिणाम महिलाओं के सन्दर्भ में अधिक चिंताजनक हैं।
- समाज में व्याप्त पितृसत्तात्मक विचारों ने महिलाओं के बीच भी ऐसी हिंसा को वैधता प्रदान की है। शारीरिक या यौन हिंसा से पीड़ित 10 महिलाओं में से 4 से अधिक यह मानती हैं कि पत्नी को पीटना विभिन्न कारणों के तहत उचित था।

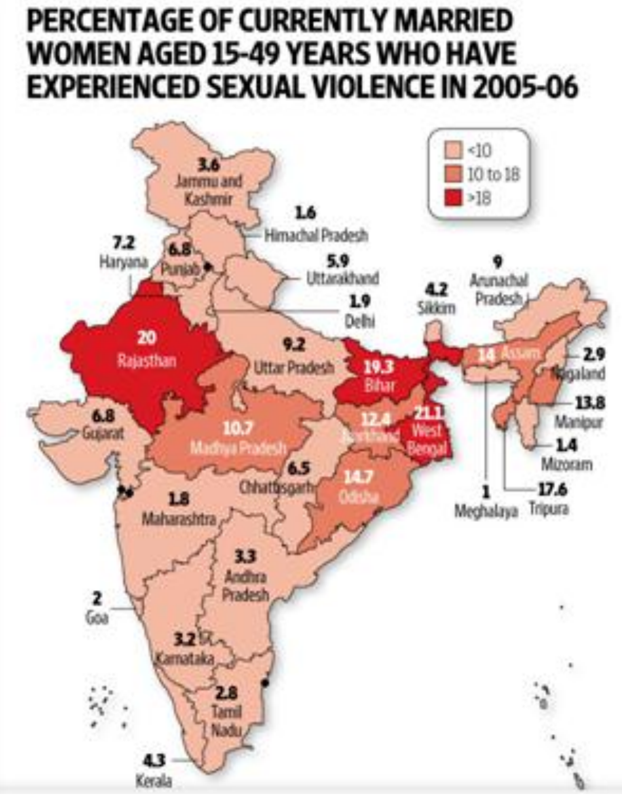

आगे की राह

- भारत में महिलाओं की स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा को हमारे सामाजिक तंत्र में स्वीकार कर लिया गया है। जिस कारण महिलाओं को पुरुष की तुलना में अधीनस्थ दर्जे का माना जाता है जो महिलाओं के समानता के अधिकारों का उल्लंघन है।
- यह एक संवेदनशील मुद्दा है अतः विस्तृत जांच और विश्लेषण की आवश्यकता है। पहला कदम उठाते हुए यह निर्धारित करना होगा कि 'वैवाहिक बलात्कार' को कैसे पहचाना जाए और फिर आगे की कार्यवाही किस प्रकार की जाए।

- महिलाओ पर हिंसात्मक हमलो में अधिकतम यौन प्रकृति के होते है, जैसा कि आंकड़े भी दर्शाते हैं। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है तथा इन पर तात्कालिक रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

1.3. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 A

(Article 35A of the Indian Constitution)

सुर्ख़ियों में क्यों

- सर्वोच्च न्यायालय में दायर अनुच्छेद 35A की संवैधानिकता पर निर्णय संबंधी याचिका के जवाब में यह संकेत दिया गया है कि इस पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी ।

अनुच्छेद 35A क्या है ?

- संविधान के अनुच्छेद 370 (1) (D) के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 1954 में अनुच्छेद 35 A को संविधान में शामिल किया गया था।
- संविधान का अनुच्छेद 35A राज्य के "स्थायी निवासियों" और उनके विशेष अधिकारों को परिभाषित करने के लिए जम्मू-कश्मीर विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। साथ ही इस शक्ति को समानता का अधिकार या संविधान के अंतर्गत प्रदत्त किसी अन्य अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- अनुच्छेद 35A जम्मू और कश्मीर के संविधान के कुछ प्रावधानों को संरक्षण प्रदान करता है। जिसके तहत राज्य के बाहर विवाह करने वाली महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों से वंचित कर कर दिया जाता है। इन अधिकारों से उनके बच्चे भी वंचित रहेंगे।
- अनुच्छेद 35A बाहरी व्यक्ति को जम्मू और कश्मीर राज्य में संपत्ति खरीदने से प्रतिबंधित करता है।

अनुच्छेद 35 A क्यों विवाद का मुद्दा है ?

- संविधान में इसे अनुच्छेद-368 के तहत निर्धारित संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से शामिल नहीं किया गया था। इसे शामिल करने हेतु संसद के कानून बनाने के वैधानिक मार्ग का अनुसरण नहीं किया गया था।
- यह दलील है कि जहां तक सरकारी नौकरी और भूमि खरीद का संबंध है, गैर-निवासियों के खिलाफ यह भेदभावपूर्ण कदम है। इस प्रकार यह अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है।
- पश्चिमी पाकिस्तान से आए कुछ शरणार्थियों (जो विभाजन के दौरान भारत में आये थे) ने जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों के विशेष अधिकारों और विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 35A को चुनौती देने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल किया है।

विपक्ष में तर्क

- यह आशंका है कि इससे जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता प्रभावित होगी और घाटी में जनसांख्यिकीय परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा।
- इसके परिणामस्वरूप घाटी में बाहर के लोगों के आने से वहाँ जनसंख्या वृद्धि की संभावना बढ़ेगी जिससे निवासियों के बीच अविश्वास (trust deficit) को बढ़ावा मिल सकता है।

1.4. DNA आधारित तकनीक (उपयोग और विनियमन) विधेयक, 2017

(DNA Based Technology (Use and Regulation) Bill, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- भारतीय विधि आयोग के द्वारा DNA आधारित तकनीक (उपयोग और विनियमन) विधेयक, 2017 को प्रकाशित किया गया है।
- इसका उद्देश्य DNA परीक्षण के विनियमन और मानकीकरण के साथ-साथ सभी अधिकृत प्रयोगशालाओं में होने वाली गतिविधियों के निरीक्षण के माध्यम से DNA प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकना है।

विधेयक क्या प्रस्तावित करता है?

- **नए संस्थानों की स्थापना**: एक DNA प्रोफाइलिंग बोर्ड, राष्ट्रीय DNA डेटा बैंक एवं प्रत्येक राज्य या एक या अधिक राज्यों में क्षेत्रीय DNA डेटाबैंक की स्थापना की अनुशंसा करता है ।
- **केवल पहचान हेतु**: यह DNA प्रोफाइलिंग को केवल पहचान के उद्देश्य तक ही सीमित करता है तथा अन्य किसी प्रकार की सूचना प्राप्ति हेतु मनाही करता है।
- **अनिवार्य सहमति**: किसी व्यक्ति से उसकी सहमति के बिना DNA का नमूना नहीं लिया जाएगा। यदि व्यक्ति को कुछ विशेष अपराधों के तहत गिरफ्तार किया गया है या मजिस्ट्रेट DNA टेस्ट की आवश्यकता से संतुष्ट हो तभी व्यक्ति के सहमति के बिना नमूना लिया जा सकता है।
- **डेटा के हटाने (deletion) का विकल्प**: DNA प्रोफाइल को हटाने हेतु परिभाषित उदाहरण तथा जैविक नमूनों के नष्ट करने का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है।
- **किसी अंडरट्रायल के अधिकार**: यदि पहले लिए गये नमूने के सही न होने का संदेह होता है तो वह पुन: DNA परीक्षण के लिए अनुरोध कर सकता है।

- **दंड**: किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए तीन वर्ष तक कारावास और 2 लाख तक का जुर्माना आरोपित किया जाएगा।
- केवल DNA प्रोफाइलिंग बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को DNA परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- नए विधेयक में "जनसंख्या संबंधी आंकड़े के निर्माण और रखरखाव" के लिए डीएनए प्रोफाइल डेटाबैंक के उपयोग से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है।
- अपराध स्थल से एकत्रित नमूने, जो अपराधियों या संदिग्धों से संबंधित नहीं होंगे, उन्हें डेटाबेस से मिलान नहीं किया जाएगा। इस डेटा को संबंधित व्यक्ति के लिखित अनुरोध पर रिकोर्ड से हटाया जा सकेगा ।

DNA तकनीक के लाभ

- यह व्यक्ति की पहचान का पता लगा सकता है।व्यक्तियों के बीच जैविक संबंध स्थापित कर सकता है। इस प्रकार, अपराध की जांच, अज्ञात शवों की पहचान या पितृत्व के निर्धारण में उपयोगी है।
- यह व्यक्ति के रूप रंग को प्रदर्शित करता है, आंखों का रंग, त्वचा का रंग और साथ ही अधिक विशिष्ट जानकारी भी प्रदान कर सकता है जैसे कि उनकी एलर्जी या बीमारियों की संवेदनशीलता इत्यादि।

DNA प्रोफाइलिंग बोर्ड

- यह एक 11 सदस्य नियामक प्राधिकरण है जिसके निम्नलिखित कार्य है :
  - DNA प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करना।
  - प्रयोगशालाओं के लिए दिशानिर्देश, मानकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करना।
  - "DNA प्रयोगशालाओं से संबंधित सभी मुद्दों" पर केंद्रीय और राज्य सरकारों को सलाह देना।
  - नैतिक और मानव अधिकारों के साथ ही DNA परीक्षण से संबंधित निजता के मुद्दों आदि पर सिफारिश करना।

DNA डेटाबैंक

- विश्लेषण से प्राप्त डेटा को नजदीकी क्षेत्रीय डेटाबैंक से साझा किया जाएगा जो इसे संचित करके रखेंगे।
- सभी क्षेत्रीय डीएनए डेटाबेकों हेतु अपनी सूचना को राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ साझा करना अनिवार्य किया जाएगा।
- निश्चित सूचकांको को जारी करने संबंधी व्यवस्था हेतु भी ज़िम्मेदार होंगे। जैसे अपराध परिदृश्य सूचकांक, संदिग्ध सूचकांक, लापता व्यक्तियों के सूचकांक आदि। DNA एक्सपर्ट को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा

आलोचना

- **पूर्णत: सत्यापित नहीं है** - हालांकि DNA तकनीक पहचान के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम विधि है, लेकिन यह अभी भी प्रकृति में संभाव्यता पर आधारित है।संभावना है कि, एक गलत मिलान से किसी व्यक्ति का अनावश्यक उत्पीड़न हो सकता है।
- **गोपनीयता की समस्या** - जैसे कि किसका DNA और किस परिस्थिति में एकत्र किया जा सकता है।किसकी डेटाबेस तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है तथा वे परिस्थितियाँ जिसके तहत रिकॉर्ड को नष्ट किया जा सकता है, आदि।
- **सुरक्षा की समस्या** - हालांकि विधि आयोग ने 13 CODIS (Combined DNA Index System) प्रोफाइलिंग मानक का निजता की रक्षा के साधन के रूप में उपयोग करने पर अपनी रिपोर्ट में चर्चा की है।हालांकि इस मानक को अभी तक विधेयक में स्थान नहीं दिया गया है। इसकी संभावना व्यक्त की गई है कि आनुवंशिक या अन्य संवेदनशील बीमारी, वंशानुगत लक्षणों आदि सूचना का दुरुपयोग किया जा सकता है।
- **दोषसिद्धि दर में कोई सुधार नहीं** - पिछले 25 वर्षों में ज्यादातर देशों ने एक DNA फिंगरप्रिंटिंग कानून अपनाया है और मुख्य रूप से आपराधिक जांच, आपदा के समय पहचान और फोरेंसिक साइंस में उपयोग के लिए डेटाबेस विकसित किए हैं। हालांकि, जिन देशों में पहले से ही इसका पालन किया जा रहा है, वहां DNA टेस्ट से दोषसिद्धि दर (conviction rates) में सुधार नहीं हुआ है।

1.5. झारखंड का धर्मांतरण विरोधी विधेयक

(Jharkhand's Anti-Conversion Bill)

सुर्खियों में क्यों ?

झारखंड कैबिनेट ने झारखंड धर्म स्वतंत्र विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी है जो प्रलोभन या मज़बूरी के माध्यम से धर्मांतरण का निषेध करती है।

विधेयक के प्रावधान क्या हैं?

- यदि कोई व्यक्ति लोगों को प्रलोभन देकर या उन्हें मजबूर करके धर्मांतरण कराता है तो दोषी पाए जाने पर उसे तीन वर्ष की सजा और/या 50,000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने महिला ,अल्पसंख्यक ,अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित किसी सदस्य का धर्मांतरण किया है तो ऐसे में उपरोक्त दंड को और भी बढ़ाया जा सकता है ।

VISION IAS

- यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरण करता है तो उसे जिला प्रशासन को सूचित करना होगा अन्यथा वे कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं।

राज्य जहाँ ऐसे कानून हैं:

- 1967 में,ओडिशा की स्वतंत्र पार्टी सरकार ने भारत के प्रथम धर्मांतरण विरोधी कानून को अधिनियमित किया जिसे "धर्म की स्वतंत्रता" कानून कहा गया।
- वर्तमान में पांच राज्यों - ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और हिमाचल प्रदेश - में सक्रिय धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है।
- अरुणाचल प्रदेश में एक धर्मांतरण विरोधी कानून है, लेकिन यह कानून अभी असक्रिय रूप में है, क्योंकि इसके विनियमों को अंतिम रूप नहीं प्रदान किया गया है। एक दशक पहले राजस्थान ने एक ऐसा ही कानून पारित किया था, लेकिन विधेयक को अभी तक भारत के राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।

विधेयक की आलोचनाएं

- जो जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते हैं उनके लिए पहले से ही IPC की धारा 295 (A) के तहत दंड संबंधी प्रावधान निहित हैं।
- यह अनुच्छेद-25 के तहत संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है अर्थात् अपने धर्म का पालन करने और उसका अंगीकरण करने की स्वतंत्रता।
- इससे सांप्रदायिक द्वेष का प्रसार हो सकता है क्योंकि इसमें व्यापक और अस्पष्ट शब्दावली शामिल होती है। जैसे कि "बल पूर्वक" में "दैवीय प्रकोप का भय (threat of divine displeasure)" तथा "धोखाधड़ी (fraud)" में "गलत प्रस्तुतीकरण (misrepresentation)" सम्मिलित है।

1.6. नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017

[Nabard (Amendment) Bill, 2017]

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नाबार्ड (संशोधन) विधेयक, 2017 लोक सभा में पारित किया गया। इस विधेयक में नाबार्ड अधिनियम, 1981 में संशोधन का प्रस्ताव है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)

- इसकी स्थापना **शिवरामन समिति** की सिफारिशों के आधार पर की गयी थी ।
- यह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करने संबंधी योजनाओं और उनके संचालन के सभी मामलों से संबंधित **सर्वोच्च संस्थान** है।
- यह वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान कर ग्रामीण उद्योग, सूक्ष्म क्षेत्रों सहित लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देता है।
- बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और प्रचार गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों को वित्त पोषण प्रदान करता है।
- यह स्वयं सहायता समूहों (SGH) को भी सहायता उपलब्ध कराता है तथा क्रेडिट संस्थानों के पुनर्गठन और कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास के लिए कार्य करता है।

विधेयक के मुख्य बिंदु :

- **नाबार्ड की पूँजी में वृद्धि :** इस विधेयक में केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड की पूंजी 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रूपए करने का प्रावधान है। यदि आवश्यक हो तो, RBI के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा पूंजी में 30,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि भी जा सकती है।
- **केंद्र सरकार को RBI के शेयरों का हस्तानान्तरण :** इस विधेयक द्वारा RBI को प्राप्त शेयर पूंजी को केंद्र सरकार को स्थानांतरित करने का प्रावधान है। जिसका मूल्य 20 करोड़ रुपये है।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME):** विधेयक में MSME विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'मध्यम उद्यम' को सम्मिलित किया गया है।
- **कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ सामंजस्य:** इस विधेयक में, नाबार्ड अधिनियम, 1981 के अंतर्गत 'कंपनी अधिनियम, 1956' को 'कंपनी अधिनियम, 2013' द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है।

महत्व

- **समेकित ग्रामीण विकास (IRD)**: MSME अधिनियम के द्वारा नाबार्ड गैर-कृषि गतिविधियों को भी वित्तपोषित करने में सक्षम होगा। जिससे एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि को भी सुनिश्चित करेगा।
- **ग्रामीण क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक ढांचे में सुधार:** प्राधिकृत पूंजी में प्रस्तावित वृद्धि से नाबार्ड अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सक्षम होगा, विशेषकर दीर्घकालिक सिंचाई निधि एवं हाल ही में, सहकारी बैंकों को ऋण प्रदान करने संबंधी कैबिनेट के निर्णय के सम्बन्ध में।

VISION IAS

- **RBI के शेयर का स्थानांतरण:** यह RBI की बैंकिंग नियामक और नाबार्ड में शेयरधारक की भूमिका के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्ष को समाप्त करेगा। परन्तु इस कदम के परिणामस्वरूप कुछ मुद्दों को उठाया गया है:
    - RBI की ग्रामीण साख गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यवेक्षी और विकास संस्था पर अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।
    - नाबार्ड, RBI से ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने के अधिकार को गँवा देगा।

1.7. व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम में संशोधन

(Amendments to Whistle Blower Protection)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को संबोधित करते हुए व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 में संशोधन का सुझाव दिया है। इस संसोधन का सिविल सोसाइटी द्वारा विरोध किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि

- देश में व्हिसल ब्लोअर को धमकाने, उत्पीड़न एवं हत्या तक के कई उदाहरण विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए, 2003 में सत्येंद्र दुबे की हत्या।
- एक दीर्घकालीन संघर्ष के पश्चात सिविल संगठन में भ्रष्टाचार एवं अनुचित कार्य में लिप्त व्यक्तियों की सूचना देने वालों की सुरक्षा हेतु, 2014 में, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी।
- इस प्रकार के प्रगतिशील कानून का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि विगत कुछ वर्षों में सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सूचना के आधार पर सरकार में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले लगभग 65 से अधिक लोग मारे गए हैं।
- हालाँकि, सरकार द्वारा सार्वजनिक परामर्श के बिना व्हिसल ब्लोअर संरक्षण कानून को क्रियान्वित करने के बदले, एक संशोधन विधेयक 2015 में संसद में पेश किया गया।जो मौलिक रूप से कानून की प्रभावशीलता को कम करता है।

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम (WBPA), 2014 के अंतर्गत किये गए प्रावधान

- यह व्हिसल ब्लोअर की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है। जिसके अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के साथ -साथ कोई अन्य व्यक्ति या गैर-सरकारी संगठन भी व्हिसल ब्लोअर हो सकते हैं।
- ऑफिसियल सीक्रेट एक्ट,1923 के प्रावधानों में निहित तथ्यों के अतिरिक्त, व्यक्ति जनहित सूचना का प्रकटीकरण एक सक्षम प्राधिकारी (CA) के समक्ष कर सकता है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी जांच के लिए CBI या पुलिस अधिकारियों या किसी अन्य प्राधिकरण की सहायता ले सकता है। सक्षम प्राधिकारी के पास जांच के लिए सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी।
- इस प्राधिकारी के दिशा-निर्देश बाध्यकारी होते हैं। संगठन द्वारा अनुशंसाओं पर तीन माह (अधिकतम 6 माह) में कार्यवाही करनी होगी या असहमत होने पर लिखित रिकॉर्ड रखना होगा अन्यथा गैर-अनुपालन के लिए दंड का भुगतान करना होगा।
- यह गोपनीयता सुनिश्चित करता है तथा उचित अनुमोदन के बिना, शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करने वाले सरकारी अधिकारी को दण्डित करता है। इसमें तीन वर्ष तक का कारावास एवं 50,000 रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

इन श्रेणियों में निम्न सूचनाएं संम्मिलित हैं: (i) आर्थिक, वैज्ञानिक हित और भारत की सुरक्षा (ii) कैबिनेट कार्यवाही (iii) बौद्धिक संपदा (iv) किसी विश्वसनीय पद पर होने के कारण प्राप्त सूचना आदि।

अधिनियम में अनुशंसित संशोधन

- संशोधन विधेयक के अनुसार, WBP कानून के अंतर्गत किए गए प्रकटीकरण के लिए, सरकारी गोपनीयता अधिनियम (OSA) के तहत व्हिसल ब्लोअर को प्राप्त अभियोजन से सुरक्षा संबंधित प्रावधान को हटाना है। OSA के अंतर्गत आने वाले अपराधों के लिए 14 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
- RTI कानून के अनुरूप WBP अधिनियम को लाने के उद्देश्य से व्हिसल ब्लोअर की शिकायतें, जो राष्ट्र की संप्रभुता,अखंडता, सुरक्षा एवं आर्थिक हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है, उन्हें जांच के दायरे से बाहर रखा जायेगा।
- इसके अतिरिक्त, कुछ निश्चित श्रेणियों की जानकारी व्हिसल ब्लोअर द्वारा किये गए प्रकटीकरण का हिस्सा नहीं बन सकती है, जब तक कि उन सूचनाओं को RTI एक्ट के तहत प्राप्त नहीं किया गया हो। इसमें वाणिज्यिक गोपनीयता, व्यापार गोपनीयता जिससे किसी तृतीय पक्ष की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को हानि पहुंच सकती है आदि शामिल हैं। इन छूटों को RTI कानून की धारा 8(1) में शामिल किया गया है। जिसमें उन सूचनाओं को सूचीबद्ध किया है, जिन्हें नागरिकों के समक्ष प्रकट नहीं किया जा सकता है।

मुद्दे

- यह संशोधन शिकायत के क्षेत्र को सीमित करता है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र को जांच के दायरे से बाहर रखा गया है। उदाहरण के लिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी से जुडी घटना में भ्रष्टाचार का प्रकटीकरण या सेना के संवेदनशील पदों की जांच नही करना। यदि इस प्रकार की अनुचित कार्यवाहियों के प्रकटीकरण तथा इसके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी तो निश्चित रूप से राष्ट्र को लाभ होगा।

VISION IAS

- पहले से ही RTI अधिनियम द्वारा विभिन्न आधारों पर कई सूचनाओं को जन-सामान्य की पहुँच से बाहर रखा गया है। संशोधन विधेयक द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है कि व्हिसल ब्लोअर को यह सिद्ध करना होगा कि उन्हें RTI के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है। इसके परिणामस्वरूप प्रणाली में भ्रष्टाचार के वास्तविक प्रकटीकरण की संभावनाएं सीमित हो गयी है।
- यह संशोधन दोनों अधिनियमों के समन्वय पर बल देता है। हालांकि, दोनों अधिनियमों के अलग-अलग उद्देश्य हैं। RTI अधिनियम का उद्देश्य पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधी सूचना को नागरिकों को उपलब्ध कराना है, जबकि WBPA का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण के समक्ष भ्रष्टाचार से संबंधित सूचनाओं को प्रकट करना है।
- इसके साथ ही, नागरिकों को RTI के अंतर्गत आने वाली सूचनाओं को जानने का अधिकार है। जबकि WBPA के अंतर्गत प्रकाशित सूचनाएं जन सामान्य के लिए हो भी सकती है या नहीं भी।
- RTI अधिनियम संबंधित सार्वजनिक प्राधिकारी को सूचना के प्रकटीकरण की अनुमति देता है, यदि सार्वजनिक हित में सूचना प्रकट करना संरक्षित हितों को हुई हानि के लिए महत्वपूर्ण साबित हो।व्हिसल ब्लोअर (संशोधन) विधेयक, 2015 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

आगे की राह

- राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की किसी भी स्तर पर अवहेलना नहीं की जा सकती है। यद्यपि, WBPA, 2014 के वास्तविक उद्देश्य से समझौता किए बिना, इन मुद्दों को व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा एवं प्रोत्साहन के साथ उचित ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।
- यदि उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से संबंधित संवेदनशील सूचनाओं के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाये, तो इन संशोधनों की अपेक्षा सरकार अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को अपना सकती थी। जैसे कि सीलबंद लिफाफे के उपयोग द्वारा सक्षम अधिकारियों को शिकायतें दर्ज कराना।
- ऐसी शिकायतों को दर्ज करने के लिए लोगों को पहले से विद्यमान प्रावधानों से अवगत कराने हेतु सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। जैसे कि सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता का संरक्षण।
- व्हिसल ब्लोअर द्वारा राष्ट्र की एकता के लिए विकट जोखिमों का सामना किया जाता है। WBPA इस तरह के नागरिको की सुरक्षा के लिए पूर्णतः सक्षम था। ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, जो समाज के भ्रष्ट लोगों के समक्ष उन्हें कमजोर बना दे।

1.8. नियमों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु कानून बनाना

(Push for Law to Ensure Transparency Rules)

सुर्खियों में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण (II) में ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूल्स एक्ट (TORA) का सुझाव देने के पश्चात, सरकार नियमों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक नए कानून के निर्माण पर विचार कर सकती है।

TORA की आवश्यकता

- विधि का शासन सुशासन की मूलभूत आवश्यकता है, जो बदले में जागरूक और सतर्क नागरिकों पर निर्भर करता है।
- समस्या यह है कि भारत में आम नागरिकों के लिए आवश्यकता से अधिक नियम, विनियम, प्रपत्र, करों और प्रक्रियाओं की विद्यमानता के कारण इनका अनुपालन करना उनके लिए आसान नहीं होता है। जिनमें आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं परिवर्तन होता रहता है।
- यह बहुत अधिक अदक्षता एवं विलम्ब का कारण है। विवादास्पद रूप से यह भ्रष्टाचार और अत्यधिक मुकदमेबाज़ी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है।
- आर्थिक सर्वेक्षण के अलावा नीति आयोग के **'तीन वर्षीय एजेंडा'** में भी देश में विधि के शासन की स्थापना के लिए विद्यमान सभी केंद्रों एवं राज्य कानूनों, नियमों और विनियमों के लिए एक संग्रहण केंद्र के निर्माण पर चर्चा की गयी है।

TORA की विशेषताएं

प्रस्तावित कानून में निम्नलिखित तीन तत्व होंगे:

- इसमें सभी विभागों को नागरिक-संबंधी प्रत्येक नियम, विनियमन, प्रपत्र और अन्य आवश्यक सूचनाओं को अपनी वेबसाइट पर (विशेषतः अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में) प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाया गया है। एक बार जब संगठन को "टोरा-कम्प्लाइअन्ट" (टोरा-अनुवर्ती) घोषित कर दिया जाता है, तो कोई भी नियम जिसका वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है उसको लागू नहीं माना जाएगा।
- यह विशेष रूप से उल्लेख करता है कि सभी कानून, नियम और विनियम को हमेशा अद्यतन, एकीकृत रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।
- वेबसाइट पर प्रत्येक परिवर्तन की तारीख और समय को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए। कानूनों को प्रदर्शित करने के बाद एक निर्दिष्ट समय के पश्चात लागू किया जायेगा, जिससे नागरिको को उनके अनुपालन करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। अधिकारी नियमों को पूर्वव्यापी रूप से (retrospectively) परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।

महत्त्व

- उपर्युक्त तीनों विशेषताएं जागरूकता का अभाव, विलंब और अंततः भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

VISION IAS

- प्रस्तावित कानून इन विभिन्न नियमों और विनियमों को सरलता से समझने से संबंधित है जिनकी जानकारी नागरिकों को होनी चाहिए। यह डिजिटल इंडिया पहल का भी समर्थन करता है।
- यदि कोई विभाग एक बार इस डिजिटल प्लेटफार्म पर स्थानांतरित हो जाता है तो इसे ***"टोरा-कम्प्लाइअन्ट"*** माना जायेगा तथा नागरिक इस तथ्य को लेकर आश्वस्त हो सकेंगे कि जानकारी प्रामाणिक और अद्यतन है।

1.9. परिसीमन की दुविधा

(The Dilemma of Delimitation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा दोनों सदनों में सीटों में वृद्धि पर अधिरोपित सीमा को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था। जिसे 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 के द्वारा वर्ष 2026 तक बढा दिया गया। 2026 में ये परिसीमा समाप्त हो जाएगी जिसके पश्चात दोनों सदनों में सीटों की संख्या में वृद्धि होने की आशा है।

- परिसीमन का अर्थ है कि उस कार्य या प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत एक वैधानिक निकाय द्वारा किसी देश या क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया जाता है।
- हालाँकि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया राज्य संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के द्वारा निर्धारित की जाती है।
- 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जिन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या 60 लाख से कम है, वहां परिसीमन संबंधी प्रावधान लागू नहीं होंगे।

परिसीमन आयोग

- आयोग एक शक्तिशाली निकाय है, जिसके आदेशों में कानून के समान शक्ति निहित है। इसके आदेशों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती।
- इस आयोग में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और सुप्रीम कोर्ट या किसी भी उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश शामिल होते हैं।
- इसके आदेश राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किये जाने की तिथि से लागू हो जाते हैं।
- इसके आदेशों की प्रतियां लोक सभा और संबंधित राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाती हैं, हालाँकि उनके द्वारा इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

- परिसीमन संबंधी सभी पहलुओं और प्रक्रिया को निर्धारित करने की शक्ति संसद के पास है। इस शक्ति का उपयोग परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952, 1962, 1972 और 2002 के द्वारा 4 बार किया गया है।
- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा लोक सभा में राज्यों को आवंटित सीटों एवं प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सीमांकन को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक अपरिवर्तनीय घोषित किया गया था।
- राज्यों से संबंधित एक मुद्दा यह था कि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण पर अधिक ध्यान केन्द्रित करेंगे उस राज्य की लोकसभा में सीटें कम हो जाएगी। इसलिए इस संशोधन द्वारा राज्यों की इस चिंता को महत्व दिया गया।
- 84वें संशोधन अधिनियम, 2001 के द्वारा पुनः समायोजन पर रोक को अगले 25 वर्षों अर्थात 2026 तक बढ़ा दिया गया था। इस विस्तार के पीछे मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को सीमित करने वाले उपायों को प्रोत्साहित करना था।
- 87वें संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। हालांकि इसके द्वारा सीटों या निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

अन्य मुख्य प्रावधान

- **अनुच्छेद 82,** प्रत्येक जनगणना के पश्चात् लोक सभा में राज्यों को आवंटित सीटों का पुनः समायोजन एवं प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन संबंधी प्रावधान करता है।
- **अनुच्छेद 170** के अंतर्गत विधान सभाओं के गठन एवं संरचना संबंधी प्रावधान निहित हैं।

परिसीमन के लिए संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 81 के खंड (2) के तहत यह प्रावधान है कि लोक सभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन इस प्रकार से किया जाएगा कि सीटों की संख्या एवं राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए एक समान हो।
- धारा (3) में "जनसंख्या" पद का आशय अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना द्वारा अभिनिर्धारित की गयी जनसंख्या से है जिसके प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं।
- प्रत्येक राज्य को इस प्रकार से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या एवं उसके लिए आवंटित सीटों की संख्या पूरे राज्य में एक समान हो।
- इन प्रावधानों के माध्यम से संविधान द्वारा प्रतिनिधित्व की एकरूपता दो रूपों में सुनिश्चित की जाती है -

- विभिन्न राज्यों के मध्य
  - एक ही राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के मध्य
- प्रत्येक जनगणना के पश्चात्, निम्नलिखित का पुनः समायोजन किया जाएगा-
  - लोकसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन
  - प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन

समस्या

- समस्या यह है कि हमारे देश की वर्तमान जनसंख्या 121 करोड़ है, जो 1976 में एकत्रित किये गए आंकड़ों की तुलना में काफी अधिक है। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 54.81 करोड़ थी। इस जनगणना के आधार पर वर्तमान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हमारी लोकतांत्रिक राजनीति का एक विकृत रूप प्रस्तुत करता है तथा यह संविधान के अनुच्छेद 81 में निहित भावना के भी विपरीत है।
- 1976 में राज्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए 1971 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर सीटों के आबंटन का निर्णय लिया गया। यह निर्णय वर्तमान में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है एवं सभी हितधारकों को संतुष्टि भी प्रदान कर रहा है। 2026 के पश्चात पहली जनगणना के आंकड़े 2031 में ही उपलब्ध होंगे और यह भारतीय मतदाताओं की वास्तविक संख्या तथा उनके उचित प्रतिनिधित्व के निर्धारण के संबंध में बहुत विलंब की स्थिति होगी।
- और अधिक सदस्यों द्वारा अपने मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए आपस में भिड़ने जैसी स्थिति के कारण अध्यक्ष के लिए संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करना कठिन हो सकता है।

आगे की राह

- वर्तमान में इससे उत्पन्न समस्या से कैसे निपटा जाए इस मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता है अन्यथा हमें सीटों के आवंटन अथवा उसमें वृद्धि पर लगी रोक को जारी रखना होगा जैसा कि 2001 में किया गया था।

1.10. भारत को मध्यस्थता केंद्र के रूप में विकसित करना

(Making India Hub of Arbitration)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में न्यायमूर्ति बी.एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा मध्यस्थता तंत्र के संस्थानीकरण की समीक्षा करने एवं सुधारों संबंधी सुझावों पर रिपोर्ट सौंपी गई है।

पृष्ठभूमि

- भारत सरकार द्वारा विधायी और प्रशासनिक पहल के माध्यम से मध्यस्थता को वाणिज्यिक विवादों के समाधान हेतु मुख्य व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया है।
- इस पहल का लक्ष्य न्यायालयों के हस्तक्षेप को कम करना, लागत में कमी, शीघ्र निपटान हेतु एक समय सीमा निश्चित करना तथा मध्यस्थता एवं निर्णयों के प्रवर्तन में निष्पक्षता लाना है।
- प्रायः मध्यस्थता, अनुबंध संबंधी विवादों के प्रबंधन से संबंधित उपलब्ध विभिन्न उपायों में से प्रथम विकल्प होता है और साथ ही यह लोचशील, तीव्र और लागत-प्रभावी भी होता है।
- मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु भारत को निवेशकों के अनुकूल देश के रूप में परिकल्पना की गयी है। जिसमें एक मजबूत क़ानूनी ढांचा और व्यापार के लिए सुगम परिथितियाँ उपलब्ध हो।

समस्या

- 2017 के लिए विश्व बैंक की 'इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' इंडेक्स से पता चलता है कि भारत का अनुबंधों के प्रवर्तन में बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा है। किसी भी अनुबंध के प्रवर्तन में औसतन 1420 दिनों का समय लग जाता है। अनुबंधों के प्रवर्तन के लिए प्रभावी उपायों का अभाव विधिक प्रणाली के लिए मुख्य अवरोध है तथा यह आर्थिक वृद्धि एवं विकास को भी बाधित करता है।
- इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि न्यायिक हस्तक्षेप, सरकार एवं इसकी एजेंसियों द्वारा संस्थागत मध्यस्थता का उपयोग न कर पाने की असफलता के कारण अन्य देशों के मध्य भारत की छवि "मध्यस्थता के लिए प्रतिकूल (arbitration-unfriendly)" क्षेत्र के रूप में विकसित हो रही है।
- भारत में तदर्थवाद एवं संस्थागत मध्यस्थता तंत्र दोनों ही अनेक समस्याओं से ग्रसित हैं। इसके अतिरिक्त संस्थागत मध्यस्थता के लाभों के बारे में जागरूकता का अभाव तथा कुछ संस्थानों की उपस्थिति के कारण संस्थागत मध्यस्थता की अवेहलना या भारतीय मध्यस्थता संस्थानों की अपेक्षा विदेशी संस्थानों को वरीयता देना।

रिपोर्ट में की गयी अनुशंसाएं

- समिति ने रिपोर्ट में भारत में संस्थागत मध्यस्थता को मजबूत बनाने के लिए सिफारिश की है। समिति ने रिपोर्ट को तीन भागों में विभाजित किया है।
- भाग 1 में, भारत के मध्यस्थ संस्थानों की समग्र गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार संबधी उपाय दिए गए हैं और पसंदीदा मध्यस्थता गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को प्रोत्साहित करना। इस भाग में निम्न महत्वपूर्ण बिंदु हैं: -
  - भारत के मध्यस्थता संस्थानों की ग्रेडिंग के लिए भारतीय मध्यस्थता संवर्धन परिषद (Arbitration Promotion Coucil of India) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की जाए। जिसमें सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।

VISION IAS

- APCI द्वारा पेशेवर संस्थानों को मध्यस्थता को गति प्रदान करने के लिए मान्यता दी जाए।
- न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के भीतर वाणिज्यिक विवादों से निपटने हेतु एक विशेषज्ञ मध्यस्थता बेंच का निर्माण।
- समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति (National Litigation Policy) द्वारा सरकारी अनुबंधों में मध्यस्थता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- रिपोर्ट के भाग II में समिति द्वारा *इंटरनेशनल सेंटर फॉर आल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेस्सल* (ICDAR) के कार्यों की समीक्षा की गई है। ICDAR को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने का सुझाव दिया गया है।
- समिति द्वारा भाग III में सरकार को परामर्श तथा द्विपक्षीय निवेश संधियों (BIT) सहित अन्तराष्ट्रीय कानूनी बाध्यताओं से उत्पन्न विवादों के निपटान हेतु सरकार की विवाद निवारण रणनीति (dispute resolution strategy) में समन्वय करने हेतु एक 'अंतर्राष्ट्रीय विधिक सलाहकार' (ILA) के पद के सृजन की अनुशंसा की गयी है।

- ICADR एक स्वायत्त संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके क्षेत्रीय केन्द्रों का वित्त पोषिण पूर्णतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।
- यह कानूनी मामलों के विभाग द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- ICADR का अध्यक्ष विधि एवं न्याय मंत्री होता है। इसका मुख्य उद्देश्य न्यायालयों के अतिरिक्त भार को कम करने हेतु विवादों के त्वरित समाधान के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution) को लोकप्रिय बनाना एवं उसका प्रसार करना है ।

महत्व

- भारत निरंतर बढ़ते विदेशी निवेश के माध्यम से अत्यधिक संवृद्धि एवं विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। जिससे सरकार को विदेशी निवेश के लिए भारत को एक सुरक्षित गंतव्य बनाना आवश्यक हो गया है।
- इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मध्यस्थता तंत्र के संस्थानीकरण से विवादों के समाधान को सरल एवं तीव्रता से निपटाने में सहायता मिलेगी।
- व्यावसायिक विवाद विशेषकर अत्यधिक उन्नत अधिकार क्षेत्र में, अन्तराष्ट्रीय दलों से संबंधित उच्च स्तरीय विवादों के समाधान हेतु एक तंत्र के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।
- यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तावित सुझाव न्यायपालिका के भार को कम करें लेकिन इसके द्वारा सरकार के विकास एजेंडे को बढ़ावा मिलेगा।

1.11. NRIs को प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति

(NRIS Permitted to Vote through Proxy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने चुनाव कानूनों में संशोधन द्वारा NRIs को लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में प्रॉक्सी वोटिंग की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पूर्व में, यह अनुमति केवल सेवा कर्मियों को ही प्राप्त थी।

वर्तमान स्थिति

- 2010 में, जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम में संशोधन द्वारा धारा 20 A को जोड़ा गया था ताकि एनआरआई को एक मतदाता के रूप में उस निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत होने के योग्य माना जा सके जिसका उल्लेख उनके पासपोर्ट में किया गया है।
- इस संशोधन से पूर्व, केवल "साधारण निवासी" ही अपना वोट दे सकते थे।
- हालांकि, धारा 20 A के अनुसार चुनाव के समय NRIs को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सशरीर उपस्थित होना अनिवार्य था।

विवरण

- विदेशी मतदाता को प्रत्येक चुनाव में एक नए नॉमिनी को नियुक्त करना होगा - एक व्यक्ति केवल एक विदेशी मतदाता के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य कर सकता है। यह सशस्त्र बालों को प्राप्त सुविधा के विपरीत है जो अपनी ओर से वोट करने के लिए अपने संबंधियों को स्थायी प्रॉक्सी के रूप में नामांकित कर सकते हैं।
- सेवारत मतदाता (service voters) डाक के माध्यम से भी अपने वोट दे सकते हैं।NRIs को इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि सरकार का मानना है कि यह प्रशासनिक एवं तार्किक रूप से हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

प्रॉक्सी वोटिंग से संबंधी चुनौतियां

- **समानता के अधिकार का उल्लंघन -** यह विदेशों में प्रवासित लोगों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, परंतु घरेलु स्तर के प्रवासियों (domestically migrated) को नहीं।
- **गैरकानूनी कार्यों की जांच में कठिनाई -** जैसे - NRIs के द्वारा चुने गये नॉमिनी से वोटों को खरीदना, रिश्वतखोरी और विदेशों में मतदाताओं को प्रलोभन, मुख्य मतदाता के साथ प्रॉक्सी वोट के लिए सहमति की जांच आदि।
- यह वोटिंग की गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।
- इसमें NRIs द्वारा चयनित प्रॉक्सी की प्रमाणिकता सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है।

VISION IAS

विधेयक के पक्ष में तर्क

- निवास स्थान पर ध्यान दिए बना नागरिकों को अपने प्रतिनिधि के चयन का लोकतांत्रिक अधिकार होता है।
- सीमापार प्रवसन में तेजी से वृद्धि के साथ, क्षेत्रीय स्थानों से राष्ट्रीयता एवं राजनीतिक सदस्यता की अवधारणा में लगातार वृद्धि हो रही है।

आगे की राह

- सरकार वोटिंग के लिए NRIs सहित सभी के लिए आधार (Aadhar) को अनिवार्य बना सकती है।
- NRIs को विदेशों में अपने कार्यस्थलों से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी जा सकती है। उदाहरण स्वरुप माहे के निवासियों द्वारा लंबे समय से फ्रांसीसी चुनावों में ऑनलाइन वोटिंग की जा रही है।

1.12. नौकरशाहों के लिए नई रेटिंग प्रणाली

(New Rating System for Bureaucrats)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नौकरशाहों के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख प्रशासनिक सुधारों में से एक **360 डिग्री रेटिंग प्रणाली** की संसदीय स्थायी समिति द्वारा आलोचना की गयी है।

360 डिग्री रेटिंग प्रणाली क्या है?

- भविष्य की पोस्टिंग के लिए वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई नौकरशाहों के प्रदर्शन के मूल्यांकन हेतु 360-डिग्री दृष्टिकोण एक नया *मल्टी-सोर्स फीडबैक सिस्टम* है।
- यह व्यवस्था अपने उच्च अधिकारियों द्वारा लिखी गयी मूल्यांकित रिपोर्टों में प्राप्त रेटिंग से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करती है। यह आल-राउंड व्यू (All round view) के लिए जूनियर और अन्य सहयोगियों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

रेटिंग प्रणाली की आलोचना

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार भारत के संदर्भ में, जहां मजबूत पदानुक्रमित संरचनाएं विद्यमान हैं ऐसे में इस प्रणाली को ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों के चलते लागू करना संभव नहीं है।जब तक अखंडता एवं पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को ध्यान में न रखा जाए।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि 360 डिग्री दृष्टिकोण को न ही कोई वैधानिक समर्थन प्राप्त है न ही किसी अधिनियम द्वारा समर्थित है।

लाभ

- यह प्रदर्शन के मूल्यांकन की विश्वसनीयता में सुधार लाता है क्योंकि यह नौकरशाह के गतिशीलता (maneuverability) क्षेत्र को सीमित करता है जैसे अपने विभाग में नौकरी के लिए संबंधित मंत्री या प्रमुख पदों पर कार्यरत अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ लॉबिंग करना।
- यह सभी पक्षों के फीडबैक प्रदान करता है। अलग-अलग विचारों एवं दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है।
- इससे संगठन की कार्य संस्कृति (work culture) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

2. अंतर्राष्ट्रीय/ भारत एवं विश्व

(INTERNATIONAL/INDIA AND WORLD)

2.1 अमेरिका की नयी अफ़गान नीति

(US New Afghan Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने "अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया" के लिए नयी रणनीति की घोषणा की है।

नयी रणनीति

इस नयी रणनीति को **ओबामा-प्लस** के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह रणनीति ओबामा प्लान में शामिल अतिरिक्त सैनिकों और क्षेत्रीय कूटनीति संबंधी बिन्दुओं पर आधारित है। लेकिन पूर्व की रणनीति के विपरीत, इसके तहत सेनाओं की वापसी के लिए किसी निश्चित समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।

नयी रणनीति के महत्वपूर्ण बिंदु:

शीघ्र वापसी की बजाय अनिश्चित समय सीमा

- राष्ट्रपति ने अपनी नई रणनीति की रूपरेखा में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में जारी संघर्ष को 'ओपन एंडेड' बताते हुए संघर्ष जारी रखने के पक्ष में पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना संघर्ष को **"जीतने के लिए"** लड़ेगी।
- वर्तमान में अफगानिस्तान में अमेरिका के लगभग 8,400 सैनिक तैनात हैं और अमेरिकी सैन्य जनरल ने कहा कि हजारों सैनिकों की अतिरिक्त संख्या अमेरिका को तालिबान के विरुद्ध मौजूदा संघर्ष में निर्णायक बढ़त प्रदान करेगी।
- अतिरिक्त सैनिक दो भूमिकाओं का निर्वहन करेंगे: **आतंकवाद विरोधी मिशन और अफगान बलों को प्रशिक्षण प्रदान करना।**
- राष्ट्रपति ने कहा कि सेना के कमांडरों को *रियल टाइम* कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में आतंकवादियों और आपराधिक नेटवर्कों को नष्ट करने संबंधी अमेरिकी सशस्त्र बलों की अधिकारिता को भी विस्तारित किया जायेगा।

जीतना, न कि राष्ट्र निर्माण

- राष्ट्रपति ने कहा अमेरिका अपने प्रयासों को पूरी तरह आतंकवाद से लड़ने पर केन्द्रित करेगा। वह अमेरिकी सैन्यबलों की ऊर्जा 'अमेरिकी संकल्पनाओं के अनुसार' अफ़ग़ानिस्तान के पुनर्निर्माण में व्यय नहीं करेगा।

इस्लामाबाद पर सख्त रुख

- ट्रंप ने प्रत्यक्षतः पाकिस्तान को आतंकवादियों को आश्रय देने वाले देश की संज्ञा देते हुए माँग की कि पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देना "बंद करे" और इसे "तत्काल प्रभाव से बंद करे"।
- अमेरिका द्वारा अब आतंकवादियों को आश्रय देने की पाकिस्तान की नीति को सहन नहीं किया जायेगा।

भारत की भूमिका में वृद्धि

- भारत को "संयुक्त राज्य के एक महत्वपूर्ण सुरक्षा और आर्थिक सहयोगी" के रूप में वर्णित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका "विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र - **भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और अधिक सुदृढ़** करेगा"।
- ट्रंप ने भारत से **युद्ध ग्रस्त अफगानिस्तान को आर्थिक और विकास संबंधी सहायता** प्रदान करने में एक व्यापक भूमिका निभाने का भी आग्रह किया।

भारत के लिए इस नयी नीति के निहितार्थ

भारत ने ट्रंप की रणनीति का स्वागत किया है। एक स्थिर अफगानिस्तान के निर्माण और आतंकवाद को प्रश्रय देने की पाकिस्तान की नीति की समाप्ति के अमेरिकी उद्देश्य, इस क्षेत्र हेतु निर्धारित किये गए भारत के स्वयं के लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

- नयी अमेरिकी रणनीति में इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता स्थापित करने में भारत की भूमिका में विस्तार संबधी बिंदु पिछले प्रशासन द्वारा अपनाई गयी रणनीति में सबसे बड़े परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।
- नयी रणनीति भारत को अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे अफगानिस्तान का निर्माण करने का भी अवसर प्रदान करती है जैसा दोनों देश चाहते हैं। यह अफगानिस्तान में भारत की आर्थिक भागीदारी में बढ़ोत्तरी को भी सुनिश्चित करेगी।
- इसके द्वारा पाकिस्तान के उस तर्क का भी खंडन किया गया है जिसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान में भारत की भागीदारी के विस्तार से इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी और अफगान संघर्ष की समाप्ति में बाधा उत्पन्न होगी।

भारत के लिए आगे की राह

एक सकारात्मक भारतीय दृष्टिकोण में तीन तत्व - **आर्थिक, सुरक्षात्मक और कूटनीतिक तत्व** शामिल होंगे।

- भारत को अफगानिस्तान में अपनी आर्थिक कूटनीति को अफगानिस्तान की बिगड़ती स्थितियों के बीच त्वरित रूप से लाभदायी प्रयासों पर केन्द्रित करना चाहिए।
- दिल्ली को अफगानिस्तान के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाना चाहिए। विशेषकर इसके पुलिस बलों, सशस्त्र बलों और खुफिया विभागों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- राजनयिक मोर्चे पर, भारत को कुछ तर्कों का खंडन करने की आवश्यकता है। जैसे ट्रंप की नयी रणनीति **अफगानिस्तान में "भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता"** में वृद्धि करेगी और कश्मीर अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने की कुंजी है।

VISION IAS

- भारत **आतंकवाद से मुक्त वातावरण** में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ क्षेत्रीय सहयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत को विश्व के समक्ष अपनी क्षेत्रीय सहयोग संबंधी प्रतिबद्धताओं को पुनः प्रदर्शित करने की आवश्यकता है।

पाकिस्तान के लिए नयी नीति के निहितार्थ

- पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा भारतीय प्रभाव को अफगानिस्तान में अस्थिरता और असुरक्षा के एक प्रमुख कारण के रूप में वर्णित किया जाता है।
- पाकिस्तान की अफगानिस्तान नीति का प्रमुख आधार, अफगानिस्तान पर भारत के प्रभाव में वृद्धि को रोकना है। नयी रणनीति पाकिस्तान को आतंकवादी समूहों को आश्रय देने की अपनी नीति पर पुनर्विचार के लिए बाध्य कर सकती है। हालांकि, पाकिस्तान के लिए सीमा-पार आतंकवाद को प्रश्रय देने की नीति को छोड़ना आसान नहीं होगा।
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान 'चाइना-कार्ड' का प्रयोग कर सकता है। अफगान-पाक क्षेत्र में संघर्ष में वृद्धि, **दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक हितधारक** के रूप में चीन की भूमिका को अधिक महत्त्व प्रदान करेगी।

विश्लेषण

हालाँकि, इस रणनीति द्वारा अफगानिस्तान और इस समूचे क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों का सामना करने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा इस रणनीति के क्रियान्वयन (operationalize) का है। पाकिस्तान के प्रति कोई स्पष्ट नीति अपनाना अमेरिका के लिए एक जटिल मुद्दा हो सकता है क्योंकि अमेरिका अपने अफगानिस्तान अभियान के संचालन के लिए लॉजिस्टिक आवश्यकताओं हेतु पाकिस्तान पर ही निर्भर है। इसके लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान को आतंकवादियों को समर्थन देने एवं आतंकवाद को अपनी विदेश नीति के एक उपकरण के रूप में प्रयोग करने की नीति को त्यागने के लिए बाध्य करने की आवश्यकता है।

2.2 भारत-नेपाल

(India-Nepal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा की गयी जो प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इस यात्रा से भारत के साथ सुदृढ़ संबंधों की स्थापना की काठमांडू की इच्छा की पुष्टि होती है।

यात्रा का महत्व

नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा ने दोनों देशों को भारत-नेपाल संबंधों में सुधार के लिए अवसर प्रदान किया है।

- दोनों देशों के नेताओं द्वारा जारी संयुक्त बयान में इन पड़ोसी देशों के मध्य "प्रगाढ़, व्यापक और बहुपक्षीय" संबंधों की आवश्यकता पर बल दिया गया है। नेपाल में अनेक परियोजनाओं को भारत द्वारा प्रदत लाइन ऑफ़ क्रेडिट के माध्यम से विकसित करने हेतु सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत ने काठमांडू से अपने संविधान को लागू करने की प्रक्रिया में **"समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करने"** की ठोस अपील की, हालाँकि इस अपील का स्वर पहले की तुलना में नरम था। **मधेशी लोगों की माँगों को समायोजित करने** के लिए संविधान में हाल ही में प्रस्तावित किये गए एक महत्वपूर्ण संशोधन (जो पारित नहीं हो पाया) का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

समझौते (MoUs)

- नेपाल में लगभग 50,000 घरों के पुनर्निर्माण में मदद हेतु भारत के आवास अनुदान घटक के उपयोग की रूपरेखा पर समझौता।
- नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र में भारत द्वारा भूकंप के पश्चात पुनर्निर्माण हेतु प्रदत्त पैकेज में शामिल अनुदान के संबंध में समझौता।
- ड्रग्स की माँग में कमी करने और नशीले पदार्थ, *नार्कोटिक्स ड्रग्स, साइकोट्रॉपिक* पदार्थों एवं अन्य संबंधित पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम हेतु समझौता।
- मानकीकरण (Standardization) और अनुरूपता निर्धारण (conformity assessment) के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता।
- भारत और नेपाल के चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान के मध्य समझौता।

2.3 भारत-चीन

(INDIA-CHINA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारत ने घोषणा की कि दोनों देशों के मध्य चीन-भूटान सीमा पर अवस्थिति पठार से अपने सैनिकों को हटाने के लिए सहमति बन गयी है।

- भारतीय सैनिकों द्वारा चीनी सेना को विवादित क्षेत्र में एक सड़क निर्माण से रोक दिए जाने के बाद यह विवाद उत्पन्न हुआ। 16 जून से दोनों देशों के सैनिक डोकलाम क्षेत्र में आमने-सामने तैनात थे।

VISION IAS

भारत के लिए कूटनीतिक विजय

डोकलाम गतिरोध का अंत भारत के लिए के अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह भारत की **राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक जीत** है। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के महत्त्व में वृद्धि होगी।

- चरम तनावपूर्ण स्थिति में भी भारत सरकार का दृढ़ और अडिग व्यवहार वर्तमान सरकार के दृढ़-संकल्प और निर्णायक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।
- इस प्रकरण के माध्यम से वैश्विक स्तर पर **भारत की छवि एक जिम्मेदार**, निर्णायक और विश्वसनीय शक्ति के रूप में निर्मित हुई है।
- इसने **भारत और भूटान के संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने** में योगदान दिया है। भूटान को भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि उसने लंबे एवं तनावपूर्ण गतिरोध की स्थिति में दृढ़ता पूर्वक भारत का साथ दिया। चीन लम्बे समय से भारत और भूटान के मध्य मतभेद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है।
- इससे **भारत के पड़ोसी देशों को सकारात्मक संदेश** प्राप्त हुआ है तथा भारतीय क्षमताओं के प्रति उन्हें आश्वस्त किया जा सका है। यह एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में भारत के महत्व तथा छवि को मज़बूत बनाएगा। यह चीन के कुछ पड़ोसी देशों को चीन के साथ विवादित मुद्दों के सन्दर्भ में उनके संकल्प को सशक्त करने के साथ ही अपने पक्ष को दृढ़तापूर्वक रखने हेतु प्रेरित करेगा।

ऐसे गतिरोधों को रोकने के संदर्भ में आगे की राह

73 दिनों के बाद डोकलाम विवाद का शांतिपूर्ण समाधान कर लिया गया लेकिन सेना द्वारा चेतावनी दी गई है कि मजबूत सीमा प्रबंधन तंत्र के अभाव में भारत और चीन के मध्य इस प्रकार के गतिरोधों में वृद्धि होगी।

- यह मामला इस तथ्य को रेखांकित करता है कि भारत और चीन द्वारा डोकलाम मुद्दे को पॉइंट-स्कोरिंग के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए अपितु उन्हें अपने सीमा प्रबंधन तंत्र को अन्य देशों की सीमाओं तक भी विस्तारित करना चाहिए।
- भारत और चीन को **2013 के *बॉर्डर डिफेन्स को-ऑपरेशन एग्रीमेंट*** की पृष्ठभूमि में निहित भावना को अपनाना चाहिए। इसमें दोनों देशों की 3,488 किलोमीटर सीमा पर भविष्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के सन्दर्भ में पालन किये जाने वाले विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल हैं।
- दोनों देशों को ***डायरेक्टर जनरल ऑफ़ मिलिट्री ऑपरेशन* (DGMO) स्तर के अधिकारियों के मध्य हॉटलाइन** की स्थापना के साथ-साथ यात्राओं में वृद्धि एवं सामरिक स्तर के आदान-प्रदान में वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- सुदृढ़ आर्थिक और वाणिज्यिक साझेदारी दोनों देशों के लिए '*विन-विन सिनारियो*' का निर्माण कर सकती है। इसके लिए चीन को भारतीय उत्पादों और सेवाओं पर लगने वाले अपने गैर-टैरिफ अवरोधों को कम करने की भी आवश्यकता है।
- भारत को अपने उत्तर में स्थित पड़ोसी के साथ तनाव उत्पन्न होने की स्थिति में, **"सर्वोत्तम की आशा, और निकृष्टतम के लिए तैयार"** ("HOPE FOR THE BEST, AND PREPARE FOR THE WORST") रहने की आवश्यकता है।

2.4 भारत-फिलीपींस आतंकवाद विरोधी संघर्ष सहयोग

(India and Philippines Counterterrorism Cooperation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने फिलीपींस को मिंडानाओ प्रांत के मारवा शहर में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से संबद्ध आतंकवादी समूह का सामना करने के लिए 5 लाख डॉलर अर्थात तकरीबन 3.2 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- फिलीपींस, इस्लामिक स्टेट्स (ISIS) के विरुद्ध संघर्षरत है। ISIS द्वारा 23 मई, 2017 को मिंडानाओ प्रांत में मारवा शहर पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक आक्रामक ऑपरेशन संचालित किया गया।
- यह पहली बार है जब भारत आतंकवादी समूहों के विरुद्ध किसी अन्य देश को राहत और पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।
- भारत, फिलीपींस में आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए सर्वाधिक सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में उभरा है।
- भारत, फिलीपींस के सुरक्षा बलों को *साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग* भी प्रदान कर रहा है।

महत्व

- मरावी संकट का सामना करने में भारत की भागीदारी इसकी **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** के सन्दर्भ में एक मील का पत्थर है।
- किसी अन्य देश को सहायता प्रदान करने से, एशिया के व्यापक क्षेत्र में एक उभरते हुए सुरक्षा प्रदाता की छवि निर्मित करने के भारत के प्रयासों को बल मिलेगा।
- इससे भारत के आतंकवाद विरोधी संघर्ष में अन्य देशों जैसे कि इंडोनेशिया और मलेशिया का सहयोग प्राप्त करने और इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष

- भारत ने सुरक्षा एजेंसियों की क्षमताओं को बढ़ाकर और समुदाय आधारित *डी-रैडिकललाइज़ेशन* प्रोग्रामों को संचालित करके वैश्विक इस्लामवादी आतंकवादी समूहों से उत्पन्न होने वाले खतरों को सीमित करने में सफलता हासिल की है।
- इन अनुभवों और क्षमताओं का लाभ फिलीपींस को भी प्रदान किया जाना चाहिए। फिलहाल उसे IS का प्रत्युत्तर देने हेतु अधिकांशतः सैन्य उपायों पर निर्भर रहना पड़ता है।

VISION IAS

2.5 भारत-स्वीडन

(INDIA-SWEDEN)

सुर्ख़ियों में क्यों

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्वीडन के मध्य संपन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRS) के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य उद्यमियों, निवेशकों और व्यवसायों को लाभान्वित करना है।
- समझौता ज्ञापन में एक ऐसी व्यापक और सुगम व्यवस्था का प्रावधान है जिसके माध्यम से दोनों देश बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट पद्धतियों और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान करेंगे। इसके साथ ही दोनों देश प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में भी मिलकर काम करेंगे।
- यह **ग्लोबल इनोवेशन के क्षेत्र में प्रमुख शक्ति बनने की दिशा में** भारत का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। साथ ही यह **राष्ट्रीय IPR नीति, 2016 के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध** होगा।
- समझौता ज्ञापन के तहत निर्धारित सहयोग गतिविधियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक संयुक्त समन्वयन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में दोनों देशों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा।

2.6 भारत-इजराइल

(INDIA-ISRAEL)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इजराइल के मध्य संपन्न **"*इंडिया-इजरायल इंडस्ट्रियल आर एंड डी टेक्नॉलॉजिकल इनोवेशन फंड* (I4F)"** से संबंधी समझौता ज्ञापन (MOU) को मंजूरी दे दी है।

- इसके माध्यम से इनोवेटिव या तकनीक-आधारित नवीन या बेहतर उत्पाद, सेवाओं अथवा प्रक्रियाओं के लिए संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना है। इसके द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार सहयोग में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।
- भारत और इजराइल इस फंड के लिए पांच वर्ष तक वार्षिक रूप से **चार मिलियन अमरीकी डॉलर** (दोनों देश 4-4 मिलियन डॉलर) का योगदान करेंगे।
- इनोवेशन फंड को एक संयुक्त बोर्ड द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जिसमें दोनों देश के चार सदस्य होंगे।
- इससे **इजरायल और भारत एक दूसरे की पूरक क्षमताओं** का बेहतर उपयोग सुनिश्चित कर पाएँगे। इसके अतिरिक्त यह इजरायल-भारतीय संयुक्त परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करेगा। इससे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय- दोनों बाजारों में पूँजी निर्माण में वृद्धि की जा सकेगी।
- इस फंड के द्वारा भारत में **नवाचार और तकनीकी-उद्यमशीलता संबंधी परिवेश** को सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त यह फण्ड **स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम** में प्रत्यक्ष योगदान देगा।

2.7 तापी गैस पाईपलाइन

(Tapi Gas Pipeline)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत द्वारा प्रस्तावित 1,814 किलोमीटर लंबी तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (तापी) गैस पाइपलाइन से संबंधित आगामी स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की मेजबानी की जाएगी।

- यह निर्णय व्यापार,आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर छठी संयुक्त अंतर्सरकारी समिति (IGC) की बैठक के दौरान लिया गया।
- यह कदम परियोजना में किसी भी रूप में चीन की संलग्नता को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किया गया एक प्रयास भी है।

तापी के बारे में

यह पाइपलाइन विश्व के दूसरे सबसे बड़े प्राकृतिक गैस क्षेत्र गलकीनाइश (तुर्कमेनिस्तान) से प्रारंभ होगी। हैरात व बलूचिस्तान होते हुए भारत में पंजाब सीमा तक यह लगभग 1,700 किमी से अधिक की दूरी तय करेगी।

- तापी पाइपलाइन की क्षमता अगले 30 वर्षों तक प्रतिदिन 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (MSCMD) गैस सप्लाई करने की है। यह पाइपलाइन 2018 तक कार्य करना प्रारंभ कर देगी
- भारत और पाकिस्तान, प्रत्येक को 38 MMSCMD गैस प्राप्त होगी जबकि शेष 14 MMSCMD गैस अफगानिस्तान को सप्लाई की जाएगी।
- अमेरिका ईरान-पाकिस्तान-भारत पाइप लाइन परियोजना के विकल्प के रूप में तापी पाइपलाइन परियोजना का समर्थन कर रहा है। अमेरिका द्वारा यह समर्थन तेहरान पर उसके संदिग्ध परमाणु हथियार कार्यक्रम के विरुद्ध वित्तीय प्रतिबंध आरोपित करने के प्रयासों के तहत किया गया है।

तापी परियोजना का महत्व

- यह **दक्षिण एशिया को मध्य एशिया से जोड़ने वाले** एक ऐतिहासिक मार्ग को पुनः खोल देगी।
- यह भारत और उसके पड़ोसियों की **ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को उपयुक्त मूल्यों पर** पूरा करने में सहायक होगी।
- तापी **भरोसेमंद भंडार** के साथ गैस आपूर्ति का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करेगा जिससे **ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी**। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की ईंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले फ्यूल बास्केट को विविधता प्रदान करेगी।

- तापी परियोजना भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सफलता से **मध्य एशिया और भारत के बीच सड़क और रेल कनेक्टिविटी** को बढ़ावा मिलेगा और सम्भवतः आर्थिक संबंधों में भी विस्तार होगा। राजनयिक संबंधों में भी परिवर्तन हो सकते हैं जिसमे मध्य एशिया को रूसी-चीनी प्रभाव क्षेत्र (ORBIT) से बाहर लाया जा सकता है।
- तापी पाइपलाइन विविध मुद्दों पर **बँटे हुए इस क्षेत्र को किसी परियोजना पर एक साथ काम करने का अवसर** प्रदान करती है। तापी की सफलता में साझा हिस्सेदारी भारत,पाकिस्तान और अफगानिस्तान द्वारा अन्य मुद्दों पर सहयोगात्मक व्यवहार की सम्भावना को भी जन्म देती है।

परियोजना के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

- परियोजना को आतंकवाद की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जब तक **डूरंड लाइन के दोनों ओर सक्रिय तालिबान** और पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी समूहों से पाइपलाइन को सुरक्षित नहीं किया जाता, तब तक इसकी सफलता की संभावनाएँ कम हैं।
- तापी परियोजना की सफलता न केवल भारत और पाकिस्तान के संबंधों, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपसी संबंधों के स्वरुप पर भी निर्भर है।

आगे की राह

इस परियोजना के सफलता पूर्वक क्रियान्वयन के लिए सभी चार सदस्य देशों के नेतृत्व को केवल वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों पर निर्भर रहने की बजाय इस क्षेत्र में ***कनेक्टेड* ,सहकारी, शांतिपूर्ण और समृद्ध** परिवेश के निर्माण की दिशा में प्रयास करना होगा।

2.8 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी

(Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

तकनीकी मामलों पर आधारित *RCEP ट्रेड नेगोशिएटिंग कमिटी* की बैठक का 19 वाँ दौर हैदराबाद में आयोजित किया गया।

- सदस्य देशों ने इस वर्ष के अंत तक प्रासंगिक परिणाम प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित लक्ष्यों को हासिल करने पर सहमति व्यक्त की है।

RCEP के बारे में

- RCEP को **10 सदस्यीय आसियान ब्लॉक और उसके छह FTA भागीदारों** - भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक मुक्त व्यापार समझौते के रूप में जाना जाता है।
- समझौता अस्तित्व में आने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता होगा जिसका कारण यह है कि 16 देशों की कुल **GDP (परचेजिंग पावर पैरिटी या PPP आधार) लगभग 50 ट्रिलियन डॉलर** (या वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40%) तथा इसमें शमिल देशों की **जनसंख्या करीब 3.5 अरब (विश्व की आधी आबादी के करीब)** के आस-पास है।
- RCEP 'मार्गदर्शक सिद्धांत और उद्देश्यों' में कहा गया है कि "वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश और अन्य क्षेत्रों में वार्ताएँ एक व्यापक और संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए समानांतर रूप से आयोजित की जाएँगी।"
- प्रस्तावित FTA का उद्देश्य **अधिकांश टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर** करके वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देना है- इस कदम से इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अधिक गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध होंगे। यह **निवेश के नियमों को उदार बनाने और सेवा व्यापार संबंधी प्रतिबंधों को समाप्त करने का** भी प्रयास करता है।

भारत और RCEP

- भारत मुख्य रूप से सेवाओं के लिए बाजार पहुँच को विस्तारित करने और इस क्षेत्र में प्रतिबंधों को कम करवाने हेतु प्रयासरत है।
- यह विशेष रूप से मोड 4 से संबंधित मुद्दों को उठाने पर विचार कर रहा है। मोड 4 सेवा क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञों के सीमापार जाकर सेवाएँ प्रदान करने से संबंधित है। हालांकि,सेवाओं संबंधी वार्ता की धीमी प्रगति भारत के लिए चिंताजनक है।
- कई करों और शुल्कों के समाप्त होने का भारत में स्थानीय विनिर्माण और रोजगार सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अतः इस संबंध में भारत कुछ विशेष प्रावधान चाहता है।
- इसके कई सदस्यों का मानना है कि भारत को RCEP संधि के एक महत्वाकांक्षी सदस्य के तौर पर लगभग 90 प्रतिशत व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क समाप्त कर देना चाहिए।

- चीन व्यापक रूप से उदारीकृत टैरिफ समझौते के लिए प्रयासरत है। इसके तहत 92% व्यापारिक वस्तुओं पर से शुल्क समाप्त करने का प्रावधान है। हालांकि, भारत केवल 80% वस्तुओं पर से शुल्क समाप्त करने का प्रावधान चाहता है। इसके अतिरिक्त भारत चीनी आयात के सन्दर्भ में अधिक लंबी फेज़-आउट अवधि (अन्य RCEP राष्ट्रों के लिए 15 वर्ष जबकि चीन के लिए लगभग 20 वर्ष) के प्रावधान का इच्छुक है।
- कुछ RCEP सदस्य देशों द्वारा *पब्लिक प्रोक्योरमेंट सेगमेंट* को खोलने की माँग की गयी है। हालाँकि, भारत इस मुद्दे पर किसी बाध्यकारी प्रतिबद्धता को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।
- पर्याप्त लचीले प्रावधानों के बिना टैरिफ उन्मूलन का एक अति महत्वाकांक्षी स्तर भारतीय वस्तुओं को सर्वाधिक प्रभावित करेगा। इसका कारण यह है कि RCEP समूह (म्यांमार, कंबोडिया और लाओ PDR को छोड़कर) में भारत का '*मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) टैरिफ*' औसत 13.5% के सर्वोच्च स्तर पर है।
- RCEP के तहत शुल्कों को समाप्त करने से इस्पात, एल्यूमीनियम, ऑटो-पार्ट, कई इंजीनियरिंग वस्तुओं और रेडीमेड कपड़ों सहित अनेक क्षेत्र प्रभावित होंगें।
- प्रस्तावित FTA से अधिकांश क्षेत्रों में शुल्क के उन्मूलन से भारत में मुख्यतः चीन तथा अन्य देशों से कम कीमत वाली वस्तुओं के प्रवाह में वृद्धि हो सकती है।
- भारत का पहले से ही 10 सदस्यीय आसियान ब्लॉक, जापान और कोरिया के साथ अलग FTA है। अतः भारतीय कंपनियों का मानना है कि RCEP के कारण भारत को मौजूदा FTA भागीदारों की तुलना में वस्तु व्यापार के क्षेत्र में ज्यादा फायदा नहीं प्राप्त होगा।
- चीन ही एकमात्र RCEP सदस्य देश है जिसके साथ भारत द्वारा FTA नहीं किया गया है और न ही इसके लिए कोई वार्ता की जा रही है। इसलिए भारतीय उद्योग जगत RCEP को चीन के साथ एक अप्रत्यक्ष FTA के रूप में देखता है।
- चीन के साथ वस्तु-व्यापार में भारत घाटे की स्थिति में है, जो कि वर्ष 2003-04 में 1.1 अरब डॉलर से बढ़कर 2015-16 में 52.7 अरब डॉलर हो गया। घरेलू स्टील और भारी उद्योग क्षेत्रों को आशंका है कि चीन RCEP का प्रयोग भारत में अपनी बाजार पहुँच विस्तारित करने के लिए कर सकता है किन्तु अधिक आयात भारत के लिए लाभप्रद स्थिति नहीं होगी।
- CII समेत भारतीय कंपनियों और औद्योगिक संगठनों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है कि विनिर्माण और रोजगार सृजन में वृद्धि हेतु प्रारंभ की गयी केंद्र की 'मेक इन इंडिया' पहल, जल्दबाजी में किये गये किसी समझौते से प्रभावित हो सकती है।
- बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कई सदस्य ऐसे प्रावधानों को अपना रहे हैं जो ट्रिप्स के प्रावधानों से व्यापक हैं। इनसे भारत में निर्मित जेनेरिक दवाओं तक लोगों की पहुँच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं।
- डेटा विशिष्टता को स्वीकार करने, पेटेंट शर्तों में विस्तार करने और अत्यधिक कठोर प्रवर्तन प्रावधानों से सम्पूर्ण जेनेरिक औषधि क्षेत्र की क्षमता कमजोर हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह भारत के पेटेंट अधिनियम में, विशेष रूप से खंड 3 (डी) में निहित, कई स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों को भी प्रभावित कर सकता है।

2.9. कजाखस्तान में यूरेनियम बैंक

(Uranium bank in Kazakhstan)

सुर्खियों में क्यों ?

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने कजाखस्तान के ओस्केमेन शहर में *लो एनरिच्ड यूरेनियम* (LEU) के लिए एक यूरेनियम बैंक स्थापित किया है। इससे नए देशों के द्वारा परमाणु ईंधन संवर्द्धन के प्रयासों को हतोत्साहित किया जा सकेगा।

अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी

- यह परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए विश्व का प्रमुख अंतर्सरकारी मंच है।
- यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सचेत,सुरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान करता है।
- इसका मुख्यायलय वियेना,ऑस्ट्रिया में है।
- भारत IAEA का सदस्य है।

विवरण

- परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात तथा नॉर्वे द्वारा परमाणु खतरे से निपटने संबंधी प्रयासों के अंतर्गत वित्त पोषित किया गया है।
- यह 90 टन तक ईंधन का भण्डारण करेगा और अगर किसी असाधारण स्थिति में परमाणु ऊर्जा संयंत्र में LEU की आपूर्ति बाधित हो जाती है और सदस्य राज्य वाणिज्यिक बाजार या किसी अन्य माध्यम से युरेनियम प्राप्त करने में असमर्थ है तो यह बैंक यूरेनियम की आपूर्ति करेगा ।
- IAEA बैंक का संचालन किसी भी देश से स्वतंत्र रहते हुए करेगा। नागरिक परमाणु रिएक्टरों के लिए *लो एनरिच्ड यूरेनियम* ईंधन खरीद और स्टोर करेगा, परन्तु परमाणु हथियारों के विकास हेतु इसका प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
- एक सदस्य राज्य को IAEA-LEU बैंक से LEU खरीदने के लिए आवश्यक है कि उसका IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौता हो। साथ ही सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर भी IAEA को संतुष्ट होना चाहिए।
- रूस 2010 से ऐसे बैंक का संचालन कर रहा है और संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपने स्वयं के LEU रिजर्व का संचालन करता है।

महत्व

- यह **वैश्विक अप्रसार व्यवस्था** को मजबूत करेगा क्योंकि यूरेनियम का संवर्धन करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी,परमाणु बम निर्माण से संबंधित प्रौद्योगिकी भी है।
- ***वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन*** के मुताबिक विश्वभर में करीब 40 देश सक्रिय रूप से परमाणु ऊर्जा का **बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं** को पूरा करने के लिए उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं।
- यद्यपि वाणिज्यिक यूरेनियम का बाजार बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है फिर भी कुछ देश युद्ध या राजनीतिक संकट की स्थिति में वैश्विक आपूर्ति के बाधित होने की संभावना को देखते हुए विकल्प के रूप में अपने यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम का संचालन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ईरान ने नातांज यूरेनियम एनरिच मेंट संयंत्र के निर्माण का कारण बाज़ार संबंधी बाधाओं को ही बताया था।
- इससे देशों को घरेलू एनरिचमेंट सुविधाओं के बिना ईंधन प्राप्त करने संबंधी आशंका को दूर करने में मदद मिलेगी।

2.10 ग्लोबल एंट्रेप्रेन्योरशिप समिट (GES)

(Global Entrepreneurship Summit (GES))

सुर्खियों में क्यों ?

नवंबर, 2017 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देश ***ग्लोबल एंट्रेप्रेन्योरशिप समिट*** (GES) की सह-मेजबानी करेंगे जिसका आयोजन **हैदराबाद** में किया जाएगा।

- 2010 से ही इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। GES एक प्रमुख वार्षिक उद्यमिता सम्मेलन है। इसमें दुनिया भर के एक हज़ार से ज्यादा उभरते उद्यमी, निवेशक और समर्थक भाग लेते हैं।
- इस वर्ष पहली बार GES का आयोजन दक्षिण एशिया में किया गया है। यह आयोजन भारत के साथ अमेरिका की व्यापक और स्थायी साझेदारी को रेखांकित करता है।
- इस वर्ष की थीम "***वीमेन फर्स्ट प्रोस्पेरिटी फॉर आल***" है। यह समिट ऊर्जा एवं बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य देखभाल एवं जीवन विज्ञान, वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा मीडिया व मनोरंजन जैसे चार प्रमुख क्षेत्रों पर केन्द्रित होगी।
- GES, 2017 एक ऐसे वातावरण का निर्माण करेगा जो नवोन्मेषकों (innovators) विशेष रूप से महिलाओं को अपने विचारों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। उनकी आवाज वैश्विक सुरक्षा, समृद्धि और शांति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- यह शिखर सम्मेलन उद्यमियों और स्टार्टअप्स को वैश्विक नेतृत्वकर्ताओं के साथ लाने के लिए एक अनोखा अवसर प्रदान करता है।
- नीति आयोग, तेलंगाना राज्य सरकार के साथ मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

VISION IAS

2.11. बिम्सटेक (BIMSTEC) की 15वीं मंत्रिस्तरीय बैठक

(15th Ministerial Meeting of BIMSTEC)

हाल ही में *बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकॉनोमिक कोऑपरेशन* (बिम्सटेक) की 15वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन काठमांडू में किया गया।

बैठक के मुख्य बिंदु

- विदेश मंत्रियों की बैठक में इस क्षेत्र में गरीबी कम करने के लिए एक मास्टर प्लान अपनाया गया।
- क्षेत्रीय संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बैठक में बिम्सटेक एनर्जी सेंटर, बिम्सटेक पर्यावरण केंद्र और बिम्सटेक कल्चरल सेंटर की स्थापना करने पर भी सहमति बनी।
- बैठक में क्षेत्रीय समूह के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करने संबंधी सुझाव देने के लिए एक एमिनेंट पर्सन्स ग्रुप का गठन करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- 2018 के प्रारंभ में प्रस्तावित सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में *ग्रिड इंटरकनेक्शन* पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाएंगे जो सदस्य देशों के बीच बिजली व्यापार का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार क्षेत्र की अवधारणा को लागू करने हेतु बातचीत की प्रक्रिया में तेजी लाने पर सदस्य देशों के बीच सहमति बनी है।
- बिम्सटेक देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा "कानून प्रवर्तन, इंटेलीजेंस और सुरक्षा संगठनों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए ठोस उपाय" लागू करने पर सहमति व्यक्त की गई है।
- मंत्री स्तरीय बैठक में *बिम्सटेक कन्वेंशन ऑन कोऑपरेशन इन कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम, इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग* का शीघ्र अनुसमर्थन करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।

VISION IAS

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. कृषि में महिलाएँ

(Women in Agriculture)

समस्या क्या है?

- महिलाएँ कुल कृषि श्रमिकों के 65% भाग एवं ग्रामीण कार्यबल के लगभग 74% का गठन करती हैं। फिर भी, खेतों में उनके द्वारा की जाने वाली कड़ी मेहनत के बावजूद महिला किसानों को आधिकारिक तौर पर किसानों के रूप में नहीं गिना जाता है क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड में जमीन के लिए उनका कोई दावा नहीं होता है।
- 60 प्रतिशत ग्रामीण पुरुषों की तुलना में, भारत में लगभग तीन-चौथाई ग्रामीण महिलाएं आजीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहती हैं क्योंकि कम कृषि आय पुरूषों को नौकरियों हेतु शहरों की ओर जाने के लिए विवश करती है।
- NSSO की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाएँ लगभग 18% कृषि आधारित परिवारों का नेतृत्व करती हैं और कृषि का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें वे सम्मिलित न हों।
- लगभग 87 प्रतिशत महिलाएँ भू-स्वामित्व धारण नहीं करती हैं। इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं-
  - भूमि, राज्य का विषय है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने वाले समान कानून से संचालित नहीं होता है। फलस्वरूप जब भूमि के वंशानुगत अधिकार की बात आती है तो इसमें महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव करने की प्रवृत्ति होती है।
  - गहराई तक जड़ें जमा चुके पूर्वाग्रहों के सांस्कृतिक पहलू की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ये पितृसत्तात्मक समाज में भूमि पर महिलाओं के स्वामित्व को बाधित करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, भारतीय किसान (पुरुष और महिलाएँ दोनों) भूमि को पट्टे पर देने में भी कठिनाई का सामना करते हैं। काश्तकारी (tenancy) को प्रतिबंधित करने के बावजूद भारत की लगभग 35 प्रतिशत कृषि भूमि पर मजबूर काश्तकारों द्वारा कृषि की जाती है जो कि भूमिहीन, निर्धन और हाशिये पर होते हैं।

कृषि का महिला प्रधान होना कृषि के क्षेत्र में लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव को दर्शाता है। जहाँ पहले कृषि या कृषक की छवि पुरुषों के साथ जुड़ी हुई थी वहीं आज के भारत में कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के कारण यह छवि महिला प्रधान हो गई है।

कृषि के महिला प्रधान होने के कारण

- **पुरुष पलायन-** अपने परिवार की जीविका के लिए पुरुषों को आय के बेहतर अवसर खोजने की आवश्यकता में तेजी से वृद्धि हुई है। शहरी केन्द्रों को उनके लिए लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाले केन्द्रों के रूप में देखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष कृषि के कार्य महिलाओं के लिए छोड़कर नियमित आय के साधनों की खोज में शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं।
- **कौशल का निम्न स्तर-** परन्तु महिलाएँ कृषि के कार्य संचालित करने के दौरान विभिन्न बाधाओं और समस्याओं जैसे कि कृषि कौशल के निम्न स्तर, उत्पादकता में सुधार करने के लिए ज्ञान के अभाव इत्यादि का सामना करती हैं। इससे वे निर्धनता के दुष्चक्र में फँस जाती हैं।
- **संपत्ति अधिकारों की कमी-** भारत में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था को देखते हुए, महिलाओं को आम तौर पर अपने पुरुष प्रतिभागियों की तरह समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। संपत्ति संबंधी नियम और अधिकार सामान्यतः धार्मिक कानूनों के द्वारा संचालित होते हैं जो स्वाभाविक रूप से असमान हैं।
- **महिलाओं में सौदेबाजी शक्ति की कमी -** संपत्ति अधिकारों में कमियों के कारण, आम तौर पर महिलाओं के नाम पर भूमि अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इसके कारण महिलाओं में परिवार में सम्पत्ति धारण करने वाले पुरुष सदस्यों के विरुद्ध सौदेबाजी की शक्ति का अभाव होता है। इसके साथ ही, निम्न स्तरीय कौशल के कारण, वे पुरुषों की तुलना में ज्यादा घंटे काम करती हैं और उनके समकक्षों की तुलना में उन्हें कम भुगतान भी प्राप्त होता है।
- इसके अतिरिक्त, अपने अधिकारों, अवसरों व सुविधाओं के संबंध में **उनका अज्ञान** कृषि में उनकी भागीदारी को और अधिक कठिन बना देता है।

भेदभावपूर्ण उत्तराधिकार कानून

- संपत्ति अधिकार राष्ट्रीय और राज्य कानूनों, रीति-रिवाज़ों, परंपराओं और इतिहास की जटिल संरचना पर आधारित हो सकते हैं जो विभिन्न देशों एवं शहरों के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं।
- यहाँ तक कि कानूनों द्वारा समान संरक्षण प्रदान किये जाने के बाद भी कुछ क्षेत्रों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कभी-कभी परंपराएं और प्रथाएं आड़े आ जाती हैं।
- उदाहरण के लिए, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत, बिना अपनी वसीयत लिखे मरने वाले व्यक्ति की पुत्री को पुत्र की हिस्सेदारी का केवल एक चौथाई या 5000/- रु., में से जो भी कम हो, प्राप्त करने का अधिकार होगा। इस राशि को स्त्रीधन भी कहा जाता है और यह पात्रता महिलाओं को मृतक की सम्पत्तियों में उचित भाग प्राप्त करने के अधिकार से पृथक कर देती है।

VISION IAS

भूमि स्वामित्व अधिकार प्रदान करने का महत्व

- महिला किसानों को अपनी कृषि योग्य भूमि में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन, सुरक्षा और अवसर जैसे तीन महत्वपूर्ण प्रेरक बल प्रदान किए जाने चाहिए। महिला किसानों के लिए आवाज़ उठाने हेतु महिला किसान अधिकार मंच (MAKAAM) जैसे संगठनों को पहले से ही स्थापित किया जा चुका है।

MAKAAM या **महिला किसान अधिकार मंच** (महिला किसानों के अधिकारों के लिए फोरम) भारत में महिला किसानों को उचित मान्यता प्रदान करने और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए भारत के 24 राज्यों से लिए गए 120 से अधिक व्यक्तियों एवं खेती करने वाली महिलाओं के संगठनों, महिला किसानों की सामूहिक संस्थाओं, नागरिक समाज संगठनों, शोधकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का राष्ट्रव्यापी अनौपचारिक फोरम है।

- कई अध्ययनों से पता चला है कि महिलाओं में अपने परिवार की आवश्यकताओं के लिए अपनी आय का उपयोग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार भू-स्वामित्व धारण करने वाली महिलाओं के बच्चे बेहतर शिक्षा और पोषण प्राप्त करते हैं। इसलिए यह किसान, उसके परिवार और सम्पूर्ण समाज के हित में है।
- ग्रामीण महिलाओं में विद्यमान असुरक्षा और सुभेद्यता की भावनाओं का समाप्त होना उनके विरुद्ध होने वाले शारीरिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार को रोक सकता है। महिलाओं की सौदेबाजी की शक्ति में वृद्धि होने के कारण सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त महिलाओं के प्रति शारीरिक दुर्व्यवहार की संभावना 49 प्रतिशत से कम होकर 7 प्रतिशत रह जाती है। यह समाज के समग्र लक्ष्य महिला सशक्तिकरण के अनुकूल है।
- इस प्रकार की रूपरेखा संधारणीय विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 और 5 के अनुरूप है। संधारणीय विकास लक्ष्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों के महत्व को मान्यता प्रदान करते हैं। ये लक्ष्य नियत किए गए हैं, ताकि
  - सभी पुरुषों और महिलाओं को 2030 तक भूमि पर स्वामित्व और नियंत्रण पर समान अधिकार प्राप्त हो; और
  - छोटे स्तर के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना किया जा सके।

उठाए गए कदम

- सभी चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों में कम से कम 30% बजट आवंटन को महिला लाभार्थियों के लिए निर्धारित करना।
- क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से सूक्ष्म वित्त से जोड़ने एवं जानकारी प्रदान करने तथा विभिन्न निर्णयन निकायों (decision-making bodies) में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए महिला स्वयं-सहायता समूहों (SHG) पर ध्यान केंद्रित करना।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष **15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में मनाने** का निर्णय किया है।

आगे की राह

- कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की प्रधानता को देखते हुए, महिलाओं को उनका उचित सम्पत्ति अधिकार देना अनिवार्य हो जाता है, जिसका विभिन्न सामाजिक कारकों के सुधार की प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
- महिला किसानों को प्रतिनिधित्व देना इन परिणामों को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा और कृषि की पूरी प्रक्रिया को और अधिक प्रोत्साहित करेगा। यह सब "भारतीय किसान" के लिए नई छवि निर्मित करने से आरम्भ हो सकता है।

3.2. राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना

(National agriculture higher education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना,** भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा **विश्व बैंक** की साझेदारी में तैयार की गई है। इसका उद्देश्य कृषि में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना एवं उसे बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित करना है।

आवश्यकता

- देश में कृषि शिक्षा की वर्तमान अवसंरचना वैश्विक मानकों के समतुल्य होने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAUs) के बीच जुड़ाव का अभाव है।
- गैर-प्रतिबद्ध शिक्षक और अपर्याप्त-संसाधन युक्त संस्थान।
- धन की कमी।
- राज्य का विषय होने के कारण अधिकतर राज्यों में कृषि को उपेक्षित करने की प्रवृत्ति होती है।
- कम प्रतिफल और कैरियर के सीमित अवसरों के कारण कृषि शिक्षा के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)

- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) **कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (DARE), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय**, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है।
- इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत की गई थी।
- यह परिषद पूरे देश में **बागवानी, मत्स्यिकी और पशु विज्ञान समेत कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा का समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन करने के लिए शीर्ष निकाय है।**

VISION IAS

परियोजना के संबंध में

- इस परियोजना को चार वर्ष की अवधि के लिए विश्व बैंक के साथ 50:50 लागत साझेदारी के आधार पर लांच किया गया है।
- सभी वैधानिक कृषि विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कृषि संकाय इस परियोजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
- यह शिक्षक और छात्र विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना, आधुनिकतम प्रयोगशालाओं, उद्योग लिंकेज, पूर्व छात्र नेटवर्क, कैरियर विकास इत्यादि के माध्यम से शिक्षण और अधिगम (learning) के मानकों को उन्नत करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी।.
- इस परियोजना के तीन प्रमुख अवयव हैं:
  - कृषि विश्वविद्यालयों को सहायता
  - कृषि उच्च शिक्षा में नेतृत्व के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद **(ICAR)** में निवेश
  - परियोजना प्रबंधन और अधिगम

अन्य सरकारी पहलें

- **आर्य (ARYA):** भारत सरकार द्वारा 2015 में "आर्य- कृषि के क्षेत्र में युवाओं को आकर्षित करना और बनाए रखना" (Attracting and Retaining Youth in Agriculture: **ARYA**) लांच किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कृषि, संबद्ध और सेवा क्षेत्र के उद्यमों में संधारणीय आय और लाभकारी रोजगार के लिए युवाओं में उद्यमशीलता का विकास करना है।
- **पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना:** इसे 2016 में लांच किया गया था। इसके अंतर्गत कृषि शिक्षा के लिए 100 नए केन्द्र खोले गए थे।
- भारत सरकार ने कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालयों की भी स्थापना की है। यथा: **असम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI)** ।

3.3. दीर्घावधिक सिंचाई कोष

(Long term irrigation fund)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए नाबार्ड द्वारा बांड जारी कर दीर्घावधिक सिंचाई कोष (LTIF) हेतु 9,020 करोड़ रु. तक के बजटेत्तर संसाधन जुटाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- 2015 में लांच की गई यह योजना **स्रोत निर्माण, वितरण, प्रबंधन, फील्ड एप्लीकेशन एवं विस्तार गतिविधियों के सम्पूर्ण समाधान के साथ, सिंचाई के कवरेज का विस्तार करने एवं जल उपयोग दक्षता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करने** की दृष्टि से तैयार की गई थी।
- इसे विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात् जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय (MoWR, RD&GR) के **त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP)**, भूमि संसाधन विभाग (DoLR) के **एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP)** एवं **कृषि और सहकारिता विभाग** (DAC) के खेत पर जल प्रबंधन **(OFWM)** को मिश्रित करके तैयार किया गया है।

दीर्घावधिक सिंचाई कोष (LTIF) क्या है?

- LTIF **अपूर्ण रह गईं वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं त्वरित कार्यान्वयन के उद्देश्य** से निर्मित एक कोष है। इसका निर्माण 2016 में 20,000 करोड़ रु. के आरंभिक कोष के साथ किया गया था।
- इसका उद्देश्य संसाधन अंतर को पाटना एवं 2016-2020 के दौरान इन परियोजनाओं को पूर्ण करना है। इस हेतु 2016-17 तक पूरा किए जाने के लिए 23 परियोजनाओं (पहली प्राथमिकता) की, 2017-18 तक पूरा किए जाने के लिए 31 परियोजनाओं (दूसरी प्राथमिकता) की तथा 2019-20 तक पूरा किए जाने के लिए शेष 45 परियोजनाओं (तीसरी प्राथमिकता) की पहचान की गई है।
- दीर्घावधिक सिंचाई कोष (LTIF) का गठन नाबार्ड में **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना** (PMKSY) के अंतर्गत किया गया है।
- राज्यों के लिए नाबार्ड से प्राप्त होने वाले ऋण को आकर्षक बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि 2016-17 से 2019-20 तक प्रति वर्ष नाबार्ड के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराकर ब्याज की दर को छह प्रतिशत रखा जा सकता है। इसपर ब्याज लागत भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

LTIF के अंतर्गत जुटाए गए धन का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा:

- चल रही 99 प्राथमिकता सिंचाई परियोजनाओं के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम **(AIBP)** का उनके कमांड क्षेत्र विकास (CAD) के कार्यों के साथ कार्यान्वयन।
- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (NWDA) को संसाधन प्रदान करना।

VISION IAS

- परियोजना में राज्य की भागीदारी पूर्ण करने के लिए राज्य सरकारों को ऋण प्रदान करना या अपने स्वयं के संसाधनों का परिनियोजन करना।

3.4. आवश्यक वस्तु अधिनियम

(Essential Commodities Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने कृषि जिंसों को आवश्यक वस्तु अधिनियम से पूर्णतः बाहर निकालने की अनुशंसा की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं उन्हें बेईमान व्यापारियों द्वारा शोषण से संरक्षित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

- यह अधिनियम ऐसी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के विनियमन और नियंत्रण का प्रावधान करता है जिन्हें आवश्यक घोषित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य इन वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखना/बढ़ाना या उचित कीमतों पर समान वितरण एवं उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकारों को संबंधित राज्यों में आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित खाद्य पदार्थों के उत्पादन, वितरण, आपूर्ति और मूल्य को विनियमित करने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग कर आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू करने हेतु क्रियान्वयन एजेंसी राज्य है। राष्ट्रीय स्तर पर आवधिक रूप से इसकी समीक्षा की जाती है।
- इन वस्तुओं का प्रबंध करने वाले संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से उनके उत्पादन और आपूर्ति के संदर्भ एवं आर्थिक उदारीकरण के प्रकाश में समय-समय पर आवश्यक वस्तुओं की सूची की समीक्षा की जाती है। वर्तमान में, लगभग सभी कृषि वस्तुओं से लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, भण्डारण सीमा और लाने-ले जाने पर रोक जैसे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। गेहूं, दालें और खाद्य तेल, खाद्य तिलहन और चावल आदि अपवाद हैं, जहाँ इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को कुछ अस्थायी प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी गई है।

इस अधिनियम में समस्याएँ

- भण्डारण सीमाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और फ़ूड रिटेल चेन, जो अपने संचालन के लिए बड़े भण्डार बनाए रखने की आवश्यकता का अनुभव करती हैं, में भेद नहीं करती हैं। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत ये उत्पीड़न की भागी बन सकती हैं।
- वास्तविक जमाखोरों की पहचान करना आसान कार्य नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि की दर भी बेहद कम है। इसलिए जमाखोर बच निकलते हैं एवं खाद्य अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रतिभागियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
- यह अधिनियम वर्तमान समय के अनुरूप नहीं है। सशक्त परिवहन अवसंरचना के कारण यदि एक भाग में पर्याप्त आपूर्ति है तो भी देश के दूसरे भाग में कमी का सामना करना पड़ सकता है।

भण्डारण प्रतिबन्ध हटाने के बाद के संभावित प्रभाव

- कृषि वस्तुओं पर से भण्डारण प्रतिबंध हटाने से सुसंगठित व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बड़े पैमाने पर होने वाले व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ में सुधार होगा एवं बड़े व्यापारियों द्वारा एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने से व्यापार में और अधिक पूँजी का अंतर्वाह होगा। यह हैंडलिंग लागतों को कम करेगा, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, कीमतों को कम करेगा तथा किसानों के लाभ में वृद्धि करेगा।
- **अवसंरचना में बढ़ा निवेश:** इस अधिनियम के अंतर्गत नियमों और भण्डारण सीमा में बारंबार परिवर्तन व्यापारियों को बेहतर भण्डारण अवसंरचना में निवेश करने से निरुत्साहित करते हैं। साथ ही, भण्डारण सीमाएं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के कामकाज को कम कर देती हैं, जिन्हें अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतर्निहित वस्तुओं के बड़े भंडार बनाए रखने की आवश्यकता होती है। इन प्रतिबंधों की समाप्ति और अधिक निवेश को आकर्षित करेगी।

आगे की राह

- केन्द्र और राज्यों द्वारा जमाखोरों को नियंत्रित करने के लिए कालाबाजारी की रोकथाम और अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति का रखरखाव (PBMSEC) अधिनियम, 1980 को लागू किया जा सकता है। लेकिन PBMSEC अधिनियम द्वारा लागू की जाने वाली वस्तुओं की सूची आवश्यक वस्तु अधिनियम से ली जाती है। अतः इस विसंगति का समाधान किए जाने की आवश्यकता है।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम वर्तमान वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं एवं कानून और व्यवस्था भंग होने के कारण आपूर्ति बाधित होने जैसी संकटकालीन स्थितियों से निपटने के लिए इसका कायाकल्प करने की या इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

3.5. कृषि-उपज की बिक्री करने के लिए ई-रकम पोर्टल

(E-Rakam Portal for Selling Agri-Produce)

- हाल ही में सरकार द्वारा कृषि उपज की बिक्री करने के लिए ई-नीलामी पोर्टल **ई-रकम** लांच किया गया।
- यह पोर्टल राज्य-संचालित-नीलामीकर्ता MSTC एवं सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउसिंग कंपनी CRWC की संयुक्त पहल है।
- यह पोर्टल **किसानों को उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने एवं बिचौलियों के जाल में न फंसने देने एवं उपज को मंडी तक पहुँचाने की समस्याओं से बचाने में सहायता करने के लिए** लांच किया गया है।
- किसानों का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा।

VISION IAS

MSTC लिमिटेड, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत मिनी रत्न प्रथम-श्रेणी सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम है।

केन्द्रीय भण्डारण निगम (Central Warehousing Corporation)

यह कृषि क्षेत्रक के लिए लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करने हेतु 1957 में स्थापित सार्वजनिक क्षेत्रक भण्डारण कंपनी है।

3.6. एग्री-उड़ान

(Agri Udaan)

हाल ही में, ICAR-NAARM एवं IIM-A के इनक्यूबेटर केंद्रों ने "एग्री उड़ान-खाद्य और कृषि व्यवसाय एक्सेलरेटर 2.0" की घोषणा की है।

- यह खाद्य और कृषि एक्सेलरेटर है जो **कठोर निगरानी, इंडस्ट्री नेटवर्किंग और इन्वेस्टर पिचिंग** के माध्यम से खाद्य एवं कृषि स्टार्ट-अप कम्पनियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- इसका मुख्य विचार **ग्रामीण युवाओं को आकर्षित करना** एवं **कृषि और किसान की उपज में गुणवत्ता का समावेश** करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना है।
- एग्री-उड़ान का उद्देश्य कृषि के क्षेत्र में स्टार्ट-अप क्रांति लाना है, जो कि अब तक अधिकतर सेवा क्षेत्रक तक ही संकेन्द्रित रही है।

3.7. विनिवेश

(Disinvestment)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश में तेजी लाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है।
- इससे पूर्व सरकार ने NHPC, कोल इंडिया और ONGC में विनिवेश की स्वीकृति दी थी।

विनिवेश क्या है?

- विनिवेश या डाइवेस्टिचर (divestiture) से आशय सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (PSE) में अपनी परिसम्पत्तियों या अंशों को बेचने अथवा परिनिर्धारित करने से है।
- वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) विनिवेश के लिए नोडल एजेंसी है।
- यह तब किया जाता है जब सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम राजकोष को घाटा पहुँचाने लगते हैं।
- विनिवेश आय सरकार को अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए धन प्राप्त करने में सहायता करती है।
- बजट 2017-18 में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों में विनिवेश के माध्यम से 72,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

भारत में विनिवेश

नई आर्थिक नीति 1991 में संकेत किया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों ने नियोजित पूंजी पर निम्नलिखित कारणों से प्रतिफल की अत्यधिक ऋणात्मक दर प्रदर्शित की है:

- सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की रियायती मूल्य नीति।
- क्षमता का सीमा से कम उपयोग।
- परियोजनाओं की योजना और निर्माण से संबंधित समस्याएं।
- श्रमिकों, कार्मिकों और प्रबंधन एवं स्वायत्तता की कमी की समस्याएं।

इस दिशा में, सरकार ने निम्नलिखित **मुख्य उद्देश्यों** को प्राप्त करने हेतु **'विनिवेश नीति'** को अपनाया:

- सार्वजनिक वित्त में सुधार के माध्यम से सरकार पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए।
- स्वामित्व का व्यापक अंश प्रोत्साहित कर प्रतिस्पर्धा और बाजार अनुशासन आरम्भ करने के लिए।

रंगराजन समिति 1993, ने छह उद्योगों, कोयला और लिग्नाइट, खनिज तेल, हथियार और गोला-बारूद तथा रक्षा-उपकरण, परमाणु ऊर्जा, रेडियोधर्मी खनिजों और रेलवे परिवहन के मामले में सरकारी इक्विटी में कमी कर उसे 49 फीसदी तक करने की अनुशंसा की थी।

जी. वी. रामकृष्ण की अध्यक्षता में **विनिवेश आयोग (1996)** ने विनिवेश के प्रयोजन के लिए 58 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की पहचान की एवं सुझाव दिया कि दीर्घकालिक विनिवेश नीति को लाभहीन सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों (PSUs) को प्रदान किए जाने वाले बजटीय समर्थन को कम करने पर जोर देना चाहिए।

राष्ट्रीय निवेश कोष (NIF)

- इसका निर्माण 2005 में किया गया था। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संपूर्ण आय को इस कोष में दिशानिर्देशित किया गया।
- 75% कोष का उपयोग सामाजिक क्षेत्रक योजनाओं में किया जाएगा जबकि 25% का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों को पुनर्जीवित करने में किया जाना है।
- इस नियम को वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान शिथिल कर दिया गया था एवं सरकार ने 2009 से 2013 के बीच सामाजिक क्षेत्रक के लिए राष्ट्रीय निवेश कोष **(NIF)** की 100% आय के उपयोग का अनुमोदन किया।

VISION IAS

इस संदर्भ में और अधिक जानकारी

- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री तथा प्रशासनिक विभाग मंत्री से मिलकर बनने वाले एक **वैकल्पिक तंत्र (AM)** का प्रस्ताव किया था। इसे **रुचियों की अभिव्यक्ति (EOI)** आमंत्रित करने के चरण से लेकर वित्तीय बोली आमंत्रित करने तक बिक्री का निर्णय लेना था।
- नवीन तंत्र प्रक्रिया संबंधी मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए विनिवेश पर सचिवों के कोर ग्रुप को समर्थ बनाएगा।

विनिवेश के तरीके

- **शेयर बाजार:** शेयर बाजार के माध्यम से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग (FPO) और ऑफर फॉर सेल (OFS) के तरीके अपनाये जा सकते हैं।
- **इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट कार्यक्रम (IPP):** केवल संस्थान इस प्रस्ताव में भाग ले सकते हैं।
- **CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF):** ETF मार्ग के माध्यम से विनिवेश एक ही प्रस्ताव के ज़रिए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न CPSE में सरकारी हिस्सेदारी की एक साथ बिक्री की अनुमति देता है। यह उन CPSE में अपनी शेयरधारिता का मुद्रीकरण करने के लिए तंत्र प्रदान करता है जो ETF बास्केट के भाग हैं।

रणनीतिक विनिवेश :

- यह केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (CPSE) में सरकार की 50 प्रतिशत शेयरधारिता के एक बड़े भाग या प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ ऐसे उच्चतर प्रतिशत की बिक्री का द्योतक है।
- इसका उद्देश्य CPSE में सरकारी निवेश का कुशल प्रबंधन था। पूंजी पुनर्गठन, लाभांश, बोनस शेयर जैसे मुद्दों को संबोधित करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम इस नीति के भाग के रूप में निर्मित किये गए।

विनिवेश: पक्ष और विपक्ष में तर्क

विपक्ष में	पक्ष में
• यह आबादी के बीच संसाधनों के समतापूर्ण वितरण की समाजवादी विचारधारा के विरूद्ध है। • इससे कॉरपोरेट द्वारा एकाधिकार और अल्पाधिकारी व्यवहारों का मार्ग प्रशस्त होगा। • राज्य का राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए विनिवेश की प्राप्तियों का उपयोग किया जाना अस्वस्थ राजकोषीय समेकन का मार्ग प्रशस्त करता है। • निजी स्वामित्व दक्षता की गारंटी नहीं देता **(रंगराजन समिति 1993)**। • सार्वजनिक परिसंपत्तियों के अल्प मूल्यांकन और पक्षपातपूर्ण निविदा द्वारा विनिवेश किये जाने से सार्वजनिक कोष को हानि होती है। • निजी स्वामित्व, परिचालन की लागत में कटौती करने के लिए विकास संबंधी क्षेत्रीय असमानता की अनदेखी कर सकता है।	• ट्रेड यूनियन और राजनीतिक हस्तक्षेप से PSU की परियोजनाएं प्राय: अटक जाती हैं, जिससे दीर्घकालिक कार्यकुशलता में बाधा उत्पन्न होती है। • PSU कर्मचारियों में प्रच्छन्न बेरोजगारी और अप्रचलित कौशल की समस्या अकुशलता का प्रमुख कारण है। • निजी क्षेत्र के कर्मचारी लालफीताशाही की नौकरशाही मानसिकता से परे होकर कार्य करते हैं और निष्पादन चालित संस्कृति और प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं **(विनिवेश आयोग 1996)**। • अधिक सशक्त प्रतिस्पर्धी निविदा-प्रक्रिया PSU में भागीदारी करने के लिए निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है। • इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करता है कि उत्पाद सेवा पोर्टफोलियो प्रौद्योगिकी के विकास/अधिग्रहण द्वारा समकालीन बनी रहे।

3.8. वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र

(Financial Data Management Centre)

सुर्खियों में क्यों?

- **विधि मंत्रालय** ने वित्तीय डाटा प्रबंधन केंद्र (**FDMC**) के निर्माण पर संशोधित कैबिनेट प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, जो आगे चलकर विभिन्न वित्तीय नियामकों से सीधे अशोधित आंकड़े एकत्र करेगा।

वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)

- दिसंबर, 2010 में FSDC का गठन किया गया था।
- परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है और RBI का गवर्नर; आर्थिक मामलों के विभाग का वित्त सचिव और / या सचिव; वित्तीय सेवा विभाग का सचिव; मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय; SEBI का अध्यक्ष; IRDA का अध्यक्ष और PFRDA का अध्यक्ष इसके सदस्य हैं।
- FSDC वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र के विकास, अंतर-नियामकीय समन्वय, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन और बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के बृहत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण से संबंधित मुद्दों से संबंध रखता है।

VISION IAS

आवश्यकता

- इस प्रकार का डेटा भण्डार, व्यवस्थित जोखिम और प्रणाली वार रुझानों पर शोध करने में **वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC)** की सहायता करेगा। साथ ही, FSDC के सदस्यों के बीच नीतिगत विकल्पों पर चर्चा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।

यह क्या है?

- FSDC के तत्वावधान में FDMC के गठन का विचार पहली बार अजय त्यागी की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रस्तुत किया था। 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री द्वारा भी इसकी चर्चा की गई थी।
- इसके अंतर्गत FDMC और नियामकों के मध्य डेटा के प्रवाह हेतु समझौता करना है तथा नियामकों के लिए विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत दी जाने वाली सुरक्षा के समान स्तर को प्रदान करने हेतु "सख्त गोपनीयता मानदंडों" को बनाने का प्रावधान है ताकि डेटा केंद्र हर समय सुरक्षित और प्रभावी ढंग से संरक्षित रखा जा सके।
- FDMC की स्थापना के लिए RBI अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम तथा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता होगी क्योंकि उनकी गोपनीयता धाराएं अशोधित आंकड़ों तक पहुंच की अनुमति नहीं देती हैं।

सांविधिक निकाय क्यों?

- आरम्भ में FDMC को एक गैर-सांविधिक निकाय होना था। हालांकि, कानूनी मामलों के विभाग ने यह उल्लेख करते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि FDMC के लिए अन्य सांविधिक निकायों से आंकड़े एकत्र करना मुश्किल हो जाता।
- इसके साथ ही, RBI ने गैर-सांविधिक निकाय के साथ सूचना साझा करने पर आपत्ति की थी क्योंकि इसका अर्थ गोपनीयता का उल्लंघन होता।

3.9. पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री

(Public Credit Registry)

सुर्ख़ियो में क्यों?

RBI ने कहा है कि वह पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री के विकास के लिए रोडमैप हेतु टास्कफ़ोर्स का गठन करेगा।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था 'ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम' नामक बैंकिंग क्षेत्र के संकट से जूझ रही है जिसमें-
  - कॉरपोरेट क्षेत्र पर **ऋण का भारी बोझ** है जिसका वे भुगतान करने में असमर्थ हैं।
  - बैंकों की **गैर निष्पादक परिसंपत्तियां** बढ़ रही हैं।
- बैंकिंग क्षेत्र का NPA तेजी से बढ़ा है जो बैंकों के क्रेडिट निर्णय की गति को धीमा कर रहा है और समग्र रूप से पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है।
- वर्तमान में चार निजी क्रेडिट डेटाबेस हैं जिनका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रेडिट सूचना कम्पनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 (CICRA 2005) के अंतर्गत विनियमन किया जाता है, अर्थात
  - क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड (CIBIL),
  - इक्विफैक्स (Equifax)
  - एक्सपीरियन (Experian)
  - CRIF हाइमार्क (CRIF Highmark)
- विश्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार, 2012 में 195 देशों में से 87 में **पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री** थी।
- हालांकि, RBI ने PCR के रूप में एकीकृत सुविधा के निर्माण का प्रस्ताव किया है जो सूचना असममितता और आंकड़ा विखंडन जैसी विसंगतियां दूर करने में सहायता करेगा।
- इसलिए, RBI ने टास्कफोर्स बनाया है जो **पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री** की स्थापना करने के लिए रोडमैप प्रदान करेगा।

पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री

- पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री **क्रेडिट सूचना का डेटाबेस** है जो सभी हितधारकों के लिए सुलभ है। यह सामान्यत: उधारकर्ता से सम्बंधित एक बड़े डेटाबेस में सभी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराता है।
- RBI जैसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा इसका प्रबंधन किया जाएगा और उधारदाताओं को **अनिवार्य रूप से ऋण विवरणों की सूचना देनी होगी।**
- PCR, RBI की निम्नलिखित में सहायता करेगा-
  - बैंक द्वारा क्रेडिट आकलन और मूल्य निर्धारण में
  - बैंक के जोखिम-आधारित प्रतिचक्रीय और गत्यात्मक प्रावधान करने में
  - नियामक द्वारा पर्यवेक्षण और प्रारंभिक हस्तक्षेप में

VISION IAS

- मौद्रिक नीति के कामकाज के संचरण और उसकी बाधाओं को समझने में
    - दबावग्रस्त बैंक ऋण का पुनर्गठन करने में
- यह देश में क्रेडिट संस्कृति को अधिक पारदर्शी बनाकर इसमें सुधार लाएगा तथा व्यापार की सुगमता को बेहतर बनाएगा, वित्तीय समावेशन में वृद्धि करेगा और सम्बंधित दोषों में कमी लाएगा।

3.10. मध्यम-अवधि के व्यय की रूपरेखा का वक्तव्य (MTEF)

(Medium-Term Expenditure Framework Statement (MTEF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद में MTEF विवरण को प्रस्तुत किया गया जिसमें अंतर्निहित मान्यताओं और सम्मिलित जोखिम के साथ व्यय हेतु तीन वर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- **FRBM अधिनियम, 2013 की धारा 3** के अनुसार संसद में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं:
    - मध्यम अवधि का राजकोषीय नीति वक्तव्य
    - राजकोषीय नीति का रणनीतिक वक्तव्य
    - व्यापक आर्थिक ढांचा वक्तव्य
- वार्षिक बजट के साथ इन दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, बाद में बजट सत्र के तुरंत बाद संसद में MTEF विवरण प्रस्तुत करने के लिए धारा 3 में संशोधन किया गया।
- MTEF का उद्देश्य है-
    - वार्षिक बजट और **FRBM** विवरण के बीच **निकटतम एकीकरण** प्रदान करना।
    - वित्तीय प्रबंधन के लिए मध्यम अवधि का परिप्रेक्ष्य प्रदान करना और **राजकोषीय समेकन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बढ़ाना।**
- विभिन्न योजनाओं पर सरकार के व्यय पैटर्न पर ध्यान देने के लिए योजना अनुसार अनुमान MTEF विवरण के साथ संलग्न किया गया है।

3.11. भारत-22

(Bharat-22)

सुर्ख़ियो में क्यों?

- भारत सरकार अपने दूसरे ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) **भारत 22** की शुरुआत करने जा रही है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यम (CPSE), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के विनिर्दिष्ट उपक्रमों (SUUTI) के अंतर्गत भारत सरकार की होल्डिंग सहित 22 स्टॉक सम्मिलित होंगे।

भारत 22 के संबंध में

- प्रत्येक क्षेत्र पर 20% और प्रत्येक स्टॉक पर 15% सीमा के साथ ETF में छह क्षेत्रों की कंपनियों का विविधिकृत पोर्टफोलियो होगा।
- नया ETF सरकारी कंपनियों में इक्विटी हिस्सेदारी बेचने में सरकार की सहायता करेगा और साथ ही, चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के माध्यम से 72,500 करोड़ रुपये उगाहने के सरकार के उद्देश्य की प्राप्ति में भी सहायता करेगा।

ETF क्या है?

- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सूचकांक फंड हैं जो स्टॉक की तरलता और फंड को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
- कई सूचकांक फंडों की भांति ये सूचकांक, कमोडिटी, बांड्स या परिसंपत्तियों की बास्केट को भी दर्शाते हैं।
- इनकी कीमतें दैनिक रूप से बदलती हैं, क्योंकि इनका कारोबार पूरे दिन होता है।

3.12. अनुचित व्यापार आचरण पर मानदंडों की समीक्षा करने के लिए पैनल का गठन

(Panel setup to Review Norms on Unfair Trade Practices)

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने *इनसाइडर ट्रेडिंग* की रोकथाम (PIT) 2015, और धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार आचरण की रोकथाम (PFUTP), 2003 के मानदंडों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है।

- घटिया ढंग से प्रारूप तैयार करने और मूल्य-संवेदी जानकारी के साथ एकीकरण की कमी के लिए पूर्व में भी PIT और PFUTP विनियमों की आलोचना की गई है। 2015 में PIT संहिता की समीक्षा की गई थी, जबकि PFUTP की समीक्षा पिछले 12 वर्षों से नहीं की गई है।
- कंपनी एक्ट, इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड और बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 में हाल के संशोधनों को वित्तीय बाजार के प्रावधानों के साथ तालमेल बैठाने की आवश्यकता है।
- इसलिए, SEBI ने पूर्व विधि सचिव टी. के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में **'उचित बाजार आचरण'** पर समिति का गठन किया है।

3.13. नई मेट्रो रेल नीति 2016

(New Metro Rail Policy 2016)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई मेट्रो रेल नीति को स्वीकृति प्रदान की है जो सुसंगत शहरी विकास, लागत में कमी और बहु-मॉडल एकीकरण पर केंद्रित है।

नई मेट्रो रेल नीति की मुख्य विशेषताएं

- नई मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु यह नीति PPP (सार्वजनिक निजी भागीदारी) घटक को अनिवार्य बनाती है।
- नीति में मुख्यतः तीन PPP मॉडल सम्मिलित हैं;
  1. डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर विधा के माध्यम से नई मेट्रो रेल प्रणालियों का निर्माण करना।
  2. सेवा संचालित करने के साथ-साथ रोलिंग स्टॉक की आपूर्ति करने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देना।
  3. अवसंरचना के रखरखाव और उन्नयन में उन्हें सम्मिलित करना।
- नई नीति मेट्रो गलियारे के साथ-साथ सुसंगत (Compact) और सघन शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए **ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD)** अनिवार्य बनाती है।
- वर्तमान **'8% के इकॉनोमिक इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न'** (Economic Internal Rate of Return) के स्थान पर **'14% के फाइनेंसियल इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न'** (Financial Internal Rate of Return) के आधार पर, सर्वोत्तम वैश्विक तरीकों पर नई मेट्रो परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाएगी।
- इस नीति के अंतर्गत, राज्यों को नियम और विनियम बनाने और स्थायी किराया निर्धारण प्राधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्राप्त होगी।
- साथ ही, राज्यों को कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करके कम लागत वाली ऋण पूंजी संभव बनानी होगी।
- यह नीति स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा नए मेट्रो प्रस्तावों के कठोर मूल्यांकन का प्रावधन करती है।
- यह नीति राज्यों से व्यावसायिक संपत्तियों का विकास तथा विज्ञापन के माध्यम से एवं खाली जगह लीज पर देकर अधिकतम गैर-किराया राजस्व उत्पन्न करने की अपेक्षा करती है।
- यह नीति राज्य सरकारों के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नामक सांविधिक निकाय की स्थापना करना अनिवार्य बनाती है।
- नई नीति राज्यों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में "बेटरमेंट लेवी" (betterment levy) प्रभारित करना आवश्यक बनाती है।
- यह नीति विभिन्न तरीकों से मेट्रो सेवाओं के परिचालन और प्रबंधन (O&M) में निजी क्षेत्र की भागीदारी की कल्पना करती है;
  - ***कॉस्ट प्लस फ़ी कॉन्ट्रैक्ट* (लागत युक्त शुल्क अनुबंध):** निजी प्रचालक को O&M प्रणाली के लिए मासिक / वार्षिक भुगतान किया जाता है। सेवा की गुणवत्ता के आधार पर इसमें स्थायी और परिवर्तनीय घटक हो सकते हैं। परिचालन एवं राजस्व जोखिम स्वामित्वधारी द्वारा वहन किया जाता है।
  - **सकल लागत अनुबंध (Gross Cost Contract):** निजी प्रचालक को अनुबंध की अवधि के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। प्रचालक O&M जोखिम वहन करता है जबकि स्वामित्वधारी राजस्व जोखिम वहन करता है।
  - **शुद्ध लागत अनुबंध (Net Cost Contract):** प्रचालक प्रदान की गई सेवाओं से उत्पन्न होने वाला पूरा राजस्व एकत्रित करता है। यदि राजस्व सृजन O&M लागत से कम रहता है तो स्वामित्वधारी क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो सकता है।

इस नीति के लाभ

- इससे विभिन्न शहरों की मेट्रो रेल आकांक्षाएं पूरी करने में सहायता मिलने के साथ ही राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 का उद्देश्य भी साकार करने में सहायता मिलेगी।
- यह नीति भारत में मेक इन इंडिया पहल और भारत के लिए अवसंरचना नीत विकास प्रतिमान को बढ़ावा देगी।
- इसमें मेट्रो गलियारे की अवसंरचना के साथ-साथ सुसंगत और सघन शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए पारगमन उन्मुख विकास (*ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट*) की कल्पना की गई है जिससे शहरों की आवागमन संबंधी समस्याओं में कमी आएगी।
- इस नीति से सार्वजनिक-निजी साझेदारी नीत विकास का विस्तार करने में सहायता मिलेगी जिससे परिवहन अवसंरचना में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।

इकनोमिक इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न (EIRR)

उस दर के रूप में IRR को परिभाषित किया जाता है जिस दर पर निवेश परियोजना का निवल वर्तमान मूल्य शून्य के बराबर होता है।

यदि IRR अपेक्षित प्रतिफल की दर से अधिक है तो परियोजना स्वीकार की जानी चाहिए।

EIRR, प्रतिफल की वित्तीय दर से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक लागत की गणना करने के लिए मूल्य नियंत्रण, सब्सिडी और करांतराल जैसे कारकों का प्रभाव ध्यान में रखा जाता है।

VISION IAS

इस नीति की सीमाएं

- विभिन्न परिवहन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि मेट्रो रेल का निर्माण लाभदायक निवेश नहीं होगा क्योंकि निजी क्षेत्र की आकांक्षा कम से कम 12-15% प्रतिफल की होगी जबकि कभी भी किसी भी मेट्रो परियोजना ने 2-3% से अधिक निवेश प्रतिफल नहीं दिया है।
- इससे पहले, मेट्रो रेल के PPP मॉडल से अपेक्षित प्रतिफल नहीं मिला है उदाहरण के लिए, मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन के संचालन में विवाद का सामना करना पड़ा था।
- इस नीति का उद्देश्य परियोजनाओं के लिए राज्यों के वित्तपोषण में केंद्र की भूमिका कम करना है। हालांकि राज्यों के पास पहले ही राजस्व सृजन का सीमित स्रोत है। बेटरमेंट लेवी के प्रावधान से इच्छित प्रतिफल नहीं मिलेगा।
- केंद्र सरकार की गारंटी के अभाव में निजी क्षेत्र के लिए द्विपक्षीय ऋण सुनिश्चित करना मुश्किल होगा।
- इसके अतिरिक्त, सरकारी बांड्स लाने का प्रस्ताव ऐसे विशाल निवेश के लिए पर्याप्त खरीदारों को आकर्षित नहीं करेगा।

राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006

- इस नीति में सुरक्षित, सस्ती, त्वरित, आरामदायक, विश्वसनीय और स्थायी शहरी परिवहन प्रणालियों, गुणवत्ता केंद्रित बहु-मॉडल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों की स्थापना की कल्पना की गई है।
- इसमें माना गया है कि जनता हमारे शहरों की केंद्र-बिंदु हैं और सभी योजनाएं उसके सामान्य लाभ और कल्याण के लिए होंगी।
- खराब आवागमन सुविधा आर्थिक विकास के लिए प्रमुख गतिरोध बन सकती है और जीवन की गुणवत्ता बिगाड़ सकती है।
- यह नीति **जवाहरलाल राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन** के मूल में है।

नीति का उद्देश्य

- परिणाम की आवश्यकता होने की बजाय शहरी नियोजन चरण में शहरी परिवहन को महत्वपूर्ण मापदंड बनाना।
- गुणवत्ता केंद्रित बहु-मॉडल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की स्थापना संभव बनाना जो सभी विधाओं के बीच निर्बाध यात्रा प्रदान करते हुए अच्छी तरह से एकीकृत हो।
- **ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट** उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेन प्रणाली के आस-पास सघन, पैदल चलने योग्य, पैदल यात्री-उन्मुख, मिश्रित-उपयोग वाला समुदाय केन्द्रित विकास है। यह आवागमन के लिए कार पर पूर्ण निर्भरता के बिना कम-तनाव वाला जीवन संभव बनाता है।

3.14. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

(Aajeevika grameen express yojana)

- कौशल विकास के माध्यम से सतत आजीविका अवसरों में वृद्धि कर शहरी निर्धन लोगों का उत्थान करने के उद्देश्य से **दीन दयाल अन्त्योदय योजना [DAY]** आरंभ की गई है।
- इसे आवास और निर्धनता उन्मूलन मंत्रालय (HUPA) के अंतर्गत प्रारम्भ किया गया था।
- यह योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) का एकीकृत रूप है।
- कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुख्य रूप से रिवॉल्विंग फण्ड और सामुदायिक निवेश निधि के रूप में है, जिसे स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और उनके महासंघों को अनुदान के रूप में दिया जाता है।

सुर्खियों में क्यों?

भारत सरकार ने दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के ही एक अंग के रूप में “आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY)” नाम से एक नई उप-योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

महत्त्वपूर्ण प्रावधान

- DAY-NRLM के अंतर्गत SHG, पिछड़े क्षेत्रों में सड़क परिवहन सेवा का संचालन करेंगे जो दूरस्थ गांवो के पिछड़े क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास हेतु प्रमुख सेवाओं और सुविधाओं (जैसे बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सहित) से जोड़ने हेतु सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएं प्रदान करेंगे।
- स्वयं-सहायता समूहों के लिए यह एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा।
- DAY-NRLM के अंतर्गत समुदाय आधारित संगठन (CBO) को प्रदान किया गया **सामुदायिक निवेश फंड (CIF)** का उपयोग इस नई आजीविका पहल के अंतर्गत SHG के सदस्यों की सहायता हेतु किया जायेगा।
- लाभार्थी (SHG सदस्य) को वाहन खरीदने के लिए सामुदायिक निवेश निधि से 6.50 लाख रूपये तक का ब्याज-मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा।
- अथवा CBO वाहन का स्वामी हो सकता है और वाहन चलाने हेतु SHG सदस्य को लीज पर दे सकता है जो CBO को लीज का किराया अदा कर सकता है।
- प्रारम्भ में देश के 250 ब्लाकों में परीक्षण के आधार पर AGEY का कार्यान्वयन किया जायेगा जिसमें परिवहन सुविधाओं को संचालित करने के लिए प्रत्येक ब्लॉक को 6 वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।

VISION IAS

- पिछड़ापन, परिवहन संपर्क की कमी और सेवाओं की स्थिरता, ब्लॉक और मार्गों के चयन में प्रमुख कारक रहेगा। इसके अतिरिक्त ब्लॉकों का चयन राज्यों द्वारा किया जायेगा जहाँ NRLM को गंभीरता से लागू किया जा रहा है और अनुभवी CBO पहले से ही कार्य कर रहे हैं।
- मार्गों की पहचान और आवश्यक सेवाओं की संख्या के लिए व्यवहारिक सर्वेक्षण राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) द्वारा किया जायेगा।
- SHG सदस्य पूर्व निर्धारित आवृति के तहत अनुमोदित मार्गों पर वाहन चलाएंगे जैसे कि CBO और SHG संचालक द्वारा वित्तीय व्यवहार्यता और परिवहन संपर्क की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित होगा।
- इस योजना के अंतर्गत वाहनों के पास एक निश्चित रंग की कोडिंग और AGEY की ब्रांडिंग होगी ताकि अन्य मार्गों की ओर मुड़ने से बचा जा सके।

आगे की राह

इस योजना के माध्यम से यह आशा की जाती है कि सुरक्षित, वहनीय और सामुदायिक निगरानी में चलने वाली परिवहन सेवाएं जैसे ई-रिक्शा, 3 और 4 पहिया मोटर वाहन प्रदान किये जाएंगे जिनमें प्रमुख सेवाओं और सुविधाओं (जिनमें बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच सम्मिलित है) के साथ दूरस्थ गावों से संपर्क सम्मिलित है।

3.15. NABARD की ई-शक्ति पहल

(E-Shakti Initiative of Nabard)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में NABARD ने स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के डिजिटलीकरण के लिए ई-शक्ति की पहल की शुरुआत है।

पृष्ठभूमि

- स्वयं सहायता समूह समान पृष्ठभूमि वाले लोगों के छोटे स्वैच्छिक संगठन हैं। ये सूक्ष्म-वित्त व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं के उत्थान और कल्याण हेतु कार्य करते हैं।
- हालाँकि SHG सदस्यों के बीच उच्च स्तर की निरक्षरता के कारण खातों का रख-रखाव और लेखाजोखा कठिन हो जाता है। इसलिए, SHG के रिकार्डों के डिजिटलीकरण की आवश्यकता महसूस की गयी थी।

ई-शक्ति पहल

- यह **डिजिटल इण्डिया** ड्राइव के साथ **नाबार्ड के सूक्ष्म ऋण और नवाचार विभाग** द्वारा प्रारम्भ की गयी पहल है।
- इस परियोजना का उद्देश्य है:
    - राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन एजेंडा के साथ SHG सदस्यों को एकीकृत करना
    - SHGs और बैंकों के बीच इंटरफेस की गुणवत्ता में सुधार
    - आधार से जुड़ी पहचान के माध्यम से वितरण सेवा अभिसरण की सुविधा
- इस परियोजना में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
    - ई-लेखाजोखा (E-book keeping) और लेनदेन सम्बंधित डाटा का नियमित अपडेट
    - SHGs द्वारा प्रदान किये गये इनपुट के आधार पर बैंकर के लिए प्रार्थना पत्र स्वतः तैयार हो जाना।

आगे की राह

- SHG सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि ई-शक्ति पहल के आगे की राह निर्बाध हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए, डिजिटल इण्डिया मिशन को तेजी से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

ई-शक्ति पहल के लाभ:

- SHG सदस्यों को उनके **वास्तविक समग्र प्रदर्शन के आधार पर ऋण** की उपलब्धता हेतु सहायता प्रदान करता है।
- **बचत-ऋण लिंकेज अंतराल** को कम करता है।
- रियल टाइम SMS चेतावनी के माध्यम से **पारदर्शिता** को प्रोत्साहित करता है।
- सरकारी योजनाओं के साथ सहायता प्राप्त अभिसरण (**convergence**)।

3.16. भारत का समुद्री व्यापार

(India martime trade)

सुर्खियों में क्यों?

- चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार, अफ्रीका से आयात 2015-16 के 27 अरब डालर से बढ़ कर 2021-22 तक 47 अरब डालर होने की सम्भावना है।

VISION IAS

चार स्तम्भ की रणनीति

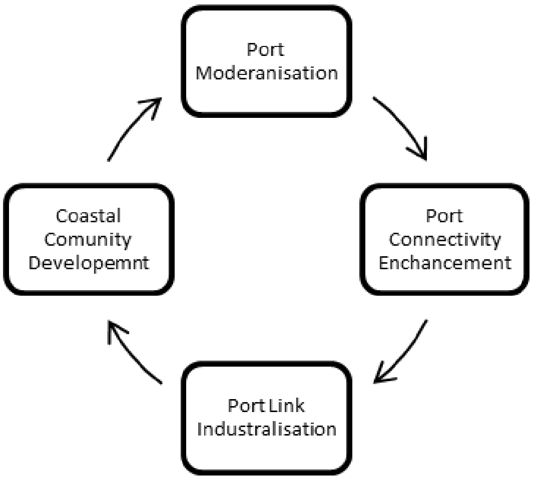

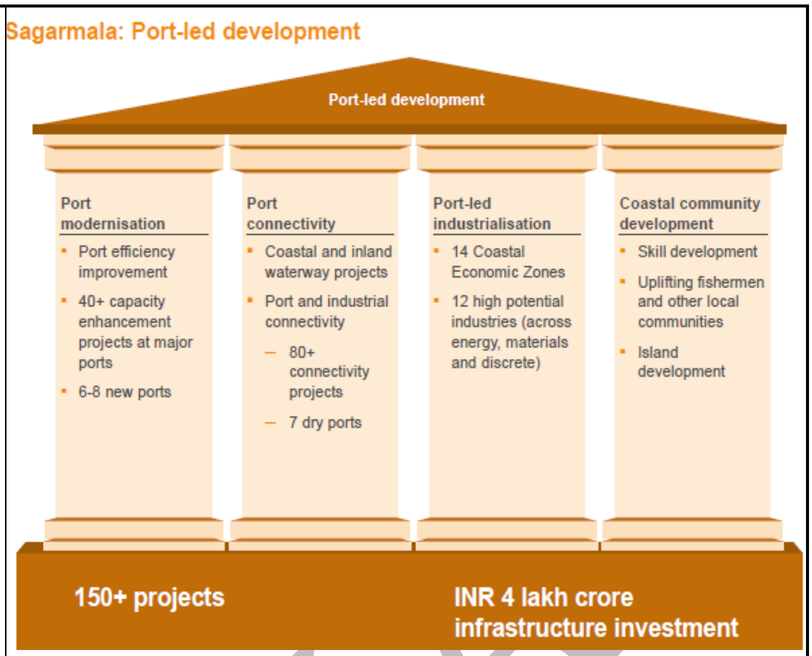

पृष्ठभूमि

- 2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मूल्य के आधार पर लगभग 68% और मात्रा के आधार पर 95% समुद्री मार्ग द्वारा किया जाता है।
- हालाँकि, वैश्विक समुद्री माल की दरों में हो रही गिरावट की प्रवृति से पता चलता है कि यह बेड़े (फ्लीट) के उपयोग को अपस्फीतिक दबाव की ओर धकेल रहा है।

समुद्री व्यापार और पत्तनों की अवसरंचना

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी नीति 2011** में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में 10 PPP मॉडल स्थापित किये गये थे।
- **मैरीटाइम एजेंडा 2010-20** में क्रूज शिपिंग के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु लग्जरी नौकायन पर्यटन को भारतीय नौवहन क्षेत्र के साथ संयोजित कर एक महत्त्वपूर्ण पहल की जा रही है जो अभी कोच्चि बन्दरगाह से प्रारम्भ होकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।
- कुछ सीमाएं जैसे, एक तरफ से दूसरी तरफ तक कन्नेक्टिविटी, बंकर इंधन पर भारी आयात शुल्क और सुनिश्चित कार्गो रिटर्न की अनुपस्थिति आदि समुद्री व्यापार उद्योग की अर्थव्यवस्था को सीमित कर रही हैं।
- **जल मार्ग विकास परियोजना** का उद्देश्य केन्द्रों और फीडर बन्दरगाहों को जलमार्ग से जोड़ना है जो फीडर समय को कम करेगा एवं समुद्री यातायात में तेजी और सस्ते आवागमन की प्राप्ति में मदद करेगा।

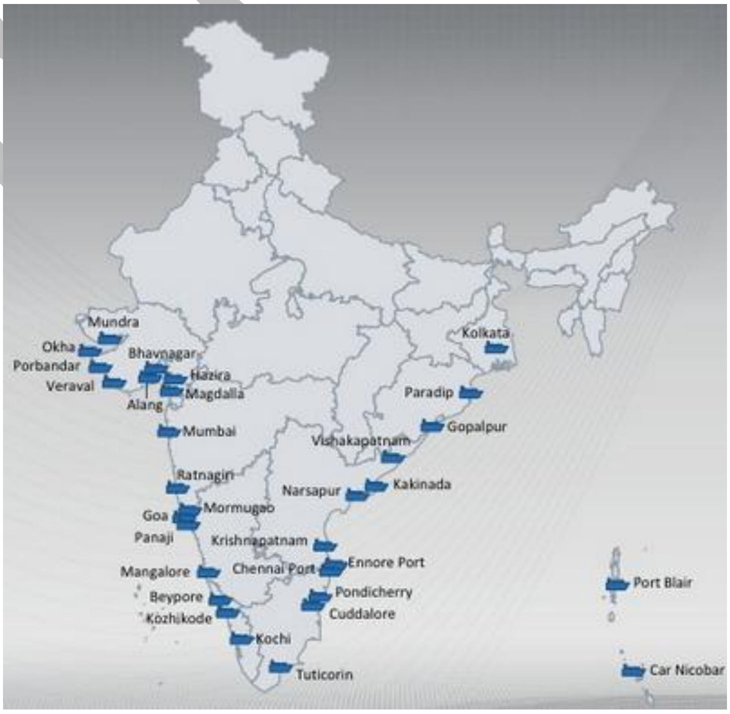

भारत में बन्दरगाह

भारत के पास मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी पट्टी के साथ लगभग 7,517 किमी लम्बी तट रेखा है। इसके साथ 12 प्रमुख बन्दरगाह और 187 छोटे बन्दरगाह भी हैं।

प्रमुख बन्दरगाह, मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 से शासित होते हैं।

प्रमुख बन्दरगाह भारतीय संविधान की **संघ सूची (अनुसूची VII) के अंतर्गत** आते हैं, वहीं गैर-प्रमुख बन्दरगाह **समवर्ती सूची (अनुसूची VII)** के अंतर्गत आते हैं।

राष्ट्रीय समुद्री एजेंडा 2010-20 (National Maritime Agenda 2010–20)

बन्दरगाह निर्माण, पोत निर्माण और अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए एक समग्र कार्यवाही योजना।

इसमें एक नए बन्दरगाह अधिनियम, शिपिंग ट्रेड प्रैक्टिसेज अधिनियम, एडमिरलिटी अधिनियम, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम में संशोधन और समुद्री लूटेरों पर नियन्त्रण अधिनियम की भी परिकल्पना की गयी है।

राष्ट्रीय समुद्री विकास कार्यक्रम

इस योजना का उद्देश्य 276 बर्थ के निर्माण, चैनलों को गहरा करना, रेल/सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाएं, उपकरणों का उन्नयन / योजनायें और अन्य सम्बन्धित योजनाओं के लिए बैक-अप सुविधाओं का निर्माण करना है|

सागर माला परियोजना

- यह औद्योगिक विकास के सुचारू संचालन हेतु देश के समुद्र तट और अंतर्देशीय जलमार्गों के लाभ प्राप्ति हेतु परियोजनाओं की एक श्रृंखला है। अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास के द्वारा माल की ढुलाई की लागत और समय कम होने की सम्भावना है।
- चार स्तम्भों की रणनीति **(बाक्स में देखें)** 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण पर केन्द्रित होगी जो औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर भारत की व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात 110 बिलियन तक बढ़ाएगा।
- राज्य सरकारें, मुख्यमंत्री या पत्तनों के स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री की अध्यक्षता में राज्य सागरमाला समितियों (SDC) की स्थापना करेंगी। केन्द्रीय स्तर पर, सागरमाला विकास कंपनी की स्थापना कर विभिन्न स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (SPVs) की सहायता हेतु इक्विटी समर्थन दिया जाएगा।
- यह सागरमाला परियोजना के अंतर्गत विभिन्न उप-परियोजनाओं को जोड़ कर **मैरीटाइम एजेंडा 2020** से आगे की (beyond **Maritime Agenda 2020**) परियोजना है जो केंद्र सरकार के औद्योगिक गलियारे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC), राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (NHDP) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के साथ समन्वित है।
- यह परियोजना 360° पत्तन आधारित विकास पर केन्द्रित है (बॉक्स देखें)।

आगे की राह

- **राकेश मोहन समिति** के अनुसार भारतीय पत्तनों का प्रदर्शन 1990 के अंतिम दशक से 2000 के मध्य दशक तक की संक्षिप्त अवधि को छोड़ कर प्राय: खराब ही रहा है। इसलिए आवश्यकतानुसार, पत्तन अवसरंचना में **समग्र सुधार** की आवश्यकता है।
- **इसके अतिरिक्त,** एक छोर से दूसरे छोर तक आपूर्ति श्रृंखला के लिए तटीय जहाजरानी का विकास, **अंतर्देशीय जल परिवहन** का एकीकरण, तटीय यातायात के लिए कार्गो विकसित करने के लिए क्षेत्रीय केंद्र के तटीय मार्ग का विकास तथा **लाईट हाऊस पर्यटन विकास** से समुद्री व्यापार अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है।

3.17. औषध नीति 2017 का मसौदा

(Draft Pharmaceutical Policy 2017)

सुर्खियों में क्यों?

- औषध विभाग द्वारा मसौदा नीति जारी की गई है।

भारतीय औषध क्षेत्रक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- मात्रा की दृष्टि से वैश्विक रूप से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा औषध बाजार है।
- 2016-17 में निर्यात वृद्धि में 0.6% की मामूली सी गिरावट आई है।
- भारत विश्व के लिए जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्ति कर्ता है और मात्रा के संदर्भ में वैश्विक निर्यात में 20 % का भागीदार है।
- ग्रीनफील्ड फार्मा के लिए स्वत: मार्ग (automatic route) के अंतर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
- ब्राउनफील्ड फार्मा के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है लेकिन 74% से अधिक हेतु सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

प्रमुख प्रावधान

- **घरेलू सक्रिय दवा अवयव** (Active Pharmaceutical Ingredient-API) **विनिर्माण पर जोर**: स्थानीय रूप से निर्मित सक्रिय दवा अवयवों के स्रोत का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देकर जैसे कि विशेष रूप से देश में विनिर्मित किए जा सकने वाले आयातित सक्रिय

VISION IAS

दवा अवयवों पर उच्च शुल्क अधिरोपित करना, मूल्य नियंत्रण से छूट प्रदान करना, सरकारी खरीद में वरीयता, मेगा बल्क ड्रग्स पार्को की स्थापना, इस प्रकार के संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त लॉजिस्टिक एवं समय पर अनुमित प्रदान करना।

- **विनिर्माण इकाइयों में गुणवत्ता नियंत्रण** – विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के गुणवत्ता मानकों को अपना कर, तृतीय पक्ष (3rd party) निरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा एवं सभी दवा विनिर्माण अनुमतियों के लिए जैव-उपलब्धता एवं जैव तुल्यता परीक्षण (Bio-Availability and Bio Equivalence Tests-BA/BE Test) हेतु स्व-प्रमाणन को अनिवार्य कर।

ऋण लाइसेंसिंग दवा विनिर्माण का अर्थ ऋण लाइसेंस अनुबंध का उपयोग कर अपने उत्पादों को अन्य के परिसर में विनिर्मित करना है।

- **मूल्य निर्धारण नियंत्रण** – अतिरिक्त व्यापार लाभों को युक्ति संगत कर ई-फार्मेसियों की तरह नए वितरण चैनलों को अनुमति प्रदान करने से चैनल की लागत इत्यादि में कटौती होगी।
- **जेनरिक दवाइयों को प्रोत्साहित करना**– सभी प्रकार की सार्वजनिक अधिप्राप्ति जेनरिक/लवण नाम के आधार पर की जानी है। ब्रांड नामों की अनुमति केवल पेटेंट दवाओं एवं FDCs (निर्धारित खुराक संयोजनों) के मामले में होगी।
- **इनबाउन्ड ब्राउनफ़ील्ड विलय एवं अधिग्रहण शर्तें** – प्रद्योगिकी का हस्तांतरण, शोध एवं विकास पर व्यय, विलय एवं अधिग्रहण के प्रमुख विचार के रूप में NLEM (आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची) के विनिर्माण को जारी रखना।
- **'ऋण लाइसेंसिंग' अभ्यास को चरणबद्ध रूप से समाप्त करना** – क्योंकि यह कई गुणवत्ता आश्वासन और रख-रखाव आदि सम्बन्धी समस्याएँ उत्पन्न करता है। ऐसी जैवऔषधियों को अपवाद में रखा गया है जिनके लिए भारत अपेक्षाकृत नवजात अवस्था में है। अन्य सभी को WHO द्वारा अनुमोदित विनिर्माण इकाई से कंपनियों के कुल उत्पादन के केवल 10% तक के उत्पादन की अनुमति दी गई है।
- **समय पर अनुमोदन** - सभी नए दवा अनुप्रयोगों का निर्धारण राज्य या केंद्रीय नियामकों द्वारा 3 महीने के भीतर किया जाएगा। विलम्ब होने पर (3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है) आवेदक को विस्तृत कारण लिखित रूप से बताना पड़ेगा।
- **अनैतिक विपणन प्रथाओं की समाप्ति** - विपणन के लिए स्वैच्छिक कोड को अनिवार्य आवश्यकता बनाकर दवाओं की ब्रांडिंग के लिए नियम निर्धारित किया जाना चाहिए तथा इसे लागू करने के लिए किसी एजेंसी की नियुक्ति एवं नियमों का उल्लंघन करने पर उस कंपनी के द्वारा दवाओं की सबसे ज्यादा बिक्री वाले ब्रांड पर प्रतिबंध या सभी पैकेट की जब्ती आदि दण्ड देना।
- **राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण** (NPPA) **की शक्तियों का संशोधन करना** – निम्नलिखित उपायों के माध्यम से-
    - इसके द्वारा केवल आवश्यक दवाओं के विनियमन की अनुमति प्रदान करना। इस प्रकार, यह पेटेंट दवाओं की कीमतें नियत करने एवं अन्य दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के लिए असामान्य परिस्थितियों के समय नियमन करने का अधिकार खो देगा।
    - इसे एक सलाहकार बोर्ड द्वारा सशक्त किया जाना है, जिसमें राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण **(NPPA)** को इसके मूल्य संबंधित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु विशेषज्ञ शामिल होंगे। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण **(NPPA)** को अपनी अनुशंसाओं को संशोधित करने या अस्वीकृत करने के लिए लिखित रूप से कारण बताने की आवश्यकता होगी।
    - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण **(NPPA)** के विरुद्ध अपील पर निर्णय करने का अधिकार सरकार को होगा, जबकि सरकार के निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायपालिका में की जायेगी।
    - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण **(NPPA)** के सभी निर्णयों की समीक्षा के माध्यम से अधिकाधिक निरीक्षण करना। वर्तमान में, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पारित आदेश राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण **(NPPA)** को "असाधारण शक्तियाँ" प्रदान करते हैं एवं इनकी समीक्षा नहीं की जा सकती।
    - औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO) की अनुसूची 1 में इसकी खुराक या शक्ति का संदर्भ दिए बिना केवल दवा का नाम चिन्हित होगा इस प्रकार सभी दवाओं को अधिकतक मूल्य सीमा के अंतर्गत लाकर **एक-औषधि-एक ब्राण्ड नाम –एक मूल्य** की स्थिति की ओर अग्रसर होना है।
- कंप्यूटरीकृत बिलिंग संभव करने के लिए दवाओं के मूल्य की जानकारी वाले **अपरिवर्ती बार कोड का अनिवार्य प्रावधान** लागू किया जाएगा।
- चिकित्सकों को किसी भी परेशानी के बिना जेनेरिक नाम का प्रिस्क्रीप्शन लिखने में सक्षम करने के लिए **E-प्रिस्क्रीप्शन का प्रस्ताव।**

मुद्दे

- तृतीय-पक्ष विनिर्माण या ऋण लाइसेंसिंग को समाप्त करना उद्योग के लिए नकारात्मक होगा, क्योंकि यह लगभग 40-50% स्थानीय दवाओं का स्रोत है। यह अनुप्रयुक्त क्षमता की अधिकता को भी उत्पन्न करेगा।
- यह स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं करता कि चिकित्सकों को दवाओं के प्रिस्क्रीप्शन में अनिवार्य रूप से उनके जेनेरिक नामों को लिखना होगा। साथ ही कुछ जेनेरिक दवाओं की प्रभावकारिता, सुरक्षा और प्रभावशीलता पर भी चिंताएं हैं, क्योंकि उनके BA/BE टेस्ट नहीं होते हैं।
- यह सीमित प्रतिस्पर्धा एवं प्रचलित मूल्यों पर ऐसी दवाओं के विनिर्माण में बढ़ी हुई चुनौतियों के कारण अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं की उपलब्धता से समझौता कर रोगियों को क्षति पहुँचा सकता है।

VISION IAS

- यह विनिर्माण और विपणन प्रथाओं के अपेक्षाकृत उच्च मानकों का पालन करने की आवश्यकता के कारण छोटे फर्मों की तुलना में बड़ी फार्मा कंपनियों के प्रति अधिक अनुकूल है।
- व्यापार लाभों पर ऊपरी सीमा अधिरोपित करने से सभी प्रकार की गुणवत्ता वाली दवाओं के लिए समान लाभ की स्थिति उत्पन्न कर देगा। इस प्रकार यह निम्न गुणवत्ता के लिए अधिक अनुकूल होगा।
- आरोप लगाया गया है कि औषध विभाग ने नीति का मसौदा तैयार करने में "पारदर्शी" प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, क्योंकि इसने सार्वजनिक स्वास्थ्य समूहों के साथ बातचीत नहीं की थी एवं हितधारकों के साथ अपनी चर्चाओं को औषध क्षेत्रक तक सीमित कर दिया था।
- जबकि भारत के पास 2,500 औषधीय साल्ट "विभिन्न मूल्यों वाले 60,000 ब्रांड नाम" से हैं। इस प्रकार "एक-औषधि-एक ब्राण्ड नाम – एक मूल्य" लागू करने के स्थान पर सभी औषधियों द्वारा निश्चित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना बेहतर होगा।

सकारात्मक प्रभाव

- रोगियों के हित में है, क्योंकि इसका उद्देश्य रोगियों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रदान करना है। यह व्यय शक्ति क्षमता से अधिक व्ययों को कम करेगी जो कि चिकित्सा लागतों का 65% है।
- यह अंततः असंगठित क्षेत्रक या छोटी कंपनियों के दखल को कम करेगा एवं समेकन में वृद्धि करेगा।
- अनैतिक विपणन प्रथाओं को समाप्त कर औषधियों की उपरि लागत में भी कमी लाएगा।
- ई-फार्मेसी क्षेत्रक में उपलब्ध अवसर, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने की संभावना रखते हैं।

3.18. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

(Foreign Direct Investment In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने अपनी समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का नवीनतम संस्करण जारी किया है। यह भारत में व्यापार करने की अधिकाधिक सरलता एवं विदेशी निवेशकों के लिए निवेशक-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाने वाली पहल है।

इस दस्तावेज़ के प्रमुख बिन्दु क्या हैं?

स्टार्ट-अप: यह प्रथम बार है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में स्टार्ट-अप के लिए पृथक अध्याय है।

- स्टार्ट-अप विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (FVCI) से 100 प्रतिशत तक धन जुटा सकते हैं। वे विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (FVCI) को विदेशी प्रेषण (फॉरेन रेमिटेंस) की प्राप्ति के बदले में इक्विटी या इक्विटी संबंद्ध विलेख या ऋण विलेख जारी कर सकते हैं।
- भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति (पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों/संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य) को एकल अंश के रूप में भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा जारी किए गए 25 लाख रु. या उससे अधिक की धनराशि के संपरिवर्तनीय नोट (convertible note) खरीदने की अनुमति होगी।
- अनिवासी भारतीय भी गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर संपरिवर्तनीय नोट प्राप्त कर सकते हैं (इसका अर्थ है कि अनिवासी भारतीय निवेश किए गए धन को पुन: विदेशी करेंसी में परिवर्तित नहीं कर सकते)।
- ऐसी स्टार्ट-अप कंपनी जो ऐसे क्षेत्रक में कार्यरत है जहाँ विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता होती है, वह केवल सरकार की अनुमति से अनिवासियों को संपरिवर्तनीय नोट जारी कर सकती है।

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए नोडल एजेंसी है।

- यह समग्र औद्योगिक नीति के लिए जिम्मेदार है।
- यह सामान्यत: औद्योगिक विकास व उत्पादन एवं चुने हुए औद्योगिक क्षेत्रकों की निगरानी करता है।
- यह विभाग देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को सुसाध्य करने एवं बढ़ाने के लिए भी जिम्मेदार है।
- यह विभाग पेटेंट, डिजाइन, ट्रेड मार्कों एवं वस्तुओं के भौगोलिक संकेतन के लिए भी जिम्मेदार है और उनके संवर्धन और संरक्षण संबंधी पहल की देखरेख करता है।

ई-कॉमर्स

- हाल ही में जारी किए गए दस्तावेज़ में यह स्पष्ट किया गया है कि ई-कॉमर्स कंपनी को अपने मार्केट प्लेस पर किसी एक विक्रेता या अपने समूह की कंपनी को कुल बिक्री का 25 प्रतिशत से ज्यादा करने की अनुमति नहीं होगी। ऊपरी सीमा संबंधी प्रावधान का परिकलन वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाएगा।
- सरकार ने पहले ही यह अनिवार्य किया था कि ई-कॉमर्स कंपनी को वित्तीय बाजार के आधार वर्ष पर एक विक्रेता या उनकी समूह कंपनियों को बिक्री मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी।

प्रशासनिक परिवर्तन

- बैंकिंग, खनन, रक्षा, प्रसारण, नागरिक उड्डयन, दूरसंचार, औषध (फार्मास्यूटिकल्स) आदि से संबंधित प्रस्तावों को प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा अनुमोदित किया जाना है, क्योंकि विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) को पहले ही समाप्त कर दिया गया था।

VISION IAS

- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग खुदरा (एकल और बहु-ब्रांड, तथा खाद्य) को सम्मिलित करने वाले प्रस्तावों को स्वीकृत करने के लिए प्राधिकरण होगा।
- किसी वित्तीय क्षेत्र नियामक द्वारा आंशिक रूप से विनियमित या गैर-विनियमित वित्तीय सेवा गतिविधियों से संबंधित प्रस्तावों के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रस्तावों को अनुमति दी जाएगी।

सरलीकृत परिभाषाएँ

- यह नीति **'उद्यम पूंजी निधि'** की परिभाषा को सरलीकृत करती है। उद्यम पूंजी निधि को अब सेबी (उद्यम पूंजी निधि) विनियमन, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत निधि के रूप में परिभाषित किया जाता है।

कन्वर्टिबल (Convertible) नोट क्या हैं?

कन्वर्टिबल नोट अल्पकालिक ऋण का एक रूप है जो आम तौर पर भविष्य में होने वाली वित्तपोषण दौर के संयोजन से इक्विटी में परिवर्तित हो जाता है; वस्तुत: निवेशक स्टार्टअप को ऋण देंगे तथा बदले में ब्याज समेत मूलधन प्राप्त करने के स्थान पर निवेशक कम्पनी में इक्विटी प्राप्त करेगा।

उद्यम पूंजी निधियाँ (venture capital funds)

ऐसी निवेश निधियाँ हैं जो मजबूत विकास क्षमता वाले स्टार्ट-अप एवं लघु से लेकर मध्यम आकार के उद्यमों में निजी इक्विटी निवेश हेतु इच्छुक निवेशकों के धन का प्रबंधन करती हैं। इन निवेशों को सामान्य रूप से उच्च-जोखिम/ उच्च प्रतिफल अवसरों के रूप में लक्षित किया जाता है।

3.19. ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस

(Ease of doing business)

सुर्खियों में क्यों?

नीति आयोग ने सम्पूर्ण भारत में 3500 विनिर्माण कम्पनियों का सर्वेक्षण करने के बाद हाल ही में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट जारी की। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कम्पनियों के दृष्टिकोण से वर्तमान व्यापार विनियमों एवं व्यापार परिवेश का आकलन करना है।

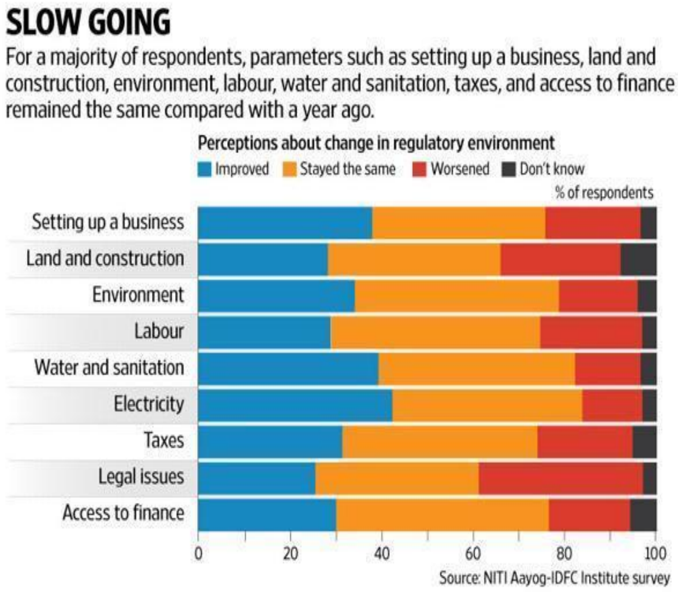

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

आर्थिक प्रदर्शन और सुधार: किसी राज्य के आर्थिक संकेतक जितने बेहतर होते हैं, वहां कम्पनियों द्वारा सामना की जाने वाली समस्यायें उतनी ही कम होती हैं। जैसे कि भूमि/निर्माण संबंधित अनुमतियों में कम बाधाएं, तथा कम विकास वाले राज्यों की तुलना में 25% कम विद्युत की कमी आदि।

समय के साथ सुधार: नई और युवा कम्पनियों में अधिक अनुकूल व्यापार परिवेश हैं।

सूचना अंतराल: राज्यों को ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस में सुधार करने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्वेक्षण आंकड़े यह दर्शाते हैं कि केवल 20% नए स्टार्ट अप, एकल खिड़की अनुमति (सिंगल विंडो क्लीयरेंस) जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

श्रम गहन फर्मों के लिए श्रम विनियम बड़ी बाधाएं हैं: प्रति इकाई पूंजी निवेश पर आनुपातिक रूप से अधिक रोजगार उत्पन्न करने वाले श्रम गहन क्षेत्रक, श्रम संबंधित विनियमों के कारण अधिक विवशता का अनुभव करते हैं।

- 19% द्वारा यह रिपोर्ट की जाने की संभावना अधिक है कि कुशल श्रमिकों की प्राप्ति एक प्रमुख एवं अत्यधिक गंभीर बाधा है।
- 33% द्वारा यह रिपोर्ट की जाने की संभावना अधिक है कि संविदा श्रमिकों को काम पर रखना प्रमुख एवं अत्यधिक गंभीर बाधा है।

फर्म विकास में बाधाएँ: कम कर्मचारियों वाली कंपनियों का अनुभव बड़ी कंपनियों के अनुभव से भिन्न है। कुछ मामलों में, बड़ी कंपनियाँ, छोटी कम्पनियों की तुलना में अधिक विनियामक बाधाओं का सामना करती हैं।

नीति आयोग रिपोर्ट, विश्व बैंक के 'डूइंग बिज़नेस' सर्वेक्षण से किस प्रकार भिन्न है?

- **विश्व बैंक उद्यमियों** (industry leader) का साक्षात्कार करती है, जबकि यह रिपोर्ट बड़े राज्यों में कुछ विशेषज्ञों के साथ-साथ उद्यमियों का साक्षात्कार करती है।
- **विश्व बैंक** सर्वेक्षण दिल्ली और मुंबई पर ध्यान केन्द्रित करता है, जबकि यह रिपोर्ट भारत के लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सम्मिलित करती है।
- एक ओर जहाँ विश्व बैंक सर्वेक्षण 190 देशों में मानकीकृत सर्वेक्षण है, वहीं यह सर्वेक्षण केवल भारत के लिए गैर- मानकीकृत सर्वेक्षण है।

- वर्तमान नीति आयोग सर्वेक्षण का प्रयोजन गुणात्मक है। यह राज्यों को ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस की दृष्टि से श्रेणी प्रदान नहीं करता। इसका प्रयोजन राज्यों के व्यापार परिवेश के विषय में जानकारी प्रदान करना है।
- जबकि विश्व बैंक सर्वेक्षण राज्यों एवं केन्द्र सरकार द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले 10 मापदण्डों को कवर करता है, यह सर्वेक्षण प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा प्रबंधित किए जाने वाले मुद्दों के संबंध में चर्चा करता है।

विनिर्माण क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के समाधान क्या हैं?

- भौतिक अवसंरचना में सुधार करना आवश्यक है। इसमें परिवहन प्रणालियों से लेकर विद्युत क्षेत्र शामिल हैं।
- यह रिपोर्ट छोटे उद्यमों के लिए वित्त की उपलब्धता में सुधार करने एवं कम्पनी द्वारा व्यापार में प्रवेश एवं निर्गमन को सरल बनाने की आवश्यकता का उल्लेख करती है।
- श्रम विनियमों के लचीलेपन में वृद्धि करना।
- सरकार लॉबिंग को वैध बनाने के संबंध में कानून बना सकती है एवं इसे पारदर्शी रूप में विनियमित कर भ्रष्टाचार को कम कर सकती है। छोटे उद्यमों को नीतिगत इनपुट प्राप्त करने के साधन के रूप में समर्थन और लॉबिंग करने के दोहरे प्रयोजनों के लिए वह क्षेत्र प्रदान कर सकती है।
- यह रिपोर्ट नए उद्यमों के प्रवेश को प्रोत्साहित करने एवं बीमार उद्यमों को समयोजित एवं कम लागतपूर्ण बहिर्गमन प्रदान करने की स्थिति उत्पन्न करती है।
- रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि बड़े उद्यम ऐसा माहौल तैयार करते हैं जहाँ छोटी कम्पनियों को या तो प्रतिस्पर्धा करने हेतु या बड़ी कम्पनियों द्वारा सृजित डाउनस्ट्रीम अवसरों का लाभ उठाने के लिए, मजबूरन उत्पादकता में अनिवार्य रूप से सुधार करने की आवश्यकता होती है ।

3.20. वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय

(Directorate Genral of Goods & Services Tax Intelligence)

सुर्खियों में क्यों?

- वित्त मंत्रालय ने रत्न और आभूषणों के क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के सम्बन्ध में वस्तु एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय (DGGSTI) को नियामक बनाने हेतु *मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन (मैंटेनैंस ऑफ़ रेकॉर्ड्स) एक्ट* 2005 (PMLA) में संशोधन किया।

DGGSTI के सम्बन्ध में:

- यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय (DGCEI) को दिया गया नया नाम है।
- यह राजस्व विभाग के CBEC के अंतर्गत कार्य कर रही शीर्ष आसूचना संस्था है।
- इसे सेवा कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी की जांच करने का अधिकार प्राप्त है।
- यह देश भर में अपने गुप्त सूचना तन्त्र के माध्यम से कर चोरी के नए क्षेत्रों से संबंधित आसूचना प्राप्त करता है।
- यह शुल्क या कर चोरी के नवीन प्रवृत्तियों के बारे में भी सतर्क करता है।

पृष्ठभूमि:

- ऐसा लगता है कि यह विमुद्रीकरण के तुरंत पश्चात जौहरियों पर आयकर छापों की कार्रवाई का परिणाम है। ऐसा पाया गया कि उन्होंने भारी अधिमूल्य पर सोना और आभूषण की बिक्री की और भुगतान के रूप में पुरानी मुद्रा नोटों को स्वीकार किया।
- अब वह इकाई जो बहुमूल्य धातुओं, पत्थरों या अन्य उच्च मूल्य की वस्तुओं का कार्य करती है और उसका पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपये से अधिक है, वह PMLA की परिधि में आ जाएगी।

इसका प्रभाव:

- यह इस क्षेत्र में उपस्थित उस समानांतर अर्थव्यवस्था को बाधित करेगा जिसके कारण काला धन उत्पन्न हो रहा था।
- DGGSTI, अब रत्नों और आभूषणों के क्षेत्र में लेन-देन पर यह नजर रखेगा कि क्या वे कानून के अनुरूप/संगत हैं। यह DGGSTI को बिक्री कर अधिकारी के समान दुकानों पर जा कर यह जाँच करने की शक्तियाँ प्रदान करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुयी है या नहीं।
- नियामक PMLA के अंतर्गत दिशा-निर्देश जारी करता है और विभिन्न लेन-देनों में ग्राहक की पहचान प्रमाणित करने के उपाय बताता है।
- PMLA के अंतर्गत यह प्रत्येक इकाई को 10 लाख रूपये के मूल्य से अधिक के सभी लेन-देन, पांच लाख रुपये से अधिक के सभी सीमा-पार अंतरण और 50 लाख या उससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति की खरीद और बिक्री के सभी लेन-देनों का ब्यौरा रखना आवश्यक है।

PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट)

- **मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट 2002** भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित कानून है। इसे मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग **के माध्यम से अर्जित की गयी सम्पत्ति को जब्त** करने के लिए पारित किया गया था।
- PMLA और उसके अंतर्गत अधिसूचित नियम 1 जुलाई 2005 से लागू किये गये हैं।
- अधिनियम और इसके अंतर्गत अधिसूचित नियमों द्वारा **बैंकिंग कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों** और मध्यस्थों को **ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित** करने, रिकार्ड रखने और सूचना को निर्धारित प्रारूप में **वित्तीय आसूचना इकाई-इंडिया (FIU-IND)** को प्रेषित करने का दायित्व सौंपा गया है।

VISION IAS

3.21. नई राष्ट्रीय खनिज नीति बनाने के लिए समिति का गठन

(Committee Set Up To Frame A New National Mineral Policy)

सुर्खियों में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय ने 2 अगस्त, 2017 को कॉमन कॉज नामक एक गैर-सरकारी संस्था द्वारा दायर जनहित याचिका के प्रकाश में एक निर्णय पारित किया। इसके अंतर्गत न्यायालय ने सरकार को राष्ट्रीय खनिज नीति (2008) की पुनः समीक्षा करने और एक नई खनिज नीति बनाने का निर्देश दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय खनिज नीति की समीक्षा के लिए डॉ. के. राजेश्वर राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

पृष्ठभूमि

- जनहित याचिका के प्रकाश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान नीति भारत में खनन उद्योग के प्रसार सम्बंधित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रही है।
- यह पाया गया है कि कुछ खनन परियोजनाएं **उचित पर्यावरण स्वीकृति या वन-विभाग की स्वीकृति के बिना** ही चल रही हैं; कुछ ने तो अपने अनुमति क्षेत्र से बाहर भी विस्तार किया है। इसके चलते **अतिक्रमण** हो रहा है।
- यह भी पाया गया था कि लगभग 131 लौह अयस्क और मैंग़नीज खदान, पट्टे की अवधि समाप्त होने पर भी **बिना वैधानिक अनुमति के कार्य कर रहे थे।**
- **भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट** के अनुसार, यह पाया गया था कि वर्तमान वन आवरण का 40% खनन गतिविधियों के कारण संकट में है।

खनिज नीति, 2008

- इसमें **विनियामक तन्त्र को तकनीकी रूप से उन्नत** और निवेश प्रक्रिया के अनुरूप बनाने का प्रयास किया गया है जिससे खनन आवंटन स्वीकृति से संबंधित प्रक्रियाओं तथा आवंटन के कार्यकाल (tenure) को निर्बाध तथा **अधिक पारदर्शी** बनाया जा सके।
- भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय खनन ब्यूरो तथा राज्यों के खनन एवं भू-विज्ञान निदेशालयों की भूमिका को सुदृढ़ बनाना।
- एक **संधारणीय विकास की रूपरेखा** विकसित करना और उसे प्रवर्तित करना जिससे स्थानीय जनसंख्या के अधिकारों में बाधा न पड़े और एक संधारणीय पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित किया जा सके।
- असुरक्षित खनन पर रोक लगाना और शून्य-अपशिष्ट खनन को बढ़ावा देना।
- छोटे खनन भंडारों के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण विकसित करना।

3.22. RERA पर संसदीय समिति

(Parliamentary Committee on RERA)

सुर्खियों में क्यों?

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 पर संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

पृष्ठभूमि

- RERA अधिनियम से पहले अचल सम्पत्ति (Real Estate) के खरीददार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आते थे या शिकायतों के संदर्भ में वे दीवानी अदालत में जा सकते थे।
- इस पृष्ठभूमि में, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया गया। यह 1 मई 2017 से घर खरीदने वालों को बेईमान विक्रेताओं से बचाने के लिए लागू किया गया।

रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) के महत्त्वपूर्ण प्रावधान:

- RERA का उद्देश्य घर खरीदने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा और भ्रष्ट भवन निर्माताओं पर जुर्माना लगाने के संबंध में **स्पष्टता लाना और निष्पक्ष प्रक्रिया लागू करना** है।
- यह **रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरणों** की स्थापना के माध्यम से क्रेताओं और रियल एस्टेट प्रमोटरों के बीच लेन-देन (संव्यवहारों) को विनियमित करता है। प्राधिकरण को जुर्माना लगाने की शक्तियाँ भी होंगी।
- इसमें एक **रियल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल** की स्थापना का प्रावधान भी है।
- रियल एस्टेट आवासीय परियोजनाओं को बिक्री या बुकिंग के लिए प्रस्तुत किये जाने से पूर्व इसे RERAs में पंजीकृत होना चाहिए। इसके साथ ही आगे के प्रचारात्मक विज्ञापनों में विशिष्ट RERA पंजीकरण संख्या का अनिवार्य रूप से उल्लेख करने की आवश्यकता होगी।
- सभी पंजीकृत परियोजनाओं के विवरण भी सार्वजनिक पहुँच के लिए वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे।
- प्रमोटरों को **अलग से एक एस्क्रो अकाउंट (निलंब खाता)** भी रखना होगा जिसमें निवेशकों और क्रेताओं से प्राप्त 70% राशि जमा की जाएगी।

VISION IAS

संसदीय समिति की टिप्पणियाँ

- अधिनियम के **अनुच्छेद 84** के अनुसार, सभी सम्बन्धित सरकारों को अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के अन्दर नियम बनाने होंगे। परन्तु समिति ने यह नोट किया कि अभी तक केवल 12 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने नियमों को अधिसूचित किया है और अन्य 16 ने प्रारूप तैयार कर लिए हैं।
- अधिनियम के **अनुच्छेद 20 (1) और अनुच्छेद 43 (1)** में भी यह प्रावधान है कि अधिनियम के प्रारम्भ के 1 वर्ष की अवधि में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण और रीयल एस्टेट अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित किये जायेंगे। समिति ने यह भी पाया कि कई राज्यों ने इस अवधि में RERA और REAT की स्थापना ही नहीं की है।
- अधिनियम में **अनुच्छेद 42** के अंतर्गत एक **केन्द्रीय परामर्श परिषद** की स्थापना का सुझाव दिया गया है। परन्तु समिति ने पाया है कि इस प्रकार के प्राधिकरण की अभी तक स्थापना नहीं हुई है।
- **नियमों को कमजोर करना:** समिति ने पाया कि कुछ राज्य अधिनियम के प्रावधानों से अलग हटकर भवन निर्माताओं के पक्ष में नियम बना रहे हैं।
- अन्य समस्याएँ, चल रही परियोजनाओं की परिभाषा, अधिनियम के गैर-अनुपालन के मामले में जुर्माने और संरचनात्मक दोषों से निपटने से सम्बन्धित हैं।
- भवन निर्माता **आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र** प्राप्त कर रहे हैं और RERA का उल्लंघन कर अनिवार्य प्रावधानों को पूरा किये बिना फ्लैट आवंटित कर रहे हैं ।

आगे की राह

- समिति ने सिफारिश की है कि मंत्रालय को RERA और REAT की स्थापना के लिए समय-बद्ध प्रावधान करना चाहिए।
- कानून, उपभोक्ता संरक्षण और अचल सम्पत्ति क्षेत्र की वृद्धि और विकास के कार्यान्वयन से सम्बन्धित सभी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह और संस्तुति प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 42 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से **केन्द्रीय परामर्श परिषद** की स्थापना की जानी चाहिए।
- इस पर गतिरोध और भ्रम दूर करने के लिए **"चल रही परियोजनाओं"** शब्द की स्पष्ट परिभाषा प्रदान की जानी चाहिए।
- पूरे देश में रियल एस्टेट क्षेत्र पर **एकसमान कानून** विकसित करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए।

3.23. राष्ट्रीय विद्युत् नीति की समीक्षा पर रिपोर्ट

(Report On Review Of The National Electricity Policy)

राष्ट्रीय विद्युत् नीति के उद्देश्य:

- 2010 तक सभी परिवारों के लिए बिजली की उपलब्धता।
- 2012 तक देश की बिजली की माँग को पूरा करना।
- दक्ष रूप से और उचित दर पर विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त बिजली की आपूर्ति करना।
- बिजली क्षेत्र की वित्तीय व्यवस्था का कायापलट और व्यवसायिक व्यवहार्यता।

सुर्खियों में क्यों?

ऊर्जा सम्बन्धी स्थायी समिति ने राष्ट्रीय विद्युत् नीति की समीक्षा पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केंद्र सरकार ने फरवरी 2005 में यह नीति जारी की थी।

विवरण

समिति की मुख्य टिप्पणियों और संस्तुतियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(a) उद्देश्यों की प्राप्ति:

समिति ने नोट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर नीति के किसी भी उद्देश्य को पूरा नहीं किया गया है। इसने बताया कि:

- चार करोड़ परिवारों को अभी भी विद्युतीकरण की आवश्यकता है;
- हालाँकि उत्पादन क्षमता पर्याप्त है, बिजली की मांग पूरी नहीं हुई है; और
- बिजली वितरण कम्पनियों की वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गयी है।

(b) बिजली की उपलब्धता:

- यह अनुशंसा की गई है कि गाँव के विद्युतीकरण की परिभाषा बदल दी जानी चाहिए। केवल गाँव के सभी घरों को बिजली प्राप्त होने के पश्चात ही गाँव को विद्युतीकृत घोषित किया जाना चाहिए।
- इसके अतिरिक्त, किसी भी गाँव को तब तक विद्युतीकृत घोषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कम से कम 80% घरों में बिजली का कनेक्शन न हो।
- समिति ने नोट किया कि वर्तमान विद्युतीकरण नीति केवल गरीबी रेखा (BPL) के नीचे के लोगों को लक्षित करती है। नीति में BPL और APL दोनों ही परिवारों को सम्मिलित करने के लिए नीति को संशोधित किया जाए।
- इसके अतिरिक्त, (i) आपूर्ति की गुणवत्ता और (ii) उचित समय के लिए आपूर्ति की विश्वसनीयता से सम्बन्धित प्रावधान भी किये जाने चाहिए।

(c) विद्युत उत्पादन:

समिति ने गौर किया कि हाल के वर्षों में, देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। हालाँकि, कुल ऊर्जा उत्पादन में पनबिजली क्षमता का अंश 2007-08 के 25% से घटकर वर्तमान में 14% प्रतिशत रह गया है।

- इसने अनुशंसा की है कि पनबिजली की क्षमता वाले राज्यों को इसके अधिक से अधिक विकास पर शीघ्र ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त, चूंकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रकृति में अनिरंतर हैं, इसलिए ग्रिड के संतुलन और आपूर्ति की निरंतरता को बनाये रखने के लिए भी पनबिजली का उपयोग किया जा सकता है।
- समिति ने पनबिजली ऊर्जा को नवीकरणीय स्रोत के रूप में घोषित करने की सिफारिश की है। वर्तमान में 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाले पनबिजली संयंत्रो को गैर-नवीकरणीय स्रोतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(d) विद्युत् वितरण :

- समिति ने नोट किया कि पूरे बिजली क्षेत्र की आर्थिक व्यवहार्यता वितरण क्षेत्र पर निर्भर करती है, जो वर्तमान में आर्थिक रूप से देश में सबसे अधिक संकटग्रस्त अवस्था में है। देश में तकनीकी और वाणिज्यक घाटे (AT&C) अभी भी बहुत अधिक हैं और वितरण कम्पनियों की परेशानी का प्रमुख कारण हैं।
- इसने यह भी नोट किया कि AT&C घाटे की अवधारणा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि यह वाणिज्यक घाटे के रूप में दिखाई देता है। तकनीकी घाटे के विपरीत वाणिज्यिक घाटे को समाप्त किया जा सकता है। इसने सिफारिश की है कि इन दोनों घटकों को अलग किया जाना चाहिए।

(e) वितरण कम्पनियों का वित्तीय स्वास्थ्य:

समिति ने नोट किया कि 2014-15 में वितरण कम्पनियों का कुल बकाया ऋण 4 लाख करोड़ रूपये था। इसने सिफारिश की है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंश योजना (UDAY) में आवश्यक अंशशोधन किया जा सकता है। यह योजना इन डिस्कॉम कंपनियों के वित्तीय कायापलट का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही जब भी आवश्यकता हो, इसके कार्यान्वयन के दौरान उठने वाले नए मुद्दों को हल किया जाना चाहिए।

(f) विद्युत् क्षेत्र में नई चुनौतियाँ:

समिति ने नोट किया कि सौर प्रशुल्क (सोलर टैरिफ) में गिरावट और इसकी कम उत्पादन पूर्व अवधि (gestation period), थर्मल ऊर्जा संयंत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता के समक्ष संकट उत्पन्न कर रहा है। यह अनुशंसा की गई है कि ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत एक-दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ऊर्जा क्षेत्र का विकास संतुलित ढंग से किया जाना चाहिए।

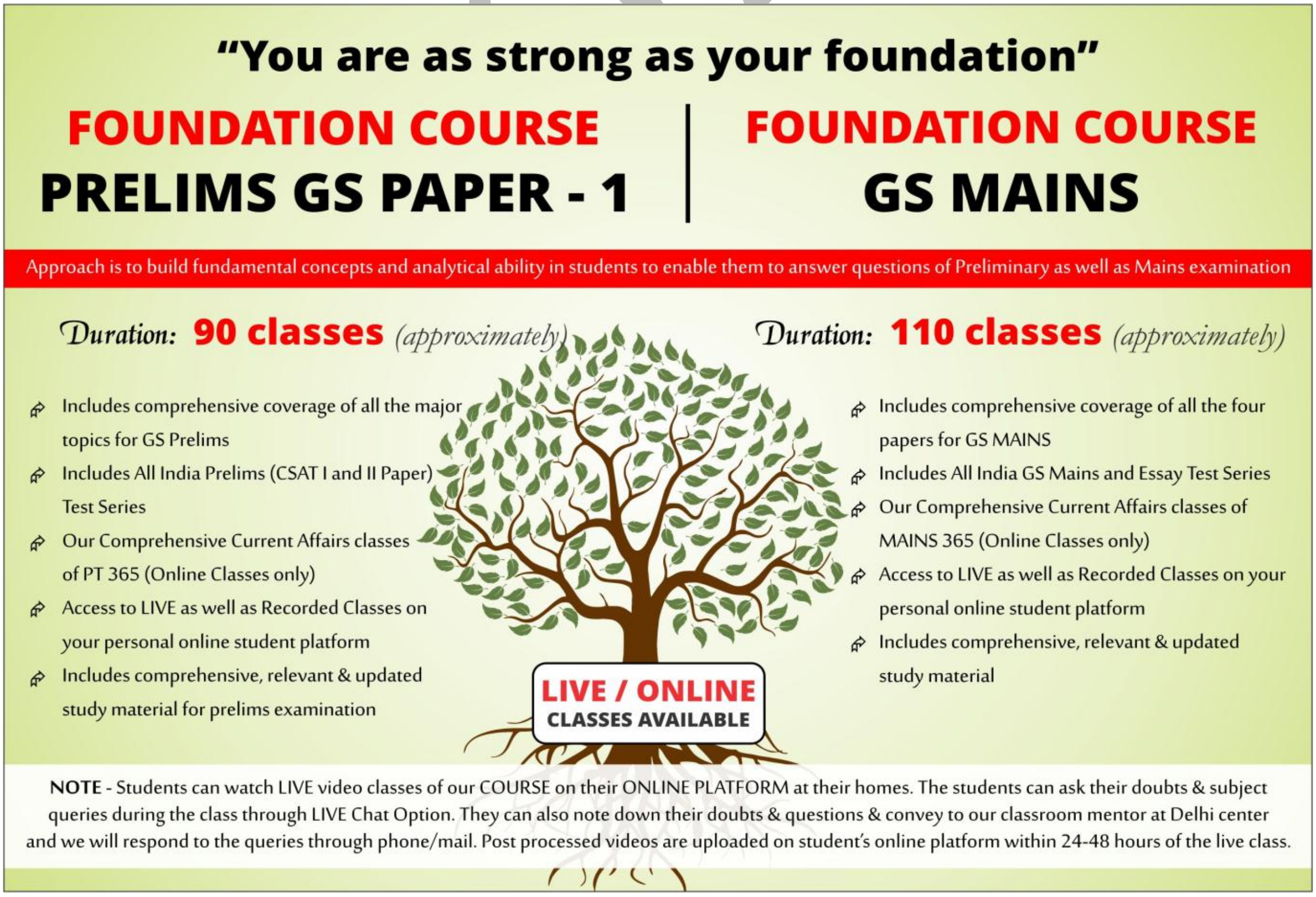

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. सेना में सुधार

(Army Reforms)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के साथ परामर्श कर **लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकटकर पैनल** की सिफारिशों के आधार पर सुनियोजित तरीके से भारतीय सेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने और व्यय में सुधार करने का निर्णय लिया है।

KEY PROPOSALS

- The Shekatkar panel recommended raise in the retirement age of jawans by two years that will save the army significant amount on pensions and training.
- The committee also suggested optimising non-combat support arms in the army such as supply corps, ordnance and engineers.
- It also recommended abolishment of military and dairy farms.
- It called for downsizing the remount veterinary corps which looks after horses and mules.
- It suggested that only retiring personnel be sent to the NCC.

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने 2016 में लेफ्टिनेंट जनरल डी. बी. शेकटकर (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य देश की युद्धक क्षमता को बढ़ाने और रक्षा व्यय को पुनर्संतुलित करने से संबंधित उपाय सुझाना था।
- इस समिति द्वारा कुल 188 अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गयीं। इनमें से 99 अनुशंसाओं को रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रारंभिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

स्वीकृत की गई अनुशंसाएँ और उनका महत्व

- **सेना की परिचालन दक्षता में सुधार-** सेना में अधिकारियों, सैनिकों और असैन्य कर्मियों के लगभग 57,000 पदों को पुनर्नियोजित तथा पुनर्संरचित कर ***टीथ टू टेल अनुपात* (teeth to tail ratio) में सुधार** करना। *टीथ टू टेल* अनुपात से आशय सीमा पर तैनात हर सिपाही के लिए आवश्यक समान पहुंचाने या उसके सहयोग के लिए तैनात अन्य कर्मियों के अनुपात से है।
- आपूर्ति, परिवहन और आयुध विनिर्माण संरचना का अनुकूलन और तथाकथित शांत स्थानों में अवस्थित 39 सैन्य फार्मों और कई सैन्य डाक विभागों को समाप्त कर **संसाधनों का बुद्धिमतापूर्ण उपयोग** करना।
- **बचत-** इसकी अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप कार्यबल, धन (आगामी 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रूपये की बचत) और अवसंरचना में महत्वपूर्ण बचत होगी।
- **इन सुधारों के उस चरण को जो केवल सैन्य मामलों** से संबंधित है, 2019 के अंत तक पूरा कर लिया जायेगा।
- इससे **नई युद्धक इकाइयों का गठन करने के लिए** कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी तथा मौजूदा इकाइयों की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी।

अन्य प्रमुख रक्षा सुधार समितियाँ

रक्षा व्यय पर अरुण सिंह समिति: इसने सबसे पहले एक वास्तविक 15-वर्षीय एकीकृत दीर्घकालिक रक्षा योजना की सिफारिश की थी।

कारगिल समीक्षा समिति (KRC) 2001: इस समिति का गठन कारगिल युद्ध (1999) के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य सशस्त्र घुसपैठ के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु आवश्यक समझे जाने वाले संरक्षात्मक उपायों की अनुशंसा करना था।

नरेश चन्द्र समिति (2011)- इस समिति का गठन KRC के पश्चात उसकी अनुशंसाओं, उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु नये सुधारात्मक उपायों की अनुशंसा करने के लिए किया गया था। इसकी अनुशंसाएं हैं-

- *इंटेलिजेंस कमिटी* के कामकाज में समन्वय से संबंधित मामलों पर NSA और *नेशनल इंटेलिजेंस बोर्ड* की सहायता के लिए ***इंटेलिजेंस एडवाइजर* का नवीन पद सृजित** करना।
- ***चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी*** के एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करना।
- ईमानदार अधिकारियों को आश्वस्त करने के लिए **भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में संशोधन करना**। इससे रक्षा उपकरणों के अधिग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले अधिकारियों को निर्णय में त्रुटियों या सद्भावना से लिए गए निर्णय के लिए परेशान नहीं किया जा सकेगा।

चिंताएँ

- रक्षा सेवाओं में एक वास्तविक चिंता यह है कि सेना के कार्मिक प्रबंधन के कार्य में सुधार करके केवल छोटे स्तर पर आंतरिक रूप से ही बदलाव संभव हो सकेगा।
- कारगिल समीक्षा आयोग और अरुण सिंह समिति दोनों की कड़ी सिफारिशों और नरेश चंद्रा समिति, जिसने प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता जतायी, को कभी भी लागू नहीं किया गया।

आगे की राह

ऐसी अन्य अनुशंसाओं का क्रियान्वयन करना चाहिए जो उच्चतर रक्षा प्रबंधन, रक्षा मंत्रालय तथा DRDO, ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज एवं DGQA जैसे संगठनों से सम्बंधित हैं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु निर्णयन ढांचे को सुधारने तथा उसके आधुनिकीकरण के दूरगामी प्रभाव रखती हैं।

4.2 रक्षा खरीद में जवाबदेही

(Accountability in Defence Procurements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने रक्षा मंत्रालय को रक्षा खरीद में सत्यनिष्ठा और जवाबदेही सुनिश्चित करने की सलाह दी है।

वर्तमान में रक्षा खरीद की स्थिति

- **खरीददारी प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में विलंब-** निविदा के जमा होने के पश्चात तकनीकी प्रस्ताव खुलने, फील्ड ट्रायल आयोजित करने से लेकर अनुबंध सौपने तथा भुगतान जारी करने तक में विलंब होता है।
- **अस्वीकृति के कारण से सम्बंधित अस्पष्टता-** विशेष तौर पर प्रक्रिया के बाद के चरणों में अनुरोध प्रस्ताव (RFP) को अस्वीकृत करने का कारण नहीं बताया जाता है। इस प्रकार, यह विक्रेता के लिए भावी समझौतों को कम आकर्षक बनाता है, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में उसका पर्याप्त समय और धन खर्च होता है।
- **RTI की धारा 4 के तहत महत्वपूर्ण जानकारी का गैर-प्रकटीकरण -** मंत्रालय के RTI पोर्टल पर केवल नियमित जानकारी उपलब्ध है। जबकि धारा 4 के तहत लोक प्राधिकारियों द्वारा जनता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों को तैयार करते समय और फैसले की घोषणा करने में सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करने और कारणों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए - रक्षा खरीद में स्वदेशी रूप से परिकल्पित (Designed), विकसित और विनिर्मित (IDDM) श्रेणी को शामिल करने को समझाना।

उठाये जाने योग्य कदम

- पारदर्शिता अधिकारियों के रूप में नियुक्त अनुभवी सलाहकारों के द्वारा RTI अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के माध्यम से सामान्य हित के सभी क्षेत्रों की पहचान करने के बाद **अग्रसक्रिय प्रकटीकरण (proactive disclosures)** करना।
- **हितधारकों के प्रश्नों पर त्वरित प्रतिक्रिया-** RTI की धारा 7 के निर्देशों के अनुरूप आवेदनों का अधिकतम 30 दिनों के अंदर निपटारा करना।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI अधिनियम) के तहत **अनुरोधों का बेहतर प्रबंधन-** मंत्रालय में मौजूद 80 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (CPIOs) की जगह एक विशिष्ट CPIO की व्यवस्था होनी चाहिए जिसे सूचना का अनुरोध भेजा जा सके।
- **दुर्लभ मामलों में जानकारी प्रकट करने से मना करना-** RTI अधिनियम की धारा 2(F) में सूचनाओं के विविध प्रकार शामिल हैं। इस प्रकार आवश्यक सूचना को केवल तब ही अस्वीकृत किया जाना चाहिए जब यह RTI कानून की धारा 8 (1) (A) के तहत आती हो।

RTI अधिनियम की धारा 2 (F) में 'सूचना' के अंतर्गत रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक्स, अनुबंध, रिपोर्ट सहित कागजात, नमूने, मॉडल, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाई गई डेटा सामग्री शामिल है। इसके साथ ही इसमें किसी भी निजी निकाय से संबंधित सूचना जिसे किसी अन्य कानून के तहत लोक प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जा सकता है भी शामिल है।
RTI अधिनियम की धारा 8 (1) (A) के तहत ऐसी सूचनाओं के प्रकटीकरण से मना किया गया है जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध को प्रभावित करे या किसी अपराध को उकसाती हो।

4.3 भारत में UAV को विनियमित करने की आवश्यकता

(Need To Regulate UAV In India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाले एक विमान के पायलटों द्वारा विमान के नजदीक उड़ रही एक अज्ञात वस्तु को देखा गया।

UAV: यह एक मानव रहित वायुयान है। UAV का उपयोग सामान्यतः सैन्य और पुलिस बल द्वारा उन परिस्थितियों में किया जाता है जहां एक मानव चालित विमान भेजने पर जोखिम रहता है या यथास्थिति मानव विमान का उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होती है।

चिंताएँ

- **संभावित खतरे:** इसका प्रयोग सुरक्षा के लिए एक खतरा पैदा करता है तथा इसके द्वारा गोपनीयता भंग होने की संभावनाएँ बनी रहती है।
- भारतीय शहरों के हवाई क्षेत्र में पहले से ही विमान यातायात का उच्च घनत्व विद्यमान है। ऐसे में ड्रोनों का अनियंत्रित उपयोग आसमान में टकराव और दुर्घटनाओं का गंभीर खतरा उत्पन्न करेगा।
- इसके अतिरिक्त, UAV में हुई तकनीकी उन्नति को ध्यान में रखते हुए इसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शक सामग्री का विकास करना आवश्यक हो गया है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय

- DGCA नागरिक उड्डयन नियामक संस्था है जो भारत की ओर/भारत से तथा भारत के भीतर संचालित होने वाली हवाई परिवहन सेवाओं को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी है।

VISION IAS

महत्वपूर्ण कार्य

- नागरिक विमानों का पंजीकरण तथा पायलटों और विमान रख-रखाव इंजीनियरों को लाइसेंस प्रदान करना।
- अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO के साथ समन्वय करना।
- सुरक्षा निरीक्षण और निगरानी।
- द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों से संबंधित वायु परिवहन के मामले में सरकार को सलाह देना।

UAVs के फायदे

- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति और जीवन की हानि का मूल्यांकन, सर्वेक्षण तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचों की निगरानी।
- **सुरक्षा कार्य:** हमारे सशस्त्र बलों द्वारा सामरिक उद्देश्यों के लिए सीमा पर UAV का उपयोग किया जाता है।
- **निगरानी और भीड़ प्रबंधन:** UAV का उपयोग कुंभ मेला आदि जैसे आयोजनों का प्रभावी और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।
- **वन्यजीवों की निगरानी:** इन दिनों UAV का प्रसार दुर्गम क्षेत्रों में वन्य जीवों को अच्छी तरह से गिनने और उन्हें संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है।
- **SENSAGRI (*सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर*):** यह एक ड्रोन आधारित फसल और मृदा स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली है जो *हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग* (HRS) सेंसर का उपयोग करती है।
- **वितरण का साधन:** कई ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेज़न आदि अपने उत्पादों के वितरण हेतु UAV का उपयोग कर रही हैं।
- **अन्य उपयोग:** सर्वेक्षण, बुनियादी ढांचे की निगरानी, कॉमर्शियल फोटोग्राफी, हवाई मानचित्रण आदि के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।

UAV दिशानिर्देश प्रारूप, 2016

- **यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर (UIN) जारी करना:** भारत में संचालित होने वाले सभी मानव रहित विमानों को DGCA द्वारा जारी किये गए एक UIN की आवश्यकता होगी।
- **अर्हता:** पायलटों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और पाइलटों का प्रशिक्षण मानवयुक्त/ वायुयान के हवाई कर्मचारी तथा वायुयान या हेलीकाप्टरों के लिए एक निजी लाइसेंसधारी पायलट के द्वारा लिए गये प्रशिक्षण के समान होना चाहिए।
- **UAV का वर्गीकरण: माइक्रो UAV** (2 किलो से कम), **मिनी** (20 किग्रा से कम), **स्माल** (20 और 150 किग्रा के बीच) और **लार्ज** (150 किलो से अधिक)।
- **उड़ान की सीमाएं:** अनियंत्रित हवाई क्षेत्र में 200 फीट AGL (सतह स्तर से ऊपर) या उससे ऊपर UAV संचालन के लिए DGCA से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी, जबकि अनियंत्रित हवाई क्षेत्र में 200 फीट के नीचे UAV संचालन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
- **सुरक्षा और स्वामित्व की स्थिति:** जिस ड्रोन के लिए एक UIN जारी किया गया है उसे DGCA की अनुमति के बिना न तो बेचा जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
- सिविल UAV के अंतर्राष्ट्रीय संचालन (राज्य क्षेत्र के आर-पार उड़ान भरने) और/या जल के ऊपर संचालन पर सख्त प्रतिबन्ध होंगे।

आगे की राह

- हितधारकों द्वारा प्रदान किये गए सुझावों को शामिल कर **प्रारूप दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप** देना।
- UAV उपयोग को प्रोत्साहित कर तथा सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, किफायती इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में अपनी सशक्तता के आधार पर **भारत ड्रोन उद्योग में एक विश्व शक्ति बन सकता है।**

4.4. नेशनल साइबर कोआर्डिनेशन सेंटर (NCCC)

[National Cyber Coordination Centre (NCCC)]

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- हाल ही में, नेशनल साइबर कोआर्डिनेशन सेंटर के प्रथम चरण का परिचालन शुरू कर दिया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

- NCCC एक बहु-हितधारक निकाय है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) के तहत आता है।
- NCCC को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69B के प्रावधानों और इसके तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- यह रियल टाइम में साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए देश के वेब ट्रैफिक को स्कैन करेगा और समय पर कार्रवाई करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ-साथ इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अलर्ट करेगा।
- यह इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच, विशेष रूप से नेटवर्क अतिक्रमण और साइबर हमले के दौरान, समन्वय सुनिश्चित करेगा।

VISION IAS

- यह वस्तुतः सभी ISPs के नियंत्रण कक्ष के संपर्क में होगा, जो प्रवेश और प्रस्थान बिंदु के साथ जुड़ा हुआ होगा। इसमें इंटरनेशनल गेटवे भी शामिल हैं।

IT अधिनियम, 2000 की धारा 69 B में प्राधिकार एवं शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत वे साइबर सुरक्षा के उद्देश्य से किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक डेटा या सूचना की निगरानी और एकत्रण कर सकते हैं।

4.5 सीमा सड़क संगठन को शक्तियों का प्रत्यायोजन

(Delegation of Powers to Border Roads Organisation)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- रक्षा मंत्रालय द्वारा **सीमा सड़क संगठन** (BRO) को **मुख्य अभियंता और टास्क फोर्स कमांडर** के स्तर तक की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ सौंपने का निर्णय लिया गया है।

आवश्यकता

- **चीन-भारत सीमा के लिए अनुमोदित 73 रणनीतिक सड़कों** में से **केवल 27 पूर्ण हुई हैं।**
- मार्च 2017 की अपनी रिपोर्ट में **CAG** द्वारा भारत-चीन सीमा सड़क (ICBRs) परियोजना के तहत निर्मित होने वाली 3,409 किमी लम्बी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 61 सड़कों के निर्माण में BRO द्वारा किये गये विलंब पर कड़ी आपत्ति ज़ाहिर की गई है।
- भारत के विपरीत, चीन के पास सीमा सड़क का एक सुव्यवस्थित नेटवर्क है जो उसे अपने सैनिकों को सीमा तक पहुँचने में सहायता करता है।
- BRO का सशस्त्र बलों के साथ निरंतर टकराव रहा है। BRO को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ प्रदान करने के बाद सेना की आवश्यकताओं के अनुसार वांछित परिणाम सामने आ सकते हैं।
- यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि मुख्य अभियंता व DGBR मुख्यालय तथा साथ ही DGBR मुख्यालय व रक्षा मंत्रालय के बीच सन्दर्भों के कारण होने वाली देरी से बचा जा सके।

सीमा सड़क संगठन

- BRO का गठन सन 1960 में किया गया था। इसका उद्देश्य उत्तर और उत्तर-पूर्व के दुर्गम इलाकों में संचार के साधन विकसित करना था।
- इसे सीमा क्षेत्रों में सड़कों के विकास और रख-रखाव का कार्य सौंपा गया है।
- इसने पड़ोसी देशों जैसे अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान में भी सड़कों का निर्माण किया है।
- इसे 2015 में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

4.6 भारत और चीन के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन

(India and China to Jointly Hold Navy exercise)

- भारतीय नौसेना हिंद महासागर में बांग्लादेशी नौसेना की अध्यक्षता वाली पहली ***इंटरनेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज*** (IMM SAREX) में *चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी-नेवी* (PLAN) के साथ शामिल होगी।
- इसका आयोजन *इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम* (IONS) के तहत बंगाल की खाड़ी में निर्धारित किया गया है।
- इसका उद्देश्य किसी भी आपदा की प्रतिक्रिया देने के लिए एक संरचना विकसित करना है। इसमें जहाजों और विमानों तथा IONS के सदस्यों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा भाग लिया जायेगा।

इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम

- 'इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम' (IONS) एक स्वैच्छिक पहल है **जो प्रासंगिक क्षेत्रीय समुद्री मुद्दों पर संवाद के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करती है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने हेतु प्रयासरत है।**
- इसका प्रारम्भ फरवरी 2008 में भारत द्वारा किया गया तथा इसका प्रतिनिधित्व विभिन्न देशों के नौसेना प्रमुखों द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में इसके 23 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक हैं।

4.7 पांगोंग त्सो झील का महत्व

(The Importance of Pangong Tso Lake)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में लद्दाख में स्थित पांगोंग झील पर भारतीय और चीनी सेनाओं में झड़प हुई।

सामरिक महत्व

- भारत और चीन के मध्य की वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) इसी झील से होकर गुजरती है। हालांकि, दोनों देश अभी तक LAC की सटीक अवस्थिति पर सहमत नहीं हुए हैं।
- वर्तमान में **भारत झील के 45 किलोमीटर लंबे (1/3 भाग) पश्चिमी भाग पर नियंत्रण** रखता है और शेष भाग चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अधिकांश संघर्ष झील के विवादास्पद हिस्से के संदर्भ में होते हैं।

VISION IAS

- यह **लद्दाख में चुशुल घाटी** के रास्ते में स्थित है। इसके सन्दर्भ में मुख्य चिंता यह है कि चीन इसका भारत नियंत्रित क्षेत्र पर आक्रमण के लिए उपयोग कर सकता है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने अपना मुख्य आक्रमण यहीं किया था।

संबंधित जानकारी

- यह पहली बार था जब इस वर्ष PLA, 2005 से प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली **औपचारिक सीमा बैठक** में शामिल नहीं हुआ। इस बैठक को एक वर्ष में दो बार आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। भारत-चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ लगे हुए **सैन्य क्षेत्र में विश्वास बहाली के उपायों के कार्यान्वयन के लिए *प्रोटोकॉल ऑफ़ मोडैलिटी*** पर हस्ताक्षर किये गये हैं।
- यह बैठक दोनों पक्षों को विवादों को दूर करने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। यह एक ऐसी प्रणाली के एक भाग के रूप में है जो वर्षों से **विश्वास बहाली** और सीमा पर **तनाव को कम करने** में उपयोगी रही है।

पांगोंग झील के बारे में

- पांगोंग त्सो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट की ऊंचाई पर और सिक्किम के पश्चिम में लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक लंबी संकीर्ण, गहरी, भू-आबद्ध झील है।
- यह एक **खारे पानी की झील** है जो सर्दियों में जम जाती है और आइस स्केटिंग और पोलो खेलने के लिए उपयुक्त हो जाती है।
- यह सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र का **एक भाग नहीं** है।
- यह झील, **रामसर कन्वेंशन** के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि के रूप में पहचाने जाने की प्रक्रिया में है। यह कन्वेंशन के तहत शामिल होने वाली दक्षिण एशिया में **पहली सीमापारीय (trans-boundary) आर्द्र भूमि** होगी।

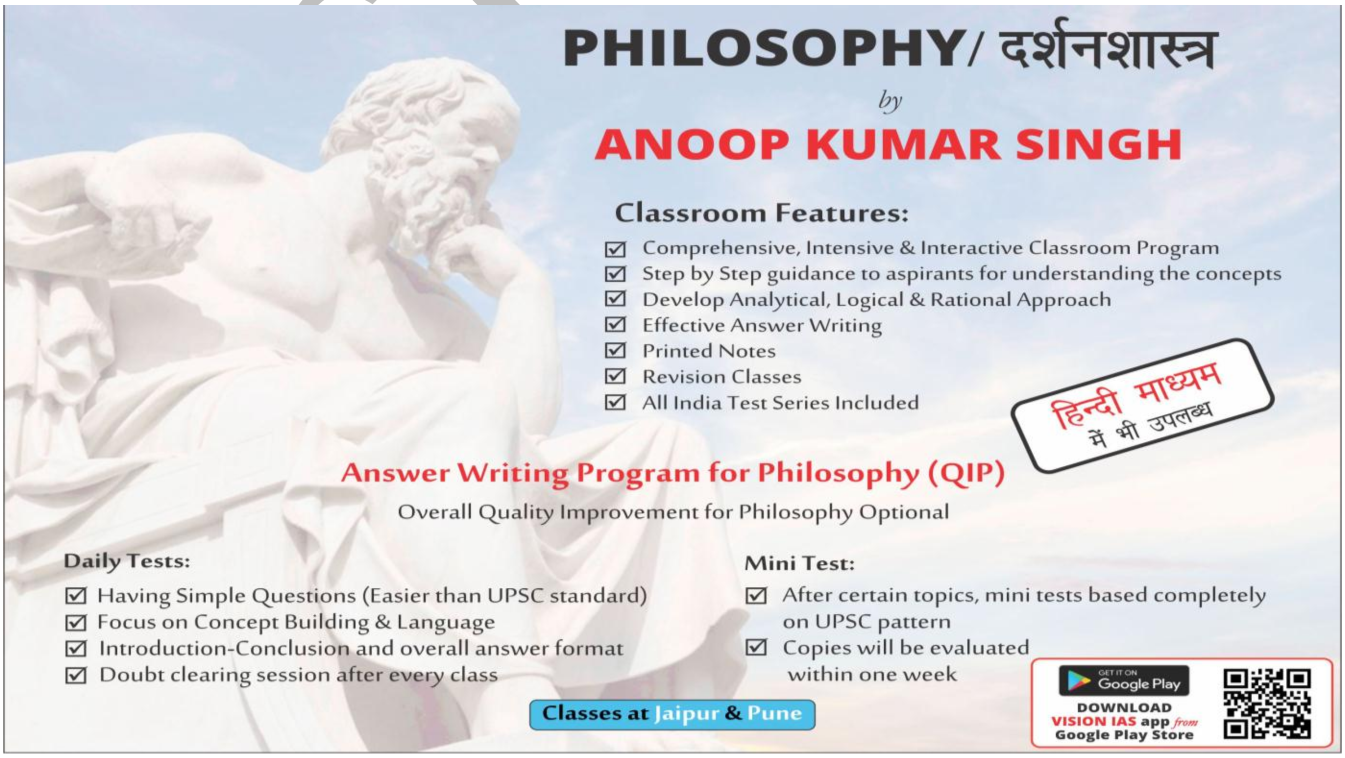

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1. भारत में बाढ़

(Floods in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पूर्व में असम और बिहार से लेकर पश्चिम में राजस्थान और गुजरात तक बाढ़ की विभीषिका ने जन-जीवन को अत्यन्त प्रभावित किया है।

भारत में बाढ़ के कारण

- **प्राकृतिक कारण** - मात्र 4 महीनों में ही 80% वर्षा का होना, पूर्वी हिमालय की नदियों की **तीव्र ढाल**, मृदु असम्पीडित चट्टानों के कारण भारी मात्रा में गाद का जमाव, भारी भूस्खलन के कारण नदियों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होना एवं तटीय क्षेत्रों में तूफान या चक्रवात आदि इसके प्रमुख कारण रहे हैं।
- **मानव जनित कारण** - ग्लोबल वार्मिंग, वनों की कटाई, नदी बेसिन का अतिक्रमण, तटबंधों के रख-रखाव में कमी (80% का कई दशकों से प्रयोग नहीं किया गया है), खराब जल निकासी तंत्र और बुनियादी ढाँचे आदि को इसके अंतर्गत रखा जा सकता है।
- इस वर्ष देश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा हुई। इसका कारण मानसून गर्त की एक असामान्य दशा का बनना है। इसका निर्माण एक ही समय में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने दो अलग-अलग अवदाब क्षेत्रों (depressions) की उपस्थिति से हुआ।

बाढ़ के प्रभाव

- **GDP की हानि** - बाढ़ के परिणामस्वरूप 1970 और 1980 के दशक में भारत की GDP को 0.86% का नुकसान हुआ था। वर्तमान दशक में यह हिस्सा GDP के 0.1% से नीचे आ गया है।
- **मानव और पशु जीवन की हानि** - आधिकारिक आंकड़े यह प्रदर्शित करते हैं कि पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण लगभग 1,000 से 2,100 लोगों की मृत्यु हुई है। हालांकि इस प्रकार की क्षति भी पिछले दशकों की तुलना में कम हो गई है।
- **अन्य प्रभाव-** इसके अतिरिक्त स्वच्छता की कमी से उत्पन्न जन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इत्यादि समस्याएँ भी होती हैं। स्कूलों में जलप्लावन की समस्या या स्कूलों का उपयोग राहत केंद्रों के रूप में किए जाने से शिक्षा बाधित होती है, साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव, परिवहन लागत में वृद्धि, सार्वजनिक सुविधाओं, फसलों और मकानों को भी नुकसान होता है।

पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख कार्यों और जैव विविधता को बनाए रखने में बाढ़ की भूमिका

- नदियों को उसके आस-पास की भूमि के साथ जोड़ना
- भूजल तंत्र का पुनर्भरण करना
- आर्द्रभूमि का पुनर्भरण
- जलीय आवास क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में वृद्धि करना
- भूदृश्य के चारों ओर तलछट और पोषक तत्वों का फैलाव करना
- कई प्रजातियों के लिए बाढ़ प्रजनन घटनाओं, प्रवासन और प्रसार को गति प्रदान करता है
- कृषि और मछली उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मदद करता है

संभावित समाधान

यद्यपि बाढ़ के कारण GDP में होने वाली क्षति में गिरावट की प्रवृत्ति है लेकिन 2015 में किए गए वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टिट्यूट के अध्ययन के अनुसार भारत में शहरों के विस्तार और बिगड़ती जलवायु चुनौतियों से बाढ़ संबंधित जोखिमों में काफी वृद्धि हो सकती है। अतः इसके लिए निम्न उपाय किये जाने चाहिए:

- **आपदा के शमन** हेतु क्षमता निर्माण को लक्ष्य बनाकर **लघु अवधि में निवारक उपायों** को अपनाया जा सकता है:
    - **संरचनात्मक उपाय**
        - तटबंध, फ्लडवाल, बाढ़ बंद का निर्माण करना
        - बांध और जलाशयों का निर्माण
        - प्राकृतिक अवरोध बेसिन
        - ड्रेजिंग और चैनल को गहरा करने वाले अन्य उपायों के माध्यम से चैनल सुधार
        - स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से बाढ़ के जल को मोड़ना
        - विशेष रूप से मिट्टी के क्षरण और भूस्खलन प्रवण नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्रों में जलग्रहण क्षेत्रों का वनीकरण करना।
    - **गैर-संरचनात्मक उपाय**
        - **बाढ़ की भविष्यवाणी और चेतावनी प्रणाली** - कैग की रिपोर्ट के अनुसार करीब 60% टेलीमेट्री स्टेशन गैर-परिचालित हैं। CWC को विशेषकर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सेंसर आधारित उपकरणों तथा उपग्रह निगरानी आदि का उपयोग करके इनका आधुनिकीकरण करना चाहिए।

VISION IAS

- **बाढ़ जोखिम क्षेत्र** - यह बाढ़ जोखिम प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने और बाढ़ नियंत्रण प्रक्रिया को प्राथमिकता देने में मदद करेगा। डेटा में NDRF के अनुभव और CWC द्वारा किये गए अध्ययन को शामिल करना चाहिए।
- जलाशयों का विनियमन ।
- बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों का रणनीतिक पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जैसा कि कई देशों द्वारा किया जा रहा है।
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बाढ़ नियंत्रण विभाग के नियोजन प्राधिकरण को मजबूत करना चाहिए तथा विभिन्न क्षेत्रों से वैज्ञानिक भर्ती की जानी चाहिए।

- निम्न उपायों के माध्यम से **प्रतिरोधक क्षमता का** निर्माण करना
  - संकट-रोधी स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण तथा शुष्क राशन और दवाओं का भण्डारण।
  - उत्तर बिहार और पूर्वोत्तर के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में ऊंचे शौचालयों, पारिस्थितिक स्वच्छता इकाइयों, लोहे के फिल्टर वाले ऊंचे डगवेल्स या ट्यूब्यूवेल के माध्यम से स्वच्छता सुविधाएँ।
  - राज्यों को आपदा राहत निधि का प्रभावी ढंग से उपयोग करना चाहिए। केंद्र उन्हें राहत के दौरान नये दावे करते समय अप्रयुक्त भाग को उपयोग करने के लिए कह सकता है।
  - NDMP (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना) को लागू करने के लिए जमीनी स्तर पर समन्वय और पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। NDMP आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं को शामिल करता है।
- भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, चीन आदि **पड़ोसी देशों के साथ ट्रांस-बॉर्डर नदियों पर सहयोग** से प्राधिकारियों को हाइड्रोलॉजिकल जानकारी अर्थात जल स्तर, डिस्चार्ज, वर्षा आदि का उपयोग करने में मदद मिल सकती है।
- **बेहतर समन्वय** - इस संबंध में आपदा प्रबंधन के लिए एक अलग मंत्रालय स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान में बाढ़ के लिए CWC जवाबदेह है जो जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शहरी विकास मंत्रालय शहरी बाढ़ के लिए जवाबदेह है, जबकि NIDM और NDMA गृह मंत्रालय के अधीन आता है।
- **शहरी नियोजन** - इसमें निम्नलिखित शामिल हैं
  - स्टॉर्म ड्रेनेज का निर्माण करना और अन्य जल निकासी व्यवस्था का उचित रख-रखाव।
  - बांधों और जलाशयों से प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए **राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने वाले प्रोटोकॉल की समीक्षा करना**, उदाहरण के लिए इस वर्ष राजस्थान में या 2015 में चेन्नई में अधिकांश जल बाँध से छोड़ा गया वह जल था जोकि बाँध को दबाव मुक्त करने के लिए बाँध से छोड़ा गया था।
  - **अंतर्राज्यीय सहयोग या वार्ता** - अरुणाचल प्रदेश जैसे अपस्ट्रीम क्षेत्रों में बांधों को खोलने से असम के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है।
  - जल के प्राकृतिक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए नदियों के बेसिन और प्राकृतिक झीलों पर होने वाले अतिक्रमण को रोका गया है।
- **आपदा के बाद** शीघ्र राहत और पुनर्वास जैसे -
  - वित्तीय घाटे को कम करना
  - जमीनी कार्यवाही: अल्पकालिक आवास, भोजन और स्वच्छ जल
  - स्वास्थ्य देखभाल और परामर्श सेवाओं तक पहुँच जिससे मानसिक रूप से आपदा का मुकाबला किया जा सके
  - महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा
  - विकासात्मक गतिविधियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में नौकाएं प्रदान करना

CAG द्वारा रिपोर्ट किये गये बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ के पूर्वानुमान योजनाओं से संबंधित मुद्दे:

- नदी प्रबंधन गतिविधियों से संबंधित उन परियोजनाओं में देरी जो कि असम, उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बाढ़ की समस्याओं के लिए दीर्घकालिक समाधान हैं।
- बाढ़ की बढ़ती आवृत्ति के बावजूद, अधिकार प्राप्त समिति (EC) के अनुमोदन के बाद भी केंद्र द्वारा सहायता की पहली किस्त जारी करने में अत्यधिक देरी (2-21 महीने) थी। यह बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में किए गए तत्काल प्रावधान के उपाय के बावजूद हो रहा है।
- राज्य सरकारों ने केंद्रीय सहायता जारी करने से पहले निर्धारित समय के भीतर व्यय के लेखापरीक्षित विवरण और उपयोग प्रमाण पत्र जमा करने को सुनिश्चित नहीं किया।
- 2010 में शुरू किए गए बांध सुरक्षा कानून अभी तक लागू नहीं किये गये हैं। बांधों के रख-रखाव के लिए कार्यक्रम तैयार नहीं हैं और मरम्मत कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हैं। देश में 4,862 बांधों में से केवल 349 बांधों में आपातकालीन आपदा प्रबंधन योजनाएं हैं।
- जब प्रारंभिक/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (PPR/ DPR) तैयार करने की बात आती है तो इन परियोजनाओं की प्रगति को प्रभावित करने वाले FMP दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। इस प्रकार मौसम संबंधी, मृदा सर्वेक्षण, सामाजिक-आर्थिक बेंच मार्क सर्वेक्षण, लवणता, जल निकासी और इंजीनियरिंग सर्वेक्षण आदि जैसे डेटा उपलब्ध नहीं हैं।

VISION IAS

- बाढ़ के प्रति एक एकीकृत दृष्टिकोण हेतु 1976 में **राष्ट्रीय बाढ़ आयोग** की स्थापना की गई थी। एक अनुमान के अनुसार भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है।
- **नदियों में बाढ़** - असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में।
- **चक्रवातों के कारण बाढ़** - ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्रों में।
- **फ्लैश फ्लड** - हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, बंगलुरु आदि स्थानों पर।
- 2011 के बाद बाढ़ के कारण होने वाली हानि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों तथा उत्तर में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में फ़्लैश **फ्लड** की वजह से अधिक नुकसान हो रहा है जिसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है और जिससे भूस्खलन भी होता है।
- गुजरात और राजस्थान में बाढ़ का कारण खराब जल निकासी व्यवस्था है जबकि 2013 और 2014 में क्रमशः उत्तराखंड और कश्मीर में आई बाढ़ का कारण नदी घाटी का अतिक्रमण था।

5.2. मरुस्थलीकरण रोकथाम

(Combating Desertification)

संदर्भ

मंगोलिया के ओरडोस में स्थित कुबुकी मरुस्थल बड़े पैमाने पर मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण करने वाला विश्व का **प्रथम मरुस्थल** बन गया है।

मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCCD)

- इसे 1994 में अपनाया गया और यह 1996 में लागू हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मरुस्थलीकरण की समस्या को हल करने के लिए **क़ानूनी रूप से बाध्यकारी** यह एकमात्र फ्रेमवर्क है।
- यह अभिसमय विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों को संबोधित करता है जिसे शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।
- **UNCCD (2008-2018) की 10 वर्ष की रणनीति:** इसे 2007 में मरुस्थलीकरण / भूमि निम्नीकरण को रोकने और उत्क्रमित करने के लिए एक वैश्विक साझेदारी के रूप में अपनाया गया था। इसका लक्ष्य गरीबी में कमी करना और पर्यावरणीय स्थिरता का समर्थन करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में सूखे के प्रभाव को कम करना है।
- UNGA ने 2010 से 2020 को **यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर डेजर्ट्स एंड दि फाइट अगेंस्ट डेजर्टीफिकेशन** घोषित किया है।

भारत में मरुस्थलीकरण की स्थिति:

- जलवायु विविधताओं और मानव गतिविधियों सहित विभिन्न कारकों के परिणामस्वरूप शुष्क, अर्ध-शुष्क और उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि निम्नीकरण को मरुस्थलीकरण कहते हैं।
- विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (CSE) की एक रिपोर्ट, **भारत में पर्यावरण की स्थिति 2017** के अनुसार भारत के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र का निम्नीकरण हो गया है या ऐसे क्षेत्र मरुस्थलीकरण का सामना कर रहे हैं।
- आठ राज्यों- राजस्थान, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, नागालैंड, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लगभग 40 से 70 प्रतिशत भूमि मरुस्थलीकरण जैसी समस्या का सामना कर रही है।

कुबुकी मॉडल के मुख्य बिंदु

- सरकारी नीतिगत समर्थन, औद्योगिक निवेश, किसानों और चरवाहों की बाजार-उन्मुख भागीदारी और सतत पारिस्थितिक सुधार इसके **मुख्य आधार स्तंभ** हैं।
- कुबुकी मॉडल को **भारत** में भूमि की स्थिति सुधारने के लिए **लागू किया जा सकता** है, क्योंकि भारत का लगभग 32 प्रतिशत भूभाग भूमि निम्नीकरण (जिसका मरुस्थलीकरण एक प्रमुख घटक है) से प्रभावित है।

VISION IAS

5.3. वन भूमि के अन्य उपयोग हेतु दिशा-निर्देश

(Guidelines for Diverting Forest Land)

सुर्खियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय **(MoEF&CC)** ने वन भूमि के अन्य उपयोग हेतु दिशा-निर्देश तैयार किए हैं।

वनों का निवल वर्तमान मूल्य [NET PRESENT VALUE: NPV]

- इसे **1980 के वन (संरक्षण) अधिनियम** के तहत परिभाषित किया गया है।
- यह पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के नुकसान की भरपाई करने के लिए गैर-वन उपयोग हेतु भूमि को हस्तांतरित करने के लिए **परियोजना प्रस्तावक द्वारा भुगतान की गई राशि** है।
- इसकी गणना **50 वर्षों** की अवधि के लिए की जाती है।
- **NPV के अनुमान के लिए** वनों को **छह इको-क्लास या वन प्रकारों** में तथा **तीन कैनोपी कवर घनत्व वर्ग** - अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन में वर्गीकृत किया जाता है।

मुख्य बिंदु

- दिशानिर्देशों में वन भूमि के **हस्तांतरण के लिए कई नई लागतें** जिनमें कब्ज़ा लागत, आवास विखंडन लागत और विभिन्न पारिस्थितिक सेवाओं की लागतें जैसे कि जल पुनर्भरण, मिट्टी के पोषक तत्व, कार्बन अधिग्रहण आदि की लागतें शामिल हैं।
- **NPV** फ़ॉर्मूला का उपयोग पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं की लागत का आकलन करने के लिए किया जायेगा।
- वनों के NPV (निवल वर्तमान मूल्य) को संशोधित करने के बाद ये दिशा-निर्देश लागू होंगे, जैसा कि 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावित किया था।
- **इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ॉरेस्ट मैनेजमेंट (IIFM)** को वनों के मूल्यों को पुन:आकलित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

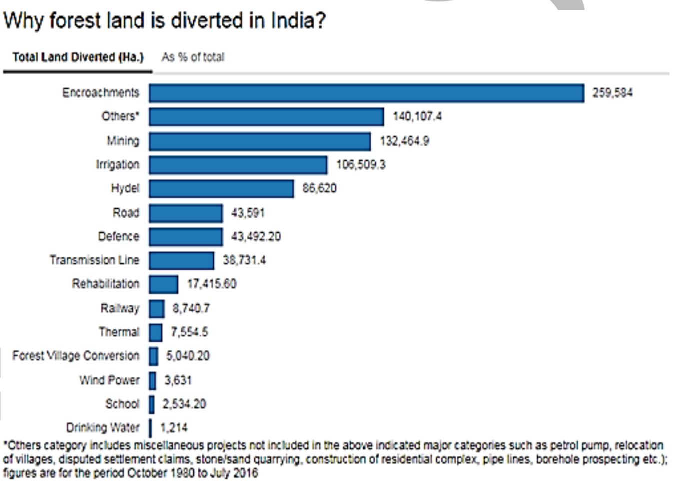

प्रभाव

- यह ऐसी किसी भी विकास परियोजना की **आर्थिक व्यवहार्यता को कम कर सकता** है जिसमें वन भूमि के अन्य उपयोग शामिल हैं।
- **पुनर्वास की सामाजिक लागत:** वनवासियों को दो वर्ष में होने वाली उनकी आय के 1.5 गुने का भुगतान किया जाएगा।
- **वनों का संरक्षण:** भारत में अक्टूबर 1980 से जुलाई 2016 तक गैर-वन उद्देश्यों के लिए लगभग 9 00,000 हेक्टेयर वन भूमि को हस्तांतरित किया गया है।

5.4. आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलें

(Genetically Modified Crops)

पृष्ठभूमि

पर्यावरणीय दृष्टिकोण से संकटजनक सूक्ष्मजीवों और पुनः संयोजकों के बड़े पैमाने पर अनुसंधान और औद्योगिक उपयोग से संबंधित गतिविधियों के अनुमोदन के लिए MoEFCC के तहत स्थापित GEAC सर्वोच्च संस्था है।
प्रायोगिक क्षेत्र परीक्षणों सहित पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से संवर्धित जीवों और उत्पादों के प्रयोग से संबंधित प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए भी GEAC जिम्मेदार है।

विभाग सम्बंधित संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में 'GM फसलें और पर्यावरण पर इसके प्रभाव' सम्बन्धी 301 वीं रिपोर्ट में अपनी सिफारिशें दी हैं।

GM फसलों की स्वीकृति प्रक्रिया में समिति के अनुसार समस्याएं

- **डेटा संबंधी छेड़छाड़ की संभावना:** जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल कमिटी (GEAC) स्वयं क्लोज्ड फील्ड ट्रायल्स का संचालन नहीं करती है बल्कि यह टेक्नोलॉजी डेवलपर द्वारा प्रदान किए गए डेटा पर पूरी तरह निर्भर है। इस कारण यह छेड़छाड़ के लिए अतिसंवेदनशील है। इस प्रकार समिति यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि क्षेत्र परीक्षणों की पूरी प्रक्रिया जैव-सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में किया जाना चाहिए है ताकि प्राथमिक डेटा के साथ छेड़छाड़ को कम किया जा सके।
- **GEAC के संबंध में चिंताएं:** जैसे कि इसके निर्माण में तदर्थवाद (ad hocism), इसके सदस्यों के चयन के लिए मानदंड, नौकरशाहों का प्रभुत्व, नागरिक समाज (civil society) या राज्यों से कोई प्रतिनिधित्व न होना तथा जहां बीटी कॉटन को अपनाया गया वहां जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी नहीं शामिल थे आदि।

- **DLC की कार्यप्रणाली:** समिति का मानना है कि जिला स्तर समिति (DLC) की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए क्योंकि जमीनी स्तर पर GM फसलों को विनियमित करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से एक है। यह समिति किसी भी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में प्रभावी रूप से कार्यरत नहीं है। समिति का मानना है कि जिला स्तरीय समितियों में सदस्यों के रूप में सांसदों को नामित किया जाना चाहिए ताकि इन समितियों की गतिविधियों को जनता के साथ साझा किया जा सके।

GM फसलों का पर्यावरण पर प्रभाव

- **गैर-GM फसलों के साथ संदूषण और पार-परागण तथा उत्तम घास का निर्माण:** जैसा कि एक हर्बिसाइड टोलरेंट जीन परागण के द्वारा पास के खेतों और क्षेत्रों में फ़ैल सकता है तथा GM या गैर GM किस्मों में या जंगलों तथा घासों आदि में भी फ़ैल सकता है।
- **Bt फसलों के लिए कीट प्रतिरोध का विकास:** GM Bt फसलों द्वारा उत्पादित Bt टॉक्सिन (विषाक्त पदार्थ) की मात्रा GM फसलों के उपयोग के कारण रसायनों के उपयोग में आई वाली कमी की तुलना से काफी अधिक हो सकती है। इस तरह से अधिक और निरंतर संपर्क में रहने से यह लक्षित कीट में प्रतिरोधक क्षमता के तीव्र विकास को प्रेरित कर सकता है।
- एक या कुछ **GM जीनोटाइप्स के कारण कुछ फसल किस्मों के प्रभुत्व की संभावना** उत्पन्न होती है जिससे किसानों के खेतों में फसल की विविधता में कमी आ सकती है।
- **मृदा / जल संदूषण:** GM Bt फसलों में उत्पादित Bt टॉक्सिन पौधे के प्रत्येक हिस्से में मौजूद रहता है इसलिए जब ये हिस्से अपघटित नही होते हैं तो भी टॉक्सिन काफी मात्रा तक मिट्टी में पहुंच सकते हैं।
- GM फसलों का प्रभाव **अनजान जीवों पर पड़ता** है जैसे कि ये लाभकारी जीवों मधुमक्खियों और तितलियों सहित परभक्षी जीवों पर भी प्रभाव डालते हैं।
- ICAR द्वारा जानवरों पर किये गए अध्ययनों से पशुओं के भोजन के लिए अनुमोदित GM पौधों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं मिला है। लेकिन ये परीक्षण छोटी अवधि के हैं। इसलिए पशुओं की सभी प्रजातियों पर दीर्घकालिक परीक्षण किया जाना चाहिए।

मानव स्वास्थ्य पर आनुवंशिक रूप से संवर्धित फसलों का प्रभाव

- मानव स्वास्थ्य पर GM फसलों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आज तक देश में कोई भी आंतरिक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं किए जाने के बावजूद कि GM फसलों का मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा GM फसलों की स्वीकृति के मामले में केवल उन अध्ययनों पर निर्भर करना, जो भारत में नहीं हुए हैं, चिंताजनक है। इस संबंध में हमारी अपनी आबादी के साथ-साथ हमारे जलवायु और पर्यावरण के संदर्भ में किसी भी प्रतिकूल प्रभाव तथा मानव स्वास्थ्य से संबंधित परीक्षण भी नहीं हुए हैं। इसलिए सरकार को देश में GM फसलों के व्यावसायीकरण के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।
- GM उत्पादों को देश में बिना लेबलिंग के बेचा जा रहा है। समिति ने जोर देकर अनुशंसा की है कि GM खाद्य पदार्थों पर लेबलिंग तत्काल प्रभाव से की जानी चाहिए।

समग्र सिफारिशें

- कोई भी आनुवांशिक रूप से संवर्धित (GM) फसल भारत में नहीं अपनानी चाहिए जब तक कि जैव सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक वांछनीयता का मूल्यांकन "पारदर्शी" प्रक्रिया से नहीं किया जाता है तथा जवाबदेही की व्यवस्था नहीं लागू होती है।
- मंत्रालय को सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके पर्यावरण पर GM फसलों के प्रभाव की जांच करनी चाहिए ताकि इस मामले पर निर्णय करने से पहले देश में सभी संभावित प्रभावों के बारे में स्पष्टता हो।

5.5. पारिस्थितिक तंत्र सेवा सुधार परियोजना

(Ecosystems Service Improvement Project)

सुर्खियों में क्यों?

भारत ने "पारिस्थितिक तंत्र सेवा सुधार परियोजना" के लिए विश्व बैंक के साथ **ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी (GEF) अनुदान** समझौते पर हस्ताक्षर किये।

ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF)

- यह दुनिया के सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए **1992 के रियो अर्थ समिट** के दौरान स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य विकासशील देशों और संक्रमणशील अर्थव्यवस्था वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों और समझौतों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए निधि उपलब्ध करवाना है।
- GEF के ट्रस्ट फण्ड के लिए 1994 से **विश्व बैंक** द्वारा ट्रस्टी के रूप में सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं तथा प्रशासनिक सेवाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही **हैं**।

VISION IAS

ग्रीन इंडिया मिशन

- नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया या ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को संबोधित करने के लिए भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के अंतर्गत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है।
- इसका लक्ष्य भारत के घटते हुए वन क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्स्थापना और वृद्धि करना तथा अनुकूलन व शमन उपायों के संयोजन से जलवायु परिवर्तन का सामना करना है।
- इस मिशन में वन तथा वृक्षावरण दोनों को 5 मिलियन हेक्टेयर बढ़ाने के लिए व्यापक उद्देश्यों को शामिल किया गया है। साथ ही 10 वर्षों में 5 लाख हेक्टेयर वन / गैर वन भूमि में मौजूदा वन और वृक्षावरण की गुणवत्ता में वृद्धि करना भी शामिल है।

पारिस्थितिक तंत्र सुधार परियोजना

- **लक्ष्य:** भारत के वनावरण का संरक्षण, पुनर्स्थापना और विस्तार तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में सहायता करना ।
- **उद्देश्य:** वानिकी विभागों तथा सामुदायिक संगठनों की **संस्थागत क्षमता** को मजबूत करना, **वन पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को बढ़ाना** तथा मध्य भारतीय उच्च प्रदेशों में वनों पर निर्भर समुदायों की **आजीविका में सुधार करना।**
- **पारिस्थितिक तंत्र सेवा सुधार परियोजना** भारत के ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) के तहत वनों के संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा वृद्धि और जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रिया देने के लक्ष्य का समर्थन करेगी।
- यह परियोजना **छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश** राज्यों में 5 वर्षों के लिए MOEFCC द्वारा **भारतीय वन्य अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद** के माध्यम से **नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया** के तहत लागू की जायेगी।

5.6. हाथी जनगणना

(Elephant Census)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने हाथी जनगणना रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक 'सिंक्रोनाइज्ड एलीफेंट पॉपुलेशन एस्टीमेशन इंडिया 2017' है।

हाथी गलियारा (Elephant corridors)

- ये भूमि के वे संकरे क्षेत्र या पट्टी (narrow strips) हैं जो **हाथियों** को एक आवास खंड से दूसरे आवास खंड में जाना सुलभ बनाते हैं।
- भारत में 88 **हाथी गलियारे** चिह्नित किये गये हैं।

मुख्य बिंदु

- **जनसंख्या में गिरावट:** 2012 से 2017 तक हाथियों की कुल जनसंख्या में 3000 की कमी आयी है। यह 2012 में उपयोग की गई ग़लत गणना पद्धति के कारण हो सकती है।
- 1990 के दशक के बाद से हाथियों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है।
- **भौगोलिक सीमा में वृद्धि:** मणिपुर, मिजोरम, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पहली बार हाथियों के होने की सूचना प्राप्त हुई है।
- **मानव-पशु संघर्ष:** मानव-हाथी संघर्ष में वृद्धि हुई है जिसका कारण वन्यजीवों के आवासों का विनाश और विखंडन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कि तापमान और वर्षा में परिवर्तन आदि हैं। इस कारण से पिछले चार वर्षों (2013-14 से 2016-17 तक) में 1465 लोगों की मृत्यु हुई है।

हाथियों के संरक्षण के लिए उठाये गए कदम

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम,1972:

- इसके तहत हाथी को अनुसूची-I में रखा गया है।

IUCN स्थिति: एशियाई हाथी को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डेटा बुक में "इनडेंजर्ड" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

प्रोजेक्ट एलीफैंट:

- इसे एक **केंद्र प्रायोजित योजना** के रूप में वर्ष 1992 में शुरू किया गया था ।

उद्देश्य:

- हाथियों के आवास और गलियारों की रक्षा करने के लिए।

VISION IAS

- मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों को हल करने के लिए।
- कैप्टिव हाथियों की देखभाल के लिए।
- उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में **हाथी रिज़र्व** स्थापित करना।

- पहली बार विभिन्न राज्यों में हाथियों के आवागमन के कारण उत्पन्न आकलन में त्रुटियों से बचने के लिए **अखिल भारतीय स्तर पर सिंक्रोनाइज्ड हाथी जनगणना** की गई।

अंतर्राष्ट्रीय पहल

मॉनीटरिंग ऑफ इल्लीगल किलिंग ऑफ़ एलीफैन्ट्स (MIKE) प्रोग्राम

- कांफ्रेंस ऑफ़ पार्टीज (COP) द्वारा **द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इनडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ़ वाइल्ड फौना एंड फ़्लोरा (CITES)** के एक संकल्प के माध्यम से **इसे 2003 में स्थापित किया गया** था।
- यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर आधारित प्रोग्राम है जो क्षेत्रीय संरक्षण प्रयासों की प्रभावशीलता पर नजर रखने के लिए अफ्रीका और एशिया में हाथियों की अवैध हत्या से संबंधित रुझान पर नजर रखता है।
- **उद्देश्य:** हाथियों की उपस्थिति वाले राज्यों को आवश्यक जानकारी प्रदान करना ताकि उचित प्रबंधन एवं कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्णयों को लिया जा सके तथा हाथियों की संख्या के दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए राज्यों के भीतर संस्थागत क्षमता का निर्माण किया जा सके।

5.7. जलमग्न होते द्वीप समूह को बचाने के लिए कृत्रिम रीफ

(Artificial Reefs to Save Sinking Islands)

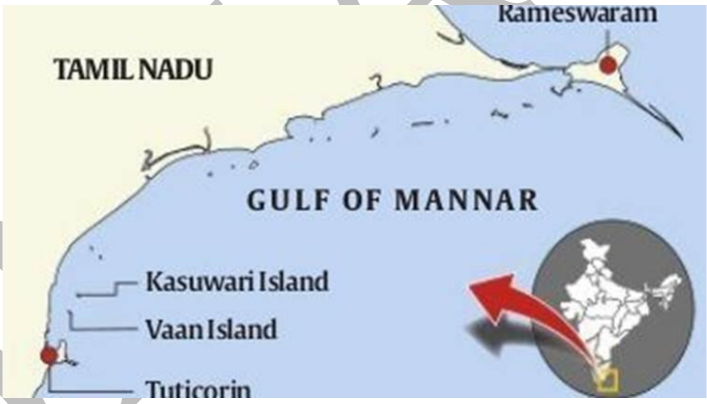

सुर्खियों में क्यों?

- तमिलनाडु सरकार IIT मद्रास के सहयोग से संवेदनशील द्वीपों के निकट कृत्रिम रीफ का निर्माण करके **मन्नार की खाड़ी खाड़ी में स्थित वान द्वीप** को पुनर्जीवित कर रही है।

पृष्ठभूमि

- पिछले दशकों में **प्रवालों के अंधाधुंध खनन, मछली पकड़ने के विनाशकारी तरीकों तथा** मछुआरों के कारण होने वाली **लगातार आगजनी** आदि ने वान द्वीप के क्षेत्र को 1986 के 16 हेक्टेयर की अपेक्षा 2014 में 2 हेक्टेयर तक ला दिया है।

मुख्य बिंदु

- यह जलमग्न होते द्वीप के बचाव और उनको पुनर्जीवित करने के लिए **भारत का पहला प्रयास** है।
- **वित्तपोषण :** इस परियोजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के NAFCC द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व

- **यह एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है।**
- यह कोरोमंडल तट क्षेत्र में, भारत के दक्षिणी सिरे और श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच स्थित है।
- **फौना: लुप्तप्राय डूगोंग (समुद्री गाय), लुप्तप्राय समुद्री कछुए की तीन प्रजातियां, समुद्री घोड़ा, डॉल्फ़िन और व्हेल आदि की कई प्रजातियां।**
- **यह यूनेस्को के MAB (मैन एंड बायोस्फीयर) प्रोग्राम का हिस्सा है।**

जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन फंड [NAFCC]

- **उद्देश्य:** विशेष रूप से संवेदनशील राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की अनुकूलन-सहायता लागत को पूरा करने के लिए, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का सामना किया जा सके ।
- NAFCC के तहत अनुकूलन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (NIE) के रूप में **NABARD** को उतरदायित्व सौंपा गया है।

द्वीपों का महत्व

- **समुद्र तट की रक्षा:** ये तमिलनाडु के तट तक पहुंचने से पहले तरंग ऊर्जा को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **आजीविका सुनिश्चित करना:** ये स्थानीय मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का बेहतर स्थान उपलब्ध करवाते हैं।
- **समुद्री जैवविविधता की रक्षा:** प्रवाल समुद्री जीव-जंतुओं के लिए आवास प्रदान करते हैं तथा मत्स्य विविधता को बढ़ाते हैं।

VISION IAS

भारत के प्रमुख प्रवाल स्थल

- लक्षद्वीप: भारत के कोरल द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है
- अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
- मन्नार की खाड़ी
- कच्छ की खाड़ी
- कर्नाटक में नेतरानी द्वीप, महाराष्ट्र में मालवन

निष्कर्ष

- **जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए:** कृत्रिम रीफ वर्तमान समय की आवश्यकता हैं क्योंकि निम्न तटीय क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के कारण अधिक संवेदनशील होते जा रहे हैं। साथ ही समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण इनके जलमग्न होने की भी संभावना है।
- विश्व भर में रीफ संरक्षण **तीव्रता से करने की** तत्काल आवश्यकता है क्योंकि **ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ** संभवत: कोरल खनन की वजह से **अपरिवर्तनीय रूप से क्षतिग्रस्त** हो रही है।

5.8. अर्थ ओवरशूट डे

(Earth Overshoot Day)

सुर्खियों में क्यों ?

2017 में, अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त को मनाया गया। 1970 के दशक में हुई इसकी शुरुआत के बाद से पारिस्थितिकीय ओवरशूट की यह सबसे निकट की तारीख़ है।

यह क्या है?

- यह वह तिथि है जब मनुष्य उस वर्ष के लिए निर्धारित प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर चुका होता है जो पूरे वर्ष में पृथ्वी द्वारा पुनरुत्पादित की जा सकती है।
- इसकी गणना **WWF** और **ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क** द्वारा की जाती है।

ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क

यह 2003 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जो एक संधारणीय भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है, जहां सभी लोगों को अपने ग्रह (पृथ्वी) को विकसित करने का अवसर मिलता हो।

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF)

- स्विट्जरलैंड स्थित अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन, जो 1961 में स्थापित हुआ और वन्य जीवन और प्राकृतिक आवास के संरक्षण में संलग्न है।

उद्देश्य

- वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करना।
- यह सुनिश्चित करना कि अक्षय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो जो कि संधारणीय हो।
- प्रदूषण और हानिकारक उपभोग में कमी को प्रोत्साहित करना।
- पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और क्षमता-निर्माण के माध्यम से प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना।

मुख्य बातें

- यह दर्शाता है कि हम एक वर्ष में महासागरों और जंगलों के अवशोषण किये जा सकने की तुलना में अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं, हम ज्यादा मछलियां पकड़ते हैं , ज्यादा पेड़ काटते हैं और ज्यादा कृषि करते हैं। इस प्रकार हम किसी समयावधि में पृथ्वी के उत्पादन करने की क्षमता से अधिक जल का सेवन करते हैं।
- वैश्विक इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में **कार्बन घटक** का योगदान 60% है।
- इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में **खाद्य योगदान** 26% है।
- **समाधान :** यदि हम प्रत्येक वर्ष अर्थ ओवरशूट डे को 4.5 दिन पीछे कर देते हैं तो 2050 से पहले हम एक पृथ्वी के संसाधनों के दायरे में रहकर जीवन निर्वहन कर सकने में सक्षम होंगे।

5.9. पटाखों में रासायनों के उपयोग पर प्रतिबन्ध

Ban on The Use of Chemicals in Firecrackers

सुर्ख़ियों में क्यों ?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदुषण को रोकने के लिए पटाखों के निर्माण में सुरमा (एंटीमनी), लीथियम, पारा, आर्सेनिक इत्यादि रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

पृष्ठ्भूमि

- यह आदेश **दिल्ली के तीन बच्चों द्वारा दायर कि गई याचिका** पर आया था। इन्होंने अदालत से दीवाली जैसे त्यौहारों के दौरान पटाखों और आतिशबाजी के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।
- 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली-एनसीआर में पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

Antimony	Antimony sulphides are used in the production of the heads of safety matches, military ammunition, explosives and fireworks.Risks: The elemental antimony metal does not affect human and environmental health. Inhalation of antimony trioxide (and similar poorly soluble sulphides of antimony) is considered harmful and suspected of causing cancer.
Mercury	A mercury compound called "Mercury(II) fulminate" is a primary explosive It is extremely sensitive to friction, heat and shock and is mainly used as a trigger for other explosives in percussion caps and blasting caps.
Arsenic	Arsenic is generally non-combustible. But certain compounds of arsenic are highly explosive and figure on the health hazard lists of several countries and thinktanks. Arsine, for instance, is a flammable, pyrophoric, and highly toxic gas while being one of the simplest compounds of arsenic. Arsine is used as an agent in chemical warfare, thus several countries have regulations on its use owing to its highly inflammable nature.
Lead	The most common primary explosives are lead azide and lead styphnate, compounds of lead found in most heavy grade explosives. Due to its explosive nature, lead azide is used in most detonators to initiate big explosions. Lead styphnate is also an explosive used as a component in primer and detonator mixtures for less sensitive secondary explosives
Lithium	A highly volatile element, lithium is flammable, and it is potentially explosive when exposed to air and especially to water, though less so than other alkali metals

- **सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड [CPCB]** ने पटाखों के विनिर्माण के दौरान उपर्युक्त पाँच रसायनों को विषैले पदार्थो के रूप में चिन्हित किया है।

पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO)

- यह भारत में विस्फोटक, पेट्रोलियम, संपीड़ित गैसों और अन्य खतरनाक पदार्थों के निर्माण, भंडारण, परिवहन और प्रबंधन को नियंत्रित और प्रशासित करने के लिए सर्वोच्च विभाग है।
- यह औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है
- यह **विस्फोटक अधिनियम, 1884 और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934** के तहत सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।
- आतिशबाजी के लिए कच्ची सामग्रियों की खरीद विस्फोटक अधिनियम के दायरे में नहीं आता। PESO केवल चार मीटर की दूरी तक 125 डेसीबल की ध्वनि सीमा के अनुपालन के लिए पटाखे के नमूने का परीक्षण कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- उच्चतम न्यायालय ने अनुपालन सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व **पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO)** को सौंपा है।
- वर्तमान में पटाखों के कारण होने वाले वायु प्रदूषण पर कोई मानक नहीं है।
- उच्चतम न्यायालय ने CPCB से पटाखों में स्ट्रॉन्सियम के उपयोग व प्रदूषणकारी रासायनिक पदार्थों के उपयोग पर स्पष्टीकरण माँगा है।
- उच्चतम न्यायालय ने CPCB और PESO से पटाखा उद्योग के मानकीकरण के लिए आपसी सहयोग के माध्यम से सम्मिलित रूप से प्रयास करने और पर्यावरण पर होने वाले इसके प्रभावों का ब्यौरा प्रदान करने के लिए कहा है।

5.10. समताप मंडल में ब्लैक कार्बन

Black Carbon In Stratosphere

सुर्ख़ियों में क्यों ?

वैज्ञानिकों के एक समूह के अनुसार , यह सम्भव है कि हवाई जहाज ब्लैक कार्बन (BC) की उल्लेखनीय मात्रा का उत्सर्जन करते हों और यह ब्लैक कार्बन ओजोन परत का क्षरण करता हो।

वियना कन्वेंशन फॉर दि प्रोटेक्शन ऑफ़ द ओजोन लेयर [1985]:

- यह ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों हेतु फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करता है।
- यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक प्रोटोकॉल के माध्यम से एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि का मार्ग प्रशस्त करता है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल [1987]

- इसका लक्ष्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों (ODS) के उत्पादन और खपत को कम करना है।
- संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रोटोकॉल बनाते हुए 197 राष्ट्रों द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल [2016] में संशोधन हेतु किगाली समझौता:

- उद्देश्य: 2040 के अंत तक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों के समूह, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC) को समाप्त करने के लिए।
- यह 2019 से हस्ताक्षरकर्ता देशों हेतु बाध्यकारी होगा।

ब्लैक कार्बन (BC) क्या है?

- यह प्राकृतिक रूप से और मानवीय गतिविधियों जैसे:- जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन और बायोमास के अपूर्ण दहन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।
- ब्लैक कार्बन कण सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। जीवाश्म ईंधन तथा बायोमॉस आदि के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कालिमा युक्त पदार्थ (soot) का निर्माण होता है।
- यह सूक्ष्म कणों (PM 2.5) के रूप में वातावरण में सीधे उत्सर्जित होता है।
- यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा एक चौथाई ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं।

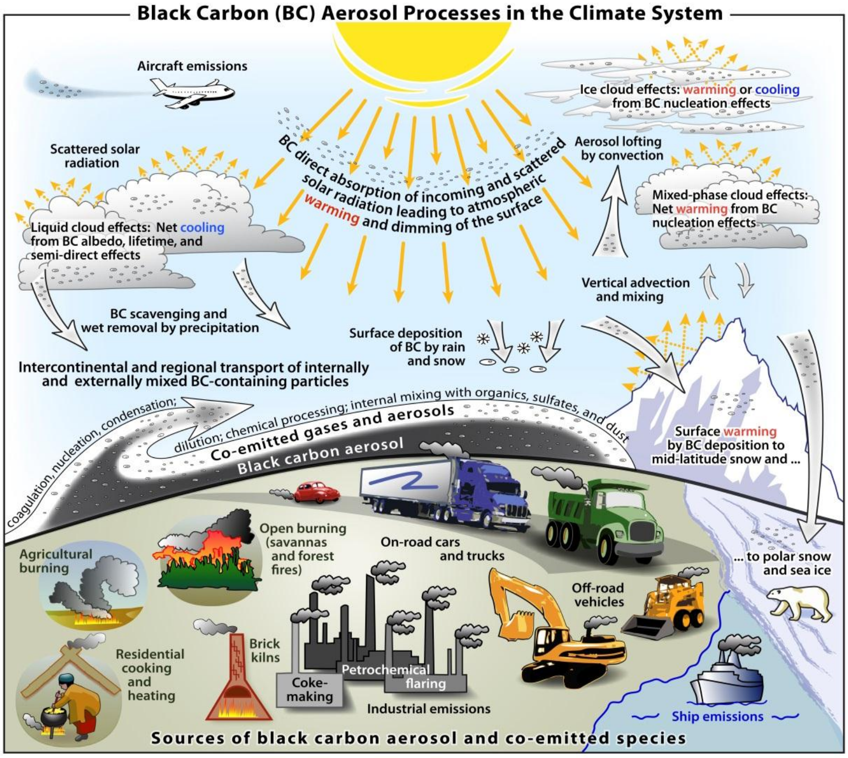

ब्लैक कार्बन के प्रतिकूल प्रभाव

- **ओजोन क्षयकारी एजेंट**: यह अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं के संपन्न होने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है जिससे कि यह काफी लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं और ये ओजोन परत को समाप्त कर सकते हैं।
- **मानसून को प्रभावित करने की क्षमता**: वे सौर और स्थलीय विकिरण को अवशोषित कर सकते हैं और वातावरण के तापमान को बढ़ा सकते हैं।
- **ग्लेशियरों के पिघलने को बढ़ावा**: यदि ये बर्फ पर जमा होते हैं तो यह बर्फ के तापमान में वृद्धि कर सकते हैं।
- **स्वास्थ्य समस्याएं**: श्वसन विकारों को तीव्र कर सकते हैं।

मुख्य बातें

- पहली बार विश्व के किसी समूह ने यह प्रदर्शित किया है कि विमान से ब्लैक कार्बन समतापमंडल में शामिल हो सकते हैं और ओजोन परत को प्रभावित कर सकते हैं।
- पिछले साल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने वातावरण में वायु प्रदूषण और जलवायु पर ब्लैक कार्बन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एरोसोल मॉनिटरिंग और रिसर्च (SAMAR) नामक एक प्रणाली की शुरुआत की है।
- भविष्य में अपेक्षित हवाई यातायात में वृद्धि से इस स्थिति को और बढ़ावा मिलेगा।

5.11. कार्बन डाई ऑक्साइड के व्यापक उत्सर्जन में एल-नीनो सहायक

(El Nino Aided In Massive Carbon Dioxide Release)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि 2014-16 का एल-निनो वातावरण के लिए 3 अरब टन कार्बन का कारण बना है। इस कारण रिकॉर्ड स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का संकेन्द्रण हुआ।

एल-निनो

- एल-निनो का अर्थ है लिटिल बॉय (छोटा बच्चा) या स्पेनिश में क्राइस्ट चाइल्ड।
- यह एक जटिल परिघटना है जिसके कारण पूर्वी -केंद्रीय प्रशांत महासागर में जल गर्म हो जाता है एवं हवा की दिशा में भारी बदलाव आते हैं जिससे दक्षिण-पूर्व एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कम हो जाती है जबकि दुनिया के अन्य हिस्सों में वर्षा बढ़ जाती है।

- एल-निनो का प्रभाव आम तौर पर 9 से 12 महीनों तक होता है।
- यह औसतन प्रत्येक 2-7 वर्ष पर होता है।

मुख्य बातें

- वैज्ञानिकों ने नासा के ऑर्बिटिंग कार्बन ऑब्जर्वेटरी-2 (OCO-2) उपग्रह द्वारा एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण किया है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को मापता है।

एल-निनो ने निम्न तरीकों से अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान दिया :-

- **गर्म मौसम और सूखा**, दक्षिण-पूर्व एशिया के जंगलो में व्यापक आग का कारण बना है।
- **अमेज़न के वर्षा वनों में सूखा** उन पौधों के विकास में कमी के लिए उत्तरदायी है जो वृद्धि के दौरान कार्बन को अवशोषित करते हैं।
- **जीवाश्म ईंधन के दहन के माध्यम से उत्सर्जन का तीव्र होना:** जीवाश्म ईंधन के जलने से CO2 का उत्सर्जन 2014 और 2015 में लगभग 36.2 बिलियन टन तक पहुंच गया था और 2016 के लिए भी इसी तरह का अनुमान लगाया गया था।

5.12. नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन: दिशानिर्देशों के मध्य अंतर

(Renewable Energy Generation: Discrepancies Between Guidelines)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

तमिलनाडु और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश ने उपलब्ध स्रोतों का उत्पादन की लागतों के अनुसार विद्युत् उत्पादन के साधनों की रैंकिंग करने के माध्यम से केंद्र सरकार की नवीनीकृत उर्जा को बढ़ावा देने की नीति के विपरीत रुख अपनाया है।

विवरण

अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विद्युत अधिनियम, राष्ट्रीय विद्युत नीति और राष्ट्रीय टैरिफ नीति के द्वारा अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को "मस्ट रन" का दर्जा देना आवश्यक था। यह व्यवस्था केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा अधिसूचित तथा राज्य नियामकों द्वारा अपनाये गए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड द्वारा सुनिश्चित की जाती है।

- हाल ही में, मध्यप्रदेश ने एक प्रस्ताव पेश किया है जो कि राज्य ग्रिड ऑपरेटर द्वारा "अक्षय ऊर्जा के लिए मस्ट रन' स्थिति को "मेरिट ऑर्डर डिस्पैच" में परिवर्तित कर देगा।
- मेरिट आर्डर डिस्पैच परंपरागत उत्पादन के स्रोतों के लिए अनुसरण किया जाने वाला सिद्धांत है जो आवश्यक रूप से कीमतों के बढ़ते क्रम के आधार पर उनके क्रमानुसार बिजली उत्पादन के स्रोत को वरीयता देता है।

प्रभाव

- मेरिट ऑर्डर डिस्पैच लागू करने से सौर और पवन ऊर्जा महंगे हो जायेंगे जिससे इनका उत्पादन प्रभावित होगा। यह छोटी अक्षय ऊर्जा कंपनियों के नकदी प्रवाह पर गंभीर प्रभाव डालेगा।
- भुगतान में अनिश्चितता से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के निवेश में गिरावट आएगी और देश के बिजली आपूर्ति संयोजन (electricity supply mix) में हरित ऊर्जा का हिस्सा कम होगा। इस कारण मौजूदा 7% से बढ़ाकर 2022 तक इसको लगभग 20 % तक करने के भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

- 2016 -2017 में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र ने क्षमता वृद्धि के सन्दर्भ में बेहतरीन प्रदर्शन किया है जिसमें 11,320 मेगावाट की रिकार्ड वृद्धि शामिल है, जबकि थर्मल पावर क्षेत्र में भी 11,551 मेगावाट की ही वृद्धि हुई है।
- 31 मार्च तक, देश में ग्रिड से जुड़ी कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 57,260 मेगावाट (भारत की कुल स्थापित क्षमता 3,29,000 मेगावाट का 20 %) थी।
- मौजूदा क्षमता में वृद्धि लक्ष्य के आधार पर, भारत में वित्तीय वर्ष 2022 तक अगले पांच वर्षों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से कुल बिजली की मांग का 19 % पूरा होने का अनुमान है।

5.13. पॉलीमेटेलिक नोड्यूल का अन्वेषण

(Exploration of Polymetallic Nodules)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

मध्य हिन्द महासागर बेसिन (CIOB) में समुद्रतट से पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज करने के भारत के अनन्य अधिकारों को अंतरराष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण द्वारा पांच साल तक बढ़ा दिया गया है।

विवरण

1987 में ही एक अग्रणी निवेशक का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत पहला देश था। नोड्यूल के अन्वेषण और उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) द्वारा मध्य हिन्द महासागर बेसिन में एक विशिष्ट क्षेत्र आवंटित किया गया था।

- भारत ने 25 मार्च 2002 को इंटरनेशनल सीबेड प्राधिकरण के साथ मध्य हिन्द महासागर बेसिन में पोलीमेटेलिक नोड्यूल्स की खोज के लिए 15 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। 2016 में सरकार ने इस अनुबंध के अनुमोदन का 2022 तक विस्तार किया था।

- भारत का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (अर्थ साइंस मिनिस्ट्री) के माध्यम से पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स (पोलीमेटेलिक नोड्यूल्स प्रोग्राम) के अन्वेषण और उपयोग पर एक दीर्घकालिक कार्यक्रम का सञ्चालन कर रहा है।
- वर्तमान में भारत के दक्षिणी सिरे से करीब 1600 किमी दूर स्थित 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इस क्षेत्र में पॉलिमेटेलिक नोड्यूल संसाधन क्षमता 380 मिलियन टन होने की संभाव्यता है।

महत्त्व

- मध्य हिन्द महासागर बेसिन में आवंटित क्षेत्र में पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स के अन्वेषण संबंधी भारत का अनन्य अधिकार जारी रहेगा। यह वाणिज्यिक और रणनीतिक मूल्य के संसाधनों की प्राप्ति का अवसर प्रदान करेगा ।
- भारत कोबाल्ट की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है जो तीन धातुओं (कोबाल्ट, तांबा और निकल) का मिश्रण है और सामरिक रूप से उपयोगी है। भारत में तांबे और निकल के पर्याप्त भण्डार नहीं हैं।

आर्थिक महत्व

- तटीय समुदायों का सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर, कौशल विकास व क्षमता निर्माण करके अधिकाधिक सामाजिक और आर्थिक समावेशन को प्राप्त करना।
- तटीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और ब्लू इकॉनमी का विकास।
- आर्थिक गतिविधियों के नए क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में नवीन विकास को बढ़ावा देना।

सामरिक लाभ

- वर्तमान में दुर्लभ मृदा धातुओं (रेयर अर्थ मेटल) के 95% से अधिक पर चीन का एकाधिकार है। यह कदम चीन के बढ़ते प्रभाव को सीमित करेगा।
- यह जापान, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा।

चुनौतियां: तकनीकी और पर्यावरण संबंधी मुद्दे

- विशिष्ट अभ्यास और निष्कर्षण-तकनीकि की आवश्यकता होगी जो कि गहरे समुद्र से धातुओं को निकालने की क्षमता रखती हो, इस तकनीकि का विकास एक प्रमुख चुनौती होगा।
- जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में गभीर समुद्री खनन से भारी गड़बड़ी और असंतुलन हो सकता है। इसका प्रयोग संसाधनों को प्राप्त करने के अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए। गभीर समुद्री खनन कीस्टोन और मूल (foundation) प्रजातियों को प्रभावित कर सकते हैं।

अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी (ISA) संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है जो महासागरों के अंतराष्ट्रीय जल में अजैव समुद्री संसाधनों के अन्वेषण और उत्खनन को विनियमित करने के लिए स्थापित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी के काम में सक्रिय रूप से योगदान देता है। पिछले साल भारत ISA की परिषद के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित हुआ था।

पॉलिमेटेलिक नोड्यूल प्रोग्राम (PNP): PNP भारत आवंटित किये गए मध्य हिन्द महासागर बेसिन (CIOB) से नोड्यूल्स की अंतिम निकासी के लिए प्रौद्योगिकियों के अन्वेषण और विकास की दिशा में उन्मुख है। इसमें चार घटक हैं यथा- सर्वेक्षण और अन्वेषण, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अध्ययन, प्रौद्योगिकी विकास (खनन) और प्रौद्योगिकी विकास (एक्स्ट्रेसिव मेटलर्जी)।

वर्तमान स्थिति: गहरे महासागरीय तल पर स्थित पॉलिमेटलिक नोड्यूल्स से धातुओं का निष्कर्षण इस स्तर पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हो पाया है। हालांकि विस्तृत सर्वेक्षण और विश्लेषण के आधार पर प्रथम पीढ़ी खनन क्षेत्र के लिए CIOB में एक क्षेत्र की पहचान की गई है।

पॉलिमेटलिक नोड्यूल्स: एक संक्षिप्त परिचय

यह क्या है?

पॉलिमेटलिक नोड्यूल्स, जिन्हें मैंगनीज नोड्यूल भी कहा जाता है, एक प्रकार की चट्टानी संरचना (rock concretions) है जो एक कोर के चारों ओर लौह और मैंगनीज हाइड्रॉक्साइड की घनी परतों के जमा होने के माध्यम से निर्मित हुई है।
मैंगनीज और लौह के अलावा, इसमें निकल, तांबा, कोबाल्ट, सीसा, मोलिब्डेनम, कैडमियम, वैनेडियम, टाइटेनियम भी निहित होते हैं।

वितरण: 19वीं शताब्दी में कारा सागर, साइबेरिया के आर्कटिक महासागर में इसकी खोज की गई, वे दुनिया के अधिकांश महासागरों में पाए गए। हालांकि, आर्थिक महत्त्व के नोड्यूल अधिक स्थानीकृत ही हैं। तीन क्षेत्रों का चयन औद्योगिक खोजकर्ताओं द्वारा किया गया है: उत्तरी मध्य प्रशांत महासागर का केंद्र, दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू बेसिन और उत्तरी हिंद महासागर का केंद्र। वे किसी भी गहराई में हो सकते हैं, लेकिन उच्चतम सांद्रता 4,000 और 6,000 मीटर के बीच पाई गयी है

निर्माण : विभिन्न प्रकार के नोड्यूल के गठन की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं।
जिसमे से दो अधिक लोकप्रिय हैं:

- एक हाइड्रोजीनस (hydrogenous) प्रक्रिया जिसमें नोड्यूल्स का निर्माण समुद्री जल से धात्विक घटकों के धीरे-धीरे रिस कर जमने के कारण होता है। इसी सिद्धांत के अनुसार लोहा और मैंगनीज नोड्यूल्स के समान ही अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी के निकल, तांबे और कोबाल्ट के नोड्यूल्स का निर्माण हुआ है।
- एक डायजेनेटिक प्रक्रिया के तहत मैंगनीज पुनः संघटित होकर तलछट जल की सतह पर जमा हो जाता है। ऐसे पिंड मैंगनीज में समृद्ध होते है, लेकिन इनमे लोहा, निकल, तांबा और कोबाल्ट की कमी पाई जाती है।

VISION IAS

महत्त्व

- इसमें दुर्लभ मृदा तत्व (रेयर अर्थ एलिमेंट) और धातुएं पायी जाती हैं जो उच्च तकनीकि उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है।
- CCZ पिंडों में निहित तांबे की मात्रा, वैश्विक भूमि आधारित भंडार के लगभग 20% के बराबर है।

5.14. मॉस (MOSS) एक सस्ते जैव संसूचक के रूप में

(MOSS as a Cheap Bioindicator)

सुर्खियों में क्यों?

जापानी वैज्ञानिकों के मुताबिक, दुनिया भर के शहरों में चट्टानों और पेड़ों पर पाई जाने वाली मुलायम मॉस (काई) का उपयोग वायुमंडलीय परिवर्तन के प्रभाव को मापने और शहरी प्रदूषण की निगरानी करने के लिए किया जा सकता है।

जैव संसूचक

- एक बायोइंडइंडिकेटर (जैव संसूचक) एक जीवित जीव है जो हमें किसी पारिस्थितिकी तंत्र की दशा को बताते हैं। कुछ जीव अपने पर्यावरण में प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, इसलिए यदि प्रदूषक मौजूद हैं, तो जीव अपनी आकृति विज्ञान, शरीर विज्ञान या व्यवहार को बदल सकता है या यह मर सकता है, जिससे वैज्ञानिकों को वायुमंडलीय परिवर्तनों के आंकलन में आसानी हो जाती है।

उदाहरण :

वायु प्रदूषण पर नजर रखने के लिए: लाइकेन (साइनो बैक्टीरिया, शैवाल और / या कवक के बीच एक सहजीवन) और **ब्रायोफाइट्स** (काई, हॉर्न्वोर्ट्स और लिवरवार्ट्स के लिए एक सामूहिक शब्द)।

जल प्रदूषण की निगरानी के लिए: एलगाई ब्लूम का इस्तेमाल प्रायः झीलों और नदियों में नाइट्रेट और फॉस्फेट (यूट्रोफिकेशन) के बढ़ने के संकेत प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

सूक्ष्मजीवों को प्रायः जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के स्वास्थ्य संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि उनका विकास तेजी से होता है, और प्रदूषकों के निम्न स्तर और अन्य भौतिक-रासायनिक और जैविक परिवर्तनों पर भी ये प्रतिक्रिया देते हैं। उदाहरण - वोगेसेला इंडिगोफेरा जीवाणु।

मेंढकों को पर्यावरणीय संकटों का सही संकेतक माना जाता है क्योंकि वे पर्यावरणीय हलचलों के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं।

गौरैया, तितलियाँ आदि पर्यावरणीय बदलावों का संकेत देते हैं।

मुख्य बातें

किफायती: जैव संसूचक जैसे कि काई जो आम तौर पर वातावरण से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, पर्यावरण मूल्यांकन के अन्य तरीकों से सस्ते होते हैं।

व्यापक रूप से उपलब्ध: सभी शहरों में काई सामान्य रूप से पाया जाने वाला पादप है, इसलिए प्रदूषण स्तर की गणना करने के लिए इस विधि का व्यापक रूप से कई देशों में उपयोग किया जा सकता है।

बेहतर संसूचक: यह प्रदूषकों के अप्रत्यक्ष जैविक प्रभावों को भी इंगित कर सकता है, जिनका कई भौतिक या रासायनिक मापन विधियों द्वारा पता नहीं चल पाता है।

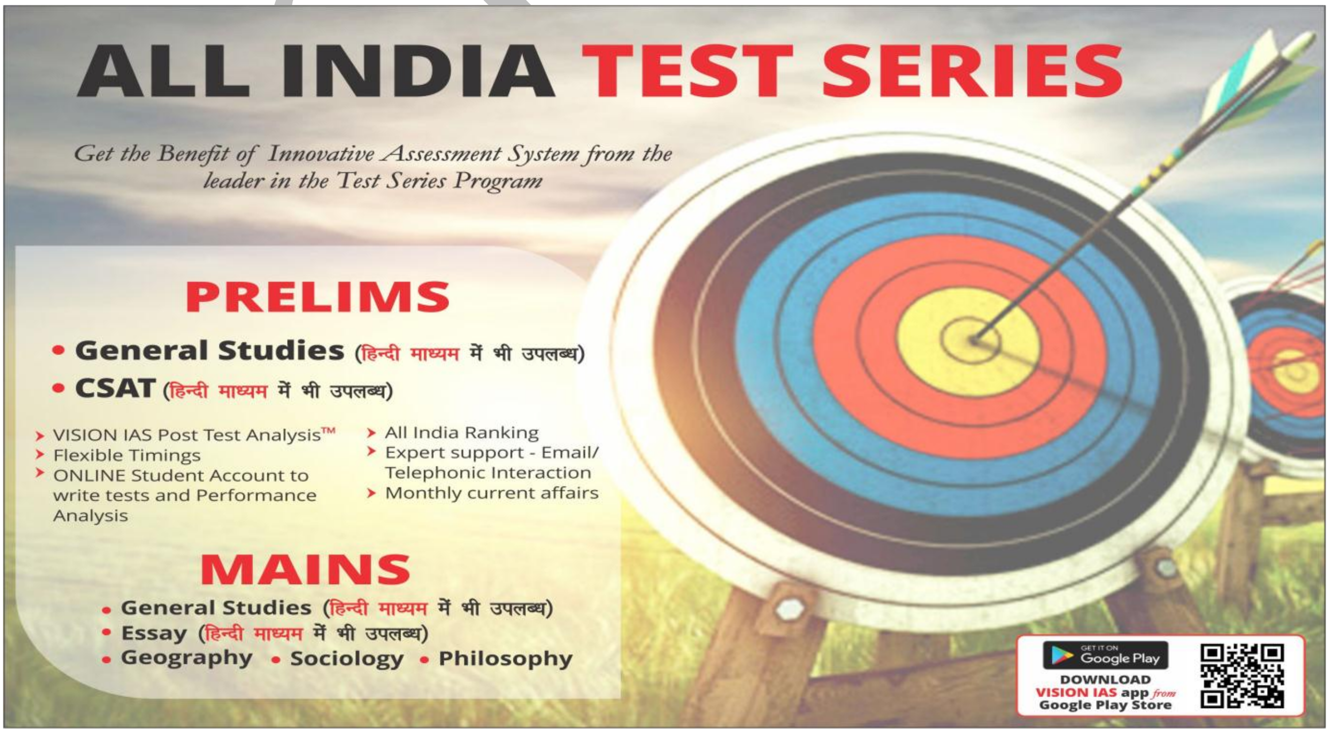

6. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. बिग डेटा

(Big Data)

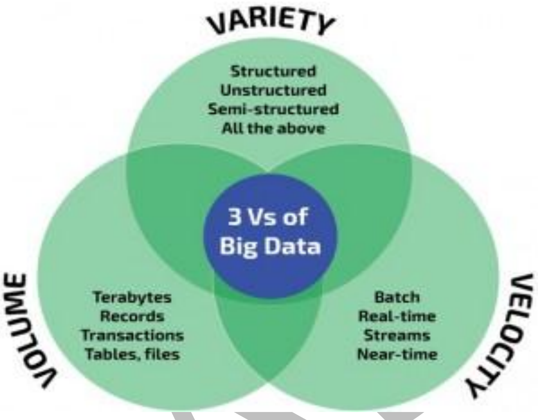

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार द्वारा नीति निर्माण में बिग डेटा के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। यह अंतर्राज्यीय व्यापार तथा श्रमिक प्रवसन का अनुमान करने के लिए प्रभावी रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है।

बिग डेटा क्या है?

- बिग डेटा से आशय आंकड़ों की एक बड़ी मात्रा से है। इसमें संरचित तथा असंरचित दोनों प्रकार के आंकड़े सम्मिलित हैं तथा सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर टूल्स इन्हें एक संतोषजनक समयावधि में कैप्चर, क्यूरेट, मैनेज तथा प्रोसेस करने में सक्षम नहीं होते हैं।
- वस्तुतः डेटा की मात्रा से अधिक महत्त्वपूर्ण यह होता है कि किसी संगठन द्वारा डेटा का प्रयोग किस रूप में किया जा रहा है। बिग डेटा का विश्लेषण करके ऐसा दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सकता है जिससे बेहतर निर्णय लेना संभव हो तथा व्यापार में रणनीतिक कदम उठाये जा सकें।
- दिए गए चित्र के अनुसार बिग डाटा की विशेषताओं को 3 Vs से दर्शाया जाता है।

डेटा सुरक्षा समिति (Data Protection Committee)

- सरकार ने 'प्रमुख डेटा सुरक्षा मुद्दों' की पहचान तथा देश में डेटा सुरक्षा कानून हेतु रूपरेखा सुझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक दस-सदस्यीय समिति का गठन किया है।
- समिति से 2017 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा रही है।

बिग डेटा के अनुप्रयोग

- कम्पनियाँ बिग डाटा का प्रयोग अपने ग्राहकों को समझने तथा उन्हें लक्षित करने के लिए करती हैं। इसके लिए वे अपने कारोबार, सोशल मीडिया और यहाँ तक की मौसम पूर्वानुमान से प्राप्त डेटा की भी मदद लेती हैं।
- व्यापार समूह अपनी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए अपनी आपूर्ति श्रंखला के डिलीवरी रूट्स की ट्रैकिंग एवं विश्लेषण करते हैं तथा उस डेटा का लाइव ट्रैफिक अपडेट से मिलान करते हैं। जबकि अन्य अपने उपकरणों की सर्विस साइकल (service cycle) में सुधार लाने तथा संभावित त्रुटियों के पूर्वानुमान हेतु मशीन डेटा का प्रयोग करते हैं।
- स्वास्थ्य सेवाओं में बिग डेटा कैंसर के उपचार ढूँढने के लिए, उपचार में सुधार लाने के लिए तथा रोग के भौतिक लक्षणों के दिखने से पहले उसका पूर्वानुमान करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- बिग डाटा का उपयोग व्यक्तियों के प्रदर्शन (खेलों में, घर अथवा कार्यस्थल पर) का विश्लेषण करने तथा उसमें सुधार लाने के लिए भी किया जाता है। इसके अंतर्गत उपकरणों तथा पहनने योग्य यंत्रों में लगे हुए सेंसर से प्राप्त डेटा का वीडियो एनालिटिक्स से मिलान किया जाता है। इससे जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें पारंपरिक तरीकों से देखना असंभव था।
- पुलिस बल तथा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बिग डेटा का प्रयोग साइबर हमलों को रोकने, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी की पहचान, आतंकवाद निरोध तथा आपराधिक गतिविधियों के पूर्वानुमान के लिए भी क्या जाता है।
- बिग डेटा का प्रयोग हमारे घरों, शहरों तथा देश की स्थिति में सुधार लाने के लिए भी किया जाता है। यह घरों में ताप तथा प्रकाश, शहरों में यातायात की आवाजाही तथा देश में ऊर्जा ग्रिडों को अनुकूल बनाने में प्रयोग किया जाता है।

बिग डेटा प्रबंधन नीति, 2016 (Big Data Management Policy, 2016)

- इसका शुभारम्भ CAG (कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) द्वारा किया गया था। इसने प्रथम डेटा एनालिटिक्स सेंटर (जो देश में इस तरह का प्रथम केंद्र था) के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पालिसी- 2012

- भारत भी इस नीति के द्वारा ओपन गवर्नमेंट डेटा मूवमेंट में शामिल हो गया है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर:NIC) द्वारा एक वेबसाइट शुरू की गयी जिसपर विभिन्न मंत्रालयों का डेटा नागरिकों से साझा किया जाता है।

भारत में बिग डेटा

- 1.2 अरब की बड़ी जनसंख्या वाले भारत के लिए बिग डेटा की प्रासंगिकता और अधिक स्पष्ट हो जाती है।
- हाल ही में नीति आयोग ने भी बिग डेटा के अनुसार **साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण** (evidence-based policymaking) के विचार पर बल दिया है।

VISION IAS

- भारत में डिस्कॉम समग्र तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए लास्ट माइल सेन्सर्स से प्राप्त डेटा का प्रयोग कर रहे हैं।

चुनौतियाँ

- डेटा संग्रह तथा प्रबंधन हेतु **अप्रभावी अवसंरचना** (डेटा प्रबंधन केंद्र)।
- **नए डेटा से जनित फीडबैक का निरंतर मूल्यांकन:** नीतिनिर्माण के लिए बिग डेटा का प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए सरकार को एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तथा साथ ही नीति संरचना एवं प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में परिवर्तनशील होना चाहिए।
- **डेटा को नामरहित रखना अथवा निजता का अतिक्रमण तथा डेटा सुरक्षा**: उचित वर्चुअल सुरक्षा के अभाव में कई गंभीर चिंताएं खड़ी होती हैं क्योंकि वर्तमान समय में अधिकाँश डेटा ऑनलाइन सृजित होता है।

आगे की राह

- डेटा की बड़ी मात्रा का प्रभावी ढंग से विश्लेषण करने के लिए सरकार को आवश्यक उपकरणों से लैस डेटा केंद्र स्थापित करने चाहिए। उपयुक्त डेटा को अनुपयुक्त डेटा से अलग करना आवश्यक है।
- उपलब्ध डेटा के इस बड़े संग्रह को वर्चुअली सुरक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- सरकार को बिग डेटा एनालिटिक्स से जुड़े नीतिपरक मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए तथा डेटा निजता से सम्बंधित एक नीति बनानी चाहिए।

6.2. प्रोजेक्ट ब्रेनवेव

(Project Brainwave)

- माइक्रोसॉफ्ट ने रियलटाइम आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) हेतु "प्रोजेक्ट ब्रेनवेव" नामक डीप लर्निंग एक्सेलेरेशन प्लेटफार्म का शुभारम्भ किया है।
- प्रोजेक्ट ब्रेनवेव में अवसंरचना के रूप में वृहत 'फील्ड-प्रोग्राम गेट ऐरे' (FPGA) अवसंरचना का प्रयोग किया जाता है।
- इस तंत्र का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि इसमें CPU को आने वाले अनुरोधों को संसाधित नहीं करना पड़ता है और परिणामस्वरूप पेंडेसी कम होती है। इसलिए बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में कार्य निष्पादित किये जा सकते हैं। FPGA उसी गति से अनुरोध प्रोसेस करता है जिस गति से नेटवर्क उन्हें स्ट्रीम करता है।
- यह तंत्र आवश्यक है क्योंकि रियल टाइम AI दिनों-दिन अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है। वर्तमान क्लाउड अवसंरचना हमेशा लाइव डेटा स्ट्रीम को प्रोसेस करता है चाहे वह सर्च क्वेरी हो, विडियो, सेंसर स्ट्रीम हो अथवा यूजर्स के साथ सम्प्रेषण।

आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस

- यह कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है जो कंप्यूटर्स में बुद्धिमत्ता के सामंजस्य से सम्बंधित है यथा विजुअल परसेप्शन, स्पीच रिकग्निशन, निर्णय क्षमता तथा विभिन्न भाषाओं में परस्पर अनुवाद।
- यह कंप्यूटर सिस्टम को उन कार्यों को स्वयं करने में सक्षम बनाता है जिनके लिए अन्यथा मानव बुद्धिमता की आवश्यकता होती है।

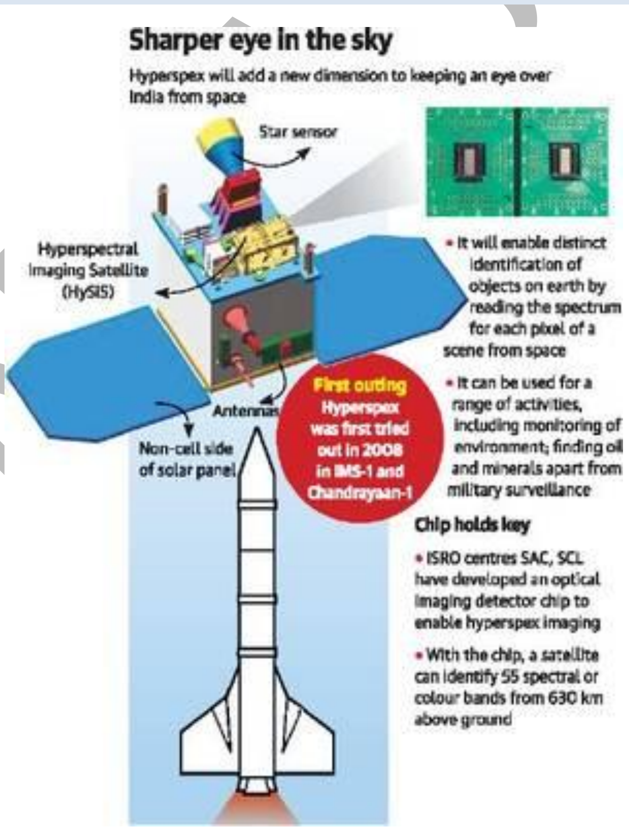

6.3. हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटलाइट

(Hyperspectral Imaging Satellite)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इसरो द्वारा HySIS (हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटलाइट) प्रक्षेपित करने की योजना बनायी गयी है जोकि एक अर्थ ऑब्ज़र्वेशन सैटलाइट है। इसके लिए "ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर अरे" नामक एक जटिल चिप का प्रयोग किया जायेगा।

हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग क्या है?

- हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग अथवा इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिजिटल इमेजिंग तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों की क्षमता का संयोजन होता है।
- एक हाइपरस्पेक्ट्रल कैमरा में किसी चित्र के प्रत्येक पिक्सेल के लिए अनेक संस्पर्शी स्पेक्ट्रल बैंड्स की प्रकाश तीव्रता (रेडिएंस) प्राप्त की जाती है।
- किसी भी चित्र के प्रत्येक पिक्सेल में दृश्य तथा इन्फ्रारेड क्षेत्र का एक संस्पर्शी स्पेक्ट्रम होता है। इसकी सहायता से किसी भी चित्र की वस्तुओं का अत्यधिक स्पष्टता तथा सूक्ष्मता से चित्रण किया जा सकता है।
- हाइपरस्पेक्ट्रल चित्र सामान्य रंगीन कैमरा की तुलना में किसी दृश्य का कहीं अधिक सूक्ष्म विवरण प्रदान करते हैं। सामान्य रंगीन कैमरा केवल तीन प्राथमिक रंगों- लाल, हरा तथा नीला के अनुसार तीन स्पेक्ट्रल चैनल प्राप्त करता है।

- अतः, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग की मदद से स्पेक्ट्रल विशेषताओं के आधार पर किसी दृश्य की वस्तुओं को वर्गीकृत करने की बेहतर क्षमता प्राप्त होती है।

6.4. ISRO के IRNSS 1H का प्रक्षेपण असफल

(Launch of ISRO's IRNSS 1H Unsuccessful)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- भारत के अपने स्वदेशी GPS तंत्र NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सटेलेशन) हेतु आवश्यक नवीनतम नेविगेशन उपग्रह **IRNSS 1H** का प्रक्षेपण विफल हो गया।

अधिक जानकारी

- इसे **PSLV C39** द्वारा ले जाया गया था। IRNSS 1H का कार्य मौजूदा **NavIC** कॉन्सटेलेशन के सात उपग्रहों की श्रृंखला का संवर्धन करना था।
- यदि यह प्रक्षेपण सफल हो जाता तो यह एक ऐतिहासिक अवसर होता क्योंकि पहली बार किसी उपग्रह के संयोजन तथा परीक्षण में निजी क्षेत्र ने सक्रिय रूप से भागीदारी की है। इससे पहले तक निजी क्षेत्र की भूमिका अवयवों की आपूर्ति तक ही सीमित थी।
- IRNSS 1H का प्रक्षेपण इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि IRNSS-1A की तीनों परमाणु घड़ियों (एटॉमिक क्लॉक्स) में कुछ समस्या उत्पन्न हो गयी थी।

परमाणु घड़ी (एटॉमिक क्लॉक) एक ऐसा यंत्र हैं जो समय मापने की मानक आवृत्ति हेतु परमाणुओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजीशन फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करता है।
परमाणु घड़ी सबसे सटीक समय तथा आवृत्ति मानक प्रदान करती है तथा इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय समय वितरण सेवाओं, टेलीविज़न प्रसारण की तरंग आवृत्ति को नियंत्रित करने तथा GPS जैसे वैश्विक नौवहन तंत्र में किया जाता है।

- **IRNSS (इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटलाइट सिस्टम)** एक स्वतंत्र क्षेत्रीय प्रणाली है जिसे भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका-आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS), रूस के ग्लोनास तथा यूरोप द्वारा विकसित गैलीलियो की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है।
- यह प्रणाली जमीनी तथा समुद्री नेविगेशन, आपदा प्रबंधन, व्हीकल ट्रैकिंग तथा बेड़े के प्रबंधन, पर्वतारोहियों (hikers) एवं यात्रियों को नेविगेशन सहायता तथा वाहनचालकों के लिए विज़ुअल तथा वॉयस नेविगेशन जैसी सेवाएं प्रदान करती है। इस प्रणाली को NavIC (नेविगेशन विद इंडियन कॉन्सटेलेशन) कहा जाता है।
- ISRO द्वारा पहले प्रक्षेपित किये गए सात नेविगेशन उपग्रह हैं : **IRNSS-1G (28 अप्रैल2016); IRNSS-1F (10 मार्च 2016); IRNSS-1E (20 जनवरी 2016), IRNSS-1D (28 मार्च 2015), IRNSS-1C (16 अक्टूबर 2014), IRNSS-1B (4 अप्रैल 2014); and IRNSS-1A (1 जुलाई 2013)।**

6.5. क्यूबसैट में प्रोपेलेंट के रूप में जल

(Water as Propellant in Cubesat)

अमेरिका में पर्ड्यू विश्वविद्यालय के इंजीनियरों ने एक ऐसी माइक्रोप्रॉपल्सन प्रणाली की डिजाइनिंग तथा परीक्षण किया है जो कि क्यूबसैट्स नामक छोटे उपग्रहों की कक्षीय गतिशीलता के लिए प्रोपेलेंट के रूप में तरल जल का उपयोग करता है।
इसमें शुद्ध जल को प्रोपेलेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह पर्यावरण-अनुकूल, सुरक्षित तथा उपयोग में आसान है। इसके अतिरिक्त, इसमें रासायनिक प्रोपेलेंट की तरह थ्रस्टर से निकलने वाले धुंए के प्रतिवाह (backflow) से संवेदनशील उपकरणों के प्रदूषित होने का जोखिम भी नहीं होता।

ईंधन के स्थान पर जल के प्रयोग की क्या आवश्यकता है?

- वर्तमान में प्रौद्योगिकी के लघु रूपांतरण के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। इसमें उपग्रह भी शामिल हैं जिसके फलस्वरूप छोटे क्यूबसैट बने हैं जिनका वजन सामान्यतया लगभग 2 किलोग्राम होता है।
- ऐसा माना जाता है भविष्य में ये क्यूबसैट्स आकाश से इमेजिंग तथा रिमोट-सेंसिंग जैसे कार्यों का निष्पादन करेंगे। यह अभी भारी उपग्रहों द्वारा किया जाता है। इन भारी उपग्रहों का निर्माण तथा प्रक्षेपण काफी महंगा होता है।
- हालाँकि वर्तमान समय में क्यूबसैट्स अपने भारी समकक्षों का स्थान लेने में पूरी तरह सक्षम नहीं हैं क्योंकि वे कक्षा बदलने में अथवा जटिल कार्य करने में समर्थ नहीं हैं।
- जल प्रोपल्शन प्रणाली की सहायता से ये उपग्रह कक्षा बदलने में अथवा अपनी ऊँचाई को बनाये रखने में सक्षम हो पाएंगे। इससे अंतरिक्ष अपशिष्ट बनने से पूर्व इन उपग्रहों की परिचालन अवधि में वृद्धि हो जायेगी।

यह जल प्रोपल्शन प्रणाली किस तरह कार्य करेगी?

- क्यूबसैट को FEMTA थ्रस्टर्स के साथ एकीकृत किया जायेगा। "फिल्म-इवैपोरेशन MEMS ट्यूनेबल अरे" या FEMTA थ्रस्टर में मानव केश से भी पतली नलियों का प्रयोग किया जाता है। इनसे प्रोपेलेंट जल का प्रवाह होता है।

VISION IAS

- नलियों के अंत में लगे हुए छोटे हीटर इस जल को वाष्प में परिवर्तित करते हैं जो इन छोटी नलियों से निकलने के बाद दबाव बनाती है। इन नलियों का व्यास मात्र 10 माइक्रोमीटर होने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव इसे अंतरिक्ष के निर्वात में भी बाहर बह जाने से रोकता है।
- ये छोटी नलियाँ वाल्व्स की तरह कार्य करती हैं जिन्हें हीटर्स को क्रियाशील करके आरंभ या बंद किया जा सकता है।

6.6. भारत की प्रथम निजी मिसाइल उत्पादन सुविधा का अनावरण

(India's First Private Missile Production Facility Unveiled)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में हैदराबाद के निकट भारत की प्रथम निजी मिसाइल उत्पादन सुविधा का अनावरण किया गया।

विवरण

- **इस मिसाइल सब-सेक्शन विनिर्माण सुविधा** को कल्याणी ग्रुप तथा इजराइल की राफेल एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया है।
- यह कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम फैसिलिटी प्रारम्भ में एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (ATGM) स्पाइक का निर्माण करेगी।
- इसके पश्चात इसका लक्ष्य भारत में विभिन्न जमीनी तथा हवाई उत्पादों तथा प्रणालियों को स्थानीय स्तर पर री-डिजाईन, री-इंजिनियर तथा विनिर्मित करने के लिए एक ही स्थान पर सुविधा उपलब्ध करवाना है।
- इस सुविधा को 'मेक इन इंडिया' उपक्रम तथा डिफेन्स प्रोक्योरमेंट पालिसी, 2016 के **'मेक (इंडियन)** तथा '**बाय एंड मेक (इंडियन)**' के अंतर्गत स्थापित किया गया है।
- इस संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला **घरेलू माल 90% है** तथा इसके द्वारा रक्षा उत्पादन में **निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन** देने की नीति को कार्यान्वित किया जायेगा।

6.7. INCOIS द्वारा महासागरीय पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन

(INCOIS Unveils Ocean Forecasting System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

INCOIS द्वारा रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी-हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर एशिया एंड अफ्रीका (RIMES) की तीसरी बैठक में कोमोरोस, मेडागास्कर तथा मोजांबिक के लिए महासागरीय पूर्वानुमान प्रणाली (ओशन फोरकास्टिंग सिस्टम) का उद्घाटन किया गया।

विवरण

- **इस ओशन फोरकास्टिंग सिस्टम** को INCOIS द्वारा हिन्द महासागरीय देशों के लिए विकसित किया गया है। यह प्रणाली अभी सेशेल्स, श्रीलंका तथा मालदीव में संचालित हो रही है।
- इसका लक्ष्य महासागर में सुरक्षा पर सूचना देना है। यह निम्नलिखित स्थितियों की रिपोर्टिंग करेगा:
    - उच्च तरंगें, जल प्रवाह, पवन, महासागर के उप-पृष्ठ (sub-surface) की स्थिति
    - बंदरगाह चेतावनी, ऑयल स्पिल (तेल प्लवन) परामर्शी सेवाएं
    - सुनामी तथा तूफ़ान आने की चेतावनी
- यह सूचना उपरोक्त देशों के मछुआरों, तटीय जनसंख्या, पर्यटन क्षेत्र, तटीय रक्षा अधिकारियों, समुद्री पुलिस, बंदरगाह अधिकारियों, शोध संस्थानों तथा तट के समीप स्थित उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी-हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया (RIMES)

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्सरकारी संस्थान है जिसे 2004 में हिन्द महासागर में आयी सुनामी के परिणामस्वरूप अफ्रीकी तथा एशियाई देशों के प्रयासों द्वारा गठित किया गया था। इसका कार्य पूर्व चेतावनी सूचना सृजन तथा उसका अनुप्रयोग करना है।
- यह पथुमथानी, थाईलैंड में एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी के परिसर में स्थित पूर्व चेतावनी केन्द्रों से संचालित होता है।
- यह अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत है तथा इसे UNESCAP तथा DANIDA का भी सहयोग प्राप्त होता है।
- यह सुनामी तथा ख़राब मौसम के बारे में जानकारी देता है। इसके अतिरिक्त यह उभरती हुई प्रौद्योगिकी के परीक्षण स्थल के रूप में भी कार्य करता है तथा कार्यक्षमता में वृद्धि करने में सहायता करता है।

सदस्य देश: बांग्लादेश, कंबोडिया, कोमोरोस, भारत, लाओ PDR, मालदीव, मंगोलिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका तथा तिमोर-लेस्ते।

सहयोगी देश: अफ़ग़ानिस्तान, आर्मेनिया, भूटान, चीन, इंडोनेशिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजांबिक, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, रुसी फेडरेशन, सोमालिया, तंज़ानिया, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम तथा यमन।

VISION IAS

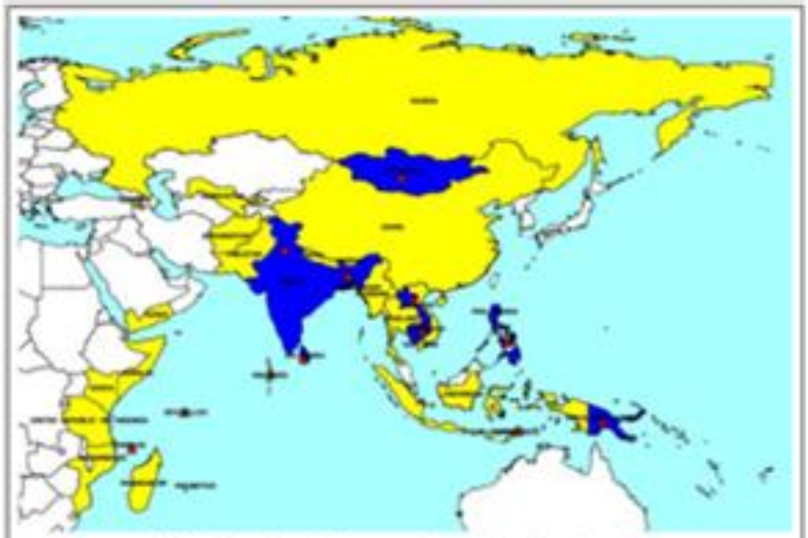

RIMES Member States and Collaborating Countries

लाभ

- जहाजों के मार्गों पर पूर्वानुमान की सहायता से **सुरक्षित नौवहन संभव होगा।**
- समुद्र में होने वाली **हानियों में कमी आएगी तथा परिचालनों में सुधार होगा।**
- रियल टाइम ओशन स्टेट फोरकास्ट से **ब्लू इकॉनमी** को लाभ होगा।
- **राहत तथा बचाव कार्यवाही** को अधिक प्रभावी रूप से किया जा सकेगा।
- समुद्र की सतह तथा सतह के नीचे के तापमान की सूचना की सहायता से **समुद्री जैव-विविधता का संरक्षण** किया जा सकेगा।

भारत के लिए महत्व

- INCIOS को प्राप्त रियल टाइम डेटा से भारतीय तटों को भी प्राकृतिक आपदाओं से बचने में मदद मिलेगी तथा भारत के लिए ओशन स्टेट फोरकास्ट (OSF) तथा पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार होगा।
- यह पाया गया है कि OSF हिन्द महासागर में अनियमितताओं का पूर्वानुमान करने में सहायता करेगा क्योंकि दक्षिणी तथा पश्चिमी हिन्द महासागर से उत्पन्न होने वाली कई दूरगामी प्रेरित लहरें (रिमोट फोर्स्ड वेव्स) भारतीय तटों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
- उदाहरण के लिए सेशेल्स से भेजे गए डेटा के आधार पर केरल तथा पश्चिम बंगाल में 2016 में लहर महोर्मि (wave surge) तथा तटीय बाढ़ की भविष्यवाणी बहुत पहले की जा चुकी थी।

ESSO इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओसियन एंड इनफार्मेशन सर्विसेज (INCOIS)

- ESSO INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है तथा अर्थ सिस्टम साइंस आर्गेनाइजेशन (ESSO) की एक इकाई है।
- यह सरकार, उद्योगों, समुदाय तथा विज्ञान अनुसन्धान समुदाय को सूचना तथा परामर्श प्रदान करता है। इसके लिए यह सुनियोजित तथा केन्द्रित अनुसन्धान के मध्यम से निरंतर तथा सतत अवलोकन एवं सुधार करता है।
- ESSO INCOIS की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति :
    - UNESCO के IOC का स्थायी सदस्य
    - इंडियन ओसियन ग्लोबल ऑब्जर्विंग सिस्टम (IOGOOS) तथा पार्टनरशिप फॉर ऑब्ज़र्विंग द ओशन्स (POGO) के संस्थापक संदस्यों में से एक
    - रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी-हैज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर अफ्रीका एंड एशिया (RIMES) के सदस्य देशों को सूचना प्रदान करता है।

6.8. नैनोमैटेरियल: जलवायु परिवर्तन से निबटने तथा प्रदूषण की रोकथाम हेतु

(Nanomaterials: Combating Climate Change and Prevent Pollution)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक प्रभावी रूप से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में सहायक नैनोमैटेरियल विकसित कर रहे हैं। ये नैनोमैटेरियल डाई, ऑयल स्पिल इत्यादि जैसे विषैले अपशिष्ट से निबटने के लिए बायोरेमेडिएशन की शुरुआत करने में समर्थ होंगे।

विवरण

- **पर्यावरणीय नैनोटेक्नोलॉजी** में नैनोस्केल पदार्थों के प्रयोग से बायोरेमेडिएशन, जल शुद्धिकरण, उत्पाद पुनर्चक्रण तथा पुनः प्राप्ति एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी पर्यावरणीय चिंताओं के समाधान के प्रयास किये जाते हैं।
- इन नैनोमैटेरियल्स में रासायनिक अभिक्रियात्मकता, इलेक्ट्रॉनिक विशेषताएं, जीवाणु-रोधी क्रिया जैसे विशेष गुण होते हैं। अतः उनमें जलवायु परिवर्तन से निबटने तथा प्रदूषण को कम करने की क्षमता होती है।

VISION IAS

क्षेत्र जहाँ पर्यावरण नैनोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है:

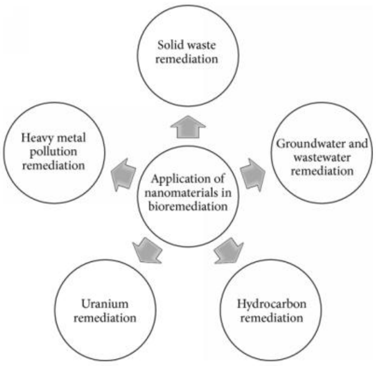

कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण

- अनुसन्धानकर्ताओं ने नैनो CO2 हार्वेस्टर का निर्माण किया है जो वायुमंडल से CO2 खींचकर उसे मेथनॉल में परिवर्तित करता है। इस मेथनॉल को वाहन-ईंधन की तरह प्रयोग किया जा सकता है।
- नैनो CO2 हार्वेस्टर सामान्य से अधिक CO2 ग्रहण कर सकता है तथा अधिक प्रभावी ईंधन परिवर्तक है।

जल स्वच्छ करने हेतु

- अनुसंधानों में पाया गया है कि चुम्बकीय आवेश वाले नैनोपार्टिकल प्रभावी रूप से अधिशोषण (एडजार्पशन) प्रक्रिया के द्वारा जल निकायों से भारी धातु तथा डाई हटाने में सक्षम हैं। इनका जल्दी निम्नीकरण भी नहीं होता है।
- इनका प्रयोग आर्सेनिक, लेड, क्रोमियम तथा मरकरी जैसे विषैले पदार्थों से भूमिगत जल को स्वच्छ करने के लिए किया जा सकता है। इन्हें नैनोस्पंज की मदद से ऑयल स्पिल को साफ़ करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

जैवनिम्नीकरण की प्रक्रिया की गति तीव्र करने के लिए (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन)

- जैविक अपशिष्ट को जैविक खाद तथा उर्वरक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भी नैनोपार्टिकल्स के प्रयोग से तीव्र किया जा सकता है।
- अतः, इनके द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लगने वाले समय में कमी आएगी तथा बायोगैस के उत्पादन में वृद्धि होगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार, आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स जो विषैले नहीं होते, को भी इस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

चुनौतियाँ

- आकार में छोटे होने के कारण नैनोपार्टिकल्स में एकत्रित हो जाने तथा लम्बे समय तक उपयोग ना होने पर निष्क्रिय हो जाने की प्रवृत्ति होती है।
- उपयोगी नैनोपार्टिकल्स का निर्माण भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि एकसमान आकार के कणों का उत्पादन कठिन है।
- नैनोस्पंज जैसे नैनोपार्टिकल्स की व्यवहारिकता अभी तक सिर्फ प्रयोगशाला में ही सफल रही है तथा बड़े पैमाने पर इसका परीक्षण नहीं किया गया है।
- नैनोपार्टिकल्स के प्रयोग की स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताएं भी हैं। इनके छोटे आकार के कारण ये आसानी से पशु तथा मनुष्य के अन्दर प्रवेश कर सकते हैं।
- लम्बे जीवनकाल के कारण इनके प्रयोग से जैव-आवर्द्धन (बायो-मैग्नीफिकेशन) जैसे मुद्दे भी उत्पन्न होते हैं।

6.9. NHAI द्वारा मायफास्टैग तथा फास्टैग मोबाइल एप्प लांच

NHAI Launches Mobile App Myfastag and Fastag Partner

रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) का तात्पर्य किसी वस्तु से जुड़े टैग की सूचना को पढ़ने तथा एकत्रित करने के लिए रेडियो तरंगों के प्रयोग से है। इस टैग को कई फुट दूर से पढ़ा जा सकता है तथा इसका पढ़ने वाले की सीधी दृष्टिरेखा में होना भी आवश्यक नहीं है। इसका उपयोग वस्तुओं पर नजर रखने या मार्ग के रूप में होता है ।

नियर फील्ड कम्युनिकेशन (NFC) एक कम दूरी की उच्च आवृत्ति वाली वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी है जो 10 सेंटीमीटर दूर स्थित यंत्रों के बीच डेटा के आदान-प्रदान में सहायता करती है। इसे क्रेडिट कार्ड सम्बन्धी भुगतान, ई-बुकिंग इत्यादि के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

बारकोड स्कैनर किसी बारकोड से प्रतिबिंबित हुए प्रकाश का पता लगाता है। कोड को पढ़ने के लिए इन्हें कोड से कुछ इंच से लेकर कुछ फीट तक के दायरे में रखना पड़ता है।

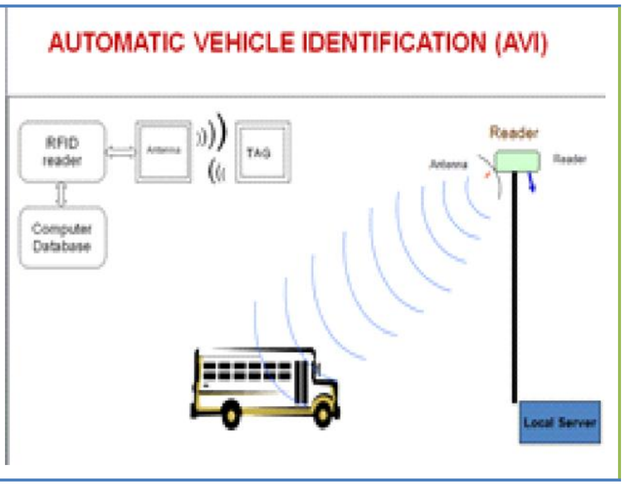

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने **MyFASTag तथा FASTag पार्टनर नामक** दो मोबाइल एप्लीकेशनों की शुरुआत की है । इनका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को सुविधाजनक बनाना है।

विवरण

- NHAI ने इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन कार्यक्रम की शुरुआत की ताकि मानव हस्तक्षेप कम किये जा सकें तथा राजमार्ग पर वाहनों की बिना रूकावट आवाजाही हो सके। हालाँकि, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी समस्या **FASTags** की खरीद तथा उनके रिचार्ज की प्रक्रिया का जटिल होना था।
- **FASTag** एक ऐसा यंत्र है जो प्रीपेड अकाउंट में सीधे प्रीपेड भुगतान करने के लिए RFID प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है।

VISION IAS

- इसलिए, RBI और NPCI के परामर्श के साथ NHAI ने ऑनलाइन सुविधा तथा दो मोबाइल एप भी लांच किये है जिनकी मदद से **FASTag** को आसानी से खरीदना, रिचार्ज करना तथा इस सम्बन्ध में शिकायत समाधान संभव हो सकेगा।

6.10. नई टेक्टॉनिक प्लेट की खोज

(New Tectonic Plate Discovered)

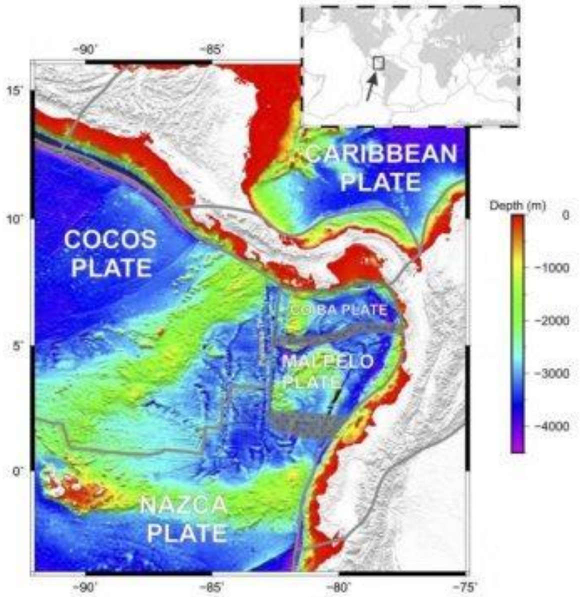

अमेरिका स्थित राइस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इक्वाडोर के तट से पूर्वी प्रशांत महासागर में एक नई टेक्टोनिक प्लेट का पता लगाया है। इसमें स्थित एक द्वीप तथा जलमग्न कटक (अंडरवाटर रिज) के आधार पर इसका नाम माल्पेलो प्लेट रखा गया है। यह अब तक खोजी गयी प्लेटों में 57वीं है तथा इस दशक में खोजी गयी पहली प्लेट है।

इसकी खोज कैसे हुई?

- इसकी खोज अन्य प्लेटों की गति तथा एक दूसरे के सापेक्ष उनकी बदलती स्थितियों के अध्ययन के द्वारा की गयी है । ये प्लेट्स कुछ मिलीमीटर से लेकर कुछ सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से गति करती हैं।
- अनुसन्धानकर्ता पूर्वी प्रशांत महासागर की तीन अन्य प्लेट्स के जंक्शन का अध्ययन कर रहे थे।
- ये प्लेट्स मैंटल पर गति करती हैं जो एक द्रव के तौर पर (भौगोलिक समय में) व्यवहार करता है। चूँकि ये सभी आपस में एक पजल के टुकड़ों (puzzle pieces) की तरह जुड़े हुए हैं, इसलिए एक की गति से अन्य सभी प्लेट्स पर प्रभाव पड़ता है।
- इन तीन प्लेट्स के कोणीय वेग का योग शून्य होना चाहिए। किन्तु जब अनुसंधानकर्ताओं ने अवलोकन किया तो यह 15 मिलीमीटर प्रति वर्ष आया जो विसंगति का संकेत था।

इस विश्लेषण में पाया गया कि पनामा फाल्ट ईस्ट से लेकर इक्वेडोर तथा कोलंबिया के तटों के समीप एक गहरी महासागरीय खाई तक एक अपसारी प्लेट सीमा उपस्थित है।

महत्त्व

- इन प्लेटों की गति से **वित्याज़ भूकंप** नामक गहरे तथा विशाल भूकम्पों की श्रृंखला का रहस्य पता चल सकता है। इन भूकम्पों का उद्गम फिजी तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच मेंटल में हुआ था।
- माल्पेलो को शामिल करने के बाद भी इस नए सर्किट के कोणीय वेगों का योग शून्य नहीं होता है तथा प्रशांत महासागरीय प्लेट की सिकुड़न भी इस अंतर की व्याख्या करने में अक्षम है। इसलिए अभी प्लेट संख्या 58 के खोज की भी संभावना बनी हुई है।

6.11. परसीड उल्कापात

(Perseid Meteor Shower)

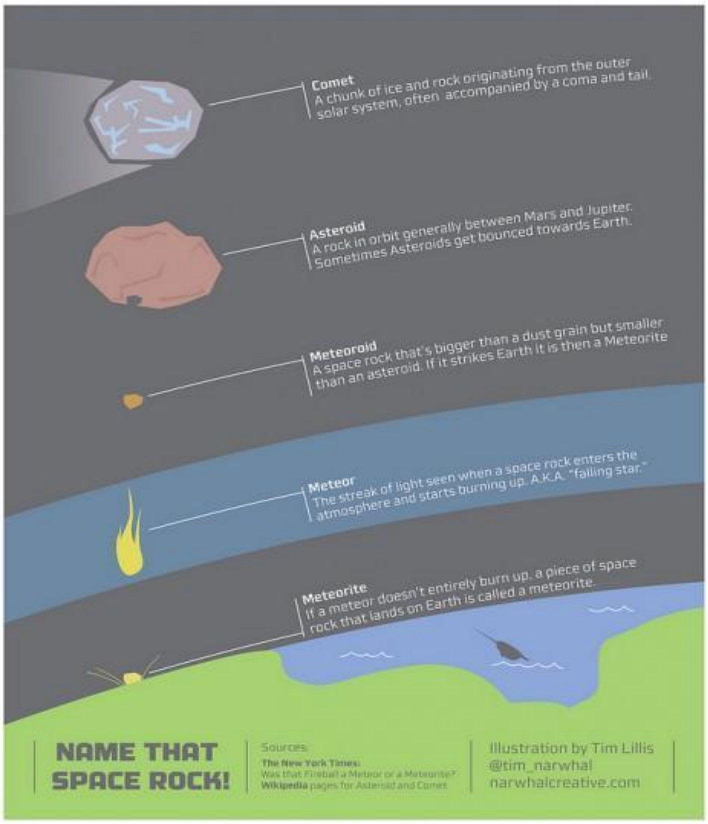

सुर्ख़ियों में क्यों?

- अगस्त 2017 में धरती पर एक विशिष्ट खगोलीय परिघटना देखी गयी। परसीड उल्कापात नामक यह परिघटना 12 अगस्त को अपने चरम पर थी।

परसीड उल्कापात क्या है ?

- परसीड उल्कापात स्विफ्ट टटल नामक धूमकेतु की धूल है। यह प्रति वर्ष पृथ्वी से निकट से गुज़रता है।
- यह उल्कापात तब होता है जब वायुमंडल में प्रवेश करते हुए अपशिष्ट गर्म होकर तेज प्रकाश के साथ जलने लगते हैं ।
- जब यह अपशिष्ट अंतरिक्ष में रहते हैं तो "उल्कापिंड"(meteoroids) कहलाते हैं, पर जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लेते हैं तो उन्हें "उल्का"(METEORS) कहा जाता है।

स्विफ्ट टटल धूमकेतु

- स्विफ्ट-टटल धूमकेतु के नाभिक (न्यूक्लियस) का व्यास 16 मील (26 किलोमीटर) है, तथा यह पृथ्वी के निकट से बार बार गुजरने वाला विशालतम पिंड है।
- इससे पूर्व यह धूमकेतु 1992 में पृथ्वी के निकट से अपनी कक्षा में घूर्णन करते हुए गुज़रा था। यह 2026 में दोबारा पृथ्वी के निकट से गुज़रेगा।

6.12. स्टेम सेल अनुसन्धान हेतु दिशानिर्देशों का मसौदा

(Draft Guidelines for Stem Cell Research)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- इंडियन कौंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (ICMR) द्वारा **जैवप्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से स्टेम सेल अनुसंधान, 2015 हेतु दिशानिर्देशों के संशोधित मसौदे को जारी किया गया है** तथा इस पर टिप्पणियां मांगी गयी हैं। इन दिशा-निर्देशों के मसौदे में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है मानव स्टेम सेल्स पर होने वाले सभी अनुसन्धान नैतिक तथा वैज्ञानिक रूप से उत्तरदायी तरीके से संपन्न किये जाएँ।

इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ

- दिशा-निर्देशों का यह मसौदा विभिन्न हितधारकों पर लागू होगा जिसमें मानव स्टेम सेल पर आधारभूत तथा नैदानिक अनुसन्धान से जुड़े सभी व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता, प्रायोजक तथा निरीक्षण/नियमन समितियाँ सम्मिलित हैं। ये दिशानिर्देश गैर-मानव स्टेम सेल्स पर लागू नहीं होंगे।
- स्टेम सेल पर होने वाले अनुसन्धान से जुड़े बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स : IPR) का वाणिज्यिक मूल्य भी हो सकता है। ऐसे IPR को साझा करने का विकल्प सूचित सहमति पत्रक में दिया जाना चाहिए। इस सहमति पत्रक को अनुसन्धान के शुरू होने से पूर्व प्रदान किया जाना चाहिए।
- वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर अनुसन्धान गतिविधियों की निगरानी तथा देखरेख **नेशनल कमिटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च एंड थेरेपी** करती है। संस्थानिक स्तर पर स्टेम सेल अनुसन्धान (आधारभूत तथा नैदानिक दोनों) की निगरानी तथा मंजूरी का उत्तदायित्व इंस्टिट्यूशनल कमिटी फॉर स्टेम सेल रिसर्च का है। ये समितियाँ यह सुनिश्चित करेंगी कि स्टेम सेल्स से जुड़ी सभी रिसर्च परियोजनाओं का पुनरीक्षण, स्वीकृति तथा निगरानी राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार हो।

6.13. अमेरिका द्वारा जीन थेरेपी को स्वीकृति

(US approves gene therapy

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यू. एस. फ़ूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के उपचार के लिए प्रथम जीन थेरेपी को मंजूरी दे दी है।

क्या है यह ?

- इस जीन थेरेपी में मरीज़ों के स्वयं की इम्यून कोशिकाओं (T- सेल्स) तथा श्वेत रक्त कोशिकाओं (वाइट ब्लड सेल्स) का प्रयोग किया जाता है।
- इन कोशिकाओं को सबसे पहले रक्त कोशिकाओं से एक विशेष ब्लड फिल्ट्रेशन प्रक्रिया से निकाला जाता है। उसके पश्चात् एक वायरल वेक्टर की मदद से इनमें जीन डाले जाते हैं, इन्हें दोबारा प्रोग्राम किया जाता है तथा मरीज़ के शरीर में वापस डाला जाता है।
- इस प्रकार की इम्यूनोथेरेपी को CAR-T सेल थेरेपी कहा जाता है (पहले इसे CTL019 के नाम से जाना जाता था)।

6.14. IIT दल द्वारा "इम्प्लांटेबल पैंक्रियाज़" का निर्माण

(IIT Team Makes "Implantable Pancreas")

- गुवाहाटी स्थित इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (IIT) ने सफलतापूर्वक एक 3D सिल्क के स्कैफोल्ड (ढाँचे) के अन्दर **इम्प्लांटेबल (आरोपित करने योग्य) बायोआर्टिफीशियल पैंक्रियाज** का निर्माण किया है।
- इस स्कैफोल्ड के ऊपर एक अर्द्ध-पारगम्य झिल्ली होती है जिसके द्वारा रक्त में इन्सुलिन जा सकता है लेकिन इसके अन्दर प्रतिरोधी कोशिकाएं प्रवेश करके इसे नष्ट नहीं कर सकती हैं। इन "पैंक्रियाज़" में **इन्सुलिन-उत्पादक कोशिकाएं होती हैं जो प्राकृतिक प्रक्रिया से सतत रूप से इन्सुलिन उत्पादित करने में सक्षम होती हैं।**

VISION IAS

- इस स्कैफोल्ड में ऐसी दवाएं अन्तःस्थापित की जाती हैं जो शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को अवरुद्ध कर देती हैं ताकि शरीर प्रत्यारोपण को अस्वीकार न किया जा सके।
- पशुओं तथा मानव पर इनका परीक्षण किया जाना अभी बाकी है। सफल हो जाने पर इसका उपयोग टाइप 1 डायबिटीज के उपचार के लिए किया जा सकता है।

टाइप 1 डायबिटीज	टाइप 2 डायबिटीज
• टाइप 1 डायबिटीज एक स्व-प्रतिरक्षित (ऑटोइम्यून) रोग है। यह तब होता है जब शरीर का प्रतिरोधक तंत्र बीटा सेल्स को नष्ट कर देता है (बीटा सेल्स इन्सुलिन उत्पादन करते हैं)।	• टाइप 2 डायबिटीज तब होता है जब शरीर की इन्सुलिन के प्रति संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है अथवा जब शरीर उत्पादित इन्सुलिन पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है। • टाइप 2 डायबिटीज का टाइप 1 डायबिटीज की तुलना में पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा वंशावली से अधिक गहन सम्बन्ध होता है।

7. सामाजिक मुद्दें

(SOCIAL)

7.1. तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

(SC Ruling on Triple Talaq)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- 22 अगस्त को संविधान पीठ ने सायरा बानो मामले में निर्णय देते हुए त्वरित तीन तलाक'(instant triple talaq) (तलाक-ए-बिद्दत) की प्रथा को 3:2 के बहुमत से अमान्य घोषित कर दिया।

2002 के **शमीम आरा मामले** के बाद भी इस निर्णय की आवश्यकता क्यों?

- 2002 के मामले में, उच्चतम न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ ने इस त्वरित तलाक को अवैध घोषित कर दिया था। हालाँकि यह केवल उसी स्थिति में अवैध था जब इसे भली-प्रकार घोषित न किया गया हो एवं उसके बाद सुलह के प्रयास न किए गए हों।
- 2008 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बदर दुरेज अहमद ने मसूद अहमद मामले में निर्णय दिया कि एक बार में बोले गए तीन तलाक को केवल एक ही तलाक गिना जाएगा।
- यह नवीनतम निर्णय तलाक-ए-बिद्दत को पूर्णतया एवं बिना किसी शर्त के अवैध घोषित करता है।
- अब केवल तलाक की कुरान सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से ही मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक दे सकेगा।

निर्णय के सकारात्मक परिणाम

- यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 में प्रदान किए गए मूल अधिकारों का समर्थन करते हुए **समानता सुनिश्चित करता है।** इस निर्णय से यह स्पष्ट किया गया कि समानता के अधिकार में स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध अधिकार भी सम्मिलित है। इस प्रकार यह घोषित करता है कि ऐसे अपरिवर्तनीय तत्काल तीन तलाक असंवैधानिक हैं, जिसके बाद सुलह के प्रयास भी नहीं किए जाते।
- यह मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय **सुनिश्चित करता है,** क्योंकि तीन तलाक प्रक्रिया में उनकी सामाजिक स्थिति और गरिमा का हनन होता था ।
- यह अनुच्छेद 15 एवं 16 में प्रदान किए गए प्रावधानों के अनुरूप लिंग आधारित **भेदभाव को समाप्त करता** है।
- **मूल संवैधानिक प्रावधानों** की रक्षा करता है ,क्योंकि यह घोषणा करता है कि *पर्सनल लॉ* व्यक्तियों के संवैधानिक रूप से गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते।
- यह विधिक एवं धार्मिक मामलों के जानकार मुस्लिम बुद्धिजीवियों द्वारा **मध्यस्थता केंद्रों की स्थापना किये जाने को प्रोत्साहित करता है,** जिससे मुस्लिम दम्पत्तियों को वैवाहिक विवादों के सौहार्द्रपूर्ण समाधान में सहायता मिल सके।

इस निर्णय के विरुद्ध तर्क

- यह अनुच्छेद 26 के अंतर्गत प्रदत्त **संवैधानिक संरक्षण के विरुद्ध** है क्योंकि *ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड* के अनुसार तीन तलाक 1400 वर्ष पुरानी प्रथा है।
- **अस्थिर बाहरी सुधार-** तलाकशुदा दंपत्तियों के बीच वैवाहिक संबंधों को पूर्ववत स्थिति में लाने में हमेशा समस्याएँ रहेंगी, क्योंकि इसे समाज द्वारा अनुचित एवं अवैध समझा जाता है। इसलिए लोगों को शिक्षित करने की भी आवश्यकता है।
- ***ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड* (AIMPLB) द्वारा आंतरिक सुधारों का वादा किया गया था-** बोर्ड ने आचार संहिता जारी करने एवं शरीयत (इस्लामी कानून) वर्णित कारणों के बिना तलाक देने वालों को सामाजिक बहिष्कार का सामना करने की चेतावनी देने का निर्णय किया था।
- **न्यायिक परिधि के बाहर**– "धर्म की गूढ़ बातों का निर्धारण करना" न्यायालय का कार्य नहीं है। साथ ही यह भी विवाद है कि 1937 के *मुस्लिम पर्सनल लॉ* (शरीयत) एक्ट ने तलाक-ए-बिद्दत को वैधानिक कानून के रूप में संहिताबद्ध नहीं किया है। इस प्रकार यह अनुच्छेद 13 की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।
- **इस्लामी कानून के कई मतों का होना-** उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया यह मामला हनाफी कानून के संबंध में है, क्योंकि शायरा बानो हनाफी हैं।इसलिए न्यायालय को आदर्श रूप से आधिकारिक हनाफी ग्रन्थों का परीक्षण करना चाहिए और यह मत इस प्रथा को वैध मानता है।

संविधान का अनुच्छेद 26 न केवल "प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय" अपितु "उस संप्रदाय के प्रत्येक पंथ" को भी धर्म के मामलों में स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस प्रकार हनफी पंथ को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।

निष्कर्ष

- आशा की जाती है कि यह निर्णय इस्लाम के मूल स्रोतों की संरचना के अंतर्गत रहते हुए इस्लाम की आधुनिक व्याख्याओं का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा *मुस्लिम पर्सनल लॉ* में सुधारों की प्रक्रिया आरंभ करेगा।

VISION IAS

- लेकिन सबसे बड़ी चुनौती मुस्लिम जनसामान्य को इस विषय में आश्वस्त करना होगा कि तलाक-ए-बिद्दत की समाप्ति शरीयत के विरुद्ध नहीं है। इसके विपरीत इससे यह इस्लाम के सिद्धांतों के और भी निकट आया है।
- सामान्य रूप से यह निर्णय निम्नलिखित मुद्दों पर वाद-विवाद को जन्म देगा -
    - देश में धर्म आधारित *पर्सनल लॉ*, जिसके अंतर्गत सामान्य रूप से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निम्न स्थिति प्रदान की गयी है।
    - संवैधानिक कानून बनाम सामाजिक मानदंड।
    - धर्म की स्वतंत्रता एवं अन्य मूल अधिकारों के बीच टकराव की समस्या का समाधान।

7.2. स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट: संधारणीय विकास लक्ष्य

(Voluntary National Review Report: SDGs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के *हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम* में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की।

***हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम* (HLPF)**

यह *यूनाइटेड नेशन्स कांफ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट* (रियो+20) के अंतर्गत *कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट* को प्रतिस्थापित कर 2013 में स्थापित किया गया है।
यह फोरम *इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल* के तत्वावधान में वार्षिक रूप से आठ दिनों के लिए बैठक करती है।
संधारणीय विकास लक्ष्यों (SDGs) के 2030 एजेंडे के फॉलो-अप एवं समीक्षा में इसकी केंद्रीय भूमिका है।

स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा क्या है?

- यह **SDG- लक्ष्य 17** की पूर्ति की दिशा में एक प्रयास है। यह फॉलो-अप प्रक्रिया एवं समीक्षा तंत्र का एक भाग है।
- इसका उद्देश्य 2030 के एजेंडे का कार्यान्वयन तीव्र गति से करने हेतु इससे संबंधित समस्त अनुभवों को साझा करने की प्रक्रिया को सहज बनाना है। इसमें सफलताओं, चुनौतियों और मिली सीखों को साझा करना शामिल है।
- वर्तमान रिपोर्ट लक्ष्य 1, 2, 3, 5, 9, 14 और 17 के संबंध में प्रगति को समाहित करती है। साथ ही यह एक प्रयास का दूसरे लक्ष्यों से संबंध भी प्रदर्शित करती है।

संधारणीय विकास लक्ष्य	प्रयास	परिणाम
लक्ष्य 1: निर्धनता को इसके सभी रूपों में सर्वत्र समाप्त करना	क्रय शक्ति एवं राजकोषीय स्थिति को सुदृढ़ बनाये रखते हुए तीव्र विकास (संधारणीय विकास लक्ष्य 8), निर्धनता का सामना करने के लिए सरकार का एक प्रमुख शस्त्र है। • राजकोषीय समेकन, मुद्रा स्फीति को लक्ष्य बनाना, सभी जगह अभिशासन में सुधार, तीव्र अवसंरचना विकास **(SDG 9)**, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना **(SDG16)**, आधार अधिनियम, *इन्सोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी एक्ट*, वस्तु एवं सेवा कर (GST), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का और अधिक उदारीकरण एवं रणनीतिक विनिवेश। • मनरेगा (MGNREGA) **(SDG8)**, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय आजीविका मिशन सीमांत समुदायों को कुशल रोजगार प्रदान करती है **(SDG10)**। • 2022 तक सबके लिए आवास **(लक्ष्य 11)**, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत **लक्ष्य 3 एवं 6** के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम **(लक्ष्य 6)**।	उदारीकरण के बाद निर्धनता में तीव्र कमी। आर्थिक विकास के कारण यह 1993-94 में 45.3% से 2011-12 में कम होकर 22% हो गयी।
लक्ष्य 2: भूख का अंत करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण उपलब्ध कराना एवं संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना।	• **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम** एवं **सार्वजनिक वितरण प्रणाली** के रूप में संचालित किये जाने वाले कार्यक्रम विश्व में सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा पहलों में से एक हैं। • मध्यान भोजन कार्यक्रम (MDM)। यह कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालयों में 100 मिलियन बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करता है। • **संधारणीय कृषि पर राष्ट्रीय मिशन**, मृदा स्वास्थ्य कार्ड। • **किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करना।**	खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वर्ष 2005-06 एवं 2015-16 के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच शारीरिक विकास रुकने की घटनाओं (stunting) में 48% से 38.4% कमी आयी है। इसी अवधि के दौरान कम वजन के

VISION IAS

	• **राष्ट्रीय कृषि विपणन प्लेटफार्म,** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी शुरुआत की गयी है।	बच्चों का प्रतिशत 42.5% से कम होकर 35.7% हो गया है।
लक्ष्य 3: **किसी भी आयु** के सभी लोगों के लिए स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना एवं उनके कल्याण को बढ़ावा देना।	**राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017** • आंशिक रूप से टीकाकृत एवं गैर-टीकाकृत बच्चों के लिए **मिशन इंद्रधनुष।**	विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार करने की दिशा में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। शिशु मृत्यु दर (IMR) 2005-06 में 57 से कम होकर 2015-16 में 41 रह गई है। संस्थागत प्रसवों की संख्या 2005-06 में 38.7% थी जो 2015-16 में बढ़कर 78.9% हो गई है।
लक्ष्य 5: लिंग समानता प्राप्त करना एवं सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना।	• **'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'** एक प्रमुख पहल है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अपने क्षेत्रीय संदर्भ के अनुकूल बालिकाओं की स्थिति को उन्नत करने के लिए कई प्रकार के उपायों का कार्यान्वयन कर रही हैं। • मातृत्व लाभ अधिनियम, 2016 तथा शॉप एंड एस्टेब्लिश्मेंट एक्ट, 2016 लैंगिक न्याय प्राप्त करने का प्रयास करता है।	हालांकि अभी बहुत अधिक प्रगति की जानी शेष है तथापि भारत में महिलाओं की स्थिति से संबंधित कई संकेतकों द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित हुई है 2005-06 में 55.1% साक्षर महिलाओं की तुलना में 2015-16 में 68.4% महिलाएं साक्षर थीं। 2005-06 में 15.1% की तुलना में 2015-16 में 53% महिलाएं स्वतंत्र रूप से किसी बैंक या बचत खाते का उपयोग कर रही थीं।
लक्ष्य 9: रेजेलिएंट अवसंरचना का निर्माण, समावेशी और संधारणीय औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करना एवं नवोन्मेष को बढ़ावा देना।	• **डिजिटल इंडिया** पहल का उद्देश्य ब्रॉडबैंड हाइवे, मोबाइल कनेक्टिविटी एवं इंटरनेट साथ ही ई-प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कर डिजिटल रूप से सशक्त समाज का निर्माण करना है। • **नई विनिर्माण नीति** आउटपुट लक्ष्य को सकल घरेलू उत्पाद के 16 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2025 तक 25% करने का लक्ष्य रखती है। 'मेक इन इंडिया' पर जोर देने एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाहों में उल्लेखनीय वृद्धि होने से भारत हाईटेक एवं वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में विकसित हो रहा है। • **स्टार्टअप एवं स्टैंड अप इंडिया,** अटल नवोन्मेष मिशन, **राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, 2016**।	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने अब तक 18,434 स्थानीय ग्राम परिषदों को उच्च-गति कनेक्टिविटी प्रदान की है। दिसम्बर 2016, तक देश में 432 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे।
लक्ष्य 14: महासागरों, समुद्रों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय उपयोग।	• **राष्ट्रीय मत्स्यिकी कार्य योजना-** पारिस्थितिकी-अनुकूल समुद्री औद्योगिक और प्रौद्योगिकी आधार का विकास और साथ ही इसका कार्यान्वयन। • संशोधित **राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिकता योजना** का कार्यान्वयन करना। • इसके अतिरिक्त, **सागरमाला कार्यक्रम** पत्तन कनेक्टिविटी, पत्तनों से जुड़े औद्योगीकरण प्रक्रिया को तीव्र करने और तटीय समुदाय के विकास पर पर केन्द्रित है।	देश के मैन्ग्रोव कवर में 112 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि हुई है।
लक्ष्य 17: संधारणीय विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना।	• **स्वच्छ भारत अभियान** के लिए संसाधनों को जुटाने हेतु स्वच्छ भारत उपकर भी लगाया जाता रहा है। • बेहतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को ***इंटरनेशनल सोलर अलायन्स*** के माध्यम से भी बढ़ावा दिया जा रहा है। • संधारणीयता के लिए वैश्विक साझेदारी हेतु ***इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन।*** • राज्यों और स्थानीय सरकारों को वित्तीय हस्तांतरण उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने (आय कर के केंद्रीय पूल के 32% को	

VISION IAS

	42% करने) के लिए 14वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय को कार्यान्वित किया जा रहा है। • पड़ोसी और दक्षिण विश्व के अन्य देशों के साथ विकास संबंधी सहयोग बढ़ाना भारत के नवोन्मेष और विशेषज्ञता का लाभ इन देशों तक पहुचाना।	

निष्कर्ष

- संधारणीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप देश के विकास परिदृश्य का प्रभावी रूपांतरण करने के लिए सरकार एवं संबंधित हितधारक **"सामूहिक प्रयासों एवं समावेशी विकास"** की प्रक्रिया में संलग्न हैं।

7.3. स्वच्छ भारत अभियान

(Swachchh Bharat Abhiyan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विभिन्न सिविल सोसाइटीज़ एवं आकलन समूहों ने स्वच्छ भारत अभियान के तीसरे वर्ष 2017 में स्वच्छता के संबंध में आंकड़े ज़ारी किये।

स्वच्छ भारत अभियान (SBA)

- इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती, 2 अक्टूबर 2019 तक 'स्वच्छ भारत' के दर्शन को साकार करना है।
- यह अभियान क्रमश: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दो मिशनों अर्थात्; स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) एवं स्वच्छ भारत अभियान (शहरी) के रूप में संचालित किया गया।

स्वच्छ भारत अभियान (SBA) का प्रदर्शन

- ग्रामीण स्वच्छता कवरेज तीन वर्षो में 39 प्रतिशत से बढ़कर 67 प्रतिशत हो गया है एवं ग्रामीण भारत में 230 मिलियन से अधिक लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है।
- पांच राज्यों, 186 जिलों एवं और 2,31,000 से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है।
- पिछले तीन वर्षों में बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय सुविधाओं से युक्त स्कूलों की संख्या 0.3 मिलियन (30%) से बढ़कर लगभग एक मिलियन हो गई है।
- **भारत की गुणवत्ता परिषद** ने पाया कि मई-जुलाई 2017 के दौरान देश भर में जिन लोगों को शौचालयों की सुविधा उपलब्ध थी उनमे से **91** प्रतिशत लोग इसका उपयोग कर रहे थे।
- **एक स्वायत्त आकलन इकाई** ने एक सर्वेक्षण में पता लगाया है कि **1000** उत्तरदाताओं में से **15** प्रतिशत से अधिक ने स्वीकार किया कि खुले में शौच गरिमा का उल्लंघन है, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों की गरिमा का। साथ ही यह भी माना कि इससे रोगों में, खासतौर से पांच वर्ष तक की आयु के बच्चों के रोगों में वृद्धि होती है।

यह पूर्ववर्ती पहलों से किस प्रकार भिन्न है?

- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) ने अपना उद्देश्य आउटपुट (निर्मित शौचालयों की संख्या) से परिणाम (खुले में शौच मुक्त गांवों) में परिवर्तित किया है।
- यह खुले में शौच मुक्त घोषित होने के बाद **सत्यापन प्रणाली** (90 दिन) के माध्यम से संधारणीयता पर जोर देता है। क्योंकि संभव है गांवों में पुरानी आदतों के कारण लोग खुले में शौच के 'पुराने ढर्रे पर लौट आयें'।
- प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) के माध्यम से **व्यवहार परिवर्तन अभियान** जैसे कि;
    - "दरवाजा बंद " (खुले में शौच पर) अभियान।
    - समुदाय-स्तर पर शौचालयों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर के प्रशिक्षित नेतृत्व या स्वच्छाग्रही को तैयार करना।
    - भारत में प्रत्येक गाँव में स्थानीय रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों, जमीनी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और स्कूल के छात्रों तथा कम से कम एक प्रशिक्षित जमीनी-स्तर के स्वच्छाग्रही को कार्यक्रम में शामिल करना।

स्वच्छता पर पूर्ववर्ती पहलें

- 1986 में, सरकार ने **केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (CRSP)** के अंतर्गत पहला राष्ट्रव्यापी स्वच्छता कार्यक्रम लांच किया था।
- 1999 में, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (CRSP) को **संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC)** के अंतर्गत पुनर्संरचित किया गया। संपूर्ण स्वच्छता कवरेज, स्वच्छ पर्यावरण के रखरखाव एवं खुले में शौच से मुक्त पंचायत गांवों, प्रखण्डों और जिलों के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार जैसी योजनाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को सशक्त स्वरुप प्रदान किया गया।
- 2008 में शहरी स्वच्छता नीति (NUSP) ने राज्य स्वच्छता रणनीति की योजना के अंतर्गत शहर स्वच्छता की योजना तैयार करने हेतु शहरों के लिए एक रूपरेखा बनायी। स्वच्छता सेवाओं के मानदंडों के आधार पर शहरी स्वच्छता पुरस्कार और रेटिंग भी आरम्भ किया गया था।

VISION IAS

- केन्द्र प्रायोजित योजनाएं जैसे कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM), छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (UIDSSMT), राजीव आवास योजना आदि शहर के स्तर पर स्वच्छता संपत्ति जैसे व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक शौचालय प्रखण्डों एवं अपशिष्ट जल उपचार और निपटान सुविधाओं के निर्माण के लिए धन प्रदान करती हैं।
- 2012 में, संपूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम परिवर्तित कर **निर्मल भारत अभियान** (NBA) कर दिया गया था। 2 अक्टूबर, 2014 को पुन: स्वच्छ भारत अभियान के रूप में लांच किया गया था।

आगे की राह

- BUMT (निर्माण, उपयोग, रखरखाव और उपचार) द्वारा कचरा और पानी के सुरक्षित निपटान तंत्र की आवश्यकता समय की मांग है।
- स्वच्छता सामुदायिक समस्या है, जब तक **समुदाय नेतृत्त्व आधारित संपूर्ण स्वच्छता (CLTS)** कार्यक्रम नहीं अपनाया जाता तब तक व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन पर जोर देने पर ध्यान केन्द्रित करने से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।
- व्यवहार परिवर्तन के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है, इसके लिए **14वें वित्त आयोग** की अनुशंसाओं का पालन करते हुए राज्यों और स्थानीय निकायों को विकेंद्रीकरण प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए अनिवार्य रूप से सशक्त बनाया जाना चाहिए।

7.4. अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण

(OBC Reservation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- यूनियन कैबिनेट ने इसका परीक्षण करने के लिए **अनुच्छेद 340** के अंतर्गत एक आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है कि क्या अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण (OBC) की केंद्रीय सूची के अंतर्गत उप-कोटा बनाए जाने की आवश्यकता है। यह उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कार्यविधि, मापदंडों, प्रतिमानों और मानदंडों को भी नियत करेगी।
- कैबिनेट द्वारा केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु क्रीमी लेयर की ऊपरी सीमा को मौजूदा 6 लाख रु. से बढ़ाकर 8 लाख रु. प्रतिवर्ष कर दिया गया है।
- क्रीमी लेयर के निर्णय को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक विस्तारित करने का प्रस्ताव सरकार की कार्यसूची में था।
- लोक सभा में एक सरकारी विधेयक पारित किया गया था जो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

अनुच्छेद 340

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं -

- भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं एवं उन कठिनाइयों की जांच करने हेतु जिसके अंतर्गत वे कार्य करते हैं।
- संघ या किसी भी राज्य द्वारा ऐसी कठिनाइयों का निराकरण करने एवं उनकी दशा में सुधार करने के लिए उठाये जाने वाले आवश्यक कदमों की अनुशंसाएं करने के लिए।
- संघ या किसी राज्य द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुदानों की अनुशंसा करने हेतु।

आयोग के विचारार्थ विषय

- केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों की व्यापक श्रेणी में सम्मिलित जातियों/ समुदायों के बीच लाभों के अन्यायपूर्ण असमान वितरण का परीक्षण करने के लिए।
- ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के उप-वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित कार्यविधि, मापदंड, मापक और प्रतिमान निर्धारित करने के लिए।
- अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में शामिल जातियों/समुदायों की पहचान करना एवं उन्हें उनकी संबंधित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत करना।

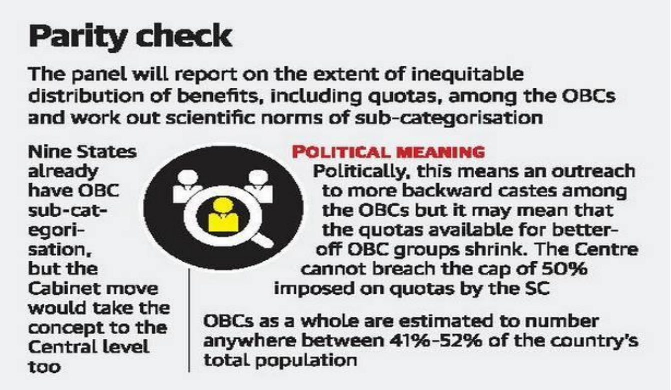

उप-कोटा के पक्ष में तर्क

- पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने 2011 में इसी प्रकार का प्रस्ताव दिया था।
- सर्वोच्च न्यायालय इंद्रा साहनी मामले में दिए अपने आदेश में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि पिछड़े वर्गों को श्रेणीबद्ध करने के लिए राज्य हेतु कोई संवैधानिक या कानूनी बाधा नहीं है।

समता जांच

पैनल अन्य पिछड़े वर्गों के बीच कोटा समेत लाभों के असमानतापूर्ण वितरण की स्थिति पर रिपोर्ट देगा एवं उप-वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानकों का निर्धारण करेगा।

नौ राज्यों में पहले से ही अन्य पिछड़े वर्ग का उप-वर्गीकरण है, किंतु मंत्रिमंडल का यह कदम इस अवधारणा को केन्द्रीय स्तर तक भी ले जाएगा।

राजनीतिक अर्थ

राजनीतिक रूप से इसका अर्थ OBC's कोटे के लाभों में अन्य पिछड़े वर्गो की और अधिक पहुँच से है लेकिन इसका अर्थ यह हो सकता है कि बेहतर स्थिति वाले अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे में कमी आएगी। केन्द्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोटा प्रणाली पर लगाई गई 50% की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकता है।

एक अनुमान के आधार पर देश में संयुक्त रूप से अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 41-52% है।

उप-कोटा लागू किए जाने के संभावित प्रभाव

- यह सुनिश्चित करेगा कि अन्य पिछड़े वर्ग की प्रभुत्वशाली जातियाँ सभी लाभ प्राप्त न करें क्योंकि सर्वाधिक पिछड़े OBC समूह सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक सीटों आदि के लिए बेहतर स्थिति प्राप्त OBC वर्गों के स्थान पर आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।
- यह ऐसे राजनीतिक मंथन को उत्तेजित कर सकता है जिससे कि गैर- प्रभुत्वशाली जातियाँ संगठित हो सकती हैं, कुछ लोगों द्वारा इसे भारतीय राजनीति के लिए मंडल 2.0 घटना के रूप में देखा जा रहा है है।
- यह अन्य पिछड़े वर्गों के बीच अधिक उन्नत जातियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है क्योंकि उप-श्रेणी कोटा केवल 27% कोटा में से ही आ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुल आरक्षण पर 50 % तक की ऊपरी सीमा अधिरोपित की गई है।

7.5. विद्यालयों का स्थान-विशेष के अनुसार विलय

(Location-Specific Mergers of School)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्र सरकार द्वारा कम छात्र-संख्या वाले सरकारी विद्यालयों के "विलय" के राजस्थान मॉडल के आधार पर सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लगभग 2,60,000 छोटे सरकारी विद्यालयों का स्थान-विशेष के अनुसार विलय करने पर विचार किया जा रहा है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संदर्भ में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए दिशा निर्देश जारी किये गये हैं।

पृष्ठभूमि

- **सर्व शिक्षा अभियान (SSA)** को 2000-2001 के बाद से संचालित किया जा रहा है जिससे सार्वभौमिक पहुँच और प्रतिधारण के लिए विभिन्न पहलें की जा सकें, प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक और सामाजिक श्रेणी की रिक्तता को भरा जा सके तथा सीखने की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
- SSA की पहलों में, नए विद्यालय खोलना, विद्यालयों का निर्माण और अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालयों एवं पेयजल, शिक्षकों का प्रावधान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफार्म और सीखने के स्तर में सुधार आदि के लिए सहायता सम्मलित है।
- इसके अतिरिक्त **शिक्षा के अधिकार विधेयक** के अधिनियमित होने के पश्चात, 2009 में शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बन गया है।
- RTE अधीनियम के शीर्षक में **"निःशुल्क और अनिवार्य" शब्द** शामिल किये गये हैं, जिससे **सरकार और स्थानीय अधिकारियों का यह दायित्व** बन जाता है कि वे 6-14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों का विद्यालयों में प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा को पूरा करना सुनिश्चित करें।
- इसलिए, देश के सभी बच्चों को शिक्षा सुलभ कराने के लिए सरकार नए विद्यालयों के निर्माण पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित कर रही थी।
- सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, सरकार ने 367,000 विद्यालय बनवाए हैं। वर्तमान में इसके सभी स्तरों के 15 लाख विद्यालय हैं।

समेकन की आवश्यकता क्यों है?

- सरकार के अनुसार यह "पिछले वर्षों में किये गये स्कूली शिक्षा सुविधाओं के विस्तार और स्कूलों के राष्ट्रव्यापी समेकन की आवश्यकता पर फिर से विचार करने का समय है।
- प्रारूप के दिशानिर्देशों के अनुसार, 2015-16 के दौरान कम से कम 1,87,006 प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I-V) और 62,988 उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII) विद्यालय में 30 से भी कम छात्र थे। इसके अतिरिक्त 7,166 विद्यालयों में किसी भी छात्र का नामांकन नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त 87,000 विद्यालयों में एक ही शिक्षक है।
- ऐसा देखा गया है कि अतिरिक्त छोटे विद्यालयों का शिक्षा से संबंधित विविध घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जैसे:
  - संशाधनों का बेहतर उपयोग
  - सीखने की प्रक्रिया, और
  - निगरानी और पर्यवेक्षण

VISION IAS

दिशानिर्देशों द्वारा सुझाये गये समाधान:

- मंत्रालय "बच्चों के सर्वोत्तम हित" में और कम-उपयोग के साथ-साथ अपव्यय को रोकने हेतु जिन विद्यालयों में शिक्षक और अन्य संसाधन आवश्यकता से अधिक हैं, उन्हें संसाधनों की अधिक आवश्यकता वाले विद्यालयों में पुन: आंवटित करेगा।
- किसी भी एक बस्ती में, जहाँ दो या दो से अधिक छोटे विद्यालय हैं, वहां बच्चों और संसाधनों को एक साथ संयोजित करने का सुझाव दिया जाता है। यह न केवल बेहतर शिक्षा-शिक्षण वातावरण प्रदान करेगा बल्कि RTE के अनुरूप भी होगा।
- विलय की प्रक्रिया के पश्चात विलय किये गये विद्यालयों को आवश्यक रूप से प्रत्येक राज्य के RTE के नियमों में परिभाषित नेबरहुड स्कूलों संबंधी मानदंडों का पालन करना चाहिए।

चुनौतियाँ:

- सक्रिय कार्यकर्ताओं को भय है कि विद्यालयों के छात्रों के लिए घर और विद्यालय के बीच की दूरी बढने के कारण निर्धन बच्चे विद्यालयों में आने-जाने का व्यय वहन नहीं कर सकेंगे।
- यह सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों की भावना और शिक्षा के अधिकार को व्यापक बनाने के विरुद्ध हो सकता है।

आगे की राह :

- भारतीय विद्यालयों को गुणवत्ता और अवसरंचना में सुधार हेतु एक बड़े प्रयास की आवश्यकता है। इस क्षेत्र को सुधारने का कोई भी प्रयास एक सकारात्मक कदम है, परन्तु इसे समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।
- अब विद्यालयों के सन्दर्भ में वर्षों से प्रचलित इनपुट आधारित प्रारूपों की जगह परिणामों पर आधारित दृष्टिकोण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

7.6. माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष

(Madhyamik and Uchchtar Shiksha Kosh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक खाते से **"माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष" (MUSK)** नामक स्थायी (non-lapsable) कोष की स्थापना के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

शिक्षा उपकर की दर:

- एक उपकर उस कर को कहते हैं, जो सरकार द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए धन जुटाने हेतु लगाया जाता है।

जिस दर पर शिक्षा उपकर की गणना की जाती है, वह कर योग्य आय पर लागू **दो प्रकार के उपकरों का संयोजन** है।

- 2% **शिक्षा उपकर** की दर और
- 1% **माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर (SHEC)**, दोनों को मिलाकर शिक्षा उपकर 3% की दर से देय है।

पृष्ठभूमि

- 10 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्राथमिक/ आधारभूत शिक्षा के लिए उपलब्ध वर्तमान बजटीय संसाधनों के अतिरिक्त संसाधनों में वृद्धि करने के लिए सभी केन्द्रीय करों पर 2% की दर से एक उपकर लगाया गया था।
- माध्यमिक शिक्षा को व्यापक बनाने और उच्च शिक्षा क्षेत्र की पहुंच का विस्तार करने हेतु केंद्र सरकार के प्रयासों को समान व प्रोत्साहन देने की आवश्यकता महसूस की गई है।
- **सर्वप्रथम जुलाई 2010 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने** इस प्रकार के कोष की स्थापना का प्रस्ताव दिया था, परन्तु इसे स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी।
- इस मुद्दे को पुनः फरवरी 2016 में उठाया गया था, जिसे बाद में **आर्थिक मामलों के विभाग** ने स्वीकार कर लिया था।
- **वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136** के प्रावधानों के अनुसार, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए धन और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु सभी केन्द्रीय करों पर 1% का "माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर" लगाया जाना है।
- हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने MUSK की स्थापना को स्वीकृति दी है।

फण्ड का उपयोग

निम्नलिखित के लिए फण्ड का उपयोग किया जायेगा:

- **माध्यमिक शिक्षा के लिए:**
    - वर्तमान में संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना।
    - राष्ट्रीय आय-योग्यता छात्रवृति योजना और
    - माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय योजना।
- **उच्च शिक्षा के लिए:**
    - कालेज और विश्विद्यालय के छात्रों के लिए चल रही छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु ब्याज सब्सिडी और गारंटी फंड के लिए योगदान योजनायें।

VISION IAS

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
- छात्रवृति (संस्थानों को ब्लॉक अनुदानों से) तथा शिक्षकों और उनके प्रशिक्षण का राष्ट्रीय मिशन।

कोष के बारे में:

- MUSK कोष का प्रशासन और देखरेख **मानव संसाधन विकास मंत्रालय** द्वारा किया जायेगा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आवश्यकता के आधार पर माध्यमिक और उच्च शिक्षा हेतु भविष्य के किसी भी कार्यक्रम/योजना के लिए धन राशि आवंटित कर सकता है।
- **स्कूल शिक्षा व साक्षरता एवं उच्च शिक्षा विभाग की** योजनाओं पर प्रारम्भिक व्यय **सकल बजटीय सहायता (GBS)** से किया जायेगा और GBS के समाप्त हो जाने के पश्चात MUSK से किया जायेगा।
- **प्रारम्भिक शिक्षा कोष (PSK)** के अंतर्गत वर्तमान व्यवस्था के अनुसार MUSK को संचालित किया जायेगा, जिसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के **सर्व शिक्षा अभियान (SSA)** और **मिड-डे-मील (MDM) की योजनाओं** के लिए उपकर की आय का उपयोग किया जायेगा।
- MUSK को भारत के लोक लेखा के अंतर्गत **गैर-ब्याज अनुभाग** में आरक्षित निधि के रूप में रखा जायेगा।

7.7. राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC): संशोधित नियम

(The National Assessment and Accreditation Council (NAAC): Revise)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) ने एक संशोधित प्रमाणन ढांचा लांच किया है।

इस नए कानून की आवश्यकता क्यों है?

- NAAC को खराब, कठोर और आत्मपरक मानकों को आधार बनाये जाने के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है ।
- अब तक की व्यवस्था में प्रमाणीकरण की प्रक्रिया विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण पर अत्यधिक निर्भर थी, जिससे इस प्रक्रिया में उच्च व्यक्तिपरकता होती थी।

NAAC

- इसे 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक स्वायत्त संस्था है।
- यह देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों और उसकी इकाइयों का आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन का कार्य करता है।

नई प्रक्रिया क्या है?

- नई रूपरेखा के अनुसार मूल्यांकन दो चरणों में होगा, जिसका 70% ऑफ़ साइट मूल्यांकन NAAC द्वारा किया जाएगा। जो संस्थान मूल्यांकन के इच्छुक होंगे, उन्हें अपने संस्थान की गुणवत्ता की जानकारी (IIQA) और स्व-अध्ययन रिपोर्ट (SSR) NAAC को प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात प्रस्तुत आंकड़े का सत्यापन किया जायेगा। गलत आंकड़ा प्रस्तुत करने पर कॉलेजों के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किये गये हैं। इस मूल्यांकन के पश्चात NAAC अधिकारियों द्वारा 30% ऑन साइट रैंकिंग की जाएगी।
- प्रत्यायन प्रक्रिया में एक छात्र संतुष्टि सर्वेक्षण भी प्रारम्भ किया गया है। NAAC कुल पंजीकृत छात्रों के 10% से प्राप्त अनुक्रियाओं पर विचार करेगा और सर्वेक्षण का परिणाम संस्था को प्रदान किये गये क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज (CGPA) का भाग होगा।
- संशोधित प्रत्यायन ढांचा ICT सक्षम, वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, मापनीय और सुदृढ़ है।

7.8. घुटना प्रत्यारोपण हेतु आवश्यक अधिकतम लागत की सीमा निर्धारित

(Price Cap on Knee Implants)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में NPPA द्वारा **घुटने के प्रत्यारोपण** की कीमतों को 69% तक कम करने के लिए उत्पाद के मूल्यों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है।
- **केन्द्रीय औषध नियामक ने** केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह हार्ट वाल्व, आर्थोपेडिक इम्प्लांट और इंट्रा ऑकुलर (आँख) लेंस को आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (NLEM) के अंतर्गत लाने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक समिति की स्थापना करे।

पृष्ठभूमि

NPPA द्वारा फरवरी 2017 में मरीजों को सस्ती कीमत पर कोरोनरी स्टेंट उपलब्ध करवाने हेतु उनकी अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित कर दी गई है।

महत्त्व

- **वहनीयता और पहुंच को बढ़ावा:** यह **औषधियों पर व्यय की वहनीयता की जांच** करेगा और सभी वर्गों तक परिष्कृत मेडिकल प्रत्यारोपण की पहुंच में वृद्धि करेगा।

VISION IAS

- **अनैतिक मूल्य निर्धारण की जांच:** यह कार्यवाही कम्पनियों द्वारा चर घातांकीय (exponential) मूल्य निर्धारण पर रोक लगाएगी और इससे आम जनता लाभान्वित होगी।

आवश्यक औषधियों की राष्ट्रीय सूची (NLEM)

- NLEM 2015 में 376 औषधियां शामिल हैं।
- इस सूची में सम्मिलित किये जाने के लिए मानदंडों में आपातकालीन सार्वजनिक स्वास्थ्य, लागत प्रभावी औषधि आदि सम्मिलित हैं।
- **स्वास्थ्य मंत्रालय** द्वारा गठित कोर समिति NLEM में शामिल औषधियों की समीक्षा और संशोधन करती है।
- एक बार किसी औषधि या उपकरण के NLEM में शामिल हो जाने के पश्चात् उसके उच्चतम मूल्य की सीमा निर्धारित की जा सकती है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)

- यह **रसायन और उर्वरक मंत्रालय** के **फर्मास्यूटिकल विभाग** के अंतर्गत एक स्वतंत्र संस्था है।
- इसके कार्य हैं:
    - नियंत्रित थोक दवाओं (औषध) के मूल्यों का **निर्धारण/संशोधन** करना।
    - **औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1995/2013** के अंतर्गत दवाईयों के मूल्यों और उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- विनिर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं से वसूली गयी अतिरिक्त राशि को वापस दिलाना।
- विनियंत्रित औषधियों की कीमतों को उचित स्तर पर रखने के लिए उन पर **नजर रखना**।

चिंताएं:

- **नवाचार में अवरोध**: मूल्य सीमा निर्धारित होने के कारण कम्पनियां अपने अनुसंधान और विकास बजट में वृद्धि हेतु प्रोत्साहित नहीं होंगी। अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कम्पनियां अनुसंधान और विकास द्वारा बनाये गये अपने विशिष्ट उत्पादों को भारतीय बाजारों से वापस ले सकती हैं।
- **गैर-अनुकूल वातावरण**: वर्तमान में सीमा शुल्क ढांचा आयात को बढ़ावा देने वाला है जो भारतीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी के लगभग 75% आयात पर आधारित है, जिससे स्वदेशी चिकित्सा प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास क्षमता में कमी आ रही है।
- **विदेशी कंपनियों का वर्चस्व:** बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उच्च-चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में आगे हैं, जबकि घरेलू कम्पनियां डिस्पोजल जैसे निम्न-प्रौद्योगिकी उत्पाद वस्तुओं का उत्पादन करती हैं।
- **अल्पावधिक उपचार**: बड़े अभिकर्ताओं के वर्चस्व वाले बाजार में मूल्य की अधिकतम सीमा अधिक से अधिक एक बैंड-एड का कार्य कर सकती है। दीर्घावधि में इस कार्यवाही से **रोगी नवीनतम उत्पादों से वंचित हो सकते हैं** और DGCI का आम आदमी को लाभान्वित करने का उद्देश्य निष्फल हो सकता है।
- घुटने का प्रतिस्थापन शल्य चिकित्सा में प्रत्यारोपण की लागत का एक अंश मात्र है। अस्पतालों में अन्य सम्बन्धित लागतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे शल्य चिकित्सा के समग्र लागत में वृद्धि होगी।

आगे की राह

- औषधियों और चिकित्सा उपकरणों को सस्ता बनाने के लिए **दो-आयामी रणनीति** की आवश्यकता है:
    - सरकार को समुदाय की भागीदारी में संयुक्त रूप से **व्यय पर नजर रखनी चाहिए** और जहाँ आवश्यक हो वहाँ विनियमन किया जाना चाहिए तथा स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए।
    - जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

7.9. सघन या तीव्र मिशन इंद्रधनुष

(Intensified Mission Indradhanush: IMI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 2018 तक **'मिशन इंद्रधनुष'** के अंतर्गत पूर्ण प्रतिरक्षण कवरेज प्राप्त करने की योजना बना रहा है।
- मंत्रालय द्वारा **अक्टूबर, 2017 से 'सघन' या 'तीव्र मिशन इंद्रधनुष'** (IMI) की शुरुआत करने की योजना है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) 1985

- यह **बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर और रुग्णता (morbidity) को** रोकता है।
- इसके अंतर्गत **जीवन के लिए खतरनाक 12 बीमारियों** के लिए टीकाकरण किया जाता है। ये हैं : तपेदिक, डिप्थीरिया, काली खांसी (कुकर खांसी), टिटनेस, पोलियोमाइलाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, अतिसार, जापानी एन्सेफलाइटिस, रूबेला, रोटावायरस और निमोनिया (मई 2017 में जोड़ा गया)

मिशन इंद्रधनुष, 2014

- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम 1985 के अंतर्गत यह एक **रणनीतिक प्रयास** है।
- इसका लक्ष्य अप्रतिरक्षित या आंशिक रूप से प्रतिरक्षित **दो वर्ष से कम आयु वर्ग के सभी बच्चों** के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है।

VISION IAS

- इंद्रधनुष के **सात रंगों को दर्शाने वाले** मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य **सात टीका निवारण रोगों अर्थात डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, बचपन का क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस बी और खसरा** के विरुद्ध सभी बच्चों का प्रतिरक्षण करना है।
- इसके अतिरिक्त, **चयनित राज्यों में जापानी एन्सेफलाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप बी, निष्क्रिय पोलियो, रोटा-वायरस और मीजल्स रूबेला का टीका भी प्रदान किया जा रहा है।**
- 2013 में 65% की तुलना में 2016 के अंत तक **12 माह से कम आयु** के **75% बच्चों को पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित करने के साथ ही,** देश के 528 जिलों में मिशन इंद्रधनुष के चार चरण पूरे हो चुके हैं।

विशेषताएं

- **शहरी क्षेत्रों और कम प्रतिरक्षण कवरेज वाले अन्य क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना:** सभी अल्पसेवित आबादी के मानचित्रण और ANM (औक्सिलरी नर्स मिडवाइफ) की आवश्यकता आधारित तैनाती के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।
- **निगरानी और जवाबदेही तंत्र:** केन्द्र सरकार द्वारा कैबिनेट सचिव से लेकर राज्यों में मुख्य सचिव तक, विभिन्न स्तरों पर इस कार्यक्रम की निगरानी करेगी।
- इसके चार दौर पूरे होने के पश्चात नियमित प्रतिरक्षण सूक्ष्म योजना में IMI सत्रों के एकीकरण पर **बल** दिया गया है।
- IMI में नियमित प्रतिरक्षण से छूट गए दो वर्ष तक की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हालांकि, IMI चक्रों के दौरान मांग के आधार पर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण प्रदान किया जाएगा।
- इसकी एक **विशिष्ट विशेषता** यह है कि अन्य मंत्रालयों, विशेषकर महिला और बाल विकास, पंचायती राज, शहरी विकास, युवा मामलों आदि के साथ **अभिसरण पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित** किया गया है।

सघन या तीव्र मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा:

- **रिक्त उप केंद्रों वाले क्षेत्र** – ऐसे केंद्र जहां **3 महीने से अधिक** समय से ANM तैनात नहीं हैं या फिर अनुपस्थित हैं।
- कार्यक्रम की पहुंच को लेकर टीकाकरण में संदेह की समस्याओं के कारण उप-केंद्र या शहरी क्षेत्रों में अल्पसेवित / निम्न कवरेज वाले क्षेत्र; उप-केंद्र / ANM, मानदंड की तुलना में बहुत अधिक आबादी को सेवा प्रदान कर रहे हैं।
- नियमित टीकाकरण सत्र में लगातार तीन या इससे अधिक बार छूटे हुए गांव/क्षेत्र।
- पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम द्वारा पहचाने गए उच्च जोखिम वाले क्षेत्र जहां स्वतंत्र रूप से नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित नहीं किये जा रहे हैं और जिन्हें कुछ अन्य नियमित टीकाकरण सत्रों के साथ जोड़ दिया गया है, जैसे कि-
    - प्रवासी जनसंख्या वाली शहरी स्लम बस्तियां।
    - बंजारों या चलवासियों से जुड़े स्थल (ईंट भट्ठे, निर्माण स्थल, अन्य प्रवासी बस्तियां, मछुआरों के गांव, स्थानांतरण करने वाली आबादी से जुड़े नदीय क्षेत्र, अल्पसेवित और दुर्गम आबादी क्षेत्र, वन और आदिवासी आबादी, पहाड़ी क्षेत्र आदि)
    - विगत दो वर्षों के दौरान खसरे के प्रकोप, डिप्थीरिया और नवजात टिटनेस के प्रकरणों के माध्यम से पहचाने गए निम्न नियमित टीकाकरण कवरेज वाले क्षेत्र।

7.10. शिशु मृत्यु दर

(Infant Mortality Rate)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1990-2015 की अवधि के दौरान भारत में IMR में 58% की कमी आई है। यह कमी इसी अवधि में आई वैश्विक स्तर पर होने वाली 49% की गिरावट से कहीं अधिक है।

IMR क्या है?

- **शिशु मृत्यु दर** किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष के दौरान प्रति 1,000 जीवित जन्में शिशुओं में से एक वर्ष या इससे कम उम्र में होने वाली शिशुओं की मृत्यु की संख्या है।
- बाल स्वास्थ्य संकेतकों पर सरकार के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान में भारत में IMR प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 39 है। जबकि पिछले वर्ष यह 40 था।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत IMR का लक्ष्य 2020 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 तक का आंकड़ा प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए भारत का प्रमुख स्वास्थ्य क्षेत्रक कार्यक्रम है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के **4 घटक** हैं- अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के लिए मानव संसाधन।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संचारी और गैर-संचारी दोनों ही प्रकार के रोगों के नियंत्रण और उपचार पर केन्द्रित कार्यक्रम है।
- जिला और उप-जिला स्तर पर अवसंरचना सुविधाओं में सुधार लाने के साथ ही यह स्वास्थ्य सेवाओं को प्रजनन और बाल स्वास्थ्य से परे विस्तारित करने का प्रयास भी करता है।

VISION IAS

बाल और मातृ स्वास्थ्य से संबंधित SDG के 3 प्रावधान -

2030 तक, वैश्विक मातृ मृत्यु दर अनुपात को प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करना।

2030 तक, सभी देशों द्वारा नवजात मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं मे 12 से कम रखना और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं मे 25 से कम करने का लक्ष्य रखना। नवजात शिशुओं और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की रोकथाम योग्य (preventable) मृत्यु के मामलों पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त करना ।

सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)

- **जननी सुरक्षा योजना** (JSY) **और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम** (JSSK) के अंतर्गत, संस्थागत प्रसव की संख्या बढ़ी है। ये कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बच्चे को जन्म देने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को पूरी तरह से निःशुल्क प्रसवपूर्व जांच, सिजेरियन सेक्शन सहित प्रसव, प्रसव पूर्व देखभाल और एक वर्ष की आयु तक बीमार शिशुओं के उपचार का अधिकार प्रदान करते हैं।
- सरकार द्वारा 2014 में **भारत नवजात शिशु कार्य योजना** (INAP) का शुभारम्भ किया गया था। इस योजना का लक्ष्य 2030 तक "एकल अंकों में नवजात मृत्यु दर" और "एकल अंकों में स्थिर जन्म दर" प्राप्ति के लिए ठोस प्रयास करना है। इस योजना के अंतर्गत बीमार और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए विभिन्न नवजात स्थिरीकरण इकाइयों (NBSU) और *कंगारू मदर केयर* (KMC) इकाइयों की स्थापना की गई है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अगस्त 2016 में *मदर्स ऐब्सलूट अफेक्शन प्रोग्राम* (MAA: Mothers' Absolute Affection) की शुरुआत की गयी थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनसंचार के माध्यमों और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ समुदायों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की क्षमता निर्माण के माध्यम से माताओं में नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है।
- **ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस** (VHNDs) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंध तथा स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा सहित मातृ एवं बाल देखभाल के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है।
- **सार्वभैमिक टीकाकरण कार्यक्रम** (UIP) का संचालन बच्चों के जीवन के लिए खतरनाक कई रोगों के विरुद्ध टीकाकरण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।
- **राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम** (RBSK) का संचालन जन्म के समय किसी प्रकार के विकार, रोग, कमी, विकलांगता और प्रारंभिक रूप से आवश्यक मूलभूत सेवाओं को प्रदान करने सहित विकास में रूकावट की जांच करने के लिए शुरू किया गया है ताकि समुदाय में 0-18 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को व्यापक देखभाल प्रदान की जा सके।
- वल्नरेबल आयु समूहों में रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए आयरन और फोलिक एसिड (IFA) पूरक प्रदान करना।
- गर्भावस्था, प्रसव और आवश्यक नवजात देखभाल के दौरान माता की बुनियादी और प्रसूति संबंधी व्यापक देखभाल के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के कौशल का निर्माण और उन्नयन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।
- कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को उच्च प्राथमिकता वाले जिलों (HPDs) के रूप में पहचाना गया है जो उन्हें प्रति व्यक्ति उच्च वित्त, लचीले मानदण्ड, उन्नत निगरानी और केंद्रित सहायक पर्यवेक्षण प्राप्त करने के लिए समर्थ बनाता है| इससे उन्हें अपनी विशिष्ट स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवाचारी तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

उड़ीसा के रायगढ़ में अमा (Ama) संकल्प

- इस पहल से 1 वर्ष में जिले में शिशु मृत्यु दर 1,000 में 48 से घटकर 33 हो गई है।
- सम्मिलित मानक
  - गर्भवती महिलाओं के प्रसव की सम्भावित तिथि पर नजर रखना।
  - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करना।
  - आंगनवाड़ी, आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं और ANM's को उच्च जोखिम श्रेणी वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान करने और उन्हें *मां गृह* में लाने के लिए निर्देशित करना।
  - महिलाओं के लिए चिकित्सकीय सहायता और पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए चौबीस घंटे मां गृह का संचालन करना।
  - एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी के माध्यम से जिले के ग्रामीण इलाकों में सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना।

आगे की राह

- देश में विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार आया है, यद्यपि ऐसे भी कई जिले और क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। लोगों के मध्य जागरूकता फैलाना ही इसका समाधान है।
- निगरानी और शासन में सुधार लाने की आवश्यकता है। ऐसा सिविल सोसाइटी आर्गेनाइजेशन और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सक्षम मंचों के माध्यम से किया जा सकता है।
- पोषण, सुरक्षित जल, साफ-सफाई और स्वच्छता आदि की कमी जैसे पर्यावरणीय कारकों का पता लगाने की आवश्यकता है।

VISION IAS

7.11. पारिवारिक सहभागिता देखभाल

(Family Participatory Care)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु **पारिवारिक सहभागिता देखभाल (FPC)** की योजना बनाने और कार्यान्वयन के लिए संचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।
- FPC पहल को **नॉर्वे-भारत साझेदारी पहल (NIPI)** के अंतर्गत शुरू किया गया है।
- इस पहल का उद्देश्य क्षमता निर्माण करके तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और उपयोग में सुधार लाकर नवजात और शिशु मृत्यु दर को कम करना है।

FPC की आवश्यकता क्यों है?

- बढ़ते संस्थागत प्रसव और नवजात देखभाल के कारण पारिवारिक सहभागिता स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है।
- विभिन्न आंकड़ों से पता चलता है कि नवजात देखभाल इकाई से छोड़े जाने वाले कुल नवजात शिशुओं में से 10 प्रतिशत शिशु केवल एक वर्ष तक जीवित रहते हैं।
- प्रति वर्ष भारत में पैदा होने वाले 27 लाख शिशुओं में से लगभग 13% (3.5 मिलियन) समय से पहले और 28% (7.6 मिलियन) कम वजन के साथ जन्म लेते हैं, जिससे नवजात काल में उनकी मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
- अस्पताल में भर्ती होने के कारण बीमार नवजात शिशु अपनी मां से अलग हो जाता है जिससे माताओं में तनाव का उच्च स्तर, असहायता पैदा होती है और अपने बच्चे के संबंध में निर्णय लेना सीमित हो जाता है।

FPC के लाभ

Family	Newborn	Staff
• Greater parent and family satisfaction • More informed parents • Better coping with stress and anxiety • Enhanced parent-infant attachment and bonding • Improved breastfeeding rates • Better confidence and mental health among mothers • Better communication between parents and health staff	• Better weight gains • Shorter length of hospital stay • Higher breast feeding rates before discharge • Improved long term outcomes • Reduced need for rehospitalization	• Work sharing • Better quality of care • Better allocation of resources

परिवार सहभागिता देखभाल (FPC) क्या है?

- FPC का अर्थ नवजात शिशु देखभाल सुविधाओं में देखभाल प्रदान करने और निर्णय लेने में भागीदारों के रूप में बीमार और समय पूर्व जन्मे नवजात शिशुओं के परिवार को सम्मिलित करना है।

FPC की क्रियाशीलता

- स्वच्छता बनाए रखने और कर्मचारियों को सतर्क करने या बच्चे के साथ कुछ भी असामान्य गतिविधियों की निगरानी के लिए माता-पिता या परिचारक (Attendants) को विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों (SNCU) से जोड़ा गया है।
- SNCU माता-पिता को कंगारू देखभाल (बच्चे के सामने वाले भाग और मां की छाती के बीच **त्वचा से त्वचा संपर्क**) के बारे में संवेदनशील बनाएगा।
- FPC संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से नवजात शिशु देखभाल में माता-पिता और परिचारकों की क्षमता निर्माण करने में मदद मिलेगी ।
- इसके दिशा-निर्देशों में अवसंरचनाओं का निर्माण करने, व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने और ASHA कार्यकर्ताओं के माध्यम से विस्तारित देखभाल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- FPC कार्रवाई की पहल **भारतीय नवजात कार्य योजना (INAP) 2014** के लिए एक उपकरण होगा।

इंडिया न्यू बोर्न एक्शन प्लान (India New Born Action Plan)

- इसके अंतर्गत 2030 तक नवजात शिशु मृत्यु दर और मृत प्रसव दर (Stillbirth Rate) को एकल अंकों में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के मौजूदा फ्रेमवर्क प्रजननात्मक, मातृ, नवजात शिशु, बाल और किशोर स्वास्थ्य (RMNCH+A) में कार्यान्वित किया गया है।
- इसके तहत निगरानी क्षमता का निर्माण और सुदृढ़ीकरण तथा जन्मजात विसंगतियों पर मानकीकृत एवं सटीक आंकड़ों की उपलब्धता का विस्तार किया गया है।

7.12. सरोगेसी विधेयक

(Surrogacy Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय समाज में हुए या हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में कुछ परिवर्तनों की अनुशंसा की है।

भारत में सरोगेसी कानून

- **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)** द्वारा 2002 में सरोगेसी के लिए निर्धारित किए गए दिशा-निर्देश ने इस प्रथा को वैध बना दिया है, किंतु इसे विधायी समर्थन प्रदान नहीं किया गया है। इससे कुछ सीमा तक सरोगेट माँ एवं संतति-इच्छुक माता-पिता को संरक्षण प्राप्त हुआ है।
- इसने लिंग-चयनात्मक सरोगेसी को निषिद्ध किया, जन्म प्रमाणपत्र पर केवल संतति-इच्छुक माता-पिता का नाम लिखा जाना आवश्यक किया, संतति-इच्छुक माता-पिता में से किसी एक को दाता होना आवश्यक किया, सरोगेट माँ के लिए बीमा कवर तथा माता और दाता की निजता के अधिकार इत्यादि को सुनिश्चित किया।
- यद्यपि, **बेबी मंजी बनाम भारत संघ** के मामले के माध्यम से **कानूनी संरक्षण की आवश्यकता को** लागू किया गया था।
- सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी **(ART: Assisted Reproductive Technology)** विधेयक का मसौदा 2010 में तैयार किया गया था, किंतु इसे कभी भी कानून के रूप में पारित नहीं किया गया। इस विधेयक में अनेक खामियां थीं।
- जुलाई 2012 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित एक अध्ययन ने सरोगेसी व्यवसाय को देश भर में 3000 से अधिक प्रजनन क्लीनिकों के साथ 400 मिलियन डॉलर से अधिक का निर्धारित किया।
- सामाजिक अनुसंधान केन्द्र (Centre for Social Research: CSR) के अनुसार सामान्यतः निर्धनता और अशिक्षा के कारण माताएं सरोगेसी की ओर आकर्षित होती हैं, जो आगे चलकर शोषण को चुनौती देने में उनकी अक्षमता को सुनिश्चित करता है।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लोक सभा में सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 पुनर्स्थापित किया गया, तत्पश्चात इसे स्थायी समिति के पास भेजा गया।

मंजी बनाम भारत संघ

एक जापानी दम्पत्ति ने भारत में एक सरोगेट माँ को संतति की इच्छा से नियोजित किया लेकिन उनके बीच तलाक हो गया। नवजात शिशु को एकल पुरुष अभिभावक को नहीं सौंपा गया एवं माँ ने उसे स्वीकार करने से इंकार कर दिया। जापान ने मानवीय आधार पर बच्चे को वीजा दिया एवं उसकी दादी को अपने बेटे की ओर से शिशु को लेने की अनुमति प्रदान की, क्योंकि पिता के साथ शिशु के आनुवंशिक संबंध थे। हालांकि, इस मामले के दौरान सर्वोच्च नयायालय ने माना कि पुरुष सरोगेट शिशु का अभिभावक हो सकता है और सरोगेसी को सकारात्मक प्रथा माना।

पृष्ठभूमि

- इस विधेयक में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार, सरोगेसी केवल ऐसे **बांझ भारतीय विषमलैंगिक विवाहित दम्पत्ति** के लिए ही मान्य होगी जहाँ महिला की आयु **23-50** वर्ष के बीच एवं पुरुष की आयु 26-55 वर्ष के बीच हो।
- दम्पत्ति के पास कोई जीवित शिशु चाहे वह जैविक हो या दत्तक नहीं हो सकता है।
- इस विधेयक के अंतर्गत, सभी सरोगेसी क्लीनिक पंजीकृत किये जायेंगे। सरोगेट माँ को प्रत्यक्ष भुगतान नहीं किया जा सकता है एवं सरोगेसी के लिए राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड विनियमन प्राधिकरण होंगे।
- यह विधेयक निःसंतान या अविवाहित महिलाओं को सरोगेट माँ बनने की अनुमति प्रदान नहीं करता है।

"परोपकारी सरोगेसी"(altruistic surrogacy) शब्द आम तौर पर केवल उस व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें सरोगेट माँ चिकित्सा लागत और अन्य गर्भावस्था संबंधित उचित व्ययों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त कोई अन्य क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं करती है।

समिति द्वारा किया गया अवलोकन

- इसने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 के आधार पर "**विवाहित दम्पत्तियों के लिए परोपकारी सरोगेसी**" को गलत ठहराया है। पैनल के अनुसार 'परोपकारी' सरोगेसी की परिभाषा, पितृसत्तात्मक संरचना में कार्य नहीं कर सकती। सरोगेट माँ को विवश करने की संभावना है और इस व्यवस्था से उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, जिससे यह विचारधारा मजबूत होती है कि महिला के शरीर पर स्वयं उसका अधिकार नहीं है।
- इसने भारतीय समाज की उस गतिशील संरचना की ओर ध्यान आकर्षित किया जहाँ निर्णय लेने की शक्ति महिलाओं के हाथ में बहुत कम ही होती है। अपेक्षाकृत कम विशेषाधिकार प्राप्त एवं आर्थिक रूप से कमजोर संबंधियों को सरोगेट माँ बनने के लिए विवश किया जा सकता है। निकट संबंधियों के मामले में पारिवारिक दबाव के कारण मजबूर करने और शोषण करने की संभावनाएं और अधिक हो जाती हैं।
- इसके अलावा यह भी अनुशंसा की गई है कि लिव-इन संबंधों वाले युगलों समेत दम्पत्तियों को **परिवार के अंदर एवं बाहर दोनों प्रकार से ही अपनी सरोगेट चुनने की स्वतंत्रता** होनी चाहिए।

VISION IAS

- इसने विधेयक के **संकीर्णता पर भी प्रश्न उठाए** हैं, क्योंकि इसमें लिव-इन में रहने वाले युगलों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। लिव इन में रहने वाले युगलों को इस विधेयक के प्रावधानों से बाहर रखने का निर्णय इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि यह विधेयक वर्तमान आधुनिक सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी लिव-इन-संबंधों को विधिक मान्यता प्रदान कर दी गई है।
- हालाँकि, पैनल ने विधेयक के उन प्रावधानों का समर्थन किया है जो विदेशियों को भारत में सरोगेसी सेवाएं प्राप्त करने से प्रतिबंधित करते हैं।
- यह पैनल इस तथ्य पर भी सहमत है कि **किसी भी महिला को एक बार से अधिक सरोगेट नहीं बनना चाहिए**– "निर्धनता के कारण सरोगेसी का विकल्प चुनने वाली महिलाओं के लिए सरोगेसी निर्धनता से मुक्ति पाने का माध्यम नहीं हो सकती एवं इसे व्यवसाय के रूप में अनुमित नहीं दी जानी चाहिए"।
- पैनल ने **राष्ट्रीय डेटाबेस** का निर्माण करने की भी अनुशंसा की है जहाँ सरोगेसी मामलों पर नजर रखी जा सके।

आगे की राह

विश्वभर में भारत सरोगेसी के सर्वाधिक बड़े केन्द्रों में से एक है जिसे सरोगेट मां से जन्मे बच्चे की सुरक्षा एवं साथ ही सम्मिलित माता-पिता के अधिकारों की सुरक्षा की प्रक्रिया को प्रशासित करने वाली सुपरिभाषित विधिक प्रणाली की आवश्यकता है। पैनल द्वारा इस दिशा मे की गई अनुशंसाएं स्वागत योग्य कदम हैं।

7.13. मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी

(Minimum Wage Under Mgnrega)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **नागेश सिंह** पैनल द्वारा मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली मजदूरियों के संबंध में अनुशंसाए प्रदान गई हैं।

पृष्ठभूमि

- प्रोफेसर महेन्द्र देव की अध्यक्षता में 2014 में गठित एक विशेषज्ञ समिति ने यह निर्णय दिया है कि यदि मनरेगा श्रमिकों को आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक नहीं तो कम से कम राज्यों में कृषि श्रमिकों के बराबर न्यूनतम मजदूरी तो प्रदान की ही जानी चाहिए।
- इस वर्ष का **48,000 करोड़ रु. का मनरेगा बजट** अभी तक सर्वाधिक है लेकिन इस वर्ष का मजदूरी संशोधन केवल 2.7 प्रतिशत (इस योजना के दस वर्ष के इतिहास में सबसे कम) था जिससे कई राज्यों में दैनिक मजदूरी में केवल 1-3 रु की ही बढ़ोत्तरी हुई है। इसके कारण, 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली **न्यूनतम मजदूरी की तुलना में मनरेगा मजदूरी अत्यधिक कम** है।

- **न्यूनतम मजदूरी**: यह मात्र निर्वाह आवश्यकताओं जैसे भोजन, आश्रय और कपड़ों आदि को पूरा करने की गारंटी देती है।
    - इन्हें **न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, 1948** के अंतर्गत नियत किया गया है।
    - इन्हें राष्ट्रीय, राज्य, क्षेत्रीय और कौशल/व्यावसायिक स्तरों पर निर्धारित किया गया है।
    - न्यूनतम मजदूरी दरों का संशोधन **कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स** पर आधारित है।
- **निर्वाह मजदूरी:** यह किसी श्रमिक के लिए आय का वह स्तर है जो अच्छा स्वास्थ्य, गरिमा, आराम, शिक्षा का आधारभूत मानक सुनिश्चित करेगा और उनकी आकस्मिक आवश्यकता की पूर्ति करेगा।
- **उचित मजदूरी:** यह मजदूरी का वह स्तर है जो न केवल रोजगार का स्तर बनाए रखता है बल्कि उद्योग की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाने की मांग करता है।

भारत में मजदूरी सूचकांक

- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- कृषक मजदूर (CPI-AL):** श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा परिकलित किया जाता है।
- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – ग्रामीण मजदूर (CPI-RL)** : श्रम मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो द्वारा परिकलित किया जाता है।
- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - ग्रामीण (CPI-R):** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा परिकलित किया जाता है।

अनुशंसाएँ

- विभिन्न राज्यों द्वारा मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी में समता बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- **भुगतान में भिन्नता** : न्यूनतम मजदूरी और नरेगा (NREGA) के तहत प्रदान की जाने वाली मजदूरी के बीच असमानता पाई जाती है, क्योंकि
    - **न्यूनतम मजदूरी** राज्यों द्वारा तय की जाती हैं। किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुपालन किए बिना इसमें **मनमाने ढंग से वृद्धि** जाती है।
- मजदूरी की गणना करने के लिए पैनल ने **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- कृषिक मजदूर (CPI-AL)** की जगह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – ग्रामीण (CPI-R) अपनाने की अनुशंसा की है, क्योंकि

VISION IAS

- **ग्रामीणों क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की व्यापक तस्वीर** : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – ग्रामीण (CPI-R) सूचकांक ग्रामीण परिवारों का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। यह मुद्रास्फीति से श्रमिकों की रक्षा करेगा, क्योंकि यह देश की संपूर्ण ग्रामीण आबादी के लिए कीमतों में परिवर्तन का ध्यान रखता है।
- केन्द्र सरकार द्वारा **NREGA मजदूरी** को 1983 के उपभोग प्रतिमान पर आधारित **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- कृषिक मजदूर** (CPI-AL) **का उपयोग कर** नियत किया जाता हैं। दूसरी ओर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - ग्रामीण (CPI-R) वर्तमान उपभोग प्रतिमान पर आधारित है।

7.14. चैंपियंस ऑफ चेंज इनिशिएटिव

(Champions of Change initiative)

- **इस पहल का आयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया** था, जहाँ भारत के प्रधानमंत्री ने युवा उद्यमियों के साथ संवाद किया।
- इस पहल का लक्ष्य युवा व्यवसायियों को एक स्थान पर एकत्रित करना एवं राष्ट्र और समाज के लाभ के लिए विविध शक्तियों को संगठित करने का प्रयास करने हेतु विचारों को साझा करना था।
- **चर्चा के विषय**: इसके विषयों में 2022 तक नए भारत का निर्माण, किसानों की आय को दोगुना करना, भविष्य के शहरों का निर्माण करना, मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाना, वित्तीय क्षेत्रक का सुधार करना, विश्व स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं का निर्माण करना सम्मिलित है।
- प्रधानमंत्री ने कहा है कि उद्यमियों के विभिन्न समूहों को नीति संबंधी पहलों का सुझाव देने के लिए स्थाई रूप से **संबंधित मंत्रालयों से संबंद्ध किया जा सकता है।**

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. भारत छोड़ो आंदोलन की 75 वीं वर्षगांठ

(75th Anniversary of Quit India Movemen)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, देश में भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्ष के समारोह का विषय **"संकल्प से सिद्धि"** था। जिसके तहत लोगों से **निर्धनता** और **कुपोषण** से मुक्त होने का संकल्प लेने का आग्रह किया गया।

भारत छोड़ो आंदोलन

- जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें यह भी घोषित किया गया कि स्वतंत्र भारत नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद की आक्रामकता के विरुद्ध होगा।
- **भारत छोड़ो आंदोलन को आरंभ करने के कारण:**
  - ब्रिटिश इच्छाशक्ति की कमी के कारण भारतीय मांगों का समाधान करने में क्रिप्स मिशन की विफलता।
  - मूल्य वृद्धि, खाद्य वस्तुओं का अभाव आदि जैसी युद्धकालीन असमानताओं में वृद्धि के कारण जन सामान्य में असंतोष।
  - दक्षिण-पूर्व एशिया में अंग्रेजों की पराजय से भी भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की लोकप्रिय इच्छा को बढ़ावा मिला।
  - दक्षिण-पूर्व एशिया में भारतीय शरणार्थियों के साथ अंग्रेजों का भेदभावपूर्ण व्यवहार।
- 8 अगस्त, 1942 के दिन भारत छोड़ों आंदोलन ग्वालिया टैंक, बंबई से आरम्भ किया गया। हालांकि, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, आजाद आदि सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
- इस आंदोलन के समय विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में व्यापक पैमाने पर जन आवेग एवं प्राधिकार के प्रतीकों पर आक्रमण की घटनाएं देखी गयी।
- आंदोलन के दौरान
  - भूमिगत गतिविधियों के माध्यम से दिशा–निर्देश प्रदान किए गए।
  - बलिया, तामलुक और सतारा में समानांतर सरकारों की स्थापना।
  - युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, किसानों आदि की भागीदारी देखी गई।

8.2. पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन

(Promotion of Traditional Sports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में खेल मंत्री द्वारा "ग्रामीण, स्वदेशी और जनजातीय खेलों को प्रोत्साहन" विशेष घटक के माध्यम से पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन और विकास के बारे में राज्यसभा में अधिसूचित किया गया है।

पृष्ठभूमि

- खेल राज्यसूची का विषय है तथा खेलों के विकास और प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होती है।
- भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने ग्रामीण और स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने हेतु "ग्रामीण, स्वदेशी और जनजातीय खेलों को प्रोत्साहन" विशेष घटक को शामिल करके **'खेलो इंडिया'** प्रस्ताव को नया रूप प्रदान किया है।
- SAI द्वारा प्रोत्साहित किये जाने वाले स्वदेशी खेल और मार्शल आर्ट्स (IGMAs) निम्न हैं:
  - **कलरियापट्टू** - इस मार्शल आर्ट का प्रारंभ केरल से हुआ। इसे मूलतः केरल के उत्तरी एवं मध्य भाग तथा दक्षिणी तमिलनाडु से संबंधित माना जाता है।
  - **सिलम्बम** - यह तमिलनाडु में प्रचलित अस्त्र आधारित मार्शल आर्ट है। इसमें बांस से बने हुए अस्त्रों का उपयोग किया जाता है।
  - **तीरंदाजी** - यह झारखंड का खेल है जिसमें धनुष और तीर का उपयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से शिकार और मनोरंजन के उद्देश्य से तीरंदाजी की जाती थी।
  - **कबड्डी**– यह एक टीम खेल है जिसमें दो टीमें अंत तक अपने अधिक सदस्यों को बनाये रखने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। यह खेल तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में व्यापक रूप से खेला जाता है।
  - **मलखम्भ** – यह पारंपरिक खेल कलाबाजी और एरियल योगा का मिश्रित रूप है। इसका प्रदर्शन लकड़ी के खम्भे पर किया जाता है एवं खिलाड़ी पूरे प्रदर्शन के दौरान कुश्ती पकड़ (Grip) का प्रदर्शन करते हैं।
  - **मुकना** – यह मणिपुर की लोक कुश्ती है।
  - **थांगटा** – यह मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है और इसे पारंपरिक रूप से हुयेल लंगलों के नाम से भी जाना जाता है।

VISION IAS

- ○ **खोमलैनई (Khomlainai)**– यह असम में बोडो समुदाय के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला मार्शल आर्ट का एक प्रकार है।
- ○ **गतका** – यह पारंपरिक युद्ध प्रशिक्षण है जिसमें तलवारों के रूप में लकड़ी की छड़ियों का उपयोग किया जाता है।

8.3. घंटाशाला में बुद्ध प्रतिमा

(Buddha Statue at Ghantasala)

- सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के घंटाशाला में 70 फीट ऊंचाई की बुद्ध प्रतिमा बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है।
- यह नई कला बुद्ध के **महापरिनिर्वाण** पर आधारित होगी।
- बुद्ध दाहिनी ओर लेटे होंगे, उनका सिर तकिये पर या दाहिनी कोहनी पर तथा हाथ द्वारा अपने सिर को सहारा देने की मुद्रा में होगा।

महापरिनिर्वाण

- "महापरिनिर्वाण" शब्द का तात्पर्य **निर्वाण की परम अवस्था (शाश्वत, सर्वोच्च शांति और आनंद)** से है। यह अवस्था शारीरिक मृत्यु के समय एक ज्ञान प्राप्त व्यक्ति (बुद्ध) या "अर्हत" द्वारा प्राप्त की जाती है; लेकिन इसका संदर्भ ऐसे व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है जो अपने लौकिक जीवनकाल में इसी प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर सकता है।

घंटाशाला का महत्व

- घंटाशाला एक प्रसिद्ध बौद्ध केंद्र था। यहाँ 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध एवं 20वीं सदी के आरम्भिक वर्षों में किये गए उत्खनन से महाचैत्य या स्तूप की खोज हुई।

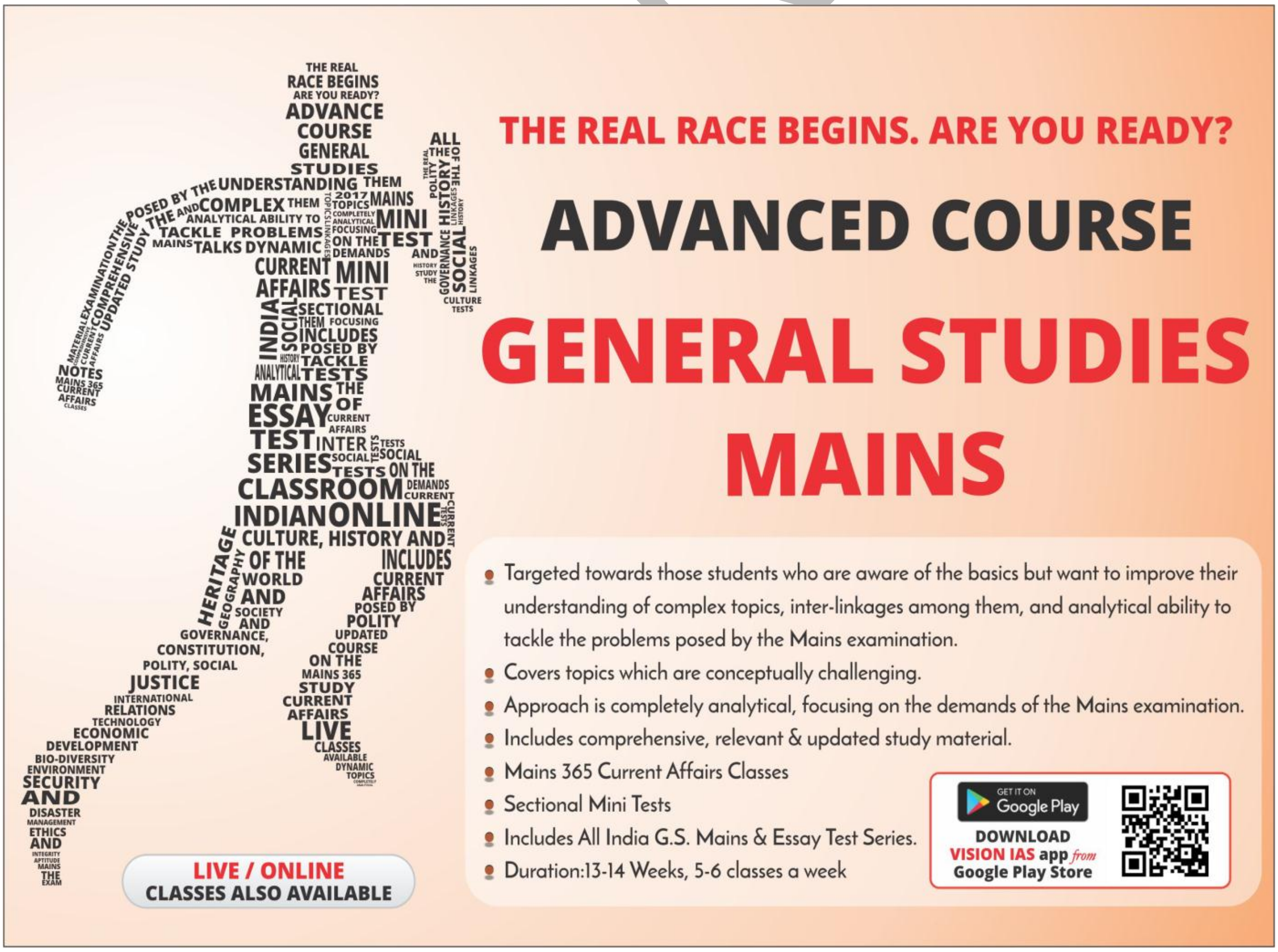

9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1. चिकित्सकीय नैतिकता

(Medical Ethics)

चिकित्सा क्षेत्र में अतिभारण (ओवरचार्जिंग) बड़े पैमाने पर व्याप्त है जो कि अनावश्यक नैदानिक परीक्षण, महंगी दवाओं, अस्पताल के महंगे बिल या बीमा कंपनियों द्वारा धोखाधड़ी के मामलों के रूप में सामने आते हैं। हाल ही में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) द्वारा घुटने के प्रत्यारोपण के लिए मूल्य सीमा निर्धारण से चिकित्सकीय नैतिकता में हो रही अवनति स्पष्ट होती है, जिसमें अस्पताल और चिकित्सक दोनों अनैतिक रूप से मुनाफाखोरी में शामिल है। इस प्रकार के अनुचित मूल्य निर्धारण में निम्नलिखित नैतिक मुद्दे हो सकते हैं:

- **विश्वसनीयता में कमी** – चिकित्सकीय अनाचार संबंधी जागरूकता में वृद्धि के परिणामस्वरूप रोगी एवं चिकित्सक के मध्य परस्पर विश्वास में कमी हो रही है। विश्वास में इस कमी को कम करने हेतु पूना सिटीजन डाक्टर फोरम जैसी पहल की जा सकती है, जिसके तहत रोगियों द्वारा नीति परक डाक्टरों का सार्वजानिक डाटाबेस बनाया जाता है।
- **सेवा उन्मुखीकरण से व्यवसायीकरण–** डॉक्टरों को महंगी दवाएं लिखने के लिए प्रलोभन दिया जाता है जिनकी रोगियों को आवश्यकता नहीं होती हैं। इस प्रलोभन के कारण डॉक्टर इन्हें लिखने के लिए प्रेरित होते हैं।
- **व्यवसायिक कदाचार–** भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यवसायिक आचार, शिष्टाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के अंतर्गत इसे अनैतिक आचरण माना जाता है।
- **प्रतिष्ठा में कमी–** यह न केवल एक चिकित्सक या अस्पताल की प्रतिष्ठा में कमी करता है, बल्कि विदेशी रोगियों के समक्ष उच्च गुणवत्ता और वहनीय देखभाल के प्रदाता के रूप में भारत की छवि को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
- **अनुचित–** यह उन रोगियों के लिए अनुचित है जो कि स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर उच्च व्यय के कारण गरीब होते जा रहे हैं। यह एक अनुचित व्यापारिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके द्वारा उद्योगों द्वारा बिक्री बनाये रखने और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अस्पतालों के साथ समूह बना लिया जाता है।
- **लोभ को बढ़ावा-** हालांकि अस्पतालों को कुछ लाभ होना चाहिए क्योंकि ये *स्टेरलाइज़ेशन, स्टोरेज* आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। परन्तु यह लाभ अत्यधिक और अतार्किक नहीं होना चाहिए। NPPA रिपोर्ट के अनुसार *आर्थोपेडिक इम्प्लांट* पर औसत लाभ 313 फीसदी है।
- **सूचना विषमता–** कभी-कभी नई तकनीक के लाभ या सीमाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी के अभाव में मरीज केवल डॉक्टर की सलाह पर नई और महंगी तकनीक को चुनते हैं।

चूंकि रोगी अपने जीवन कि सुरक्षा के लिए चिकित्सक पर विश्वास करता है अतः चिकित्सकों को अपने निहित उत्तरदायित्व का अनुभव करते हुए निम्नलिखित चिकित्सकीय नैतिकता का पालन करना चाहिए:

- **रोगी को प्राथमिकता–** स्वास्थ्य सेवा एक महान और उत्कृष्ट कार्य है जहाँ चिकित्सकों को रोगियों का किसी वर्ग, राष्ट्रीयता, लिंग, जाति आदि भेदभाव के बिना करुणा से उपचार करना चाहिए।
- **उचित शुल्क** – इसका रोगियों को अग्रिम रूप से पता होना चाहिए।
- **देखभाल और विश्वास को महत्त्व** – चिकित्सकों को रोगियों के साथ विश्वास विकसित करना चाहिए और मनोवैज्ञानिक ढंग से विनम्र वार्तालाप द्वारा सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **पारदर्शिता–** विभिन्न उपलब्ध उपचारों तथा उनके लाभ व हानि के सम्बन्ध में जानकारी देनी चाहिए जिससे रोगी सही निर्णय ले सके।
- **गोपनीयता–**चिकित्सक को उपचार के दौरान रोगी द्वारा उपलब्ध कराई गयी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखनी चाहिए।

- **व्यवसायिकता एवं उपकारिता–** एक चिकित्सक को अपने व्यवसाय के सम्मान और गौरव को बनाये रखना चाहिए और उनका मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होनी चाहिए।
- **सहानुभूति–**चिकित्सक को उपचार के दौरान रोगी के दर्द और दुःखों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं है कि चिकित्सक को न्यूनतम शुल्क ही लेना चाहिए। चिकित्सकों को भी उचित स्तर के पारिश्रमिक लेने का वैध अधिकार है परन्तु पेशे संबंधी सदाचारों एवं व्यवसायिक प्रतिफल के मध्य संतुलन होना चाहिए।

9.2. किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने की नैतिकता

(Ethics of Winning in Election at All Costs)

स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव लोकतंत्र की विशिष्ट पहचान है। यह लोगों का लोकतंत्र में विश्वास सुनिश्चित करता है। चुनावों को नैतिक बनाने के लिए मतदाताओं, आयोजकों और राजनीतिक दलों सहित सभी को अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्व का निर्वहन गम्भीरता से करना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों के प्रति जवाबदेहिता होनी चाहिए। चुनाव आयुक्त ने हाल ही में राजनीतिक नैतिकता के नये मापदंड के बारे में चेतावनी दी है। यह चुनाव संचालन एवं प्रबंधन करने वाली संस्था द्वारा दी गयी एक साहसी और आश्वस्त चेतावनी थी जो कि राजनीतिक संस्कृति के विकृत होने को स्पष्ट करती है।

किसी भी कीमत पर चुनाव जीतने को अधिकतम महत्त्व देने के निम्न विभिन्न नैतिक मुद्दे सम्मिलित हैं:

- **लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनैतिक साधन–** जैसे दल-बदल, विधायकों-सासंदों को रिश्वत, राज्य मशीनरी के दुरूपयोग को उन्नत राजनीतिक प्रबन्धन या साधन-सम्पन्नता के रूप में व्यक्त किया जा रहा है और यह अब भारतीय राजनीति के लिए एक सामान्य बात बन गयी है।
- **प्रक्रियात्मक उल्लंघन–** जैसाकि चुनाव आयुक्त ने कहा है कि वह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अपनी शक्तियों के उपयोग द्वारा उचित प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण चुनाव को अमान्य घोषित कर सकता है।
- **सेवा के स्थान पर सत्ता पर ध्यान केन्द्रित करना–** राजनीतिक दलों की हिंसक या स्वार्थी प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक प्रकिया को निम्नतम स्तर पर ले आई है।
- **अविश्वास को बढ़ावा–** राजनीतिक दलों में और अपने दल में भी दल-बदल को किसी अपराध बोध या सम्भावित आपराधिकता से संबंधित नहीं माना जाता है।
- **जन सामान्य में निराशावादिता–** चुनावों के परिणामों के प्रति विश्वास और सम्मान का अभाव।
- **प्रभुत्व की प्रवृति –** ऐसी रणनीति एक संवैधानिक ढांचे में नियंत्रण और संतुलन को कमजोर करती है और बाद में राजनीतिक दलों द्वारा इसका उपयोग असंतोष को दबाने के लिए किया जा सकता है।
- **लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों और विधि के शासन को विफल करना–** चुनावों में धन-बल के बढ़ते महत्त्व के परिणामस्वरूप कुछ लोगों का नीति पर अधिकार हो सकता है।

राजनीतिक संस्कृति का पतन भी विविधता के मूल्यों के विरुद्ध है। संस्थानों को याद दिलाने की आवश्यकता है कि उन्हें आगे आने और अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने तथा त्वरित व जटिल राजनीति में अपनी भूमिका को पुनः सिद्ध एवं संशोधित करने की आवश्यकता है। सामान्य रूप से राजनीतिक दलों को निम्नलिखित नैतिक सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए:

- **पारदर्शिता–** अपने सभी वित्तीय लेन-देनों में पारदर्शिता तथा रिश्वत न लेना जिससे चुनावी प्रक्रिया में लोगों का पूर्ण विश्वास सुनिश्चित होगा।
- **आंतरिक लोकतंत्र**– सदस्यों को अपनी आवाज उठाने और कुशल नेतृत्व वाले नेताओं का चयन करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए।
- **लोकसेवा की भावना–** उन्हें अपने समुदाय के हितों को अपने या अपने दलों के हितों से ऊपर रखना चाहिए।
- **विविधता का सम्मान–** दलों को उदार होना चाहिए और उन्हें लोगों का उनके विश्वासों और विकल्पों के साथ आदर करना चाहिए।

VISION IAS

- **ईमानदारी और सत्यनिष्ठा-** सत्यवादी बनकर और झूठे वायदे करके लोगों को भ्रमित न करे। राजनीतिक दलों के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका आचरण निंदनीय न हो।
- **कार्य के प्रति प्रतिबद्धता–** ऑनलाइन जनमत बनाने के लिए उन्हें जन संपर्क फर्मों की सहायता नहीं लेनी चाहिए, बल्कि इसके लिए अच्छे कार्य करने चाहिए।
- **सही साधनों पर बल –** इसका अर्थ है कि विधि के शासन का तत्वत: तथा अक्षरश: पालन करना चाहिए।

वास्तव में हमारी राजनीतिक संस्कृति को ऐसा होना चाहिए कि चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के लिए नैतिक मानक निर्धारित हो। अब तक ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी राजनीतिक संस्कृति एक नये मानक को अपनाये हुये है, जहाँ चुनावों में कुछ अनैतिक प्रथाओं का नागरिकों द्वारा कोई विरोध दर्ज नहीं किया जा रहा है जबकि वे प्रजातंत्र के सबसे बड़े हितधारक हैं। विधि के शासन, स्वतन्त्रता और समानता आदि को बनाये रखने के लिए उन्हें राजनीति में सक्रिय भागीदारी करने की आवश्यकता है।

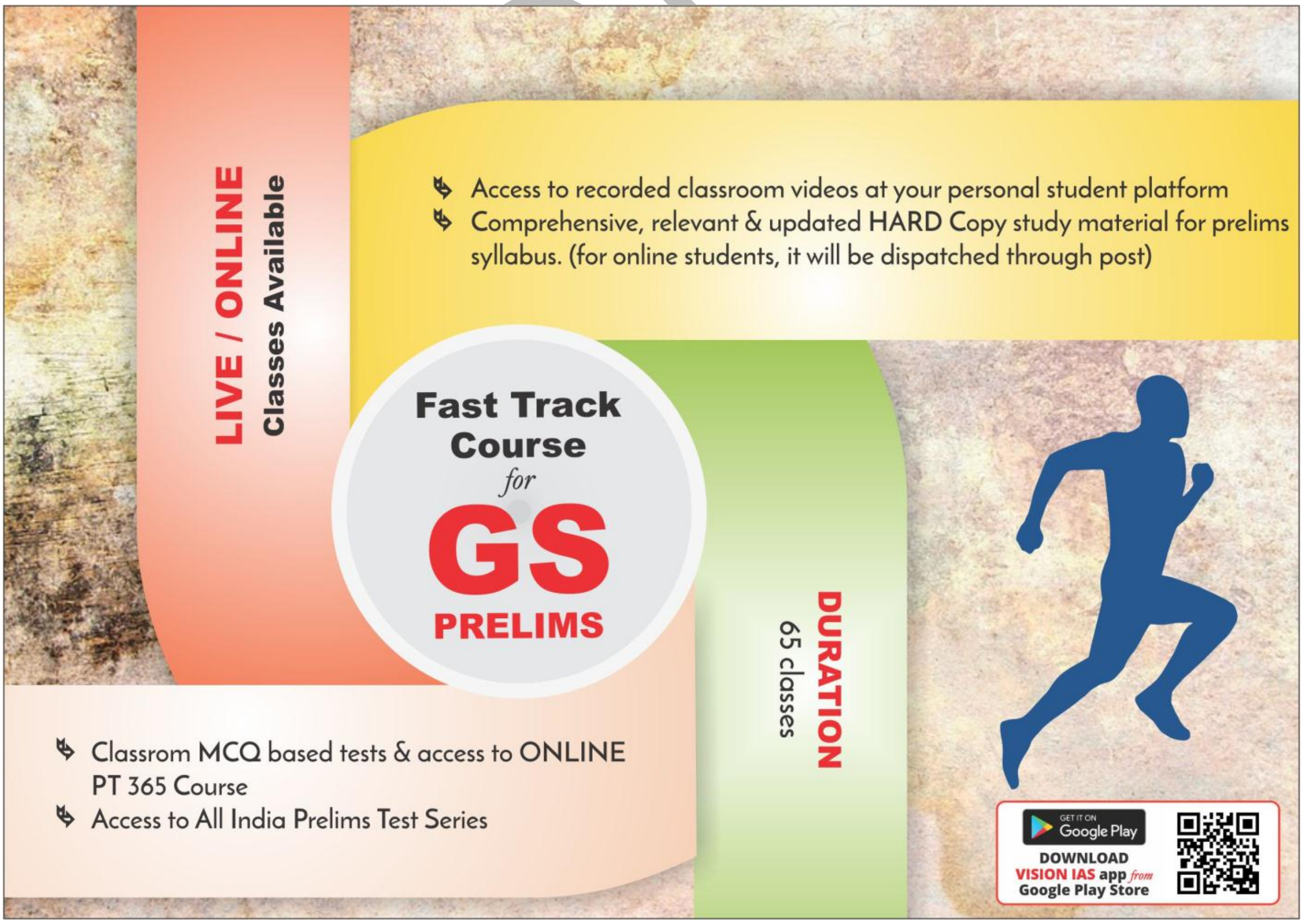

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. ओलम्पिक टास्क फ़ोर्स (कार्यबल)

(Olympic Task force)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार हेतु प्रधानमंत्री की ओलम्पिक टास्क फ़ोर्स ने अपनी रिपोर्ट को एक विस्तृत कार्य योजना के साथ प्रस्तुत किया।

पृष्ठभूमि

- 2016 ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री ने 2016 में **अगले तीन ओलम्पिक खेलों में अर्थात् 2020, 2024 और 2028 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रभावी प्रदर्शन के उद्देश्य हेतु** योजना तैयार करने के लिए ओलिंपिक टास्क फ़ोर्स की घोषणा की।
- **टास्क फ़ोर्स के सदस्य थे–** पी. गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा, राजेश कालरा, ओम पाठक, वीरेन रस्किन्हा, एस. बलदेव सिंह, प्रोफेसर जी. एल. खन्ना और संदीप प्रधान।

ओलम्पिक टास्क फ़ोर्स के प्रमुख सुझाव:

- ओलंपिक टास्कफोर्स द्वारा कुलीन एथलीटों के प्रशिक्षण एवं तैयारी के लिए केवल एक प्रशिक्षक की अपेक्षा **भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की भूमिका के पुनर्गठन** का सुझाव दिया गया है।
- SAI को सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए **उत्कृष्ट अकादमियों को उपलब्ध कराना चाहिए और उन्हें प्रतिस्पर्धा और जीतने के स्तर** तक प्रशिक्षित करना चाहिए।
- SAI में **नौकरशाहों के स्थान योग्य पेशेवरों** की नियुक्ति करने और सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधारणा को समाप्त कर व्यावसायिक विशेषज्ञों को अनुबंध के आधार पर स्पष्ट परिभाषित भूमिका के साथ नियुक्त किया जाना चाहिए।
- SAI को अपने कार्यक्रमों के संचालन हेतु संसाधनों को प्राप्त करने के उपायों के साथ **पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता** दी जानी चाहिए।
- टास्क फ़ोर्स ने यह सुझाव भी दिया कि खिलाड़ी को **केवल 28 वर्ष की आयु तक ही सक्रिय** माना जाना चाहिए, उसके पश्चात् उन्हें राष्ट्रीय रैंकिंग के आधार पर **कोच या रेफरी** के रूप में "पुन:प्रशिक्षित" किया जाना चाहिए।

10.2 राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल

(National Sports Talent Portal)

- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल की शुरुआत की गयी है।
- **यह देश भर से खेल प्रतिभाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय** की एक पहल है।
- यह पोर्टल मोबाइल एप के रूप में भी उपलब्ध है, जिसे स्मार्टफ़ोन पर डाउनलोड किया जा सकता है।
- सभी इच्छुक नागरिक तीन चरणों की सरल प्रक्रिया द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की विभिन्न योजनाओं के लिए पोर्टल का उपयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- योग्य युवाओं को चयन परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। योजनाओं में प्रवेश पात्रता मानदंड एवं कई परीक्षणों के साथ ही साथ कौशल परीक्षणों की पूर्ति के अनुरूप होगा।

10.3 युवा (YUVA)- कौशल विकास हेतु दिल्ली पुलिस की पहल

(Yuva-Delhi Police Skill Development Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम युवा (YUVA) पहल का शुभारंभ किया गया।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

- 2016 में आरम्भ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) की प्रमुख योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने में सक्षम बनाना है जिससे उन्हें बेहतर रोज़गार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- पूर्व अधिगम अनुभव या कौशल प्राप्त करने वाले लोगों का भी मूल्यांकन किया जाएगा तथा उन्हें पूर्व शिक्षण मान्यता (RPL) के अंतर्गत प्रमाणित किया जाएगा।

YUVA के संबंध में अन्य तथ्य

इसका उद्देश्य युवाओं के साथ उनकी दक्षता के अनुसार उन्हें कौशल विकास से सम्बद्ध करना है। **यह प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत** लाभदायक रोजगार पाने में उनकी सहायता करेगा।

- इस योजना के अंतर्गत दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस स्टेशनों पर **कौशल विकास केंद्र** आरम्भ किये जायेंगे।
- दिल्ली पुलिस ने **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के साथ समझौता किया है।**
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा (PMKVY) के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) अपने *सेक्टर स्किल कौंसिल* के माध्यम से रोज़गार संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जो उद्योग क्षेत्र से संबंद्ध हैं और इस प्रकार यह रोज़गार की गारंटी प्रदान करते हैं।
- इनमे 17-25 साल के आयु वर्ग के ऐसे युवा सम्मिलित हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट, किशोर अपराधी, अपराधों के शिकार और परिवार में पालनकर्ता के जेल जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न गंभीर स्थिति से संबंधित श्रेणियों आदि से सम्बंधित हैं। इनमें अधिकांशतः दिल्ली के 13 जिलों के सुविधाओं से वंचित कॉलोनियों में से चिन्हित किये गए हैं।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)

- यह भारत में कौशल परिदृश्य को उत्प्रेरित करने के प्राथमिक अधिदेश वाली एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी वाली कंपनी है।
- इसे PMKVY के कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया है।

महत्व

- इस तरह की पहल से पुलिस बल की प्रतिष्ठा में सुधार होगा तथा जन सामान्य के साथ सामाजिक संपर्क में वृद्धि होगी।
- यह पूर्व अपराधियों को जीवन की नयी शुरुआत एवं रोज़गार के नए अवसर प्रदान करेगा।
- इससे युवाओं के मध्य रोजगार की क्षमता में वृद्धि होगी।

10.4 'शी मीन्स बिज़नस' कार्यक्रम

('Shemeansbusiness' Programme)

- हाल ही में ओडिशा सरकार ने महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को प्रशिक्षित करने हेतु शी मीन्स बिज़नस (She Means Business) कार्यक्रम आरंभ किया है।
- योजना के अंतर्गत 25,000 महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को आगामी एक वर्ष में निःशुल्क **डिजिटल मार्किंग** कौशल हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- फेसबुक **भी उद्यमियों के डेटाबेस** का निर्माण करेगा और एक वर्ष के पश्चात **उनके विकास, कारोबार और लाभ** की निगरानी करेगा।
- यह **MSME विभाग, मिशन शक्ति निदेशालय और फेसबुक** के मध्य एक संयुक्त उद्यम है।

मिशन शक्ति

- यह महिला सशक्तिकरण के लिए ओडिशा सरकार द्वारा की गयी प्रमुख पहलों में से एक है।
- यह आर्थिक सशक्तिकरण के एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ महिलाओं के SHGs को बढ़ावा देता है।

VISION IAS

10.5 ऑपरेशन आल-आउट

(Operation All-Out)

- हाल ही में जम्मू और कश्मीर के पुलिस महानिदेशक ने अधिसूचित किया है कि ऑपरेशन आल-आउट कश्मीर के हिंसा-मुक्त और वहां शांति स्थापित होने तक जारी रहेगा।
- ऑपरेशन आल-आउट को कश्मीर में **आतंकवादी हिंसक हमलों का मुकाबला करने के लिए** मार्च 2017 में आरंभ किया गया था।
- यह ऑपरेशन **योजना और खुफिया सूचनाओं पर आधारित है।**
- लक्ष्य के रूप में लगभग 130 स्थानीय और 128 विदेशी आतंकवादी समूहों जैसे **हिजबुल मुजाहिद्दीन, अल-कायदा, लश्कर-ए-तैय्यबा** आदि के रूप में पहचान की गयी है।
- अब तक आतंकवादी समूहों के कई शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं, जैसे- **अबू दुजाना, सब्जर भट्ट, जुनैद मट्टू, बशीर लश्करी** आदि।
- इससे पहले दिसम्बर 2014 में **बोडो आतंकवादियों** के खिलाफ **असम** हिंसा में सरकार द्वारा **ऑपरेशन आल-आउट** भी आरंभ किया गया था। यह अभियान एक बड़ी सफलता सिद्ध हुई।

10.6 SUNREF हाउसिंग प्रोजेक्ट

(SUNREF Housing Project)

हाल ही में भारत में SUNREF हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी (FDA) और यूरोपियन यूनियन के साथ हाथ मिलाया है।

- SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance) हाउसिंग इंडिया NHB को 112 मिलियन यूरो का वित्तपोषण प्रदान करेगी। इसमें से 100 मिलियन यूरो की क्रेडिट लाइन होगी और 12 मिलियन यूरोपियन यूनियन द्वारा अनुदान दिया जाएगा। जुलाई 2017 में NHB के साथ क्रेडिट सुविधा और अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

10.7. गोविंदभोग चावल: जीआई टैग

(Gobindobhog Rice: GI Tag)

सुर्खियों में क्यों?

गोविंदभोग चावल पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले की विशेष उपज है, इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (GI) का दर्जा प्राप्त हुआ है। बर्दवान क्षेत्र को **बंगाल में चावल का कटोरा** के रूप में जाना जाता है।

जीआई टैग (GI TAG) क्या है?

- जीआई एक ऐसा टैग है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए सुनिश्चित होता है। इसका उपयोग विशेष गुणवत्ता और प्रमाणित ख्याति वाली कृषि संबंधी, प्राकृतिक और विनिर्मित वस्तुओं के लिया किया जाता है।
- जीआई टैग वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम),1999 द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
- यह अधिनियम *पेटेंट, डिजाइन* और *ट्रेड मार्क्स* के नियंत्रक जनरल द्वारा संचालित है, जो *ज्योग्राफिकल इंडिकेशन* के रजिस्ट्रार भी हैं।
- *जीआई* का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध है जिसके बाद इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है।

भारत में अन्य चावल की किस्मों के लिए जीआई टैग:

- **काला नमक चावल:** उत्तर प्रदेश
- **बासमती चावल:** पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र
- **आंबेमोहर चावल:** महाराष्ट्र
- **पलक्कडन** मैटा **चावल, नवराज चावल, पोक्कली चावल, वायनाड जीराकसाला चावल, वायनाड गंधकसाला चावल, कैपड चावल:** केरल
- **पश्चिम बंगाल के अन्य जीआई उत्पाद**

VISION IAS

- दार्जीलिंग की चाय, शांतिनिकेतन लेदर गुड्स, लक्ष्मण भोग आम, फाजली आम, हिमसागर (खिरसापति आम), शांतिपोर साड़ी, बलुचारी साड़ी, धनियाखली साड़ी, जोयनागरेर मोआ, बर्धमान सीताभोग और बर्धमान मिहिदाना।

10.8. BPRD के साथ NCRB का विलय

(Merger of NCRB with BPR&D)

हाल ही में सरकार द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) का पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के साथ विलय को अधिसूचित किया गया।

- NCRB गृह मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो कानून को प्रभावी ढंग से प्रवर्तित करने हेतु भारतीय पुलिस को आपराधिक आसूचना और सूचना प्रौद्योगिकी से सशक्त बनाने के लिए 1986 में स्थापित किया गया था।
- BPR&D की स्थापना 1970 में एक राष्ट्रीय पुलिस संगठन के रूप में की गई थी। इसके अंतर्गत पुलिस से संबंधित अध्ययन, अनुसंधान और विकास के मुद्दों को शामिल किया गया था।
  - अपराध डेटा संग्रह और अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा देना।
  - प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना।
  - संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना।
  - BPR&D द्वारा किए गए शोध और NCRB द्वारा एकत्रित किए गए आपराधिक आंकड़ों से बेहतर परिणाम।

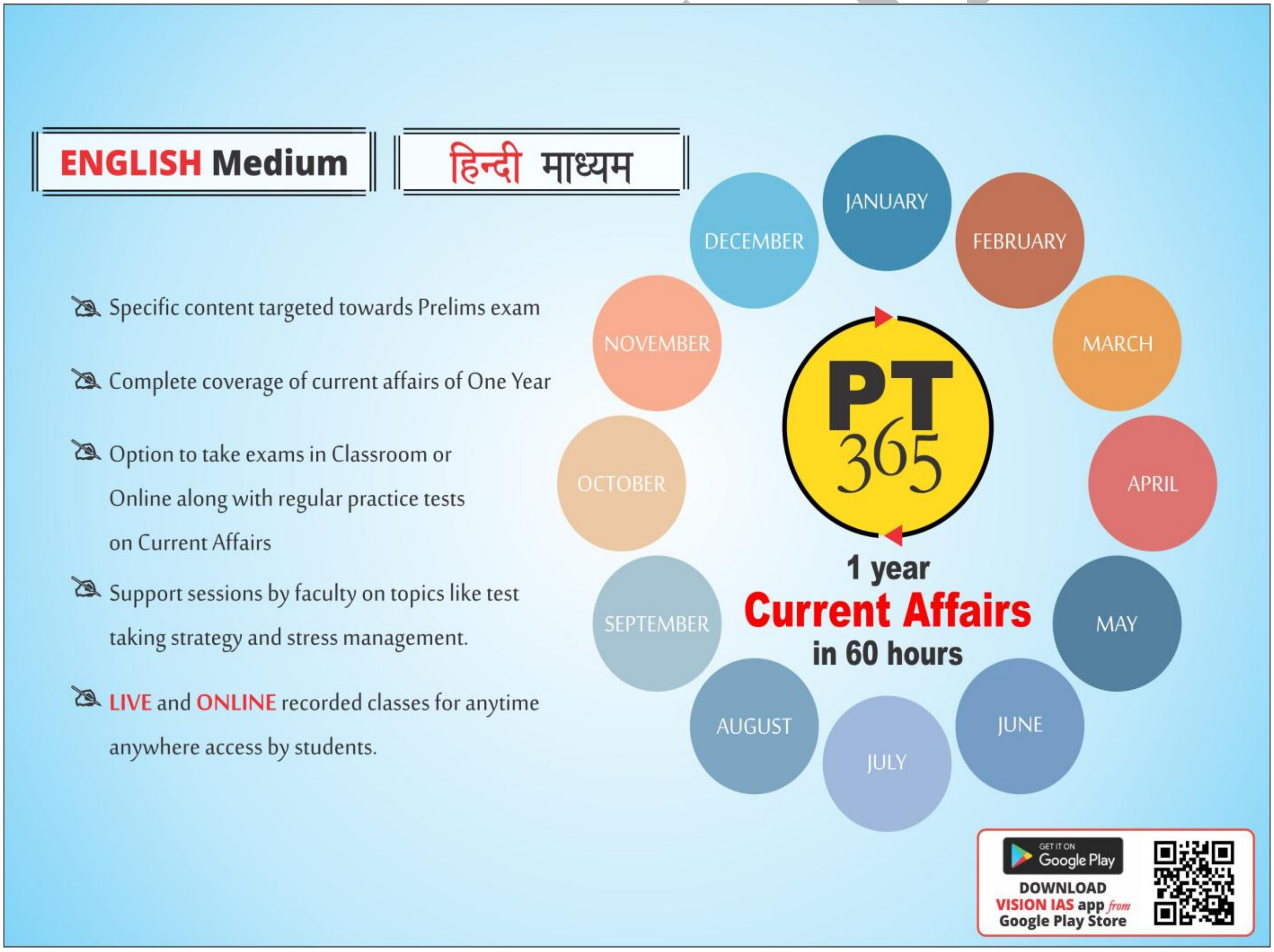

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS